खण्ड-242, अंक-9
मंगलवार, 30 आश्विन, शक संवत् 1885
(22 अक्टूबर, 1963 ई0)

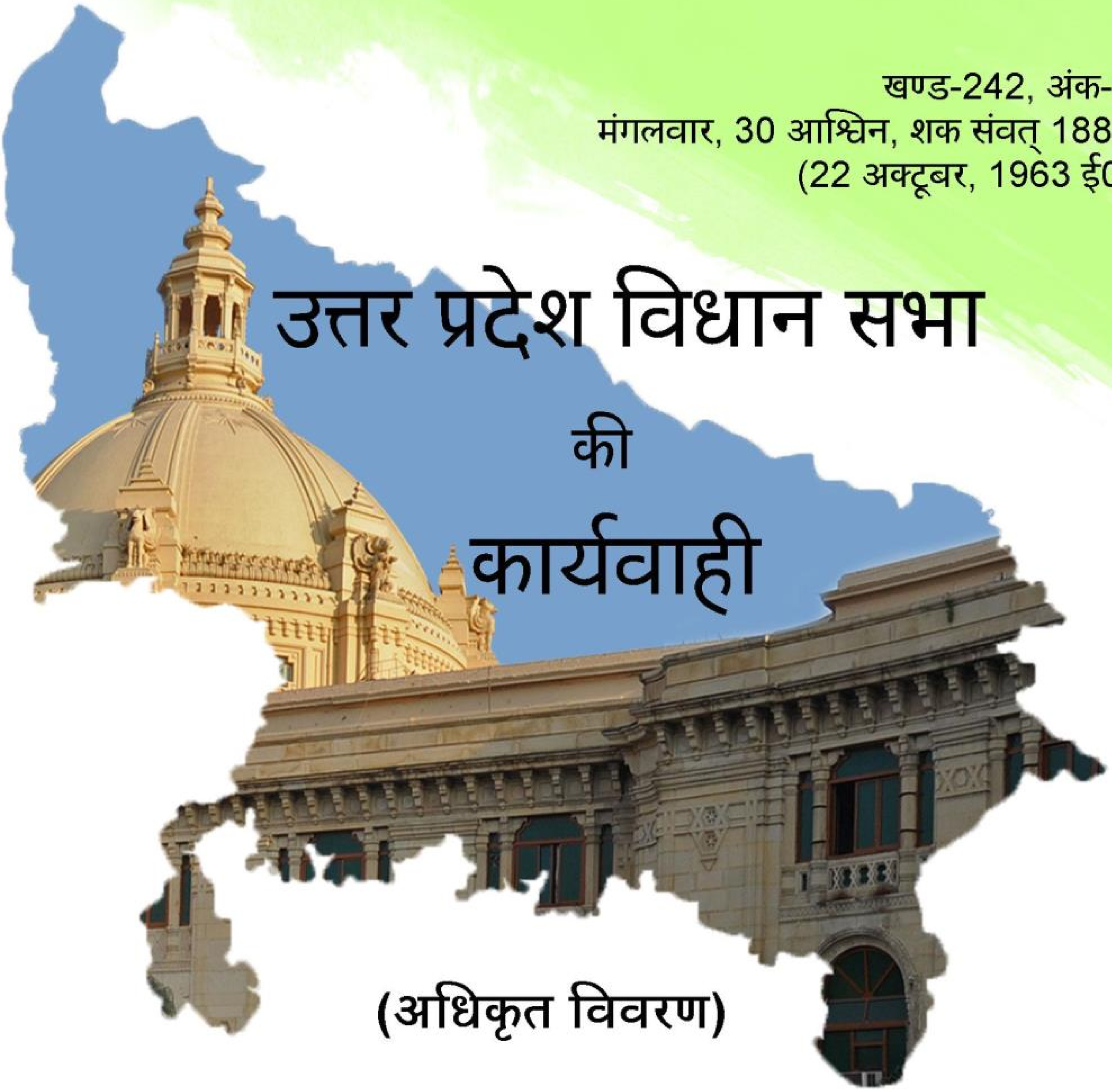

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 242 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	११६१–११६५
प्रश्नोत्तर	११६५–१२०१
प्रश्नों के संबंध में आपत्ति	१२०१
इलाहाबाद उच्च-न्यायालय के तीन न्यायाधीशों द्वारा पुराने प्रपत्र में शपथ ग्रहण करने के विषय पर विचार (जारी)	१२०१–१२०२
सभा सचिवों की नियुक्ति पर आपत्ति	१२०२
इलाहाबाद उच्च-न्यायालय के तीन न्यायाधीशों द्वारा पुराने प्रपत्र में शपथ ग्रहण करने के विषय पर विचार	१२०२–१२०३
नगरपालिका विभाग की विज्ञप्तियां (मेज पर रखी गयीं) ..	१२०३
प्रश्नों के उत्तर मिलने में विलम्ब	१२०३–१२०४
नगरपालिका विभाग की विज्ञप्तियों को सदन में रखने पर उठाई गयी आपत्ति के संबंध में निर्णय	१२०४
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं	१२०४–१२०६
श्री नत्थूसिंह, सदस्य, विधान सभा, की कथित गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	१२०६–१२१०
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	१२११
निर्दलीय दल के सदस्यों द्वारा दल से अलग होने के सम्बन्ध में सूचना ..	१२११
शकर वितरण की व्यवस्था संतोषजनक न होने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	१२१२–१२२०
कतिपय प्रस्तावों के संबंध में जानकारी	१२२०
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ (जारी)	१२२०–१२२२
विभिन्न समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना	१२२२–१२२३
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ (विचारोपरान्त पारित)	१२२३–१२५६
लोक लेखा समिति के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम	१२५६
आगामी सीजन में गुड़ तथा खांडसारी के उत्पादन को कम करने के लिये सरकार द्वारा गन्ना उत्पादकों पर पाबन्दी लगाने के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा	१२५७–१२८५
नत्थियां	१२८६–१३००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २२ अक्तूबर, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—४०१

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन सिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंध लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण राय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति शम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पलीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारख डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्व प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रैपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री

नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री

मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपना १ चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मी फि: यादव, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
वि यसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नाय :, श्रीमती
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री

शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम मंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश, गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, और गृह उप मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २२ अक्तूबर, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मारवाड़ी इण्टर कालेज, देवरिया, के छात्र धीरेन्द्रनाथ श्रीवास्तव की मृत्यु

**१---श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)---

क्या यह सत्य है कि अक्तूबर, १९६३ के द्वितीय सप्ताह में देवरिया स्थित मारवाड़ी इण्टर कालेज के एक छात्र को कुछ लोगों ने इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गयी और फिर बाद में उक्त छात्र को रेल की पटरी पर डाल दिया गया ?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

९ अक्तूबर, १९६३ को देवरिया स्टेशन पर रेलवे गार्ड ने एक व्यक्ति की लाश, जो बाद में मारवाड़ी इण्टर कालेज देवरिया के छात्र धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव की पाई गई, रेलवे पुलिस को यह कह कर दी कि वह रेल से कट गया था । पुलिस द्वारा मृत्यु के कारणों की जांच हो रही है ।

**२—श्री जगन्नाथ राव—

यदि हां, तो पूर्ण घटना क्या है तथा सरकार द्वारा मामले की जांच कराकर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

घटना तथा अब तक की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १२८६ पर)

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब उसका पंचनामा पुलिस द्वारा कराया जा रहा था उसी समय विद्यार्थियों ने यह बतलाया कि इस छात्र ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि कुछ लोगों ने मारा-पीटा है, उसके बाद क्या इस लाश का पोस्टमार्टम कराया गया ? यदि कराया गया, तो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट क्या है ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में यह है कि वह शॉक और हेमरेज से मरा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी उस सूचना को, जो सदन की मेज पर रखी गयी है, पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय गृह मंत्री जी संक्षेप में बतला दें ।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उसका विवरण इस प्रकार है—

दिनांक ९-१०-६३ की शाम को रेलवे के एक गार्ड द्वारा देवरिया रेलवे स्टेशन की रेलवे पुलिस को एक लाश यह कह कर दी गयी कि वह व्यक्ति रेल द्वारा कट गया है । बाद में ज्ञात हुआ है कि वह लाश मारवाड़ी इंटर कालेज, देवरिया, के छात्र, श्री धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव की थी । पुलिस द्वारा पंचनामा कराते समय विद्यार्थियों ने एजीटेशन किया और कहा कि यह सूसाइड का केस नहीं है, इसे गलत तरीके से रेल पर रख दिया गया है और इसे किसी ने मार डाला है ।

श्री जगन्नाथ राव—

क्या माननीय पुलिस मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि छात्र की हत्या के पूर्व क्या वहां के प्रधानाचार्य को इस बात की सूचना मिल गयी थी कि उसके पड़ोसी से उसका कुछ झगड़ा है यदि उनको इसका पता लग गया था, तो उसकी सुरक्षा के लिये उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

पहले से कोई सूचना नहीं थी कि छात्र को मारा जा रहा है ।

श्री रामायणराय—

जिस वैद्य की गिरफ्तारी उस घटना के सम्बन्ध में हुई है, क्या यह सही है कि इस वैद्य ने इस घटना के पूर्व प्रधानाध्यापक को यह सूचित किया था कि उक्त छात्र का उसकी पुत्री से कोई अवैध सम्बन्ध है ? यदि हां, तो उस पर प्रधानाध्यापक ने क्या कार्यवाही की थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसकी कोई सूचना हमें नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या माननीय मंत्रीजी बतलाने की कृपा करेंगे कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में हेमरेज ब्रेन का बतलाया है या बाडी के किसी और पार्ट का ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

हमारे पास तो यही सूचना है कि वह शाक और हेमरेज से मरा है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रिपोर्ट है उसमें हेमरेज से मरना दिखाया गया है तो क्या उसमें कुछ चोटें भी दिखाई हैं ? यदि हां, तो वह कितनी और किस प्रकार की हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

हां, ऐसी चोटें हैं कि जो मरने के पहले की हैं और वह पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में लिखी हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

यह जो हेमरेज हुआ वह दिमाग में हुआ, पेट में हुआ, सीने में हुआ या फेफड़े में हुआ, कहां हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बताया कि यह साफ नहीं है ।

अध्यक्ष, मथुरा नगरपालिका, का त्यागपत्र

**३—श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा नगरपालिका के अध्यक्ष, श्री के० सी० पाठक, का अध्यक्ष पद से त्याग-पत्र सरकार को अगस्त, १९६३ के मध्य में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि—

(अ) उक्त त्याग-पत्र पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(ब) अभी तक त्याग-पत्र स्वीकार न किये जाने का कारण क्या है ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

डा० के० सी० पाठक ने अध्यक्ष, नगरपालिका, मथुरा के पद से १९ अगस्त, १९६३ को त्याग-पत्र दिया था जो सरकार को जिलाधीश, मथुरा, व आयुक्त, आगरा डिवीजन, के माध्यम द्वारा २ सितम्बर, १९६३ को प्राप्त हुआ था।

(अ) उस त्याग-पत्र को स्वीकार किया जा चुका है व फलस्वरूप हुई अध्यक्ष के पद की रिक्ति सरकारी गजट में विज्ञापित की जा चुकी है।

(ब) प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राधेश्यामशर्मा (जिला मथुरा)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अभी कहा गया कि वहां के नगरपालिका अध्यक्ष का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, तो वहां पर ३ साल से वाइस चेयरमैन का चुनाव क्यों नहीं हुआ ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी, सवाल तो अध्यक्ष का था ।

रिटायरमेण्ट एज

**४—श्री सत्यनारायण पांडेय, (जिला इलाहाबाद), श्री सालिग्राम जैसवाल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमण्डल ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने की आयु ५५ से बढ़ा कर ५८ वर्ष कर दी है ? यदि हां, तो वह कब से लागू होगी ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

जी हां । इस सम्बन्ध में आदेश जारी हो चुके हैं ।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

अभी मंत्री जी ने उत्तर दिया कि आदेश जारी हो चुके हैं, तो इस सम्बन्ध में क्या-क्या निर्णय हुए हैं और क्या-क्या आदेश जारी हुए हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने जैसा कि निश्चय किया था कि १ दिसम्बर, सन् १९६२ से ही उन्होंने अपने यहां कर्मचारियों के रिटायर होने की उम्र ५५ से ५८ साल कर दी थी, तो उसके बाद इस सरकार ने भी उसके अनुसार निश्चय किया कि १-१-६४ से उन कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज भी जिनको ३१ दिसम्बर, सन् १९६३ अपरान्ह तक रिटायर होना था ५५ से ५८ हो जायगी ।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह निर्णय मंत्रिमण्डल ने किस तारीख को किया और उसको तत्काल क्यों नहीं लागू किया गया और १ जनवरी, १९६४ से लागू करने का क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

भारत सरकार ने अपने निर्णय के बाद प्रादेशिक सरकारों को लिखा और प्रादेशिक सरकार के विचाराधीन मामला रहा, अभी साल भर नहीं हुआ, अब सरकार ने निश्चय कर लिया है कि अब यह आर्डर १ जनवरी, १९६४ से लागू होगा ।

श्री अध्यक्ष—

उनका सवाल यह है कि जिस तिथि से सरकार ने निश्चय किया कि हम ५५ से ५८ साल रिटायरमेंट एज करते हैं उसको उसी तिथि से लागू क्यों नहीं किया ?

सरकार ने निश्चय कर लिया है कि एज आफ रिटायरमेंट ५८ होगी, यह कब निश्चय किया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

तारीख तो नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में निश्चय किया है ।

श्री अध्यक्ष—

तो हाल ही से क्यों नहीं लागू किया ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं जिनको देखते हुये सरकार ने पहली जनवरी से ही निश्चय किया है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मंत्री जी बतायेंगे कि इसका असर कितने कर्मचारियों पर पड़ा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

जब पहले ५५ से ५८ किया गया था और उसको बदल कर फिर ५५ किया गया, तो उस समय बदलने का क्या कारण था ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उस समय जब ५८ के बजाय ५५ किया गया था तो वैसा करना उचित समझा गया । बाद में जब भारत सरकार ने ५५ से ५८ कर दिया तो प्रदेशीय सरकार ने भी उचित समझा कि वैसा ही यहां भी किया जाय ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मंत्री जी बतायेंगे कि वह क्या परिस्थितियां थीं जिनसे सरकार ने इसको तत्काल लागू नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष—

३१ दिसम्बर, १९६३ तक सब के आर्डर हो चुके हैं ऐक्सटेंशन के, तो उसके बाद ही से लागू होगा ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

जो ५५ से ५८ किया गया है और उसमें जितने प्रतिबन्ध रखे गये हैं कि दोनों तरफ से, ऐमप्लायी या सरकार, नोटिस दे करके हट सकता है या हटाया जा सकता है; इस प्रतिबन्ध की वजह से जो कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं उनमें अनिश्चितता है और भय है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस तरह की व्यवस्था करेगी कि वह प्रतिबन्ध हटा दिया जाय और जो शारीरिक रूप से अच्छे हों उनका ५८ कर दिया जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी नहीं । इसलिये किया गया है कि जितने प्रतिभाशाली हैं, जो टैक्नीकल आदमी हैं वे ५५ वर्ष जब समाप्त करने लगेंगे और सर्विस रिकार्ड अच्छा होगा, उन्हीं को तीन साल की छूट मिलेगी; और अगर कोई आदमी ५५ साल पर स्वयं रिटायर होना चाहता है तो वह एप्वाइंटिंग अथौरिटी को लिख कर देगा और अपने से रिटायरमेंट ले सकता है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

माननीय मुख्य मंत्री को इसको तत्काल लागू करने में क्या कठिनाई है ? क्या अपने निर्णय पर वह पुनः विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह तत्काल तो लागू है ३१ दिसम्बर तक ।

गंजरिया फार्म, लखनऊ के प्रशिक्षार्थियों के प्रार्थनापत्र

**५—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि लखनऊ पशुसेवक प्रशिक्षण केन्द्र मंजरिया फार्म पर पशु सेवकों तथा कम्पाउन्डरों को ट्रेनिंग के दौरान में छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है जिसके कारण वे लोग हड़ताल पर हैं ? क्या प्रशिक्षार्थियों ने वहां के अधिकारियों के द्वारा डाइरेक्टर पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, तथा सरकार को अभी हाल ही में प्रार्थना-पत्र भेजे हैं कि यदि छात्रवृत्ति न दी गयी तो ट्रेनिंग छोड़ देंगे ? यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि उपमन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

यह सत्य है कि गंजरिया फार्म पर पशु सेवक तथा कम्पाउन्डर की ट्रेनिंग लेने वाले प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है, पर वे हड़ताल पर नहीं हैं ।

उपरोक्त दोनों श्रेणियों के प्रशिक्षार्थियों ने अभी हाल ही में एक संयुक्त प्रार्थना-पत्र प्रशिक्षण अधिकारियों द्वारा निदेशक, पशुपालन, को भेजा है, जो उनके विचाराधीन है । इस पत्र में छात्रवृत्ति न मिलने के कारण प्रशिक्षण छोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है ।

सरकार को इस सम्बन्ध में प्रशिक्षार्थियों से कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

मंत्री जी बतायेंगे कि जो प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है उसका फैसला कब तक हो जायगा और छात्रवृत्ति कब तक दे दी जायगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जो प्रार्थना-पत्र प्रशिक्षार्थियों ने अपने अधिकारियों के द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, को भेजे हैं, उन पर वे विचार कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

कब तक फैसला हो जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह बताना बड़ा मुश्किल है ।

श्री रामायणराय—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह छात्रवृत्ति पहले दी जाती रही है और वह कौन से कारण उपस्थित हुए जिनके कारण वह बन्द कर दी गयी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

१ जनवरी, १९६३ को जो बैच आया उसकी छात्रवृत्ति बन्द हुई है और वह इसलिये बन्द हुई है कि अब हमारे प्रदेश में पढ़े लिखे हाई स्कूल अभ्यर्थियों की शिक्षा बहुत अधिक है और वह अपने ही खर्च पर ट्रेनिंग लेने के लिये तैयार रहते हैं । उसका आकर्षण यह है कि

ट्रेनिंग के पास करने के तुरन्त बाद ही रिवाइज्ड स्केल ७५–५–१२० में उनको नौकरी मिल जाती है और दूसरी बात यह है कि हमारे देश में संकटकालीन अवस्था है। ऐसी स्थिति में हमें विकास और सुरक्षा कार्यों में पैसे की आवश्यकता है। इसलिये यह छात्रवृत्ति बन्द कर दी गयी है।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

स्टाकमैन की ट्रेनिंग का काल १ साल के बजाय डेढ़ साल कर दिया गया, जिससे ट्रेनीज पर वित्तीय बोझा अधिक बढ़ गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां, पशु सेवक या स्टाकमैन की ट्रेनिंग का पीरियड डेढ़ साल हो गया है और कम्पाउन्डर का एक साल है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि हरिजन और गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने के कारण परेशानी हो रही है और उन छात्रों को छात्रवृत्ति देने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि निर्धन छात्रों को जो योग्य हैं २० रुपये प्रति मास के हिसाब से ५ छात्रवृत्तियां और जो उन से कम योग्य हैं उनको १५ रुपये प्रतिमास ५ छात्रवृत्तियां और जो उनसे भी कम योग्य हैं उनको १० रुपये मासिक १० छात्रवृत्तियां दी जायं।

श्री रामायणराय—

इमरजेंसी में क्या यह ठीक है कि टैक्नीकल परसोनेल की कमी हो गयी है और तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिये जितने आवश्यक टैक्नीकल परसोनेल चाहियें, उतने टेक्नीकल परसोनेल नहीं मिल रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनको इस स्टाइपेण्ड के देने में क्या कठिनाई होगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जितने प्रशिक्षार्थी इस वर्ष १ जनवरी, १९६३ को दाखिल हुए उन सबको यह पहले ही बता दिया गया था कि उनको किसी प्रकार का स्टाइपेन्ड नहीं मिलेगा। जो कम्पाउन्डर, पशु सेवक आदि की तादाद निश्चित की गयी थी वह तादाद पूरी दाखिल हो गयी है इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता कि इमरजेन्सी में टैक्नीकल आदमियों की बहुत जरूरत है।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्र चक गंजरिया फार्म में जो बैच १ जनवरी, १९६३ से काम कर रहा है उसमें कितने प्रशिक्षार्थी शिक्षा पा रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अभी मैंने एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि कम्पाउन्डर की संख्या ५० और पशु सेवकों की संख्या १५० है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

इस बात को देखते हुये कि सरकार के जितने ट्रेनिंग सेन्टर हैं चाहे ग्राम सेवकों के, आई० टी० आई० के और वे चाहें नैनीताल में, गोरखपुर में और चाहे बख्शी के ताल पर हैं सब में सरकार ने छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है; तो क्या सरकार इस पर पुनः विचार करेगी कि सरकार का जो रवैया और जगह पर है उसको यहां पर भी अख्तियार करे और इन छात्रों को छात्रवृत्ति दे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

निदेशक की रिपोर्ट आने पर सरकार उस पर विचार करेगी ।

अमरोहा में बीड़ी मजदूरों का आन्दोलन

**६—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़), श्री ऊदल तथा श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरोहा, जिला मुरादाबाद, में गत १६ अक्तूबर को वहां के बीड़ी मजदूरों के चलते हुये आन्दोलन के सिलसिले में श्री शराफत हुसैन रिजवी, श्री मुवज्जम अली एवं अन्य तीन भूख हड़ताली गिरफ्तार किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और किन धाराओं के अन्तर्गत ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां । भूख हड़तालियों ने १६ अक्तूबर, १९६३ को लगभग ५०० व्यक्तियों का जुलूस निकाला जो तहसील कार्यालय ले जाया गया और वहां भीड़ द्वारा तहसील कार्यालय में जबरदस्ती घुसने का प्रयत्न किया गया । इस सिलसिले में जुलूस में से ईंट पत्थर भी फेंके गये जिससे पुलिसमैनों को चोटें भी आईं । सरकारी कार्य के संचालन में बाधा उपस्थित हुई । अतएव शान्ति एवं व्यवस्था को बनाये रखने के लिये पांच व्यक्तियों को भारत दंड संहिता (आई० पी० सी०) की धारा १४७/३२३ तथा ३३२ के अधीन गिरफ्तार किया गया ।

**७—श्री चन्द्रजीत यादव, श्री ऊदल तथा श्री छांगुर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त भूख हड़ताली जो गिरफ्तार किये गये हैं उनकी क्या मांगें थीं और उनको पूरा कराने में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उक्त भूख हड़ताल गणेश सिन्धी बीड़ी कम्पनी द्वारा दिये जाने वाली मजदूरी में वृद्धि के लिये की गई थी । इस सम्बन्ध में स्थानीय अधिकारियों ने समझौते के प्रयत्न किये । इनमें सफलता नहीं प्राप्त हुई ।

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि अमरोहा में बीड़ी मजदूरों का आन्दोलन चल रहा है, इस सम्बन्ध में वहां अब तक ८० आदमी गिरफ्तार किये गये हैं और पुलिस ने वहां पर बड़े पैमाने पर लोगों के घरों में घुस कर दरवाजे तोड़े हैं, उन्हें पकड़ा है और काफी ज्यादती की है और यदि सरकार को मालूम है तो सरकार ने इस मामले को हल करने के लिये क्या किया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस समय मुझे जो सूचना है वह यह है कि ६७ आदमी गिरफ्तार किये गये हैं और अन्य जो सूचना आप बतला रहे हैं उसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री ऊदल—

मंत्री जी के उत्तर में है कि जुलूस निकला । इस सिलसिले में जुलूस में से ईंट, पत्थर भी फेंके गये पुलिसमैनों पर और इससे उनको चोट आई । तो क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान एस० पी० की उस प्रेस रिपोर्ट पर गया है जो लखनऊ में दी गयी थी जब पुलिस पर बाहर से पत्थर फेंके गये थे और तब इधर-उधर दोनों तरफ से झगड़ा हुआ ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मुझे इसकी सूचना नहीं है ।

श्री छांगुर—

उस जुलूस पर पुलिस की तरफ से भी लाठी चार्ज हुआ जिसमें शराफत हुसैन, एम० एल० ए०, के चोटें आईं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जुलूस की तरफ से कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। जुलूस की तरफ से ईंट, पत्थर फेंके गये जिनसे शराफत हुसैन साहब को चोटें आईं।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

बीड़ी मजदूर तथा बीड़ी कम्पनियों के मालिकों के बीच में जब झगड़ा चल रहा था तो भूतपूर्व मुख्य मंत्री, चन्द्रभानु गुप्त, ने मौके पर जाकर समझौता करा दिया था और उस समझौते को बीड़ी कम्पनी के मालिकों ने तोड़ दिया जिससे यह अशान्ति हुई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

हो सकता है यह हुआ हो। इस पर हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

इस सवाल को मैंने जब पहले दिया था उस समय यह मैंने कहा था कि माननीय चन्द्रभानु गुप्त, भूतपूर्व मुख्य मंत्री, ने समझौता कराया था लेकिन सरकार उसे लागू कराने में असमर्थ हो रही है, इसलिये यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। माननीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि हो सकता है यह हुआ हो। जब इतना बड़ा मामला है और उनके कहने के मुताबिक ६७ आदमी गिरफ्तार भी हुये हैं। वहां हजारों मजदूरों के अन्दर अशान्ति है। फिर डी० एम० ने समझौते में दखल दिया, तो क्यों दिया और कौन जिम्मेदार है इस स्थिति को पैदा करने के लिये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

हमारे पास जो सूचना आई है उसके मुताबिक यह स्थिति इस प्रकार थी कि १ रुपया १२ आना फी हजार कम्पनी देने को तैयार थी और दे रही है और १ रुपये १४ आना फी हजार बीड़ी वालों की तरफ से मांगे जा रहे हैं। अधिकारियों ने इस बात का सतत प्रयत्न किया कि समझौता हो जाय लेकिन वह नहीं हो सका। उसी के फलस्वरूप यह घटनायें हुईं।

तारांकित प्रश्न

कानपुर-प्रतापगढ़ सड़क पर बस दुर्घटना

*१—श्री कल्पनार्यसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या परिवहन मंत्री को इस बात की सूचना है कि कानपुर-प्रतापगढ़ रोड पर दिनांक १३ मई को रायबरेली जिले में कोई दुर्घटना हुई है ? यदि हां, तो उक्त बस दुर्घटना के कितने यात्री घायल हुये थे और इस दुर्घटना का कारण क्या है तथा इसकी जांच किस अधिकारी ने की है ?

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

जी हां। दुर्घटना में १३ व्यक्ति घायल हुये थे। इसका कारण यह था कि ड्राइवर झपकी आ जाने के कारण गाड़ी पर नियंत्रण न रख सका। इस सम्बन्ध में न्यायालय से निर्णय हो चुका है।

*२—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त बस के ड्राइवर से २८ घंटे लगातार काम लिया गया है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

ऐसा नहीं किया गया । परन्तु उक्त ड्राइवर को कायदे के अनुसार रेस्ट न दिये जाने के सिलसिले में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को आवश्यक जांच करने के लिये हिदायत दे दी गई है ।

*३—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या परिवहन मंत्री को इस बात की सूचना है कि रोडवेज के ड्राइवरों से ८ घंटे से ज्यादा ड्यूटी इस नाम पर ली जाती है कि उनकी स्टेरिंग ड्यूटी ८ घंटे से ज्यादा की है ? यदि हां, तो जब वे गाड़ी नहीं चलाते हैं और गाड़ी खड़ी रहती है तब गाड़ियों की जिम्मेदारी किस पर रहती है और गाड़ियों का चार्ज लेने के लिये कौन सा व्यक्ति नियुक्त किया गया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

ड्राइवरों से प्रतिदिन साधारणतया ८ घंटे की स्टेरिंग ड्यूटी और १२ घंटे की स्प्रेड ओवर (spread over) ड्यूटी ली जाती है । बड़े स्टेशनों या डिपो पर जब गाड़ी खड़ी रहती है तो स्टेशन स्टाफ उसकी देखभाल करता है परन्तु छोटे स्टेशनों पर गाड़ी की जिम्मेदारी ड्राइवर पर ही रहती है ।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में न्यायालय से क्या निर्णय हुआ है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

ड्राइवर को सौ रुपये जुर्माने की सजा हो गयी ।

श्री रामायणराय—

माननीय मंत्री जी ने प्रश्न ३ से संबंधित उत्तर में यह फरमाया है कि ८ घंटे की स्टीयरिंग ड्यूटी ली जाती है और वैसे १२ घंटे से ज्यादा नहीं ली जाती और इस केस में कहा गया कि २८ घंटे ड्यूटी ली गयी । तो क्या ऐसे ही और ड्राइवरों से भी १२ घंटे से ज्यादा ड्यूटी ली जाती है, इस बात को मंत्री जी पता लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

१२ घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं ली जाती है । ८ घंटे की स्टीयरिंग और १२ घंटे की स्प्रेड ओवर ड्यूटी और अगर कहीं गाड़ी बिगड़ जाय तो १६ घंटे हो जाती है । इसके अलावा और कोई ड्यूटी नहीं ली जाती है । इस जवाब में कबूल किया गया है कि रेस्ट देने के सिलसिले में थोड़ी सी गलती हुई है जिसकी जांच करवाई जा रही है ।

श्री कल्पनाथसिंह —

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उस दिन ड्राइवर ने कितने घंटे काम किया था ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अगर दिन के हिसाब से टेक्निकली कहें तब तो जितनी प्रेस्क्राइब्ड है उससे ज्यादा नहीं होती है चूंकि १२ तारीख को सवा दो बजे वह चला । रास्ते में ब्रेक डाउन हो गया और उसको रुकना पड़ा । १३ तारीख को ऐक्सीडेंट हुआ । १२ से १३ तारीख तक उसकी ड्यूटी १८ घंटे की होती है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

अभी माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि डाइवर जब बड़े स्टेशन पर गाड़ी खड़ी करता है तो वहां स्टेशन के कर्मचारी गाड़ी की देखभाल करते हैं मगर जब छोटे स्टेशन पर गाड़ी खड़ी करता है तो ड्राइवर स्वयं उसकी देखभाल करता है। तो जब छोटे स्टेशन पर वह गाड़ी की देखभाल करता है तो उतना समय उसकी स्प्रेड ओवर ड्यूटी में कटता है या स्टीयरिंग ड्यूटी में कटता है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह समय किसी ड्यूटी में तो जुड़ता नहीं है क्योंकि छोटे स्टेशन पर गाड़ी खड़ी रहती है और ड्राइवर भी वहीं होता है। तो आम तौर पर गाड़ी की देखभाल करने की उसकी जिम्मेदारी समझी जाती है।

श्री उग्रसेन—

माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न को समझे नहीं हैं। मेरा मतलब यह है कि जब ड्राइवर गाड़ी की देखभाल करता है तो वह उसकी स्टीयरिंग ड्यूटी मानी जाती है या स्प्रेड ओवर ड्यूटी मानी जाती है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह न स्टीयरिंग ड्यूटी में काउन्ट होती है और न स्प्रेड ओवर ड्यूटी में काउन्ट होती है।

श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—

श्रीमन् एक ड्राइवर को २७ मील प्रति घंटा के औसत से बस चलाने के आर्डर्स हैं तो उस हिसाब से २१६ मील चलाने के बाद क्या मंत्री जी समझते हैं कि वह ड्राइवर ४ घंटे की और ड्यूटी दे सकता है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

वह तो, श्रीमन्, ८ घंटे का सवाल है, मीलों का नहीं है।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि ८ घंटे कि जो ड्राइवर की ड्यूटी लगाई जाती है उसमें छोटे स्टेशनों पर ड्राइवर गाड़ी पर ही रहता है तो वह समय उसकी ड्यूटी में क्यों नहीं काउन्ट किया जाता है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

श्रीमन्, अगर आध घंटे से कम का रेस्ट होता है तो वह काउन्ट किया जाता है वरना नहीं किया जाता है।

श्री रामायणराय—

मान्यवर, एक ऐसी दुर्घटना से संबंधित कमेटी के सदस्य रह चुके हैं। प्रश्न यह है कि इस मामले में प्रश्नकर्त्ता यह जाना चाहते थे कि कितनी ड्यूटी उसने की यानी उनका मंशा यह है कि फैटीग के कारण यह दुर्घटना हुई। ८ घंटे की स्टीयरिंग और १२ घंटे की स्प्रेडओवर ड्यूटी है, तो हम जानना चाहते हैं कि यह जो १२ घंटे की ड्यूटी है, और मामलों में लेबर लाज लागू होते हैं तो इसमें सरकार को ८ घंटे करने में क्या कठिनाई है जिससे फैटीग के कारण दुर्घटना न हो ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

८ घंटे की स्टीयरिंग ड्यूटी चलने वाली गाड़ी पर कैसे बीच में रोकी जा सकती है ? अगर कहीं थोड़ी बहुत ओवर टाइम होता है तो उनको दिया जाता है।

धानी बाजार गांव की सुरक्षा

*४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की करेंदा तहसील में राप्ती नदी धानी बाजार (कानापार) के बीच से बढ़ईताल में मिल रही है ? यदि हां, तो सरकार ने धानी बाजार गांव को बचाने हेतु क्या कार्यवाही की तथा इस प्रकार की रोकथाम हेतु क्या तात्कालिक कार्य किया जा रहा है ?

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

गत जुलाई माह में राप्ती नदी में बाढ़ आ जाने पर इस का पानी धानीबाजार गांव की नीची भूमि से होता हुआ बढ़ईताल में गिरने लगा था परन्तु बाढ़ कम हो जाने के बाद से अब वैसी स्थिति नहीं है । धानीबाजार के लिये उसको ऊंचा करने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी को इसकी सूचना है कि धानी बाजार गांव और धानी गांव दोनों लगे हुए हैं और राप्ती नदी किनारे से बहती है और धानी बाजार गांव नीचा है तो क्या वे इस पर विचार करेंगे कि इन गांवों के बीच में जो पुराना बांध था उसको फिर से ऊंचा कराया जाय और बनाया जाय और नदी के किनारे जो स्पर वगैरा हैं उनको ठीक करने की कोई योजना बनाई जाय ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

श्रीमन्, यह ठीक है कि धानीबाजार गांव नीचा है इसको रेज करने का प्रश्न सरकार के सामने है । उस पर कार्यवाही की जा रही है ।

*५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[५ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

रोडवेज में अनियमित क्रय की जांच

*६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह सही है कि यू० पी० रोडवेज में लगभग दो लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला पकड़ा गया है कि जिसकी जांच का कार्य डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री एम० एम० गुप्ता (टैक्निकल), को सौंपा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय की विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल —

प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार लगभग ३६००० रुपये की अनियमित खरीद का एक मामला सामने आया है जिसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा हो रही है ।

*७—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह सही है कि उक्त अभियोग में किसी असिस्टेन्ट इन्जीनियर को मुअत्तल तथा कुछ उच्च दर्जे के अफसरों का तबादला किया गया है ? यदि हां, तो किन किन का और उनके विरुद्ध क्या अभियोग है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी हां । जनरल मैनेजर, सर्विस मैनेजर अकाउन्ट्स आफिसर का तबादला और असिस्टेन्ट ट्रांसपोर्ट इंजीनियर को मुअत्तल किया गया है । जांच के दौरान में अभियोग का प्रश्न नहीं उठता ।

*८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि सम्बन्धित अधिकारी किसी मंत्री से सम्बन्धित हैं और उक्त विषय की जानकारी विभागीय मंत्री को न होकर सीधे मुख्य मंत्री को हुई और उन्होंने बिना विभागीय मंत्री को बताये भ्रष्ट धोकाधड़ी करने वाले अफसरों के मकानों पर छापा मारने और जांच-पड़ताल करने का आदेश दिया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह बातें सही नहीं हैं ?

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो ३६ हजार या ढाई लाख का गबन हुआ है, ढाई लाख हम कहते हैं और ३६ हजार सरकार कहती है, यह किस रीजन का गबन है और क्या उस रीजन के जनरल मैनेजर के खिलाफ भी कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

लखनऊ रीजन का है।

श्री उग्रसेन—

मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं हुआ। कौन जनरल मैनेजर है और उसके के खिलाफ कार्यवाही हो रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जवाब में कहा गया है कि यह मामला सी० आई० डी० के सुपुर्द है और नाजायज असर न पड़ सके इसलिये जनरल मैनेजर, सर्विस मैनेजर तथा अकाउन्ट्स आफिसर सभी इस रीजन से हटा दिये गये हैं।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन जनरल मैनेजर के खिलाफ यह जांच हो रही है उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, जब कि छोटे रोडवेज के कर्मचारियों को थोड़े जुर्म में सस्पेंड कर दिया जाता है और बरखास्त कर दिया जाता है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह सस्पेंशन का केस नहीं है जब तक इंक्वायरी न हो जाय। जिस अफसर के बारे में कुछ थोड़ा सा सबूत था उसको सस्पेंड कर दिया गया है ?

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सामान खरीदा गया यह किस के जरिये से खरीदा गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सामान तो कम्पनी के जरिये खरीदा गया।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस गड़बड़ी की शिकायत पहले किस अधिकारी द्वारा मिली थी और किस अधिकारी को वह शिकायत दी गयी ?

श्री मुजफ्फर हसन ---

यह तो मुझे मालूम नहीं कि किस के जरिये आयी, लेकिन टी० सी० को यह खबर मिली थी । टी० सी० ने दो अफसर उसकी इब्तदाई जांच करने के लिये मुकर्रर किये ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेगें कि सम्बन्धित अधिकारी किसी मंत्री से सम्बन्धित है यह सही नहीं है या विभागीय मंत्री की जानकारी नहीं हुई और माननीय मुख्य मंत्री की जानकारी में यह कार्यवाही करवायी गयी, यह सही नहीं है ?

श्री मुजफ्फर हसन---

इसमें जो दो-तीन बातें कही गई हैं वह सब गलत हैं ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस गड़बड़घोटाले को कितना अरसा हो गया ?

श्री मुजफ्फर हसन---

यह मार्च की बात है और उसी वक्त यह सी० आई० डी० को दे दिया गया था ।

गंडक नहर योजना एवं नैपाल बांध

*९---श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गंडक नहर योजना एवं नैपाल बांध का निर्माण-कार्य उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रारम्भ हो गया है ? यदि हां, तो कब से और इसका निर्माण-कार्य कब तक समाप्त हो जावेगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

गंडक नहर योजना का निर्माण-कार्य अगस्त, १९६१ से शुरू हो गया है और यह अनुमानतः १९७० तक पूर्ण हो जायेगा ।

नैपाल बांध का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है, क्योंकि इस से सम्बन्धित नैपाल राज्य में पड़ने वाली भूमि अभी प्राप्त नहीं हुई है । इस भूमि के प्राप्त होते ही कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इंजीनियरों की राय है कि गंडक नहर अपर-नैपाल बांध के बने बगैर बनाई गई तो वह भी शायद बड़ी गंडक नहर का रूप ले लेगी ? यदि हां, तो नैपाल बांध के बने बगैर गंडक नहर को बनाने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल---

उसका असली काम तो उसी वक्त होगा जब नैपाल का बांध बन जायगा । वैसे पहले अगर नहर बन गई तो इधर-उधर का पानी कुछ उसमें से होकर बह जाया करेगा ।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नैपाल बांध के बनाये जाने के लिये जो भूमि नैपाल से मिलने वाली है वह कब तक मिल जाने की सम्भावना है ?

श्री गिरधारीलाल—

नवम्बर मास के अन्दर उम्मीद है।

श्री उग्रसेन—

जब नेपाल बांध का निर्माण अत्यावश्यक है गंडक नहर के पूरा होने के लिये तो जब गंडक नहर योजना बनाई गई पहले पहल, उस समय नेपाल बांध की योजना क्यों नहीं उसमें सम्मिलित की गई ?

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री राममूर्ति)—

नेपाल बांध की योजना शुरू से ही है। लेकिन चूंकि यह बांध एक अलग चीज थी, इसका खर्च यू० पी० सरकार को बर्दाश्त करना था इसलिये उसको सम्मिलित नहीं किया गया एक टेक्निकल रीजन की वजह से।

श्री रामायणराय—

प्रश्न बिल्कुल सादा सा है कि नेपाल बांध अभी बना नहीं, उसके पूर्व नहर निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया है। परिणाम मान्यवर, उसका यह हो रहा है कि इस बनने वाली नहर से आस-पास के बहुत बड़े इलाके में प्रति वर्ष सैलाब आ रहा है। तो बांध का निर्माण किये बिना ही नहर बनाने का क्या औचित्य है ?

श्री राममूर्ति—

मान्यवर, जैसा कि सवाल बड़ा सादा सा है, बिल्कुल सादा-सा उसका जवाब मैं यह दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की बाउन्ड्री में उसकी एरिया में करीब ७०—७१ मील यह नहर बनेगी। तो जिस जगह नेपाल बांध बनेगा उसके नीचे के हिस्से में कहीं-कहीं कुछ-कुछ काम हो रहा है, कहीं जांच पड़ताल हो रही है, कहीं जमीन ली जा रही है। जहां तक नेपाल बांध का ताल्लुक है जब उसकी सेंक्शन हो जायगी और नेपाल राज्य से इजाजत मिल जायगी तो नेपाल बांध बनाया जायगा तभी ऊपर की नहर बनेगी। इत्तफाक से गंडक इस वक्त दाहिने तरफ को झुक रही है और इस साल सैलाब कुछ कम आया है, पहले जितना सैलाब नहीं आया है। नेपाल बांध बन जाने पर ही पूरी नहर का काम शुरू होगा।

श्री रामायणराय—

मान्यवर, बड़ी गंडक की बहुत सी प्रशाखायें हैं, उन प्रशाखाओं में पानी होने पर नदी के साथ नहर जब मिल जाती है तो उसमें पानी भर आता है और उससे हमारे जिले देवरिया के हेतमपुर इलाके में पूरा राजपथ टूट जाता है। तो जिन इंजीनियर्स ने बांध निर्माण के पूर्व नहर की खुदाई प्रारम्भ की जिसके चलते हमारे जिले का आधा हिस्सा हर साल डूब जाता है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राममूर्ति—

जैसा माननीय सदस्य फरमा रहे हैं ऐसी बात नहीं है और न ही जिले का कोई ऐसा हिस्सा डूब रहा है। वह तो प्रिलिमिनरी वर्क्स हैं जिन पर काम थोड़ा-थोड़ा हो रहा है। यह कहना कि नहर चल पड़ी और उनमें पानी चल पड़ा यह बात गलत है।

नारायणी नहर पर डोमा ग्राम के निकट झगड़ा

*१०—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील में वसूली क्रासिंग के निकट कोई झगड़ा किसानों तथा सिंचाई विभाग तथा पुलिस के बीच ३० व ३१ जुलाई, १९६३ को हुआ है ? यदि हां, तो क्या वाकये का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वसूली क्रासिंग के निकट अभी तक कोई झगड़ा नहीं हुआ है। अलबत्ता डोमा ग्राम तहसील महाराजगंज के निकट नारायनी नहर के बांएं किनारे, मील ४·४ पर एक झगड़ा ३१ जुलाई, १९६३ को हुआ है और पुलिस ने मामले की छानबीन करने के बाद २४ आदमियों के खिलाफ १३ सितम्बर, १९६३ को इंडियन पेनल कोड की धारा १४७/१४८/१४९/२२३ ३३२/३७९/४३१/४३२ के अन्तर्गत जुडिशियल मैजिस्ट्रेट महाराजगंज के न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया है। जो रिपोर्ट पुलिस में लिखाई गई थी उसकी प्रति संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १२८७–१२८८ पर)

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना किसानों की तरफ से प्राप्त हुई है कि जो यह घटना हुई है ३१ तारीख को इसके एक रोज पहले ३० जुलाई को वहां के क्षेत्रिय विधायक और एस० डी० एम० ने जाकर किसानों में इस बात का भाषण दिया कि आप लोग अपने खेतों और घरों को बचाने के लिये इस बन्धे को काट दीजिये और उनके कहने के बाद किसानों ने ऐसा कर्म कर डाला? ऐसी कोई सूचना सरकार के पास है?

श्री गिरधारीलाल—

इसकी कोई सूचना नहीं है। नोटिस की जरूरत है।

श्री छांगुर—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन २४ आदमियों को जो पुलिस ने विभिन्न धाराओं में रखा है उनमें केवल किसान ही हैं या सिंचाई विभाग के कर्मचारी भी हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की तो मारपीट हुई है, उनके होने का कोई सवाल नहीं है।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि जिस बन्धे को काटा गया है और जहां पर यह झगड़ा बतलाया गया है इसके पहले भी वह स्थान कई बार कट चुका है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पहले भी यह कट चुका है इसीलिये वहां पर पुलिस मौजूद थी जिससे इस बार न कटे।

मेरठ क्षेत्र के रजबहे

*११—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या रजबहा जखेड़ा व रजबहा शाख बहादुरगढ़ और रजबहा किठोड़ (गंगा नहर मेरठ डिवीजन) सही प्रकार से पानी नहीं दे रहे हैं जिससे कि गन्ने की फसल की अधिक हानि पहुंचने की संभावना है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं।

*१२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह रजबहा जखेड़ा व रजबहा शाख बहादुरगढ़ और रजबहा किठोड़ पहली जनवरी सन् ६२ से १ मई, १९६२ तक और १ फरवरी, १९६३ से १ मई, १९६३ तक कितने-कितने हफ्ते चले थे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १२८९ पर)

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि रजबहा खेड़ा, रजबहा किठोड़ और रजबहा शाख बहादुरगढ़ में वाकई पानी की कमी रही या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जो पानी चलने की बात है वह मैंने बता दी कि कितने हफ्ते चला। इसलिये कि तमाम गंगा की नहरों में पानी कम था। इसलिये उस हिसाब से अगर पानी कुछ हफ्तों तक कम रहा तो यह स्वाभाविक है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इसका क्या कारण है कि इतना कम पानी चला ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जितना पानी चला उसके आंकड़े हैं। जिस हफ्ते में पानी कम आया तो उसका कारण यही था कि गंगा में पानी कम था। अगर आप कहें तो मैं बतला सकता हूं कि किस मास में पानी कम चला।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि रजबहा किठौर से २०, २५ स्माल माइनर निकाले गये हैं। जिससे उसकी क्षमता कम हो गई। तो क्या इस तरफ ध्यान दिया जायगा कि उसकी क्षमता को बढ़ाया जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पानी अगर ऊपर उपलब्ध होगा तो जरूर क्षमता बढ़ाई जायगी।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय मंत्री जी ने प्रश्न ११ का उत्तर देते हुये उत्तर दिया है जी नहीं, और उसके बाद दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बतलाया है कि पूरे ५ महिने जो सिंचाई का समय था उसमें केवल ६ सप्ताह ही पानी दिया गया है, तो यह दोनों उत्तरों में विरोध क्यों है ?

श्री राममूर्ति—

जाड़े के महीनों में वैसे ही पानी कम हो जाता है इसलिये कि बरफ पिघलना बन्द हो जाती है। ५–५ हजार क्यूजेक पानी ही रह जाता है और इसलिये मजबूरन सब को रेगुलेट करना पड़ता है, इस वजह से पानी की कमी हो जाती है।

श्री अहमदबख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ५ महीनों में जो ६ हफ्ते पानी रहा वह इसी रजबहे में रहा या दूसरे रजबहों में भी ऐसे ही वक्त तक पानी रहा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

मैनपुरी सेशन अदालतों से दंडित व्यक्तियों की हाईकोर्ट में बहाली

*१३—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की मैनपुरी जिले की पृथक-पृथक सेशन की अदालतों ने सन् १९६२ में कितने लोगों को फांसी तथा आजन्म कैद की सजाएं दी हैं और उनमें से कितने लोग हाई कोर्ट से छूट गये हैं और कितनों की सजाएं बहाल रही हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

मैनपुरी जिले की पृथक-पृथक सेशन की अदालतों ने १९६२ में ४६ लोगों को सजायें दीं । उनमें से ४ व्यक्तियों को मृत्यु दण्ड तथा ४२ व्यक्तियों को आजन्म कारावास का दण्ड दिया । केवल एक व्यक्ति के मृत्यु दण्ड का हाईकोर्ट से पुष्टिकरण हुआ तथा तीन व्यक्तियों को मृत्यु-दण्ड से बरी कर दिया गया । जहां तक आजन्म कारावास का प्रश्न है, पांच व्यक्तियों का दण्ड हाईकोर्ट से दण्डनीय साबित किया गया और पांच व्यक्ति बरी हुए । शेष ३२ व्यक्तियों का निर्णय मार्च ३१, १९६३ तक नहीं हुआ था ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १२९० पर)

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार इस बात का पता लगाने की कृपा करेगी कि क्या यह बात सत्य है कि मार्च के बाद जो ३२ मुकदमें हाई कोर्ट में विचाराधीन थे वह अधिकतर छूट गये हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

३१ मार्च तक की सूचना हमारे पास है । उसके बाद की सूचना इकट्ठी कर ली जायगी ।

पशु चिकित्सा शुल्क

*१४—श्री चन्द्रबलोसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एनीमल हसबैंडरी विभाग द्वारा ३० मई, १९६३ को कोई परिपत्र जारी हुआ जिसके द्वारा पशु चिकित्सालयों पर दवा हेतु आने वाले जानवरों पर छोटे-बड़े के अनुसार टैक्स लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस आदेश का हिन्दी रूपान्तर सदन की मेज पर रखने कि कृपा करेगी और बतायेगी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

३० मई, १९६३ ई० को कोई परिपत्र जारी नहीं हुआ । हां, २९ मई, १९६३ को निदेशक पशु पालन ने एक पत्र सब ही विभागीय अधिकारियों के नाम भेजा जिसके साथ सरकारी आदेश दिनांक २२ मई, १९६३ की प्रति संलग्न थी । इस सरकारी आदेश में अन्य सेवाओं की दरों में वृद्धि के अतिरिक्त छोटे तथा बड़े जानवरों की चिकित्सा पर भी शुल्क लगाया गया है और इस प्रकार १० नये पैसे छोटे जानवरों पर और २० नये पैसे बड़े जानवरों पर हर बार देने पड़ेगें ।

२—उपरोक्त आदेश का हिन्दी रूपान्तर संलग्न है ।

३—देश में संकटकालीन स्थिति होने के कारण आय के नये साधन जुटाने के लिये यह निर्णय लिया गया ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १२९१-१२९२ पर)

*१५—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश भर में किन-किन विकास समितियों ने इस टैक्स को वापस लेने के लिये प्रस्ताव पास कर के उसे सूचित किया है ? क्या सरकार इस टैक्स के वापस लेने पर सोच रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इस शुल्क (Levy) को वापस लेने के लिये हाल ही में क्षेत्र समिति मझगांव, जिला बरेली, श्री हनुमान गोशाला बलरामपुर, गोंडा, व श्री हरीसिंह विष्ट, जिला परिषद्, नैनीताल के प्रस्ताव आये हैं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रश्न १५ के अंतिम भाग का उत्तर न देने का कारण क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है ।

हाईकोर्ट में विचाराधीन अपीलें

*१६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाई कोर्ट इलाहाबाद तथा लखनऊ के सम्मुख कुल कितने अपील के मुकदमें विचाराधीन हैं और इनके शीघ्र निपटारे के लिये कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

४६,५२३, हाईकोर्ट में विचाराधीन वादों को शीघ्र फैसल करने तथा अवशिष्ठ वादों को कम करने के आशय से हाल ही में एक न्यायाधीश के अपीलीय क्षेत्राधिकार के विरुद्ध लेटर्स पेटेण्ट अपीलों के प्राविधान का अन्त कर दिया गया है । उच्च न्यायालय को सन् १९५४ के पहले दायर हुई ५,००० और १०,००० रु० के बीच की अपीलों को जिला जजों को स्थानान्तरित करने का अधिकार दे दिया गया है । इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या में भी वृद्धि कर दी गई है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि १९५४ के पहले अन्तिम किस साल की अपीलें हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

ज्यादा से ज्यादा आज से १० वर्ष से कुछ अधिक तक की अपीलें हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

१९५४ से पहले के जो मुकदमें जिला जजों को भेज दिये गये, तो क्या उनको आदेश दिया गया है कि इन मुकदमों का फैसला कब तक कर दिया जाय ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

सरकार को इसमें अधिकार नहीं है । अदालत में खुद ही तारीखें पड़ती हैं, हम कैसे हुक्म दें कि फलां तारीख तक फैसला कर दे कोर्ट ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, हमारी मदद कीजिए, एक तरफ तो १० साल के ....

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने यह कहा कि हम हुक्म नहीं दे सकते। अब आप कहिये कि जज बढ़ाइये या और कोई सजेशन्स दीजिये। उनका कहना ठीक है, वह कैसे हुक्म दे सकते हैं? परिस्थितियों को देख कर कोर्ट खुद निर्णय लेती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या इस व्यवस्था के अनुसार मंत्री जी को इत्मिनान ह कि यह मुकदमें कब तक निर्णय कर लिये जायेंगे?

श्री सैयद अली जहीर—

सरकार तो समझती है कि जल्दी से जल्दी इनका फैसला होगा।

*१७—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

[५वें गुरुवार के लिये प्रश्न १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गोंडा जिले में गिरगिटही बांध की जमीन

*१८—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कार्यालय जिलेदारी चतुर्थ सिंचाई उप-विभाग, बलरामपुर, गोंडा ने नोटिस द्वारा गिरगिटही बांध में अन्दर की जमीन ५ साल के पट्टे पर एवं एक साल का पूर्व लगान लेकर कृषि करने के लिये कुछ समय पर्व दी गई थी? यदि हां, तो सा० अभियन्ता आदि से स्वीकृति ली गई थी या नहीं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां, पट्टे की स्वीकृति सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता से ली गई थी।

*१९—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब, मकई एवं अरहर आदि की अच्छी फसल खड़ी है और अधिक अन्न उपजाओ सरकार की योजना है तो फिर ७७/६३ को एक नोटिस देकर इस जमीन का लगान वापस ले जाने एवं खेत छोड़ देने के लिये और ऐक्ट नं०, ८, दफा ७०, सन् १८७३ के अनुसार मुकदमा चलाने के लिये क्यों कहा गया है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

विश्वस्त सूत्रों के आधार पर जब यह ज्ञात हुआ कि इस भूमि के पट्टेदार गत वर्षों की भांति अपनी फसल बचाने के लिये, इस वर्ष भी गिरगिटही बांध काट देंगे तब इस बांध क रक्षार्थ उचित कार्यवाही की गई।

*२०—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या सरकार जांच करायेगी कि इस प्रकार का कार्य कई बार किया गया है जिससे ४०० किसानों एवं तराई के सहस्त्रों किसानों में असन्तोष व्याप्त है? क्या सरकार सम्बन्धित अधिकारियों को दन्डित करेगी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

क्योंकि बांध की रक्षार्थ सम्बन्धित विधेयक के अन्तर्गत कार्यवाही की गई, अतएव सरकारी कर्मचारियों को दन्डित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। सम्बन्धित किसानों के पट्टों की मियाद मई, १९६४ तक कर दी गई है और उनमें अब कोई असन्तोष नहीं है।

श्री सुखदेवप्रसाद—

जैसा कि मन्त्री जी ने बताया किसान ही बांध को कटवाये, तो फिर दोषी इसका कौन है?

श्री गिरधारीलाल—

कुछ शर्तों पर किसानों को दिया था, लेकिन जिस वक्त पानी उसमें जारी रहेगा उस वक्त के लिये नहीं दिया था। साथ ही यह भी था कि बांध काटने के लिये थोड़े ही दिया गया था, वह तो तालाब जब खाली हो जाय उसमें अगर वह फसल पैदा करना चाहें तो कर लें, लेकिन जब पानी आ जाय उस वक्त उसको काटें तो यह एक प्रकार का जुर्म है और इसका उल्लघंन करेंगे तो नोटिस दिया जायगा और सजा भी होगी।

श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या यह सही है कि जिस समय उनको खेत दिया गया था उस समय उनमें से अधिक लोग इस पक्ष में थे कि जिस समय तक हम खेती करेंगे उस समय तक लगान देंगे, लेकिन अगर खेती नहीं करेंगे तो हमसे लगान न लिया जाय और हमको या किसी को जमीन न दी जाय?

श्री गिरधारीलाल—

अगर वह तैयार नहीं है तो यह पट्टे वगैरह वापस लिये जा सकते हैं? फिर आगे को लगान वगैरह कुछ नहीं लिया जायगा।

रहीमपुर तहसील का नलकूप

*२१—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलावा रहीमपुर तहसील व जिला बुलन्दशहर में जो सरकारी ट्यूबवेल है वह क्यों अक्सर खराब रहता है जिसके कारण किसानों को बहुत हानि पहुंचती है? क्या उसको सही प्रकार से ठीक कराने और चलाने पर सरकार ध्यान देगी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बिजली की खराबी तथा मोटर जलने के कारण यह नलकूप कभी-कभी कार्य नहीं कर सका। २३ जून, १९६३ से इस नलकूप में कोई खराबी नहीं हुई है और तब से यह संतोषजनक कार्य कर रहा है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कारण है कि सरकारी ट्यूबवैल्स की मशीनें जल्दी जल जाती हैं जब कि प्राइवेट ट्यूबवैल्स की जल्दी खराब नहीं होतीं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं इस बात को नहीं मानता। मगर मशीनें तो मशीनें हैं, कभी खराब भी हो जाती है तो उनको दुरुस्त किया जाता है।

नोट—तारांकित प्रश्न २१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

आर० टी० ओ० तथा ए० जी० एम० पदों का एकीकरण

*२२—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या परिवहन मन्त्री बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिये आर० टी० ओ० तथा ए० जी० एम० के पदों का एकीकरण करने पर विचार कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह प्रश्न विचाराधीन है, किन्तु कानूनी कठिनाइयों के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं मालूम पड़ता।

बीरपुर ड्रेन

*२३—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बरेली में बीरपुर ड्रेन की खुदाई व पक्का कार्य रोक देने के कारण क्या हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

मंढ़ौली ग्राम के कृषकों के विरोध और भूमि प्राप्त न होने के कारण काम रुका हुआ है।

*२४—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सत्य है कि उपरोक्त ड्रेन के खुद जाने व पक्की पुलियों के निर्माण से लगभग ७०० एकड़ भूमि में पचास हजार मन अनाज प्रतिवर्ष अधिक उत्पन्न होने लगेगा और इस प्रकार की रिपोर्ट जिला नियोजन अधिकारी व अभियन्ता, रोहेलखंड डिवीजन, बरेली को की गई है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं, इस ड्रेन के निर्माण से १५० एकड़ भूमि लाभान्वित होगी और लगभग ३,००० मन अनाज अधिक उत्पन्न होने की आशा की जाती है।

*२५—श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह देखते हुये के खुदाई में देरी के फलस्वरूप इस वर्ष वर्षा काल में फिर जमीन पानी में डूब गई व कृषकों की अपार हानि हुई, क्या सरकार इस बीरपुर ड्रेन की तुरन्त खुदवाई आरम्भ करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

कृषकों की सहमति तथा लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत भूमि प्राप्त हो जाने पर इस ड्रेन पर कार्य आरम्भ किया जा सकेगा।

*२६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[हटा दिया गया।]

डिप्टी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर (टेक्निकल) के कर्त्तव्य

*२७—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (टेक्निकल) के जिम्मे सरेदस्त कौन-कौन से काम हैं ? क्या यह सही है कि उनके करीब करीब सभी काम दूसरे अफसरों को सुपुर्द कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (टेक्निकल) के कर्त्तव्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। यह सही नहीं है कि उनके सभी काम दूसरे अफसरों को दे दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १२९३ पर)

रोडवेज में बोनस

*२८—श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह सही है कि रोडवेज के ट्रांसपोर्ट मोहकमें में ए० टी० आई० और उससे नीचे ट्राफिक मैकेनिक और उससे नीचे के कर्मचारियों के पदों को सरकार ने पेंशनेयेबल करार दिया है ? यदि हां, तो सरकार उनको देने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं। बोनस देने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा दूसरे कई किस्म के रिवार्ड्स व आनरेरियम देने की योजना चालू है ।

पश्चिमी गंडक नहर

*२९—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मन्त्री पश्चिमी गंडक नहर, देवरिया के निर्माण की प्रगति से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

पश्चिमी गंडक नहर के निर्माण हेतु जुलाई, १९६३ के अन्त तक लगभग १.९७ करोड़ घनफुट मिट्टी की खुदाई हो चुकी है।

*३०—श्री उग्रसेन—

क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग द्वारा इस बात का निर्णय ले लिया गया है कि देवरिया जिले में पश्चिमी गंडक नहर पक्की बनाई जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

देवरिया जिले में इस नहर की लम्बाई केवल ५९ मील ५ फ० है। इसमें से ३३ मील ३ फर्लांग की लम्बान को पक्की बनाने का निर्णय हो चुकी है। शेष लम्बाई की नहर को पक्का करने का मामला अभी विचाराधीन है।

*३१—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि १ अप्रैल, १९६३ तक कितने मील नहर से सिंचाई हो चुकी ह ?

श्री गिरधारीलाल—

कुछ भी सिंचाई नहीं हुई है।

स्टाकमैन ट्रेनीज को छात्रवृत्ति न मिलना

*३२—श्री माताप्रसाद—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६२ ई० से स्टाकमैन की ट्रेनिंग पाने वाले प्रशिक्षार्थियों को छात्र-वृत्ति देना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

कृषि मन्त्री (श्री चरणसिंह)—

जी हां। पशु पालन विभाग में स्टाक मैन की ट्रेनिंग लेने वाले प्रशिक्षार्थियों को छात्र-वृत्ति के रूप में मिलने वाली आर्थिक सहायता चालू वित्तीय वर्ष से रोक दी गयी है क्योंकि प्रान्त में अब पढ़े लिखे लोग काफी बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं जो स्वयं अपने खर्चे पर ट्रेनिंग करने के लिये इच्छुक रहते हैं। ट्रेनिंग के पश्चात् पशु पालन विभाग में उन्हें तुरन्त ही बढ़े हुये वतन-क्रम ७५-५-१२० प्रति मास (जो पहले ४५-२-६५-३-८० था) में नौकरी मिल जाती है जो कि प्रशिक्षार्थियों के लिये महत्वपूर्ण आकर्षण की वस्तु है।

कृषि फार्मों से आय

*३३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के सरकारी कृषि फार्मों पर गत वित्तीय वर्ष में कितना धन व्यय हुआ और इन फार्मों से कितनी आय हुई? क्या यह सही है कि ज्यादातर फार्म घाटे पर चल रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री चरणसिंह—

कृषि वर्ष १९६२-६३ के आय व्यय के आंकड़े अभी तैयार नहीं हैं। राज्य के कुल ११ राजकीय पशुधन एवं कृषि फार्मों पर कृषि वर्ष १९६१-६२ में २६,९३,३०० रु० का व्यय हुआ तथा १९,९३,४३९ रु० की आय हुई। यह सही है कि ज्यादातर फार्म घाटे पर चल रहे हैं। घाटे के मुख्य मुख्य कारण संलग्न सूची में दिये हैं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १२९४ पर)

*३४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि गत वर्ष उत्पादन के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उनमें आशातीत सफलता नहीं मिली है? यदि हां, तो क्या कारण है और उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या-क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं?

श्री चरणसिंह—

पिछले वर्ष फार्मों पर उत्पादन के कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। प्रत्येक वर्ष फार्मों पर अधिक से अधिक अन्न उपजाने की चेष्टा की जाती है। उत्पादन बढ़ाने के लिये फार्मों पर जहां-जहां सिंचाई की सुविधा का प्रबन्ध नहीं है वहां इस सुविधा का प्रबन्ध करने की कोशिश की जा रही है।

इटावा निवासी शकूर को पागलखाने से मुक्त करने की प्रार्थना

*३५—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री शकूर, आत्मज श्री मुमताज खां, मु० मेवाती टोला, शहर इटावा निवासी को जिन्हें मातृ-वध के अभियोग में दफा ३०४ में सेशन्स जज इटावा ने मुकदमा करते हुये दफा ८४ आई० पी० सी० के अन्तर्गत २७ अप्रैल, १९५७ को बरी कर दिया था?

श्री सैयद अली जहीर—

जी हां। किन्तु जज महोदय ने अभियुक्त को दफा ४७१ दन्ड विधि संग्रह के अन्तर्गत बरी किया था।

*३६—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या यह भी सच है कि श्री शकूर का मानसिक सन्तुलन बिगड़ा हुआ था और विद्वान जज ने यह निर्णय दिया था कि शकूर दफा ४७१, ४७६, सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत कार्यवाही होकर छोड़ दिया जावे?

श्री सैयद अली जहीर—

जी हां, परन्तु जज महोदय ने निर्णय दिया था कि शकूर को जेल तथा मानसिक चिकित्सालय में तब तक रक्खा जाय जब तक कारागार महा निरीक्षक या मानसिक चिकित्सालय के विजिटर्स की संस्तुति पर शासन द्वारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा ४७४ के अन्तर्गत कार्यवाही न की जाय।

*३७—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार इस बात को देखते हुये कि श्री शकूर को जेल तथा पागलखाने में रहते हुये ६ साल से अधिक बीत गये और उसके आश्रितजनों के भरण-पोषण का कोई प्रबन्ध नहीं है, जेल से मुक्त करने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—

चूंकि, श्री शकूर की वर्तमान मानसिक स्थिति अभी संतोषजनक नहीं है उन्हें अभी मुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र

*३८—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास सन् १९६२ में १ जनवरी से ३१ दिसम्बर, तक कितने राजनीतिक पीड़ितों ने प्रार्थना-पत्र देकर मांग की है उनकी आर्थिक सहायता की जाय ताकि वे अपना औद्योगिक ऋण तथा दूसरे ऋण चुका सकें ?

*३९—क्या सरकार ने कुछ पीड़ितों की ऋण चुकाने हेतु ऐसी आर्थिक सहायता की है ? यदि हां, तो उनके नाम और पते क्या हैं ?

श्री मुजफ्फरहसन—

वांछित सूचनाओं को एकत्र करने में जो समय एवं श्रम लगेगा वह प्रश्न की उपयोगिता को देखते हुये उचित न होगा।

"उत्तर प्रदेश भवन" दिल्ली में मंत्रियों का ठहरना

*४०—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली स्थित "उत्तर प्रदेश भवन" में दिनांक ९ अगस्त से लेकर १५ अगस्त, १९६३ तक उत्तर प्रदेश के कौन-कौन मन्त्री उप मन्त्री, राज्य मन्त्री, सभा सचिव तथा विधायक ठहरे ? इन पर कुल कितना धन व्यय हुआ ? वे लोग किस राजकीय कार्य से दिल्ली गये हुए थे ?

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

इस अवधि में उत्तर प्रदेश निवास दिल्ली में निम्नलिखित मन्त्रिगण ठहरे :—

(१) श्री चन्द्रभानु गुप्त, भूतपूर्व, मुख्य मन्त्री,
(२) श्री कमलापति त्रिपाठी, वित्त मन्त्री,
(३) श्री चरणसिंह, कृषि मन्त्री,
(४) श्री चतुर्भुज शर्मा, कारागार मन्त्री।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, ने सरकारी गाड़ी इस्तेमाल की जिसका कुल माइलेज १५० मील हुआ।

श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री चरणसिंह तथा श्री चतुर्भुज शर्मा ने प्राइवेट या रोडवेज टैक्सी का प्रयोग किया जिसका कुल बिल १०,३७.३२ न० पै० है। इसमें से जितना खर्चा सरकारी कार्यों में हुआ है वह सरकार वहन करेगी और बाकी खर्चा मन्त्रिगण स्वयं देंगे।

भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी तथा मन्त्रिगण विभिन्न सरकारी कार्यों से तथा ए० आई० सी० सी० की बैठक में शामिल होने के लिये गये थे। यह कहना सम्भव नहीं है कि वे किस विशेष राजकीय कार्य से वहां गये थे।

*४१—श्री जगन्नाथ राव—

[हटा दिया गया।]

रोडवेज डिपो, फतेहपुर के ड्राइवरों व कण्डक्टरों का भत्ता

*४२—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

प्रश्न सत्र १४वें मंगलवार, दिनांक ४ दिसम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या २७ के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कानपुर रीजन के अन्तर्गत फतेहपुर डिपो के ड्राइवरों व कण्डाक्टरों से महीने में ४२ घंटे ओवर टाइम काम कराया जाता है और केवल २४ घंटे का पैसा दिया जाता है जो मई, १९६२ से अब तक नहीं दिया गया?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह सही नहीं है। जितना ओवर टाइम काम लिया जाता है उसका पूरा पैसा दिया जाता है। फतेहपुर डिपो के ड्राइवरों व कन्डक्टरों का ओवरटाइम का पैसा जुलाई, १९६३ तक दे दिया गया है।

*४३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह भी सही है कि एक ड्राइवर की दाखिल सिक्योरिटी की रसीद गत दिसम्बर, जनवरी में कानपुर रीजन के ए० जी० एम० ने अपने आफिस में छीन कर उसे वहां से निकाल दिया? यदि हां, तो ऐसा करने का उनका उद्देश्य क्या था?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*४४—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या यह भी सही है कि रोडवेज फतेहपुर डिपो के सीनियर स्टेशन इंचार्ज, श्री सिद्दीकी साहब प्रार्थना-पत्र देकर अक्सर छुट्टी पर चले जाते हैं और वापस आकर रजिस्टर में खाली जगह पर वे "एल" को ब्लेड से खरोंच कर हाजिरी के हस्ताक्षर बना देते हैं जो रजिस्टर पर साफ जाहिर होता है?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं।

सहारनपुर जिले में रोडवेज बसें व टैक्सी के परमिट

*४५—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या परिवहन मन्त्री यह बतायेंगे कि सहारनपुर जिले में टैक्सी चलाने के लिये कुल कितने परमिट इस साल दिये गये हैं और किन-किन को दिये गये हैं?

श्री मुजफ्फर हसन--

३५ स्थाई तथा ११ अस्थाई परमिट मंजूर हुए। सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १२९५-१२९६ पर)

*४६--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर से रुड़की हरिद्वार, देहरादून तथा देहली के लिये कितनी-कितनी गाड़ियां Government Roadways की चलती हैं और सरकार को इन तीनों रूटों पर पिछले दो वर्ष में कितना-कितना लाभ या हानि हुई?

श्री मुजफ्फर हसन--

सहारनपुर--रुड़की--हरिद्वार	१७
सहारनपुर--देहली	१८
सहारनपुर--देहरादून	११

लाभ हानि की तफसील प्रत्येक मार्ग की अलग-अलग नहीं बनती इसलिये इन मार्गों पर लाभ-हानि के आंकड़े देना मुमकिन नहीं है।

*४७-४९--श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

[१७ अक्तूबर, १९६३ को प्रश्न ६५-६७ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

वाराणसी रोडवेज में कथित गबन

*५०--श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी में रोडवेज विभाग में २५ हजार रुपये का गबन एकाउन्ट अफसर द्वारा किया गया था और कैशबुक भी बदल दिया गया था जिसकी जांच जून, जुलाई, १९६३ में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एकाउन्ट के एम० सतनारायनियां व वी० पी० पुरी, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने की है और रिकार्ड सील कर दिया गया है? यदि हां, तो आगे उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री मुजफ्फर हसन--

इस प्रकार का कोई गबन नहीं हुआ है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

रोडवेज कर्मचारियों को छुट्टी की सुविधायें

*५१--श्री ऊदल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज विभाग में सन् १९६० के बाद जिन कर्मचारियों को ए० टी० आई० तक स्थायी किया गया है, उन्हें जो जी० ओ० नं० ६७६२-ए-II/XXX-A-93-N-61 तारीख ८ सितम्बर, १९६१ के द्वारा छुट्टी आदि की जो सुविधा अस्थायी सर्विस में दी जाती थी वही दी जा रही है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन--

जी हां, क्योंकि कथित कर्मचारी श्रम कानूनों के आधीन हैं।

कृषि विभाग में रिक्त पद

*५२--श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ)--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में ग्रुप फस्ट तथा क्लास टू में कितनी जगहें स्थायी हैं, उनमें कितनी भरी गयी हैं और कितनी खाली हैं?

श्री चरणसिंह--

अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग एक तथा उत्तर प्रदेशीय कृषि सेवा की द्वितीय श्रेणी (क्लास टू) में स्थायी जगहों का विवरण निम्न प्रकार है--

अधीनस्थ कृषि सेवा	कुल पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
वर्ग एक	१८०	८९	९१
उत्तर प्रदेशीय कृषि सेवा, द्वितीय श्रेणी (क्लास टू)	११८	४२	७६

*५३--श्री विजयपालसिंह तथा श्री जमादारसिंह--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७-५८ में दि० स्वायल कन्जर्वेशन आफिसर की कितनी जगहों के लिये विज्ञापन निकाला गया था और कितने रक्खे गये ? क्या ये जगहें पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एप्रूव्ड लिस्ट में आती हैं ?

श्री चरण सिंह--

डिस्ट्रिक्ट स्वायल कन्जर्वेशन आफिसर की जगहों के लिये कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

फीरोजाबाद बस स्टैन्ड पर दुर्घटना की जांच

*५४--श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद बस स्टैन्ड के नवनिर्मित बुकिंग आफिस की छत गिर जाने से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुजफ्फर हसन--

इस घटना में एक सात वर्षीय बालक की मृत्यु हुई। मामले की जांच की जा रही है।

*५५--श्री भगवानदास यादवेन्दु--

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फीरोजाबाद की जनसंख्या और प्रतिदिन आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या को देखते हुए यहां के बस स्टैन्ड पर यात्रियों के लिये कोई मुसाफिरखाना बनाने की व्यवस्था सरकार कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

वर्तमान मुसाफिरखाने का विस्तार हो रहा है।

*५६--श्री भगवानदास यादवेन्दु--

यदि हां, उसके निर्माण का कार्य कब तक आरम्भ हो जावेगा ?

श्री मुजफ्फर हसन--

निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

सिंचाई विभाग में असिस्टेंट मेकेनिकल इंजीनियरों का स्थायीकरण

*५७—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि किसी असिस्टेंट मेकेनिकल इंजीनियर ने कुछ साइन्टिफिक रिसर्चेज की हैं? यदि हां, तो उसको सरकार ने क्या रियायतें दीं? क्या उन रिसर्चेज को सरकार नेज पर रखेगी?

श्री गिरधारीलाल—

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*५८—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक २५ अप्रैल, १९६३ को कौन-कौन असिस्टेंट मेकेनिकल इंजीनियर कन्फर्म किये गये और क्या यह सही है कि उनमें एक साहब ऐसे हैं जो मेडिकली अनफिट हैं और एक साहब ऐसे हैं जिनकी सर्विस एक साल की है? यदि हां, तो वे लोग पुराने आदमियों को सुपरसीड कैसे कर गये?

श्री गिरधारीलाल—

(क) दिनांक २५-४-६३ को १७ असिस्टेंट मेकेनिकल इंजीनियर के विषय में सरकार ने स्थायीकरण अथवा परीक्षण के आदेश जारी किये थे। सूची संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) स्थायीकरण के विषय में जो नियम हैं वे पालन किये गये। अतः यह आवश्यक नहीं है कि सबसे ज्येष्ठ (Senior) अधिकारी ही स्थायी किये जायं अथवा परीक्षण पर रखे जायं।

(देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ १२९७ पर)

भंगहा बाजार को बाढ़ से बचाने की प्रार्थना

*५९—कुंवर श्रीपालसिंह, श्री नुन्नूसिंह तथा श्री ऊदल—

भंगहा बाजार जनपद बहराइच में हर साल बाढ़ आने से जो बीसों हजार रुपये का नुकसान होता है उसको बचाने के लिये क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाने की कृपा करेगी?

श्री गिरधारीलाल—

इस स्थान को बाढ़ से रक्षा के लिये किसी योजना का निर्माण सम्भव नहीं है क्योंकि यह राप्ती नदी के बाढ़ क्षेत्र के मध्य में स्थित है।

*६०—कुंवर श्रीपालसिंह, श्री नुन्नूसिंह तथा श्री ऊदल—

भंगहा बाजार से गुजरने वाले नाले के मुहाने पर क्या सरकार एक बांध बनाने की कृपा करेगी कि ताकि राप्ती नदी का पानी भंगहा बाजार में न जा सके?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं। यह सुझाव कार्यान्वित करने योग्य नहीं है।

गोंडा जिले के लिये नलकूप

*६१—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में तृतीय पंचवर्षीय योजना में वह कितने नलकूप लगाने जा रही है और किन-किन तहसीलों में ?

श्री गिरधारीलाल—

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में गोंडा जिले में अब तक १६ नलकूप लगाये जा चुके हैं। इनमें से एक नलकूप गोंडा तहसील में ६ उतरौला तहसील में तथा ९ बलरामपुर तहसील में लगाये गये हैं। इनके अतिरिक्त २० नलकूप और लगाने की योजना है। इनमें से १० नलकूप बलरामपुर तहसील तथा १० नलकूप तहसील उतरौला में प्रस्तावित हैं।

*६२—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा तहसील के कौड़िया बाजार तिरेमनेरामा और देवरिया अलावल में सिंचाई का क्या प्रबन्ध है और इन क्षेत्रों में नलकूप लगाने में क्या अड़चन है ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*६३—श्री गंगाप्रसाद—

[हटा दिया गया।]

रायबरेली जिले की बेवा भेला बांध नहर

*६४—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले के अन्तर्गत नहर की बेवा भेला बांध माइनर जो कि अदालत पंचायत गढ़ी मुतवल्ली में पहुंचा कर समाप्त कर दी गयी है वह इस स्थान पर पानी को बंधे रूप से जाने की कोई व्यवस्था न होने के कारण किसानों के खेतों को काट देती है ? यदि हां, तो सरकार अनावश्यक रूप से इस उपजाऊ जमीन को नष्ट होने से रोकने के लिये क्या कोई व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

*६५—श्री रतीपाल—

उपर्युक्त सम्बन्ध में अब तक नहर विभाग के कितने अधिकारियों को शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं और उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

श्री गिरधारीलाल—

इस सम्बन्ध में जून, १९६३ में दो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे। ऐसा ही एक पत्र माननीय प्रश्नकर्ता ने १७-८-६३ को दिया था। कठिनाई के स्थाई निराकरण के साधनों को विचार में रखते हुए मौके का संक्षण किया जा रहा है। तुरन्त निराकरण का उपाय कर दिया गया है।

मझिला ड्रेन

*६६—श्री होरीलाल यादव—

क्या सिंचाई मन्त्री प्रश्न संख्या ५५, दिनांक ३१ जुलाई, १९६२ के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि क्या मझिला ड्रेन बन कर तैयार हो चुकी है? यदि हां, तो कितने एकड़ कृषि योग्य भूमि निकली है?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां।

लगभग ७०० एकड़।

एटा जिले में बघार ताल का नाला

*६७—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गढ़िया, ढकरई, गुड़ियाई हथौड़ी खेड़ा, रम्पुरा आदि विकास क्षेत्र पटियाली जिला एटा की खेती वहां स्थित 'बघार' नामक तालाब से प्रतिवर्ष नष्ट हो जाती है?

*६८—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या यह सही है कि उक्त 'बघार' में मोहनपुर, बहोटे की ओर से आने वाले नाली का सभी पानी भर जाता है इसी कारण फसल नष्ट हो जाती है?

*६९—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या यह भी सही है कि 'बघार' में से एक नाला निकाल कर कुछ मील दूर एक अन्य नाले में मिला दिया है, परन्तु वह गहरा न होने के कारण पानी 'बघार' से नहीं खींचता? यदि हां, तो क्या 'बघार' से निकलने वाले नाले को जो करनपुर ढकराई, गोढ़ अनावरि आदि ग्रामों से होता हुआ ग्राम जास्मई के नाले में मिलता है खुदाई करा के गहरा करने का विभाग को आदेश देंगे, ताकि फसल की क्षति बच जावे? यदि हां तो यह कब तक ठीक हो जावेगा?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

मंत्रियों से संबंधित जल कर तथा विद्युत् व्यय

*७०—कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेशीय सरकार के मंत्रियों, राज्य-मंत्रियों तथा उप-मन्त्रियों पर अलग-अलग बिजली तथा पानी का कितना-कितना मासिक व्यय पड़ता है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मंत्री एवं उपमंत्री गण अपने आवासों में घरेलू प्रयोग के लिये बिजली का खर्च एवं अतिरिक्त जलकर स्वयं देते हैं, उपमंत्रीगण सरकारी आवासों का जलकर भी अदा करते हैं, केवल मंत्रियों के सरकारी आवासों का जलकर एवं कतिपय मंत्रियों के आवासों में अलग से लगे सुरक्षा हेतु बिजली का खर्च सरकार वहन करती है इन मदों पर मासिक खर्च का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १२९८–१२९९ पर)

अतारांकित प्रश्न

१—श्री गणेशचन्द्र काछी—

[६वें मंगलवार के लिए तारांकित प्रश्न ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

२–३—श्री रियासत हुसैन—

[हटा दिये गये।]

राजकीय पशुधन एवं कृषि फार्म, अन्देशनगर के मैनेजर के विरुद्ध जांच

४—श्री रियासत हुसैन—

क्या कृषि मंत्री को स्टेट ऐग्रीकल्चरल फार्म अन्देशनगर (लखीमपुर-खीरी) के कर्मचारियों द्वारा प्रेषित की गयी इस आशय की शिकायती दरख्वास्तें अभी हाल में प्राप्त हुई हैं कि उपरोक्त फार्म का मैनेजर कर्मचारियों को गन्दी गालियां देता है और मैनेजर फार्म के कर्मचारियों को कोई साप्ताहिक छुट्टियां और आकस्मिक छुट्टियां भी नहीं देता है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चरणसिंह—

जी हां, फरवरी, १९६३ में राजकीय पशुधन एवं कृषि फार्म, अंदेशनगर (लखीमपुर खीरी) के तत्कालीन फार्म मैनेजर के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों की विभागीय जांच करायी जा रही है।

५—श्री रियासत हुसैन—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त स्टेट फार्म के कर्मचारियों द्वारा मैनेजर के अशिष्टता और बर्बरतापूर्ण व्यवहार के विरुद्ध प्रेषित की गयी सामूहिक शिकायतें सचिव, कृषि विभाग तथा जनरल मैनेजर स्टेट फार्म्स को भी प्राप्त हुई हैं और गत वर्ष इसी प्रकार की शिकायतें रामपुर (नैनीताल) स्टेट फार्म्स से भी प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त शिकायतों पर कोई जांच की गयी ?

श्री चरणसिंह—

जी हां, जैसा प्रश्न ४ के उत्तर में कहा गया है उपरोक्त फार्म मैनेजर के विरुद्ध शिकायतों की विभागीय जांच करायी जा रही है।

आजमगढ़ जिले में ताल पताछ, महुला गढ़वल तथा हा हा नाला बांध

६—श्री रामसुन्दर पांडेय

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत ताल पताछ योजना को बरसात के पहले ही पूर्ण करा देने का जो आश्वासन उनके द्वारा बजट अधिवेशन में दिया गया था उसे पूरा नहीं कराने का कारण क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—

कार्य आरम्भ करने के लिये औपचारिक कार्यवाही में कुछ समय लग जाने के कारण तथा तत्पश्चात् कुछ आकस्मिक अड़चनें आ जाने के कारण ठेकेदार से जून से पहले इस कार्य के लिये एग्रीमेंट (Agreement) नहीं हो सका। एग्रीमेन्ट के अनुसार ठेकेदार को कार्य २५–६–१९६३ से आरम्भ करना था, परन्तु इसी बीच वर्षा हो जाने के कारण कार्य आरम्भ न हो सका। आशा है कि यह कार्य इस मास के अन्त तक आरम्भ होगा।

७—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महुला गढ़वल बांध तथा हा हा नाला बन्ध, जिला आजमगढ़ के समीप किन-किन स्थानों पर घाघरा नदी का कटाव है और कटाव की रोकथाम के लिए कौन-कौन कार्यवाही की गयी है ?

श्री गिरधारीलाल—

महुला गढ़वल बांध के मील २०–२१ के समीप गंगेपुर ग्राम के पास तथा मील २९–३० के समीप दोहरी घाट के पास और हाहा नाला बांध के समीप ग्राम मोसाडोही मोलनापुर तथा बरोहा गांव के घाघरा नदी का कटाव है।

बांध की सुरक्षा के लिए की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १३०० पर)

खैरवान बांध के नहरी क्षेत्र से शिकायतें

८—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलरामपुर तहसील के अन्तर्गत गोंडा जिला में खैरवान बांध से निकलने वाली नहर से गत माहों में बिना सींचे हुये खेतों पर सिंचाई लगान नियत करने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री, सिंचाई मंत्री तथा चीफ इंजीनियर, उत्तर प्रदेश को ग्राम भक्ता, सिरोहिया, पोस्ट शिवपुरा आदि के कितने शिकायती-पत्र प्राप्त हुए और उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रार्थना-पत्रों की तिथि मालूम न होने के कारण प्रश्न का सही उत्तर देना कठिन है। ग्राम भक्ता के कृषकों के तीन प्रार्थना-पत्र सन् १९६२ तथा एक प्रार्थना-पत्र १९६३ में प्राप्त हुए थे। इनमें से तीन प्रार्थना-पत्र निराधार सिद्ध हुए। एक प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में सिंचाई कर से छूट दे दी गई।

ग्राम सिरोहिया के कृषकों से भी दो प्रार्थना-पत्र सन् १९६३ में प्राप्त हुए थे। प्रार्थना-पत्रों पर जांच के उपरान्त चार कृषकों को सिंचाई कर में छूट दे दी गई।

९—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या इस प्रकार के और कई ग्रामों से शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर कोई जांच कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर आवश्यक जांच कराई गई थी।

१०—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या उपरोक्त शिकायतों में एक यह भी थी कि जब तक जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी से न हो जाय लगान वसूल न किया जावे ? क्या उचित जांच करा कर उनका पैसा रिफन्ड किया जायगा जिनसे बेजा लगान ले लिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

बुलन्दशहर जिले में बाढ़ योजना

११—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में साहबपुर से लेकर अमरगढ़ तक नीम नदी को गहरा करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस योजना का निर्माण कब तक होगा ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—ऐसी योजाना तो जरूर बना ली गई है परन्तु उसका कार्यान्वित होना राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति तथा आवश्यक धन उपलब्ध होने पर निर्भर है।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

१२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर की तहसील अनूपशहर में यूनिसपुर से भगवन्तपुर तक बरसाती पानी के निकास के लिए एक नाले की निर्माण योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह नाला कब तक खुदवाया गया और अब तक क्यों नहीं खुदवाया गया ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति होने पर तथा आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर इस कार्य को प्रारम्भ किया जा सकेगा।

१३—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या यह सही है कि नाले का सर्वे कई वर्ष हुये फील्ड डिवीजन कर चुका है ?

श्री गिरधारीलाल—

इस नाले का सर्वेक्षण १९६२ में सिंचाई विभाग द्वारा किया गया था।

मेरठ-बुलन्दशहर बस सर्विस परमिट

१४—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रादेशिक परिवहन पदाधिकारी, मेरठ ने सन् १९६० में मेरठ-बुलन्दशहर पर बसों के कितने नये परमिट जारी किये ?

श्री मुजफ्फर हसन—

नौ परमिट।

१५—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या १९६० में किसी ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी की दरख्वास्त इस रूट पर बस के परमिट के लिए थी ? यदि थी, तो क्या इसका परिमट स्वीकार किया गया या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। अभी विचाराधीन है।

१६—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६२ में बुलन्दशहर स्यानागढ़ बुगरासी रूट पर कितनी बसों के परमिट स्वीकृत किये गये और इस रूट पर किसी ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी की दरख्वास्त भी थी ? यदि थी, तो क्या उसे परमिट स्वीकृत किया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—

८ परमिट स्वीकार किये गये। ५ आवेदन-पत्र ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटीज के भी प्राप्त हुए थे जिनमें से किसी को भी परमिट स्वीकार नहीं किया गया।

१७–१८—श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

]१८ अक्तूबर, १९६३ को प्रश्न ५०–५१ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

छिबरामऊ तहसील में नहर की आवश्यकता

१९—श्री होरीलाल यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद, तहसील छिबरामऊ में मौजा, डडौनी, डडौना, शरीफाबाद, रघुनाथपुर, वीलमपुर, नगला, खेमकान, बझेडी, न्यायतपुर आदि मौजों में सिंचाई के लिए कोई माइनर बनाने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

उक्त ग्रामों के सिंचाई हेतु अभी कोई योजना नहीं है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रामगंगा बांध से अतिरिक्त पानी उपलब्ध होने पर इस योजना पर विचार किया जायगा।

स्याना क्षेत्र में नलकूप

२०—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर में पहली नवम्बर, सन् १९६२ से १५ अगस्त, सन् १९६३ तक कितने सरकारी ट्यूबवेल कहां कहां खराब हुये हैं और उनकी मरम्मत करके उनको कितने-कितने दिन में चालू कर दिया जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

लदिगवां ग्राम क्षेत्र में सिंचाई

२१—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामगंगा कैनाल, जिला फतेहपुर डिवीजन के शाह रजबहा के कुलाबा नम्बर २१ से दक्खिन की तरफ जाने वाली मौजा लदिगवां में कोई नाली थी जिसके दक्खिन मौजा लदिवावां के खेत नं० ९६८, ९७२, ९७३, ९७५, ९७६, ९७८ तथा पूर्व खेत नम्बर ९६९, ९७०, ९७१, ९७४, ९७७ और ९७९ हैं और उनकी सिंचाई उसी नाली से होती आयी है ? यदि हां, तो उनका निर्माण कब हुआ और उससे उक्त नम्बरान के अलावा और किन-किन नम्बरान की सिंचाई होती है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं। ऐसी कोई नाली नहीं थी और न है। अतः उसके निर्माण इत्यादि का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम लदिगवां के उल्लिखित खेतों के बीच कोई गूल नहीं है। मौके की जांच से पता चला है कि इस स्थान पर गूल कभी नहीं थी, किन्तु एक गूल उत्तर की ओर है और एक दूसरी गूल पश्चिम की ओर भी है। सम्बन्धित क्षेत्र की सिंचाई इन्हीं गूलों से होती है।

जौनपुर जिले में गांवों को ऊंचा करना

२२—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में बाढ़ क्षेत्रों में २०१ गांवों की ऊंचा करने की जो योजना थी उसमें कितने गांव ऊंचे किये गये ?

२३—बाढ़ क्षेत्रों में गांवों को ऊंचा करने में सफलता न मिलने का कारण क्या है तथा क्या जौनपुर जिले में ऊंचे किये गये ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

२४–२६—श्री कल्पनाथसिंह—

[हटा दिये गये।]

गौरी बाजार-हाटा मार्ग पर बस स्टापेज

२७—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला में गौरी बाजार से हाटा को जाने वाली सड़क पर स्थित बलुआ और कुकबल नामी स्थानों पर रोडवेज की बसों हेतु फेयर स्टेशन की मांग गत अप्रैल, १९६२ से अगस्त, १९६३ तक किन-किन लोगों ने दरख्वास्तें देकर एवं अखबारों के द्वारा की है ? क्या बस स्टेशन को मान्यता दी जावेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस विषय में माननीय सदस्य का एक पत्र जुलाई, ६२ में रोजवेज अधिकारियों को मिला था। इन स्थानों पर फेयर स्टाप बनाना सम्भव नहीं है, क्योंकि मौजूदा फेयर स्टाप से इनकी दूरी चार मील से कम है।

२८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

गौरी बाजार से हाटा की दूरी क्या है ? एक बस स्टेशन से दूसरे बस स्टेशन की दूरी का क्या कोई नियम है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

११ मील (१८ किलो मीटर) दो फेयर स्टाप के बीच कम से से कम ४ मील का फासला होना चाहिये।

२९—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि उक्त दोनों ग्राम चौराहों पर स्थित हैं ? यदि हां, तो ऐसे उपयुक्त स्थानों पर बस स्टेशन की मान्यता अब तक न देने के क्या कारण हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

उक्त स्थानों में केवल ग्राम कुकबल चौराहे पर है। [यह दोनों स्थान 'रिक्वेस्ट स्टाप' हैं, परन्तु प्रश्न २७ के उत्तर में दिए कारणों से इन्हें फेयर स्टाप की मान्यता नहीं दी जा सकती।

बरेली क्षेत्र में ए० टी० आई० का चुनाव

३०—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली रीजन में अप्रैल, सन् १९६३ में ए० टी० आई० का जो चुनाव हुआ है उसमें कितने लोगों को अभी तक स्थान दिया जा चुका है और कितनों को नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

३ नियुक्त किये जा चुके हैं, ४७ अभी बाकी हैं।

प्रश्नों के संबंध में आपत्ति

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम ३३ के अनुसार प्रश्नों के उत्तर की प्रतियां हमको एक दिन पूर्व नहीं मिलतीं। दूसरी बात यह है कि जो सप्लीमेन्टरी प्रश्न होते हैं वे इतने ज्यादा होते हैं कि केवल २० ही प्रश्न हो पाते हैं एक दिन में।

श्री अध्यक्ष—

आज तो २६ प्रश्न हुये हैं। फिर भी यह मेरे विवेक पर है कि मैं कितने प्रश्न कराऊं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

आज कुछ प्रश्न स्थगित हो गये, इसलिये २६ तक नम्बर पहुंच गया। फिर तीसरी बात यह है कि मेरा अल्पसूचित प्रश्न भी आज के लिये था। वह स्थगित कर दिया गया और मुझे उसकी सूचना नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष—

इसके ऊपर मैं विचार कर रहा हूं। मेरे पास अन्य शिकायतें भी पहुंची हैं कि उत्तर समय से नहीं मिलता। मैं चाहूंगा कि उत्तर समय से मिल जाया करे और स्थगन के संबंध में भी जो बात आपने रखी उस पर मैं विचार कर रहा हूं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों द्वारा पुराने प्रपत्र में शपथ ग्रहण करने के विषय पर विचार

श्री अध्यक्ष—

अब श्री कन्हैयालाल मिश्र, एडवोकेट जनरल अपने विचार व्यक्त करेंगे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, आपने एडवोकेट जनरल को जो बुलाया है तो मैं आपका ध्यान मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के पृष्ठ ४५७ की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है आप उसे सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

आज जो एतराज करने जा रहे हैं वह मैंने स्वयं देख लिया है।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, यह मामला सबजूडिस है यहां उस पर डिस्कशन नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसे देख चुका हूं मैं स्वयं उनसे यही प्रश्न करता कि ऐसी स्थिति में उनका क्या कहना है ।

महाधिवक्ता (श्री कन्हैयालाल मिश्र)—

अध्यक्ष महोदय, मैं तो वही बात कहने वाला था जो माननीय सदस्य ने कही है । कल उच्च न्यायालय में जस्टिस कपूर के यहां ३ जजों के पुराने परिपत्र के अनुसार शपथ लेने का प्रश्न उठा दिया गया था और यह भी प्रश्न आ गया कि दोनों बार जजों ने जो शपथ लिया है वह वैध है अथवा अवैध है । सम्भवतः उसकी सुनवाई भी कल या परसों हो जायगी । यदि विधान सभा को उस पर किसी प्रकार का विचार प्रकट करना है तो मैं स्वयं ही आपसे यह अनुरोध करूंगा कि इस समय उसे स्थगित कर दें जब न्यायालय का निर्णय हो जाय तब विचार करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष —

ठीक है ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, एक लिखित व्यवस्था का प्रश्न मैंने भी दिया था ।

श्री अध्यक्ष —

उसका समय आने पर उस पर विचार कर लिया जायगा ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

चूंकि यह मामला अब उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो क्या मेरा प्रस्ताव तब तक स्थगित है ?

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में सभी प्रश्न स्थगित हैं ।

सभा-सचिवों की नियुक्ति पर आपत्ति

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैंने कल भी आपका ध्यान आकृष्ट किया था कि मैं एक वैधानिक प्रश्न पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के बारे में उठाना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में मैंने एक स्टेटमेन्ट भी दिया था और आज मैं चाहता हूं कि उसके बारे में अगर आपकी आज्ञा हो तो अपने विचार रखूं ।

श्री अध्यक्ष—

नरसिंह नारायणजी, मैं चाहता हूं कि उसे मैं २९ तारीख के लिये रखूं । माननीय रामायणराय ने भी लिखकर दिया है इस बारे में । तो मैं उसे देख लूं आप भी और स्टडी कर लें ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों द्वारा पुराने प्रपत्र में शपथ ग्रहण करने के विषय पर विचार—(क्रमागत)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय त्रिपाठी ने यह प्रश्न उठाया कि उन्होंने गलत शपथ ली है और जितने निर्णय उन्होंने इस बीच में सिविल क्रिमिनल या क्वासी सिविल या क्रिमिनल मामलों में दिये

हैं वे सब गलत हैं। माननीय जस्टिस कपूर के इजलास वाले मुकदमे में यह है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश को जो अधिकार माननीय राज्यपाल ने दिया था कि माननीय न्यायाधीशों को शपथ दिला दें तो पहली शपथ के साथ वह डेलीगेशन समाप्त हो गया। तो मुख्य न्यायाधीश को जब नया अधिकार गवर्नर ने दिया तो १८ तारीख को मुख्य न्यायाधीश ने शपथ क्यों दिला दी? और माननीय त्रिपाठी जी का यह है कि उन्होंने गलत शपथ ली तो उनके फैसले गलत हैं। त्रिपाठी जी का यह प्रश्न कहां तब सब-जूडिस है यह मैं एडवोकेट जनरल से जानना चाहता हूं।

श्री कन्हैयालाल मिश्र—

शपथ जो न्यायालय के जजों ने पुराने परिपत्र के अनुसार ७ अक्तूबर को ली थी वह वैध है अथवा अवैध है यह प्रश्न भी उठा है और दूसरी शपथ की वैधता का प्रश्न भी उठा है। दोनों प्रश्नों पर बहस होगी और दोनों के ऊपर निर्णय होगा।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि हमारे एडवोकेट-जनरल यहां तशरीफ प्रापर ड्रेस में नहीं लाये हैं। हम लोगों में और उनमें कोई पता नहीं चलता है, उनको प्रापर यूनीफार्म में यहां आना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—

इस सदन के लिये कोई प्रैस्क्राइब्ड ड्रेस नहीं है।

नगरपालिका विभाग की विज्ञप्तियां*

स्वायत्तशासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नगरपालिका (ग) विभाग की (क) विज्ञप्ति संख्या १३९-म/आ-३ (तृतीय संशोधन)/११-८१-६०, दिनांक ३० सितम्बर, १९६३ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (कठिनाइयों को दूर करने की) (तृतीय) (तृतीय संशोधन) आज्ञा, १९६३, (ख) विज्ञप्ति संख्या १४०—म/आ-४ (तृतीय संशोधन) ११-ग—८१-कार्य-६०, दिनांक ३० सितम्बर, १९६३, के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका कठिनाइयों को दूर करने की) (चतुर्थ) (तृतीय संशोधन) आज्ञा, १९६३, तथा (ग) विज्ञप्ति संख्या १४१-म/आ-१ (संशोधन) ११-ग-८१-कार्य-६०, दिनांक ३० सितम्बर, १९६३, के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (कठिनाइयों को दूर करने की) (प्रथम) (संशोधन) आज्ञा, १९६३, को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, की धारा ५८० की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखती हूं।

प्रश्नों के उत्तर मिलने में विलम्ब

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

पिछले महीने २६ तारीख को जेलों में कम्युनिस्ट, लेबर और किसान मूवमेंट के संबंध में बन्द किये गये लोगों के बारे में मैंने कामरोको प्रस्ताव दिया था। उस समय आपने यह कहा था कि इसको मैं शार्ट नोटिस क्वैश्चन के रूप में दे दूं तो आप स्वीकार करा देंगे। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि २६-९-६३ को वे सवाल दिये गये और आज २२-१०-६३ है और कोई उत्तर नहीं आ सका है। अगर यही ढंग सरकार का रहेगा तो हम क्या करें? आप व्यवस्था दें या कोई तरीका निकालें।

---

*छापी नहीं गयीं।

श्री अध्यक्ष--

स्पेसीफिक शिकायतों के लिये यहां मेरे लिये उत्तर देना असम्भव है, जब तक मैं स्वयं अन्वेषण न कर लूं कि किस कारण से विलम्ब हो रहा है। अगर सरकार की तरफ से विलम्ब हो रहा है तो मैं उनको अवश्य लिखूंगा कि उत्तर आना चाहिये, लेकिन इस सम्बन्ध में मेरी प्रार्थना आदरणीय सदस्यों से यह है कि हम यह साधारण नियम धारण कर लें कि आप मेरे कमरे में आकर--मैं ३।। से ४।। बजे तक वहां रहता हूं--अपनी शिकायतें बतलावें तो उन पर अवश्य ध्यान दिया जावेगा और मैं दूंगा।

नगरपालिका विभाग की विज्ञप्तियों को सदन में रखने पर उठाई गयी आपत्ति के संबंध में निर्णय

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, जो नम्बर २ सदन की मेज पर रखा गया है उसके सम्बन्ध में कल भी माननीय भगवानसहाय जी ने प्रश्न उपस्थित किया था कि सम्बन्धित पेपर जब तक सदन की मेज पर न रख दिये जावें तब तक कैसे मालूम हो कि इसका क्या मन्तव्य है? माननीय मंत्रीजी ने आज उसे पेश करते हुए कोई परिपत्र या कागजात सदन की मेज पर नहीं रखे। आप इसकी व्यवस्था करें?

श्री अध्यक्ष --

मैंने देखा नहीं था और माननीय मंत्री जी उस पर कोई प्रकाश नहीं डाल पाये। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम की धारा ५८० में यह दिया है कि: An order made under sub-section (1) shall be laid as soon as may be before both the Houses of Legislature. तो आर्डर्स लेजिस्लेचर के सामने आवेंगे। उनकी आपत्ति दूसरी थी कि डैलीगेटेड लैजिस्लेशन की कमेटी में जब मैं उसका चेयरमैन था तो मैंने एक मांग सरकार से यह की थी कि जब कभी कोई संशोधन हो तो उससे सम्बन्धित वह नियम जिसका संशोधन हो रहा है वह भी छपना चाहिये। सरकार एक बात को स्वीकार कर चुकी है कि जिन अधिनियमों में वह परिवर्तन या संशोधन करती है उनके संशोधन बिल में ओरिजिनल ऐक्ट का संबन्धित अंश भी दे देती है। मैं इस सम्बन्ध में भी सरकार से बातचीत करूंगा कि उचित यही है कि हमारे डैलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी ने जो पास किया है उसका अनुसरण किया जाय। उसको मैं देखूंगा, लेकिन उसके कारण यह बात नहीं हो सकती है कि उसको मेज पर नहीं रखा जा सका, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा नियम स्वीकृत नहीं है केवल कमेटी की सिफारिश है। इस पर मैं अवश्य बातचीत करूंगा।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

अब दो विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रस्ताव मेरे सामने आये हैं। एक माननीय उग्रसेन जी का है। उनकी शिकायत यह है कि देवरिया के जिला नियोजन अधिकारी ने जो सूचना मंत्री जी को दी थी वह गलत थी। इस सम्बन्ध में मैं एक मरतबा पहले भी इस आदरणीय सदन के समक्ष कह चुका हूं कि अगर अधिकारियों के द्वारा गलत इन्फार्मेशन आती है और आप इस गलती को मंत्री जी के यहां सिद्ध कर दें, तो मंत्रीजी का कर्तव्य होगा कि वे उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें। विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न में मूल बात यह है कि हमारा सम्बन्ध प्रत्यक्ष उस व्यक्ति से हो जिसके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न आप उठाते हैं। यहां पर विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न इंडाइरेक्टली आ रहा है। मंत्री जी को उन्होंने सूचना दी। मंत्री जी का यह कर्तव्य है कि वे उस सूचना को मानें या न मानें। मंत्रीजी ने उस सूचना को सही माना। अगर उन्होंने गलत सूचना को सही मान लिया है....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

तो उसके लिये रास्ता क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

उसके लिये रास्ता यह है कि आप मंत्री जी को संतुष्ट करें कि सूचना गलत है ।

श्री उग्रसेन—

मंत्री जी ने जवाब दिया है उसको देखें । प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि डी० पी० ओ० देवरिया ने जो सूचना दी है उसके आधार पर मैं यह सूचना दे रहा हूं । अब यदुनन्दन प्रसाद उपाध्याय जिला नियोजन अधिकारी, देवरिया ने गलत खबर दी और उसके आधार पर मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से बच गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, मंत्री जी नहीं बच सकते, मंत्री जी की रिस्पांसिबिलिटी है कि वह उसको सही मानें या गलत मानें ।

श्री उग्रसेन—

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, आप बैठ जाइये । मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां सदन में ऐसी व्यवस्था है कि जब कोई गलत बात उस सदन के समक्ष हो जाती है तो उसका संशोधन मंत्री जी स्वयं करते हैं और बयान देते हैं । आपका कर्त्तव्य यह है कि आप मंत्री जी को संतुष्ट करें कि गलतबयानी हो गयी है तो उस गलत बयान का परिमार्जन वह स्वयं कर देंगे और उस अधिकारी के विरुद्ध जो उचित कार्यवाही होगी वह करेंगे । लेकिन मूल चीज यह है कि विशेषाधिकार के प्रश्न में जिस व्यक्ति के विरुद्ध प्रश्न उठाया जाता है उसका सदन से डाइरेक्ट कन्सर्न होना चाहिये । वह नहीं है, इसलिये मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री उग्रसेन—

तो, श्रीमन्, अब मैं क्या करूं ?

श्री अध्यक्ष—

आप मुझसे मिल लीजियेगा तो बता दिया जायगा ।

एक प्रश्न राधेश्याम जी का है । इसमें वह कहते हैं "मा० हरगोविंद" । यह गलत है उनका नाम माननीय हरगोविन्दसिंह जी है, उन्होंने कहा है कि "एक अखिल भारतीय पार्टी के अध्यक्ष हैं जो अपने को बड़े नेता कहते हैं और जिन्हें आप सभी जानते हैं", आदि आदि । इनका कहना है कि यह आक्षेप है जिससे विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है । मैं २ बातें इस सम्बन्ध में निवेदन कर दूं जिनका आदरणीय सदन कृपया ध्यान रखे ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पूरा पढ़ दें ताकि इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को पूरी बात मालूम पड़ जाय । उसके बाद आप अपनी बात कहें ।

श्री अध्यक्ष—

अगर मैं जरूरी समझता तो पढ़ देता । पहली बात तो यह है कि अगर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना हो तो अलिएस्ट आर्चुनिटी यानी शीघ्र से शीघ्र उस घटना के पश्चात् उठाना चाहिये । यह १८ तारीख को हुआ है तो कल ही उसको उठाना चाहिये ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

कल मैंने नोटिस दे दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

आपको उस रोज नोटिस देनी चाहिये थी । ऐसे नोटिस नहीं दी जाती । अगर जबानी नोटिस देना है तो उसी समय दी जानी चाहिये जब माननीय सदस्य बोल रहे हों । यह आपने नहीं किया ।

दूसरी बात यह है कि इस सदन में सभी माननीय सदस्यों को स्वतंत्र भाषण का अधिकार है । कोई भी माननीय सदस्य किसी के सम्बन्ध में जो वह उचित समझे कह सकता है । उसके ऊपर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । आप देखते हैं कि इधर के लोग भी इतनी बातें कहते हैं और आपकी तरफ के लोग भी इतनी बातें कहते हैं जो ठीक ही हैं ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

एक मिनट में आप मेरी बात सुन लें, क्योंकि यह विशेषाधिकार का प्रश्न जो मैंने उठाया है यह बड़ी ही गम्भीर बात है ।

श्री अध्यक्ष—

एक मिनट तो आपको मैं तब दूं जब आपका बोलना वैध हो । मेरी रूलिंग के बाद अगर आपको कुछ कहना है तो मैं बड़ी खुशी से आपकी बात अपने कार्यालय में सुन सकता हूं । यहां नहीं सुना जा सकता, आप बैठ जायं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, इधर माननीय गृह मंत्री बहुत बहके हुए हैं जो कि बड़ी खतरनाक बात है इस चीज को तो आप मिटा दें और इसको आप आउट आफ आर्डर न कर ।

श्री नत्थूसिंह, सदस्य विधान सभा की कथित गिरफ्तारी के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब श्री कमलासिंह यादव, श्री गेंदासिंह और श्री होरी लाल यादव का एक विशेषाधिकार प्रश्न है जो इस प्रकार है :—

"मैं आपके द्वारा माननीय सदन तथा माननीय अध्यक्ष का ध्यान दि० ६/७ सितम्बर, १९६३ की रात में श्री नत्थू सिंह, सदस्य विधान सभा चुनाव-क्षेत्र जसवन्त नगर ३३३, जिला इटावा को पुलिस के कर्मचारियों ने दल बल सहित सुपरिन्टेंडेंट तथा डिप्टी सुपरिन्टेंन्डेंट पुलिस, इटावा के प्लान से गिर तार किया और पुलिस की गाड़ी पर बैठा कर थाने में ले गये जब कि उनके घर और दूकान की तलाशी से कोई सन्देहजनक चीज नहीं प्राप्त हुई और थाने में भी पुलिस के पहरे के अन्दर बराबर रखे गये और इसकी सूचना माननीय सदन को विधानतः होनी चाहिये थी और जिला अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों ने सदन को इस गिरफ्तारी की सूचना से वंचित रखा । अतः सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमान का प्रश्न उपस्थित करता हूं ।"

इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं कि माननीय बलदेव सिंह का भी इसी किस्म का विशेषाधिकार का प्रश्न था जिसके ऊपर हमारी विशेषाधिकार समिति ने अपना प्रतिवेदन इस आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया और उसके ऊपर अभी विचार होना है । तो इसके बारे में सदन से निवेदन करूंगा कि तब तक के लिये इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय, क्योंकि उसी के निर्णय से यह विषय प्रभावित होगा ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि माननीय नत्थू सिंह की गिरफ्तारी का जहां तक प्रश्न है यह बिलकुल अलग केस है और माननीय बलदेव सिंह का बिलकुल ही अलग केस था ।

श्री अध्यक्ष—

उसके डिटेल्स पर यहां विचार किया जायगा ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, एक मिनट में अपनी बात मैं कह दूं । मैंने श्री बलदेवसिंह के विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्न पर जो प्रतिवेदन है उसको भी पढ़ने की जुर्रत की और आज जो इस आदरणीय सदन के समक्ष विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित है उस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि क्या किसी पुलिस अधिकारी को हक है कि वह किसी भी विधान सभा सदस्य को इल्लीगल कनफाइनमेंट में रख सकता है, जब कि हमारे रूल्स में यह है कि ऐसा कोई नहीं कर सकता है और अगर कोई विधान सभा सदस्य को गिरफ्तार करता है तो वह गिरफ्तारी की सूचना माननीय अध्यक्ष को देगा । आप ने कहा है कि मुझे कोई सूचना नहीं मिली । तो अब प्रश्न यह कि आप को सूचना नहीं दी गयी और इल्लीगल कनफाइनमेंट में रखा तो यह विशेषाधिकार का प्रश्न होता है, इसलिये इसको विशेषाधिकार समिति के सामने प्रस्तुत किया जाय और अगर ऐसा किया जायगा तो वहां मामला साफ हो जायगा । श्री बलदेवसिंह का केस दूसरे ढंग का था ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, मेरी बात भी सुन ली जाय ।

श्री अध्यक्ष —

मैं बोल रहा हूं आप अभी बैठ जायं । इल्लीगल कनफाइनमेन्ट का जो प्रश्न है वह तो अदालत तय करेगी । इल्लीगल है या खिलाफ कानून गिरफ्तारी हुई, इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता । वह उस समय होता है जबकि यह आरोप किसी अधिकारी पर लगे कि मेलाफाइडी वह बार-बार ऐसा करता है । दूसरे श्री बलदेवसिंह का जो विशेषाधिकार का प्रश्न है वैसा ही यह प्रश्न उसी में शामिल होगा, जब वह प्रतिवेदन प्रस्तुत होगा तो आप को अधिकार होगा । सदन में इस पर भी विचार विनियम कर लें उस समय जो तय होगा उससे मैं पाबन्द होऊंगा । मैं तो सदन का सेवक हूं । जो सदन कहेगा वही मेरे लिये मान्य होगा ।

श्री दीपनारायणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, सदन कोर्ट है आप कोर्ट नहीं हैं । विशेषाधिकार के मामले में अपमान सदन का होता है, आपका नहीं होता है । आपकी सम्मति के बगैर भी सदन निर्णय दे सकता है । आपने जो यह कहा कि सदन के कोई माननीय सदस्य गिरफ्तार किये जायं और आप के यहां सूचना नहीं आई उस पर सदन ने निर्णय नहीं लिया इसलिये इसको विशेषाधिकार समिति जो सदन की है उसमें भेजा जाय वह इसमें छानबीन करे । वहजो कुछ देगी वह इसका प्रतिवेदन होगा उसका निर्णय नहीं होगा । इसलिये आप इस को बगैर सदन की समिति को भेजे इसे रोके हैं इसलिये आपने स्वयं सदन का अपमान किया है ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, जो विशेषाधिकार का प्रश्न आपके सामने है जिस पर आपने व्यवस्था दी कि माननीय बलदेवसिंह जी के केस पर जब विचार होगा उसी समय इस पर भी विचार हो जायगा । मुझे एक निवेदन करना है । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यहां यह प्रश्न

[श्री रामायणराय]

बिलकुल भिन्न है और वह यह है कि माननीय सदस्य की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का यह पुनीत कर्तव्य था, वह सीगली बाउण्ड थे कि उसकी तत्काल सूचना आपको देते। उसके पूर्व...

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप बहस कर रहे हैं आप सवाल पूछिये।

श्री रामायणराय—

मैं सूचना देना चाहता हूं कि इसी प्रश्न पर इसी माननीय सदन ने श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जब केन हड़ताल की बात को लेकर यह मामला उठा था तो इस पर साफ-साफ यह निर्णय लिया गया था कि अगर कोई अधिकारी किसी माननीय सदस्य को गिरफ्तार करने के बाद तत्काल अध्यक्ष को सूचित नहीं करता तो उसे माननीय सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना का दोषी ठहराया जायगा, यह तय हो चुका है।

श्री अध्यक्ष—

आपने श्री बलदेवसिंह वाली रिपोर्ट पढ़ी है? (कुछ ठहर कर) वह आपने नहीं पढ़ी है उस में यही प्रश्न है।

श्री उग्रसेन—

बलदेवसिंह जी से संबंधित प्रश्न की रिपोर्ट क्या कोई वेद वाक्य है?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं जरा सुन लीजिये। वह प्रश्न जो यहां रखा गया वह प्रतिवेदन के रूप में इस सदन के सामने आयेगा। सदन उस पर अपना निश्चय करेगा। जो उस पर निश्चय होगा वह इस पर लागू होगा। इसको तो पेंडिंग रख रहा हूं खारिज नहीं कर रहा हूं।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

आपने कहा कि माननीय बलदेव सिंह जैसा ही मामला यह भी है और विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन आ चुका है। किन्तु माननीय बलदेव सिंह के मामले में समिति ने संबंधित अधिकारियों को बुलाकर प्रश्न पूछे और उसके आधार का एक निश्चय पर पहुंची। तो कैसे यह मान लिया जाय कि माननीय नत्थू सिंह का मामला भी बिना अधिकारियों से पूछ ताछ किये ही ठीक उसी प्रकार का है यह बात मेरी समझ में नहीं आती। पता नहीं वहां के अधिकारियों ने कैसी हरकतें की होंगी? तो उन अधिकारियों से प्रश्न पूछ कर ही जानकारी हो सकती है। आपने कैसे मान लिया कि दोनों मामले एक ही प्रकार की समानता के हैं?

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि मैं सदन का नौकर हूं। इससे अध्यक्ष पद की गरिमा घटती है। अतः आप इसको संशोधन कर लें और नौकर की जगह मालिक शब्द का प्रयोग कर लें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय रघुनाथ सिंह ने जो प्रश्न उठाया उसका उत्तर नहीं हुआ....

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)---

एक बार सदन का जब विनिश्चय हो गया जब कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है और प्रतिवेदन केवल समिति का है, तो जब तक उस विनिश्चय के विरोध में सदन निश्चय न कर ले तब तक वही हमारे लिये मान्य है। इसलिये चूंकि सदस्य की गिरफ्तारी का सवाल है और पिछली दफा भी माननीय नारायणदत्त तिवारी के सिलसिले में सदन ने विनिश्चय किया तो समिति की रिपोर्ट सदन के विनिश्चय के विरोध में नहीं आ सकती ।

श्री अध्यक्ष---

निश्चित रूलिंग यह है कि इल्लीगल कनफाइनमेंट, इल्लीगल अरेस्ट, आर न.टसबजेक्टस् आफ ब्रीच आफ प्रिवलेज (illegal confinement, illegal arrest are ntnəsoqctsj of breach of privilege.) ।

श्री उग्रसेन ---

यहां यह प्रश्न नहीं है। उन्होंने सूचना नहीं दी।

श्री अध्यक्ष---

उसके सम्बन्ध में जो प्रतिवेदन आया है इसको देख लें। उसमें यह है कि "समिति का यह स्पष्ट मत है कि बन्दीकरण और कारावास के तथ्य की सूचना देने का दायित्व केवल समर्पक न्यायाधीश या दण्डाधिकारी पर है। निरोध की दशा में सूचना देने का दायित्व समर्पक कार्यपालिका प्राधिकारी पर है। यह दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब किन्हीं माननीय सदस्य को बन्दी करके कारावासित किया जाय या निरुद्ध किया जाय। यदि बन्दी करने के उपरान्त सम्बन्धित सदस्य को जमानत पर रिहा कर दिया जाय तो बन्दीकरण या जमानत पर रिहा करने के तथ्य की सूचना को देने की आवश्यकता नहीं है ।

जहां तक मैंने पढ़ा है मैं इसको सही समझता हूं, लेकिन चूंकि यह मामला अब सदन के सामने आयेगा इसलिये मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूं ....

श्री रघुनाथसिंह ---

मैं आप से निवेदन करूंगा...

अध्यक्ष---

आप बैठ जायं।

श्री शारदाभक्तसिंह ---

मैं निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष---

इससे मतलब यह हुआ कि कोई आदेश अन्तिम नहीं होता।

श्री शारदाभक्तसिंह ---

आप कहते हैं कि अगर सदन का विनिश्चय होता तो आप रोक देते ...

श्री अध्यक्ष---

इस सम्बन्ध में जो बात करनी है वह मुझसे कमरे में कर लीजियेगा।

श्री उग्रसेन ---

जो सदस्य सदन की सेवा से वंचित किया गया उसका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें प्रश्न यही है कि सदन की सेवा से वह वंचित हुए कि नहीं हुए ?

श्री शारदाभक्तसिंह —

आपकी व्यवस्था के विरोध में हम पांच मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(जनसंघ दल के समस्त सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय —

श्रीमन्, इस समय जो प्रश्न है वह बहुत गम्भीर है। श्रीमन्, आपने अपनी व्यवस्था देते समय इस बात को नहीं देखा है...

श्री अध्यक्ष—

मैंने देखा या नहीं। नो कमेंट्स।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय —

आप इसको समझते हैं कि इस आदरणीय सदन के एक सदस्य की कानून के विरुद्ध गिरफ्तारी हुई है।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह नहीं समझता हूं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय —

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में आपको इन्टीमेशन देनी चाहिये थी। इसकी इन्टीमेशन नहीं दी गयी। आपने जो इस सम्बन्ध में व्यवस्था दी है उसके विरोध में हम १० मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मुझे जानकारी है और इस सम्बन्ध में माननीय खेर साहब की भी रूलिंग देख ली जाय माननीय तिवारी जी के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में आपने जो व्यवस्था दी है उसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री चैतन्यराजसिंह —

हम लोग भी सदन का त्याग कर रहे हैं।

(स्वतन्त्र दल के सदस्य सदन छोड़ कर चले गये)।

श्री दीपनारायणसिंह —

हम देखते हैं कि हम अपने विशेषाधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ हैं, इसलिये हम आपकी व्यवस्था के विरोध में सदन की गरिमा और इज्जत को रखने के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(माननीय सदस्य ने भी सदन का त्याग किया।)

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ में केवल एक प्रश्न में स्वीकार करना चाहता था, परन्तु माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं इसलिये वह भी अस्वीकार हुआ क्योंकि माननीय सदस्य इस समय उपस्थित नहीं हैं। एक प्वाइंट आफ आर्डर माननीय बलवानसिंह जी ने उठाया था। वे भी नहीं हैं। वह भी गया।

निर्दलीय दल के सदस्यों द्वारा दल से अलग होने के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब एक सूचना मेरे पास आई है जिस पर १० सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं। वे कहते हैं कि :—

"सेवा में सविनय निवेदन है कि हम लोग निम्नलिखित निर्दलीय दल के हस्ताक्षर-कर्ता उपरोक्त दल की सदस्यता से अलग होते हैं। अतएव प्रार्थना है कि इसकी सूचना अविलम्ब रूप में माननीय सदन को देने की कृपा करें :

(१) कुंवर रुद्रप्रतापसिंह,
(२) पशुपतिनाथसरनसिंह,
(३) रामकिशोर त्रिपाठी,
(४) विक्रमशाह,
(५) कंधईलाल,
(६) चन्दनसिंह,
(७) सरदारसिंह,
(८) रघुवीरसहाय,
(९) रामकिशोर वर्मा,
(१०) दीपनारायणसिंह,
(११) पी० एल० बघवार।

श्री पी० एल० बदवार ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं बनाये हैं बल्कि किसी और ने बनाये हैं। उनके नाम के सामने लिखा है :—

"His intimation has been received telephonically as he is unable to come due to illness which has been intimated to the Speaker".

अब इसको तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। शेष जो सदस्य हैं उनकी सूचना को स्वीकार किया जा सकता है लेकिन २–१ बातें मैं बताना चाहता हूं।

इस पत्र के आने के बाद चन्दन सिंह और राम किशोर जी ने लिखा है कि उन्होंने हस्ताक्षर अवश्य किये, लेकिन हम उस पर स्टिक नहीं कर सकते। चार सदस्य ऐसे हैं जिनके नाम हमारे पास जो निर्दलीय दल की सूची है, उसमें अंकित नहीं हैं। वे चार सदस्य कंधई लाल, सरदार सिंह, रघुवीर सहाय और दीपनारायण सिंह हैं। यह उनके अधिकार में है। वे सूचित करते हैं कि निर्दलीय दल में नहीं हैं, तो ठीक है।

शकर वितरण की व्यवस्था संतोषजनक न होने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

रसद मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

अध्यक्ष महोदय, यद्यपि यह २० हजार मीट्रिक टन चीनी का कोटा उत्तर प्रदेश की ८ करोड़ जनता के लिये बहुत अपर्याप्त है और माननीय सदस्यों ने जो सूचना नियम ५२ के अन्तर्गत दी है वह यही है कि कुछ लोगों को इतनी शकर मिलती है कि वे खर्च नहीं कर पाते और दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है और ब्लैक से जितनी चाहो शकर मिल सकती है। स्पष्ट है कि शकर की कमी इस बात को देखते हुये नहीं है। इस परिणाम से मेरा भी मत मिलता है। आजकल जो व्यवस्था है उसका कारण यह है कि समाजवादी समाज के कारण चाहे किसी की आमदनी ४५ रुपये हो अथवा १०० से लेकर १००० तक हो एक किलोग्राम शकर प्रति व्यक्ति दी जाती है। यह निश्चित है कि जिसकी तनख्वाह ४५ रुपये होगी और घर में १५ आदमी होंगे तो १५ किलोग्राम शकर वह २०–२५ रुपये की न तो खरीद ही सकता है और न उसे खर्च ही कर सकता है। तो यह भी निश्चित बात है कि जो शकर उसको बचेगी उसे वह ब्लैक में बेचेगा। अगर आमदनी के मुताबिक हम शकर का कोटा फिक्स करते फी व्यक्ति तो इस सदन में माननीय सदस्य कहते कि यही आपकी समाजवादी व्यवस्था है। यहां पर भी गरीब और अमीर का फर्क करने लगे। अगर हम इस हिसाब से शकर का वितरण करने लगें जिससे ब्लैक की गुंजायश न रहे तो मैं समझता हूं कि उनका जो लिखा है वह कुछ हद तक सही है और उसका उपाय एक मात्र यही है कि आदमी को जितनी आवश्यकता है और जितनी उसकी खर्च करने की ताकत है उसके मुताबिक उसको शकर दें। अगर यह सदन इसकी अनुमति देता है और फिर बाद में यह प्रश्न यहां नहीं उठेगा कि साहब आप गरीब और अमीर का फर्क करते हैं तो मैं भी समझता हूं कि ब्लैक बहुत हद तक बन्द हो सकती है।

दूसरा कारण ब्लैक होने का यह था कि कुछ लोग स्पेशल पर्मिट ले लेते थे और उसे ब्लैक में बेच देते थे। अब यह व्यवस्था कर दी है कि १० किलोग्राम से ज्यादा स्पेशल पर्मिट कोई भी डी० एस० ओ० नहीं देगा और १० किलो से लेकर १ बोरी तक शादियों या फ्यूनरल सिरीमनीज में पर्मिट दे सकेगा और १० या ५ बोरी की पर्मिट बन्द करने पर सरकार विचार कर रही है। इससे ब्लैक का एक रास्ता हमने बन्द कर दिया है।

दूसरा रास्ता बना हुआ है कि हर आदमी को एक किलोग्राम शकर मिले चाहे उसके ४५ रुपये ही तनख्वाह मिलती हो। उसके पास इतना पैसा होता नहीं कि उसे खरीद कर खर्च कर सके तो निश्चित है कि ब्लैक में वह उसे बेचेगा। हम यह कदम भी उठाना चाहते हैं, लेकिन कल सदन में यह न कहा जाय कि हम शकर के हिसाब में भी आमदनी के मुताबिक बटवारा करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ब्लैक बन्द हो तो निश्चित करना पड़ेगा और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, चलने दीजिये तो फिर ब्लैक की शिकायत करने का मेरे ख्याल से आपके पास कोई ज्यादा तर्क रह नहीं जाता। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ब्लैक नहीं होना चाहिये और हम उसको सख्ती से दबाना चाहते हैं।

जहाँ तक शकर की व्यवस्था का सम्बन्ध है २० हजार टन हमने प्रारम्भ में ही कहा कि बहुत अपर्याप्त है ८ करोड़ जनता के लिये और फिर उसमें फ्रूट प्रिजर्वेशन फैक्टरीज हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, हलवाई हैं, अस्पताल हैं स्कूल हैं, सभी उसमें सम्मिलित हैं। पिछली दफा २५ हजार टन का हमारा कोटा था। इसमें यह भी शिकायत की गयी है कि चीनी गीली या खराब मिलती है। हमने सेन्ट्रल गवर्नमेंट से अपना कोटा बढ़ाने के लिये कहा कि कम से कम जो पिछले कन्ट्रोल में २५ हजार टन का कोटा था उतना तो कर दें मगर वे उतना देने में असमर्थ हैं। साथ ही हमने यह भी कहा कि जो पुरानी चीनी स्टाक में थी जो गीली और खराब है उसको बदलिये और अच्छी चीनी हमें दीजिये। उस पर भी उन्होंने कहा कि उसके बदले में नहीं मिल सकती, अगर

डैमेज्ड या खराब है तो उसके रेट में कुछ कमी कर दीजिये। इसलिये हमें २० हजार टन में काम करना है, ब्लैक भी नहीं कराना है इसलिये हमने इसको हर जिले की आबादी के अनुपात से बांट दिया है। और जिले में भी हमने यह किया है कि शहर की १९६१ की आबादी के मुताबिक उनका कोटा अलग एक किलोग्राम के हिसाब से निश्चित कर दिया है और कहीं पर २० परसेंट और कहीं पर १५ परसेंट हलवाइयों के लिये कर दिया है और बाकी हमने देहात के लिये किया कि हर अदालती पंचायत में एक दूकान हो जाय और अदालती पंचायत में हर ग्राम सभा का कोटा मुकर्रर कर दिया जाय और ग्राम सभापति या जो मेम्बर अदालती पंचायत का होता है उसके इन्डोर्स करने पर उस दूकान से उनको चीनी मिल जाय और वे पर्चियां इकट्ठी रहें ताकि कोई ब्लैक न हो। तो जहां तक सम्भव तरीके ब्लैक रोकने के हो सकते थे वह हमने किये। मगर जैसा मैंने कहा, यह बात सही है कि हर शहर में यह लूपहोल बड़ा जबरदस्त है कि जिस आदमी की २५ रुपये की चीनी खरीदने की ताकत नहीं है और हम उसको अधिकार दे देते हैं तो यह मानी हुई बात है कि वह उससे फायदा उठायेगा, उसको ब्लैक करेगा। इसका तरीका यही हो सकता है कि हर शख्श की क्रय शक्ति के अनुसार हम उसको चीनी दें, लेकिन फिर आप कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिये। हम समाज में समता लाने की बात करते हैं, मगर जब तक यथार्थ चीजें नहीं हो जातीं तो व्यावहारिक रूप में हम समझते हैं कि हमें करना पड़ेगा। इसलिये सदन को हमने यह स्पष्ट भी कर दिया कि हमें अब आमदनी के मुताबिक इसको वितरित करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी अन्यथा अगर आप कहते हैं कि यह ठीक नहीं है और सदन का यह मत है तो मैं समझता हूं कि जितने सम्भव तरीके हो सकते हैं वह हम करेंगे। ब्लैक का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फैक्टरीज से कोटा निर्धारित है। होलसेलर्स सीधे वहां से लाते हैं और रिटेलर्स के पास पर्चियां रहती हैं, हम उनका वेरिफिकेशन कराते हैं, उसमें भी ब्लैक मार्केट की सम्भावना नहीं है। सम्भावना थी दो मार्गों से चोरी में जाने की। एक मार्ग जो मैंने आपको स्पेशल परमिट का बताया उसको भी हमने खत्म कर दिया है और दूसरा मार्ग जो मैंने आपको बताया उसके लिये क्या किया जाय? कार्ड बनाने की व्यवस्था यह है कि जिनके नाम वोटर लिस्ट में होते हैं उनका कार्ड बनाते हैं। जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनके लिये व्यवस्था यह है कि वे सप्लाई आफिस जायं और वहां लिखकर दें। उस पर इन्स्पेक्टर के इन्क्वयारी करने के बाद कार्ड बन जायगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

इसमें ऐसा भी लिखा है कि जिलों में क्लार्क्स कुछ ले देकर होलसेलर्स को या रिटेलर्स को परमिट बना देते हैं। हो सकता है कि कहीं ऐसी खराबी हो, मैं इससे इंकार नहीं करता हूं। मगर एक बात है कि यह विभाग जब से मेरे पास आया करीब तीन साल हुये मैंने उन आफिसर्स और क्लार्क्स को जो एक ही जगह पर १०/१५ साल से लगातार चले आ रहे थे और कुछ जो उसी जिले के रहने वाले थे उनका ट्रांसफर करना शुरू किया। लेकिन उनका बड़ा जोर होता है और हमारे माननीय सदस्य उनको वापस बुलाने के लिये कहते हैं। इससे कोई भी मेम्बर इंकार नहीं कर सकता है। लगभग हर मेम्बर मेरे पास आया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। (व्यवधान)। मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मन्त्री जी गैरजिम्मेदारी की बात कहते हैं। सारे रिश्तेदार भरे हुये हैं और दूसरों को हांकते हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अगर कोई नहीं आया तो मैं सपष्ट कहने जा रहा हूं कि अब कोई न आये।

श्री उग्रसेन—

आप जनता के नौकर हैं। हम जरूर आयेंगे।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं कह रहा हूं कि कोई न आये और फिर मैं देखूंगा कि अफसर कैसे रुपये, दो रुपये लेकर परमिट बना देते हैं। मैं कह रहा था कि बड़े शर्म की बात है और हमें लज्जा भी आती है और दुख होता है कि हमारे प्रदेश में और खास तौर से सप्लाई विभाग में भ्रष्टाचार रहे। मैं सभी सम्भव उपाय करने के लिये तैयार हूं, बशर्ते कि मुझे सदन का सहयोग मिले। (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि हमारे सूबे से ब्लैक मारकेट खत्म हो जाय और अगर कोई खराबी करता है तो हम सख्ती से काम लेंगे, लेकिन आपका सहयोग मिलना चाहिये। मैं समझता हूं कि स्कीम ठीक है। केवल एक लूपहोल था उसको बन्द करने के बाद जो आज शिकायतें हैं वह भी नहीं रहेंगी मुझे आशा है कि आप सबका सहयोग मुझे प्राप्त होगा।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर) —

मैं माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जब अपने प्रदेश में हलवाई आधी शकर कंज्यूम करता है तो उन्होंने जानबूझ कर १० परसेंट कोटा अलाट किया है, जिसका परिणाम यह है किसानों की सारी चीनी हलवाई ब्लैक मार्केट में खरीद कर ले जाता है। तो क्या माननीय मन्त्री जी १० परसेंट को बढ़ा कर ५० परसेंट करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

मैंने अर्ज किया अब तक हमने १५ और २० परसेंट रखा था, अगर आवश्यकता होगी तो जहां तक हो सकेगा २०, २५ और ३० परसेंट तक देने की कोशिश करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा) —

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस वितरण योजना के अन्तर्गत वैद्य, हकीम जो शकर कन्ज्यूम करते हैं उन्हें कोई परमिट दिये गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

अब तक १९५९-६० में जो वितरण की व्यवस्था थी, उसमें जिनके परमिट थे, वह दिये गये। वैद्य और हकीम मिश्री ज्यादा यूज करते हैं, अगर इनको आवश्यकता होगी तो जरूर दी जायगी।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल —

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को दृष्टिगत रखते हुये कि सप्लाई आफिस भ्रष्टाचार के केन्द्र हैं वहां के प्रत्येक कर्मचारी को एक वर्ष से अधिक न रहने देंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

निश्चित तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु कोशिश की जायगी।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मन्त्री जी जब स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि अब तक की की हुई इनकी व्यवस्था के बावजूद व्यवस्था में दोष विद्यमान हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या माननीय मन्त्री जी इस व्यवस्था के सम्बन्ध में माननीय स्वर्गीय बापू और स्वर्गीय रफी अहमद किदवाई साहब ने जो तर्क दिया था कि ऐसी व्यवस्था जिस व्यवस्था के चलते हुये समाज में अनैतिकता और काला-बाजार पनपता है, इस विचार को ध्यान में रखते हुये इस व्यवस्था को आमूल नष्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

रफी साहब से बहुत कुछ मेरा मत मिलता है लेकिन यह मामला है केन्द्र का। जो वहां आज कल फूड मिनिस्टर हैं उनके हाथ की बात है। मेरे हाथ की बात नहीं है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर) —

माननीय अध्यक्ष महोदय, कानपुर में सप्लाई आफिस से लेकर दूकानों तक ब्लैक मार्केट चलती है, तो मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने दूकानों का कोटा किस हिसाब से फिक्स किया है और जो भ्रष्टाचार है उसकी चांज करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

शायद यूसुफ साहब को मालूम होगा कि कानपुर में ६० आदमी भेज कर कई रेड करवाये, व्यवस्था ठीक करवाई एक मौका था ब्लैक मार्केट करने का वह रास्ता बन्द करने की चेष्टा करेंगे।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि कानपुर की स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुये सरकार ने जो वहां १४ हजार बोरे का कोटा बांधा है, यह सोचते हुये कि १० हजार बोरे तो आबादी के लिये ३ हजार ग्रामीण क्षेत्र के लिये और तीन हजार हलवाइयों के लिये १६ हजार बोरे कोटा है, वहां १४ हजार बोरे दिया गया है। तो यह देखते हुये कि कानपुर उत्तर प्रदेश का मेट्रोपालिटन सेंटर है, हलवाइयों को बताशे और मिठाई के लिये जरूरत पड़ती है, १४ हजार बोरे का कोटा बढ़ा कर उचित कोटा बनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

कितना बढ़ा दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं करीबन १४ सौ टन जो कानपुर का पापुलेशन के हिसाब से निर्धारित होता है उसके अतिरिक्त इस महीने में १ हजार का पहले क्वाटर में दे चुका हूं और ७ सौ का अब दिया है और इसके अतिरिक्त ५० का दीपावली के लिए अलग दे रहा हूं। तो इस तरह यह १८ सौ का हो गया। ४०० टन ज्यादा हो गया कानपुर के लिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष जी, मेरे सवाल के तीन हिस्से हैं। अगर आप इजाजत दें तो तीनों हिस्से इकट्ठे मैं पूंछ लूं, क्योंकि पता नहीं इसके बाद आपकी निगाह पकड़ सकूं या न पकड़ सकूं। तो पहला हिस्सा मेरे सवाल का यह है कि चीनी वितरण के संबंध में जो बल्क कन्ज्यूमर्स हैं उनके कोटे के निर्धारण के लिए माननीय मंत्री जी ने सेल्स टैक्स के रिटर्न का हिसाब रखा है, उससे यह हिसाब लगाते हैं कि कितना कन्जम्पशन है, तो क्या यह ठीक नहीं होगा कि बजाय इसके कि दिये हुए सेल्स टैक्स के आधार पर उनको चीनी का कोटा आप तय करें, चीनी का कोटा आप उनको पूरा पूरा दें और उसके मुताबिक सेल्स टैक्स का रिवीजन कर लें। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जो नौकरी पेशा लोग हैं वह जब पहली तारीख को तनख्वाह पाते हैं तो वह पहले ही दिनों में चीनी लेना चाहते हैं लेकिन दूकानों पर ऐसा है कि इतने बोरे से ज्यादा या इतने किलो से ज्यादा चीनी एक दिन में नहीं मिलेगी जिसके कारण चीनी लेने के लिए उनको बार बार आना पड़ता है और बार बार ना सुनकर घर लौट जाना पड़ता है, तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री जी वितरण के संबंध में और कोटा निर्धारण के संबंध में कोई सुनिश्चित कदम उठायेंगे, जिससे कि यह दुश्वारियां दूर हो जायं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जहां तक कोटे के निर्धारण का प्रश्न है, अगर हमारे पास ज्यादा चीनी होती और आवश्यकता से ज्यादा होती तो हम जरूर इस सुझाव को मानते जिससे कि हमको सेल्स टैक्स में ज्यादा रुपया मिलता। बड़ा अच्छा सुझाव था यह। लेकिन चीनी हमारे पास कम है और हम उसको देने में असमर्थ हैं इसलिये पुराने सेल्स टैक्स के आधार पर उनका कोटा निर्धारित करने के लिए मजबूर हूं और करता हूं।

दूसरी बात यह है कि फैक्ट्रीज से रिलीज पहली फोर्टनाइट और दूसरी फोर्टनाइट, इस तरह से करके होती है। अगर वह एक साथ हो सके, और उसको हम देखेंगे कि हो सकता है या नहीं, अगर हो सका तो हम ऐसा कर देंगे जिससे कि दूकानों को पूरे महीने का कोटा पहले ही हफ्ते में दे सकें। अगर ऐसा हो सका तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी सरकारी नौकरों को पहले ही दे देने में। लेकिन दिक्कत यह है कि फैक्ट्रीज से तो आता ही नहीं है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान शकर वितरण की इस नयी धांधली की तरफ गया है कि कंट्रोल की दूकानों पर भीगी हुई चीनी मिलती है और अखबारों में भी इसकी चर्चा हो चुकी है, अगर उनका ध्यान गया है तो इस संबंध में उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि जब हमको यह मालूम हुआ कि डैमेज्ड चीनी आयी है तो हमने प्रोटेस्ट किया कि इस चीनी को वापस किया जाय, इस चीनी के एवज में हमको नयी चीनी दी जाय। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे टर्नडाउन कर दिया और कहा है कि कीमत घटाकर उसको बिकवा लिया जाय।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

माननीय मंत्री जी को कोई अनुमान है कि यह चीनी का संकट कब तक समाप्त हो जायगा और राशनिंग और कंट्रोल वह कब हटाने के योग्य हो जायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने तो कंट्रोल लगाया नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया है। जब आपने हल्ला मचाया अप्रैल के महीने में कि १२१ रुपये बोरी यहां बिक रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आवाज पहुंची, आपने हमसे कहा कि लिखिए, तो कंट्रोल लग गया। तो पहले तो उसके लिये हल्ला मचाया और जब लग गया तो दूसरी तरफ से हल्ला मचाने लगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

देहात में जो शकर वितरण की व्यवस्था की गई है उसमें प्रत्येक पंचायती अदालत में एक दूकान के हिसाब से दी गई है और उनको वहां दूकान लगानी चाहिए, लेकिन लोग शहरों में और कस्बों में दूसरी-दूसरी दूर की पंचायती अदालतों के नाम से दूकाने लेकर, वहां दूकानें लगाकर बैठ गये हैं, जिससे उन जगहों में चीनी नहीं मिल पाती, और वह उसका ब्लैक करते हैं, तो इस पर क्या कार्यवाही वह कर रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हमारी सख्त हिदायत है कि केन्द्रीय पंचायतों में दूकानें खोली जायं। अगर कहीं ऐसा हुआ है तो माननीय सदस्य लिखकर दे दें, मैं डी० एस० ओ० के खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि इस चीनी वितरण में कितना दोष है ? मथुरा की एक मिडलैंड फ्रूट एन्ड वेजेटेबिल प्रोडक्ट कंपनी है उसको २५० बोरा चीनी प्रति दिन देते हैं जब कि वहां की जनता को एक किलो भी नहीं मिलती है। मुझे पूरी तरह से मालूम है। वह मालिक प्रभुदयाल भार्गव है जो २५० बोरे चीनी नित्य प्रति ब्लैक मारकेट में बेचते हैं। जब उनको जरूरत नहीं है तो यह चीनी उनको क्यों दी जाती है ? ऐसा क्यों है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं तो अध्यक्ष महोदय, समझा नहीं हूं कि क्या माननीय सदस्य ने कहा।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब पहले प्रदेश के अन्दर २५ हजार टन चीनी आती थी जो अब कम होकर २० हजार टन आने लगी है, तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इसमें से ५० फीसदी शुगर ओपिन मारकेट में बिके और ५० फीसदी कंट्रोल रेट पर बिके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं यह अर्ज कर दूं कि अगर आप यह चाहते हैं कि आधी चीनी ओपिन मारकेट में बिके तो यहां पर ब्लैक मारकेट की शिकायत क्यों करते हैं ? अगर ओपन मारकेट में छोड़ देंगे तो मनमानी प्राइस वह चार्ज करेंगे ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

शकर के वितरण की व्ययवस्था में सुविधा प्रदान करने के लिये क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जैसा ब्रिटिश राज्य में था—वहां पर शुगर ऐडवाइजरी बोर्ड केन्द्रीय स्तर पर और स्टेट के स्तर पर फिर से बनाये जायं जिससे लोगों की सलाह ली जा सके और वितरण में आसानी हो ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मुझे आप लिखकर भेज दीजिये। अगर इसकी आवश्यकता होगी तो मैं इसको देख लूंगा कि यह कहां तक संभव है।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

मेरा सवाल कानपुर के ब्लैक मारकेट के संबंध में है। जब यह कंट्रोल हुआ था तो उस वक्त वहां के डी० एस० ओ० साहब ने, जिनकी तब्दीली हो चुकी थी, एक एक दूकान उन लोगों को बांटा जो ब्लैक मारकेटियर थे और फिर जब तहकीकात हुई तो कुछ दूकानदार पकड़े भी गये ब्लैक मारकेट करते हुये..... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल कीजिए। (व्यवधान)

श्री एस० जी० दत्त—

सवाल ही मैं कर रहा हूं। जो वह पकड़े गये तो उनके खिलाफ सरकार ने क्या ऐक्शन लिया ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

२ मिनट तक आपका सवाल पूरा नहीं होता ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

दूकानें देने में डिस्क्रिशन डी० एम० का था और हमारे खयाल से ४०० दूकानें वहां बहुत ज्यादा थीं, चीनी का कोटा कम था इसलिये वह आधी कर दी गयी हैं । अगर कोई ऐसा केस हो कि जिसमें किसी ब्लैकमारकेटियर को दूकान मिल गयी हो तो आप लिख कर देने की कृपा करें, हम देख लेंगे ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मथुरा में मिडलैंड फ्रूट ऐंड वेजीटेबिल प्रोडक्ट कंपनी एक है जिसके मालिक श्री प्रभु दयाल भार्गव हैं, जिनको ढाई सौ बोरा चीनी प्रति दिन मिलती है और यह सप्लाई विभाग उनको चीनी देता है । जब कि वहां की जनता को एक किलो चीनी तक नहीं मिलती और वह मालिक उसमें से दो सौ बोरा चीनी रोज ब्लैक कर देता है । क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जरूर इस बात की जांच करायी जायगी ।

श्री शिवचरण (जिला आगरा)—

जिला आगरा में ग्राम पंचायत के लिये २ बोरा चीनी एलाट की गयी है, क्या यह वहां के लिये काफी है ? (शोर)

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इतना शोर हो रहा है कि प्रश्न सुनने में नहीं आता, जवाब क्या दूं ।

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि एक ग्राम पंचायत के लिये दो बोरा चीनी कम है । उनके लिये १५, २० बोरा चीनी मांग रहे हैं ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह संभव नहीं होगा । (व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उन्होंने भ्रष्टाचार की तीन स्टेजेज बतलाईं कि एक तो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, दूसरे भ्रष्टाचारी इन्सपेक्टर हैं और तीसरे भ्रष्ट दूकानदार हैं और कन्जूमर को दोष दिया है । तो इन तीनों के खिलाफ उन्होंने क्या कोई जांच करायी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसके लिये तो डी० एम० को स्टैंडिंग आर्डर्स हैं ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

जो लूपहोल्स मंत्री जी ने बतलाये उनमें क्या यह भी एक है कि इसके लिये जितने स्टाफ की व्यवस्था होनी चाहिये थी वह नहीं हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हां, यह सही है । एकानामी के कारण वह नहीं हुई ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

जब २५ हजार टन हमको चीनी मिलती थी तो हलवाइयों को कितनी चीनी मिलती थी, और जब २० हजार हमको मिलती है तो उनको कितनी मिलती है ? और क्या उनका कोटा बन्द कर के चीनी को फ्री मारकेट में लाने की बात पर मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं कि ऐसे फ्री मारकेट के माने हैं ब्लैक मारकेट ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

क्या खाद्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि उनकी इस दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण बड़े पैमाने पर नेपाल राज्य में चीनी का अवैध व्यापार चल रहा है बाहर से, और उसमें कुछ लोग नौतनवां में पकड़े भी गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस बारे में प्रश्न कल आने वाला था, नहीं आया, कोई ऐसी बात नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मुरादाबाद जिले में जो चीनी बांटने की कमेटी बनी हुई है वह कमेटी और कौन-कौन से जिलों में है ? अगर नहीं है तो क्या उसे मुरादाबाद में भी खत्म करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसीलिए तो मैंने सुशीला जी के प्रश्न का उत्तर दिया कि एक कमेटी बनी है उसी के खिलाफ लोग पड़े हुए हैं, और बनायेंगे तो और हो जायेंगे ।

श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, छात्रावासों में छात्रों को चीनी देने की सरकार ने क्या व्यवस्था की है, क्योंकि ग्राम पंचायतें उनको चीनी नहीं देती हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

नहीं, इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग व्यवस्था है ।

श्री भीखालाल—

देहात में आपके आदेश हैं कि एक व्यक्ति को आधा किलो चीनी मिलेगी, अगर १० आदमी हैं तो दसों को जाना पड़ता है तो क्या मंत्री जी ऐसे आदेश जारी करेंगे कि परिवार का एक आदमी अगर ग्राम सभा के सरपंच से तसदीक करा कर ले जाय कि १० युनिट हैं तो उसको उस हिसाब से चीनी मिल जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो बिलकुल निश्चित है कि जिनको सर्टिफाई कर देंगे उनको मिलेगी ।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि शहर में १ किलो फी कस और देहात में आधा किलो फी कस चीनी मिलती है या आधा किलो फी परिवार मिलती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आधा किलो फी यूनिट ।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

क्या यह सही है कि ओपेन पैन वाली चीनी ब्लैक में बिक रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

९० परसेंट शुक्रोज जिसमें हो वह तो कंट्रोल में है या मूवमेंट में है ।

श्री मंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

हलवाई असोसिएशन को जो कोटा मिलता है क्या वह बन्द कर दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

बन्द तो नहीं किया गया ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

जिस तरह से विधायकों की पहले जिलों में परामर्शदात्री समितियां बनी हुई थीं और वह बन्द हो गयीं, क्या उनको फिर जीवित करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

खत्म क्या की गई हैं मैंने सुना नहीं ? पुरानी जो बातें है वह तो हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अब इसका समय समाप्त । आध घंटे के बजाय ४० मिनट हो गये ।

कतिपय प्रस्तावों के संबंध में जानकारी

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ३०१ नियम के अनुसार एक ....

श्री अध्यक्ष—

जिस समय आपका नाम पुकारा गया आप मौजूद नहीं थे, वह खत्म हो गया । दूसरा दीजियेगा ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

एक बात मुझे कहनी है कि १८ तारीख को नियम १०६ के अन्तर्गत मैंने एक प्रस्ताव दिया था जिसमें कानून विभाग की अकर्मण्यता और अदूरदर्शिता के बारे में ध्यान आकर्षित किया गया था आपने कहा था कि मैं वक्तव्य दिला दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

हां, ठीक है ।

*उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ †(क्रमागत)

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति को

*१७ अक्तूबर, १९६३ की कार्यवाही में छपा है ।

†२१ अक्तूबर, १९६३ की कार्यवाही से ।

सुपुर्द किया जाये जिसे विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो तथा जो एक सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे ।

समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, यह अधिनियम १९६१ में बना। एक संशोधन पहली बार सन् ६२ में आया और दूसरा संशोधन यह आ गया जब कि अभी जिला परिषद् का गठन भी नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि इस अधिनियम में बहुत दोष हैं। जिला परिषद् का गठन हुआ नहीं और इसके पूर्व ही उसका गठन करने के लिये दो बार संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ गयी। इसके साथ एक बात और भी है कि रिमूवल आफ डिफीकल्टीज की धाराओं के अन्तर्गत ५ बार आर्डर जारी हो चुके हैं। अत: मैं समझता हूं कि यह अधिनियम अत्यन्त दोषपूर्ण है। यह भी हो सकता है कि सरकार जो अधिनियम बनायें उसका पालन न करे। श्रीमन्, यह सरकार कानूनों का पालन करने के प्रति बड़ी उदासीन रहती है। वह पक्षपात के आधार पर काम करती है और कानून की अवहेलना करती है और जब कोई गलती हो जाती है, तो फिर कानून में संशोधन करने की कोशिश करती है अपनी गलतियों पर मोहर लगाने के लिये। इस संशोधन के पीछे भी ठीक वही भावना है।

यदि देखा जाय कि सरकार को यह संशोधन लाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो मालूम होगा कि सरकार कानून को देखती ही नहीं, उस पर विभाग भी सचेत नहीं है। सरकार को जानना चाहिये कि उसकी गलतियों के कारण कितना जन-धन का अपव्यय होता है। एक बार कानून पास होता है, फिर बार बार संशोधन होते हैं। जिला परिषद् के अध्यक्षों का जब चुनाव होने वाला था और हाई कोर्ट में लोगों ने रिट दायर कर दिया था कि इस प्रकार से सदस्यों का मनोनयन और अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता तब सरकार ने अपनी गलती को मानते हुए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अगर सरकार ने पहले ही धारा १७, १८ और १९ को देखा होता तो उसे पहले ही मालूम हो गया होता और यह गलती न होती। नोटिफिकेशन पूर्व ही हो गया होता। माननीय जज ने भी यही कहा, लेकिन मनोनयन को अवैध इसलिये करार नहीं दिया चूंकि मनोनीत होने वाले सदस्य पहले भी वही थे और बाद को भी वही रहते। इसमें धारा १८ के अन्तर्गत दो तरह के सदस्य हैं। एक तो जो पहले अपने पदों के कारण होंगे जैसे ब्लाक प्रमुख आदि, तथा दूसरे वे जो मनोनीत किए जायेंगे। धारा १८(१) के अन्तर्गत सदस्य बोर्ड के गठित होने पर १८(२) के सदस्यों को कोआप्ट करेंगे। यदि इसे ध्यान में रखा गया होता तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है उसकी धारा १७ (१) में शब्द "जिला परिषद्" और शब्द "स्थापित करेगा" के बीच में "कामा" शब्द तथा अंक "१८ (१) तथा (२) के अधीन उसकी रचना के पश्चात यथाशीघ्र" रख दिया जाता, इस संशोधन को लाने की आवश्यकता ही न पड़ती। वह आवश्यकता तो इसीलिये पड़ी क्योंकि यह १८(१) के अन्तर्गत जो सदस्य होते हैं उनका पहले से नोटिफिकेशन नहीं हुआ और नोटिफिकेशन होने के बाद मनोनयन होना चाहिये। यह ठीक था। कोई भी संस्था जब बन जाती है तब उसके द्वारा मनोनयन होता है। सरकार ने इसमें गलती की और उस गलती को ठीक करने के लिये दूसरी गलती इस संशोधन के जरिये से करने जा रही है। संस्था बनी नहीं और मनोनयन सदस्यों का पहले हो जायगा अर्थात मां होगी नहीं, लेकिन बच्चा उसके पहले पैदा हो जायगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो दूसरा संशोधन लाया जा रहा है वह भी सरकार की गलती का ही परिणाम है।

३० जून, सन् १९६३ से जिला परिषद् गठित हो जायगी और वह कार्य करना शुरू कर देगी और उसके बाद अन्तरिम जिला परिषद् समाप्त हो जायगा और इससे संबंधित विधेयक निरस्त हो जायगा। इस प्रकार की व्यवस्था कानून द्वारा की गयी थी। सरकार के सामने यह कठिनाई आयी जब जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव रुक गया। उस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार ने जिला परिषद् के अध्यक्षों का मनोनयन कर दिया। वहां भी स्वार्थ

[श्री बसन्तसिंह]

और पक्षपात के साथ कदम उठाया गया है। जब बाद में मनोनयन भी अवैध कर दिया गया तो अध्यादेश जारी कर दिया गया। बाद में अध्यादेश जारी करके जिला अन्तरिम परिषद् का समय बढ़ा दिया गया, लेकिन उस समय ऐसा नहीं किया गया और यह मनोनयन जो किया गया वह जब अवैध हो गया तो इसको ठीक करने के लिये फिर यह दूसरा संशोधन विधेयक लाना पड़ा कि जिस समय तक अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो जायगा उस समय तक सरकार नामजद कर सकेगी। जैसी कि सरकार की चुनाव के प्रति उपेक्षावृत्ति रही है जिला अन्तरिम परिषद् के चुनाव जो १६ साल के बाद होने जा रहे हैं उसको इस तरह से मनोनयन द्वारा बढ़ावा मिलेगा और जब चाहेगी सरकार यह चुनाव करायेगी। इस प्रकार एक बहुत बड़ा दोष पैदा हो जायगा।

इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो सरकार की सारी लापरवाही है जिसके कारण यह दोष पैदा हुए। इनको ठीक करने के बजाय सरकार और गलती करती चली जाती है इसके कारण और उलझनों में फंसती जाती है। मैं चाहता हूं कि सरकार सतर्क रहे और जो उसके कानूनी ऐडवाइजर हैं उनकी सलाह माने क्योंकि मंत्रीगण जो हैं उनको तो लड़ाई झगड़ों और आपसी गुटबाजी से न फुरसत मिलती है, न मिल रही है और न मिलेगी। नया मंत्रि परिषद् जब से बना है तब से रोज रोज तोड़ मरोड़ चल रही है और मैं सदन से कहता हूं कि आज तो सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को केवल यही रह गया है कि जो मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं वह कोशिश करते हैं कि कुर्सी पर जमें रहें और जो कुर्सी के बाहर हैं वह कुर्सी को हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसलिये आज जरूरी हो गया कि आपका ला डिपार्टमेंट अधिक सतर्क रहे और जहां भी कोई कमी रह गयी है उस पर वह ध्यान दे। यदि अधिकारी गलती करें तो उनको सजा दी जाय। यह क्या बात है कि गलती तो उनकी हो लेकिन जनता के धन का दुरुपयोग किया जाय कानून को बनाने में, कानून का संशोधन करने में....

श्री अध्यक्ष—

अभी आप कितना समय और लेंगे? अगर दो मिनट में खत्म करना हो तो अभी दो मिनट में समाप्त कर दीजिए।

श्री बसन्तसिंह—

५ मिनट समय तो दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

तो फिर आप बाद में दो बजे बोलेंगे। अभी मैं एक सूचना दे दूं।

विभिन्न समितियों के निर्वाचन के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

इस सचिवालय के पत्र सं० ४४१४/१३३ (एस)/६३, दिनांक १६ अक्तूबर, १९६३ तथा पत्र सं० ४४९९ ४६ (एस)/६३, दिनांक १८ अक्तूबर, १९६३ के क्रम में मुझे यह सूचित करना है कि राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड के ४, गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के १, शरणार्थी स्थायी समिति के १, "आबकारी स्थायी समिति" के १, "विद्युत स्थायी समिति" के १, और "विकास तथा नियोजन स्थायी समिति" के १, सदस्य के निर्वाचन हेतु प्राप्त निदशन-पत्रों (सूची संलग्न) की सूक्ष्म परीक्षा दिनांक २२ अक्तूबर, १९६३ को नियत समय पर की गयी और सब नाम—निर्देशन पत्र ठीक पाये गये। नामों की वापसी के लिये अन्तिम तिथि २८ अक्तूबर, १९६३ के सांयकाल ५ बजे तक के लिये नियत थी। अब २८ तारीख को चूंकि सदन नहीं बैठेगा, इस वजह से मैं समझता हूं कि उसके स्थान पर २९ कर दिया जाय। अतः अब मैं २९ तारीख के सांयकाल ५ बजे तक के लिये नाम वापसी की तिथि निश्चित करता हूं और यदि

आवश्यक हुआ तो ३१ अक्तूबर, १९६३ को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे तक निर्वाचन होगा।

अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३—(क्रमागत)

श्री बसन्तसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर रहा था कि आखिर यह ला डिपार्टमेंट कब तक इस तरह की गलतियां करता रहेगा और कब तक हमारा प्रदेश इस प्रकार बदनाम होता रहेगा। इस बात की राज्यपाल महोदय को भी शिकायत है और यह बहुत बड़ी शिकायत है। जो लोग इस के लिये जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध अवश्य कदम उठाया जाय वर्ना हमारी और भी अधिक बदनामी होगी।

दूसरी बात जो मुझे निवेदन करनी है वह यह है कि गत वर्षों में कांग्रेस सरकार ने जूडीशियरी को कर्ब करने की कोशिश की है। कल मन्त्री महोदय ने भी यहां पर उसी वृत्ति का परिचय दिया था। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि हम इस तरह की परम्परा बना रहे हैं कि माननीय न्यायाधीश जो अल्पमत में होते हैं उनके निर्णय को सर्वोपरि समझा जाय और बहुमत के निर्णय को प्रमुखता न दी जाय। यह भयानक बात है और इसकी जितनी भी निन्दा की जाय कम है।

मुझे इस सम्बन्ध में यह भी कहना है कि यह अधिनियम जिसमें जिला परिषद् का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पर आधारित है यह अधिनायकवाद की ओर प्रवृत्त करता है और जनतन्त्र के लिये बहुत बड़ा खतरा है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को जैसे जैसे प्रोत्साहन मिलेगा वैसे-वैसे जनतन्त्र समाप्त होता जायगा। जो चन्द वोट होंगे जैसे जिला परिषद् के अध्यक्ष के चुनाव में होते हैं उन्हें खरीदा जाता है और नाजायज प्रभाव का इस्तेमाल किया जाता है। अतः जो अध्यक्ष बनता है वह जनता का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता और जो उसमें मेम्बर होते हैं जिनका वोट होता है वह भी किसी कोआपरेटिव सोसाइटी में २, ४ वोटों से ही चुने हुए होते हैं। हम जितना ही अप्रत्यक्ष प्रणाली को प्रोत्साहन देंगे उतना ही जनतन्त्र से हम दूर होंगे और अधिनायकवादी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होंगे। उसी चीज को इस संशोधन विधेयक के द्वारा सरकार फिर ला रही है कि जब तक जिला परिषद् के अध्यक्ष का निर्वाचन न हो तब तक वह किसी को मनोनीत कर दे, किसी को भी जो चुनाव में खड़े होने योग्य हो। सरकार जिस व्यक्ति को चाहेगी उसको रखा जायगा और चुनाव को अधिक से अधिक समय तक टाला जायगा। सरकार द्वारा जिन सोसाइटीज में सरकार की तरफ से प्रतिनिधि भेजे जाते हैं वह स्वार्थों पर आधारित होते हैं, योग्यता का ख्याल नहीं रखा जाता तथा किन्हीं विशेष व्यक्तियों को खुश करने के लिये सब कुछ होता है। अगर यह संशोधन स्वीकार हो जाता है तो एक बहुत बड़ी कठिनाई पैदा हो जायगी। इसीलिये मेरा प्रस्ताव है कि इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाय जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और इस तरह से सब दोषों को दूर करके फिर विधेयक को सदन के सामने रखें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सत्यनारायण पांडेय जी, आपका एक ही संशोधन है, इसलिये आप बोल लीजियेगा। मैं आपको मौका दूंगा।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

ठीक है।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, जिला परिषद् विधेयक की जो धाराएं हैं उनको लेकर हमारे प्रदेश में बड़ी कन्ट्रोवर्सी चली है। वह चाहे हमारी विधान सभा के विरोधी दल के आदरणीय सदस्य हों, प्रेस और यहां तक कि उच्च न्यायालय ने इस कन्ट्रोवर्सी में काफी समय लगाया और विचार किया। श्रीमन्, कई दिनों तक आर्डिनेंस के सम्बन्ध में भी जो चर्चा हमें यहां सुनने को मिली उससे कुछ पता चलता है कि यह बात मान कर चलाई जा रही है कि ला डिपार्टमेंट ने बिना दफा १७ में नोटिफिकेशन किये हुए धारा १८ (१) व (२) के अन्तर्गत जिला परिषद् के अध्यक्षों का चुनाव और कोआप्शन कराया है। इतनी बड़ी भूल है इतनी बड़ी गल्ती है कि जो सरकार के ला डिपार्टमेंट का निकम्मापन साबित करती है।

श्रीमन्, किसी भी ऐक्ट या जो कि दूसरी धाराएं हैं उनके इंटरप्रीटेशन में, उनकी व्याख्या करने में, अन्तर तो पड़ सकता है और यदि अन्तर न पड़ता तो जितने न्यायालय देश में हैं समाप्त हो जाते। लेकिन बिना धारा १७ के अन्दर नोटिफिकेशन कराये धारा १८ की उपधारा (१) और (२) के अन्तर्गत जिला परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव नहीं कराया जा सकता है, यह कहना एक बिल्कुल गलत कदम है। मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। श्रीमन्, यद्यपि भूल से कुछ ऐसे कदम उठे हैं जिनसे मालूम होता है कि वे अपने कदम पीछे की ओर गये हैं, लेकिन अब भी मेरा विश्वास है कि ला डिपार्टमेंट और सरकार का बिना धारा १७ के अन्दर नोटिफिकेशन कराये धारा १८ (१) व (२) के अन्तर्गत जिला परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव कराना बिल्कुल नियमित है।

मैं चाहता हूं कि जो सदस्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद्, विधेयक, १९६३, पर दिलचस्पी रखते हैं वे इसको समझने की कोशिश करें कि जो माननीय पांडेय जी ने संशोधन पेश किया है वे उसको समझने में असफल हैं। श्रीमन्, यह २ चैप्टर में है। पहले चैप्टर का समर्थन ६१ में और दूसरे चैप्टर का ६२ में हुआ है। सेक्शन १ में दिया हुआ है कि समय-समय पर इस ऐक्ट की विभिन्न धाराओं का विभिन्न चैप्टरों का निफाज नोटिफिकेशन के द्वारा करता रहेगा, लेकिन सेक्शन १ में दिया हुआ है इस चैप्टर का इम्प्लीमेंटेशन एक नोटिफिकेशन द्वारा करता रहेगा। लिहाजा एक भ्रम सारे देश में पैदा हो गया है कि चूंकि चैप्टर २ का निफाज नहीं हुआ, जबकि धारा १८ के अन्तर्गत चुनाव हुए, वह ठीक नहीं। माननीय सदस्य चैप्टर १ के सेक्शन १ सब-क्लाज ३ के प्रोवीजो को पढ़ने की कोशिश करें तो उसमें यह देखेंगे कि चैप्टर २ का निफाज करने की जरूरत नहीं थी।

एक सदस्य—

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष—

कोरम रखने की कोशिश सरकार और विरोधी दलों, दोनों को करनी चाहिये।

एक सदस्य—

कोरम रखने की जिम्मेदारी सरकार की है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह ठीक है।

श्री कृष्णानन्द राय—

उपाध्यक्ष महोदय, कहीं यह शंका पैदा न हो जाय माननीय सदस्यों के मन में यह संशोधन विधेयक पर बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव की चर्चा कैसे करने लगे? ये जितने भी संशोधन माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पांडेय जी ने प्रस्तावित किये हैं वे सब उन स्टेप्स को रेगुलराइज करने के लिये हैं जो सरकार ने जिला परिषद् के निर्माण करने के सम्बन्ध में पिछले एक, दो महीने में लिये हैं। यदि उनकी सफाई हो जाय, तो उनके संशोधन की भी सफाई हो जाती है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि ला डिपार्टमेंट पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि यह इतनी बड़ी मूर्खता का कदम ला डिपार्टमेंट ने उठाया कि डिपार्टमेंट के जो मन्त्री थे उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिये और ला डिपार्टमेंट को सैक कर देना चाहिये, क्योंकि इतनी बड़ी भूल उसने की कि धारा १७ के बिना नोटिफिकेशन के सेक्शन १८ (१) और (२) में अध्यक्षों का चुनाव करा दिया। यह तो आप मानेंगे ही कि चैप्टर (१) का निफाज दिसम्बर, ६१ में हो गया था और चैप्टर (१) के निफाज के साथ-साथ सेक्शन १ का इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया था हमारे प्रदेश में। सेक्शन (१) का क्लाज (३) इस प्रकार है:

"This chapter shall come into force at once, and the remaining provisions of this Act shall in relation to any district come into force from such date as the State Government may by such notification in the *Gazette* appoint in this behalf and different dates may be appointed for different provisions."

यह सब-क्लाज (३) जो है उसी को आप पढ़ते हैं। इसके आगे प्रयास नहीं करते। इसके आगे का प्रोविजो पढ़ लें जो इस प्रकार है:

"Provided that for the limited purpose of constituting Kshettra Samitis and the Zila Parishad in a district in which the State Government intimates steps to constitute Kshettra Samitis and the Parishad, the provisions of Chapter II and any other Chapters necessary or incidental to such constitution, shall be deemed to have come into force from the date of coming into force of this Chapter."

इस प्रोविजो में साफ लिखा हुआ है कि जो ऐक्ट की स्कीम्स हैं उनका सरकार जब भी नोटिफिकेशन करेगी डिफरेंट डेट्स के लिये तब वे लागू होंगी, लेकिन जहां तक क्षेत्र समिति और जिला परिषद् के निर्माण का प्रश्न है वहां तक सेक्शन (२) इम्प्लीमेंट हो जायगा, उसकी समस्त धारायें लागू हो जायेंगी। तो जब चैप्टर (१) लागू हो गया, तो फिर दफा (१७) के नोटिफिकेशन की क्या जरूरत थी? यह प्रोविजो ला डिपार्टमेंट ने पूरी तौर से इम्प्लीमेंट कर दिया था और पूर्ण रूप से उसको ताकत मिल गयी थी कि दफा १८ (१) और (२) के अनुसार कोआप्शन और सदस्यों का चुनाव करा सकें। धारा १७ के बारे में जितना गलत इंटरप्रिटेशन यहां और हाई कोर्ट के कुछ बड़े वकीलों ने किया है उसे देख कर मुझे बड़ा दुःख होता है। सेक्शन १७ को आप पढ़ लें उसमें यह लिखा हुआ है:

"The State Government shall, by notification in the *Gazette*, and with effect from a date to be specified in the notification, establish a Zila Parishad for each district bearing the name of the district for which it is established."

श्रीमन्, यह कहीं-नहीं लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वह उसका नोटीफिकेशन करेगी। जिला परिषद् के कांस्टीट्यूशन के बारे में नोटीफिकेशन नहीं करेगी। बल्कि जिला परिषद् के एस्टेबलिशमेंट के बारे में नोटीफिकेशन करेगी। जिला परिषद् के एस्टेब्लिशमेंट का नोटीफिकेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उनका निर्माण न हुआ हो।

अब सेक्शन १७ का इम्पलिकेशन क्या है, यह मैं बतलाना चाहता हूं। सेक्शन १७ के नोटीफिकेशन का केवल एक असर पड़ेगा और वह यह है जो सेक्शन २७४ (२) में लिखा हुआ है।

"As from the date on which the Zila Parishad is established in a district under Section 17, the Uttar Pradesh Antarim Zila Parishad Act, 1958, shall be and stand repealed in relation to that district."

[श्री कृष्णानन्द राय]

सेक्शन १७,२७४ और सेक्शन १ के सब क्लाज (३) के प्रोवाइजो को अगर मिला कर पढ़ा जाय तो साफ चित्र देखने को मिलेगा कि जिला परिषद् के इलेक्शन १८ (१) और (२) के मातहत करा लिये जांय और जिला परिषद् का रूप संगठित हो जाय तो सेक्शन १७ के मातहत यह ऐलान करा दिया जाय कि अब इस जिले में जिला परिषद् एस्टेब्लिश हो गया है और सेक्शन २७४ के अन्तर्गत अंतरिम जिला परिषद् की व्यवस्था खत्म हो जायगी। यह एक रिजनेबिल इंटरप्रिटेशन इस ऐक्ट का किया जा सकता है और यही इंटरप्रिटेशन ला डिपार्टमेंट ने और सरकार ने किया और उसके अन्तर्गत बिना धारा १७ के नोटीफिकेशन के सेक्शन १८ (१) और (२) में कोआप्शन करा दिया। सरकार और ला डिपार्टमेंट की इस व्याख्या को अगर माना गया होता तो न तो हाई कोर्ट में बहस की जरूरत पड़ी होती, न सेक्शन २७२ के अन्तर्गत सरकार को पावर लेने की आवश्यकता पड़ती, न गवर्नर साहब को आर्डिनेंस निकालने की जरूरत पड़ी होती और न माननीय पांडेय जी को यह संशोधन लाने की कोई जरूरत पड़ी होती। लेकिन बदकिस्मती यह है कि वह इन्टरप्रिटेशन किसी ने नहीं माना।

अब थोड़ी देर के लिये मान लेता हूं कि गलती हो गयी, रिट दाखिल हो गये। यह इस बात का संकेत हो गया कि नहीं, बिना सेक्शन १७ का नोटीफिकेशन किये हुये जिला परिषदों का चुनाव नहीं कराया जा सकता। जिला परिषदों के अध्यक्षों के चुनाव की तिथि पड़ गयी, नामिनेशन हो गये, पोल्स की तारीख पड़ गयी। दूसरा तरीका और क्या हो सकता था सिवाय इसके कि गवर्नमेंट और ला डिपार्टमेंट इस कानूनी हो-हल्ला के आगे अपना कदम पीछे हटाये और कुछ ऐसा कार्य करे जिससे लोगों की कानूनी प्रवृति पूरी हो जाय। इसके अन्तर्गत २७ जून को डिपार्टमेंट ने सेक्शन १७ का नोटीफिकेशन कर दिया कि अब परिषद् की स्थापना २० जून से हो जायगी। इस नोटीफिकेशन के बाद में माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि अब सरकार के पास कौन-सा रास्ता रह गया। जैसे सेक्शन १७ का नोटीफिकेशन हुआ सेक्शन २७४ के अन्तर्गत प्रदेश भर में जो अन्तरिम जिला परिषद् काम कर रहे थे वे समाप्त हो गये और एक वैकुअम सारे प्रदेश में क्रियेट हो गया। इस अवसर पर दो, तीन कदम थे जो सरकार ले सकती थी। या तो सेक्शन २७४ को अमेंड करती, या २७१ में यह अमेंडमेंट करती कि अन्तरिम जिला परिषद् जिला परिषद् की स्थापना के बाद ही समाप्त न हो कर तब तक कायम रहेंगे जब तक अध्यक्ष वगैरह ओथ नहीं ले लेंगे। कोई न कोई अमेंडमेंट लाना पड़ता अन्तरिम व्यवस्था करने के लिये। स्वाभाविक था कि सेक्शन २७२ एक इनेबलिंग क्लाज के रूप में है जोकि दुनिया के सभी ऐक्ट्स में होता है ताकि उस ऐक्ट की स्कीम को लागू करने के लिये जहां-जहां लीगल या टेक्निकल डिफिकल्टी हो वहां सरकार उसका सहारा ले सके। हाई कोर्ट में बड़ी लम्बी बहस हुई कि इस इनेबलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत डेलीमेटेड लेजिस्लेशन के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार डिक्टेटोरियल पावर हर ऐक्ट के सम्बन्ध में ले रही है और नाना प्रकार के नोटिफिकेशन्स किया करती है इस सदन के बाहर। इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तान के जूरिस्ट्स की अनेक राय हैं, लेकिन यह एक सर्वमान्य राय है कि कोई भी ऐक्ट आज के जमाने में बनाया नहीं जा सकता जोकि इतना कम्प्लीट हो हर माने में कि सरकार बिना इनेबलिंग पावर लिये हुए उस ऐक्ट को लागू कर सके। इसके लिये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था, "मध्य प्रदेश वर्सेज बागला"। उसमें सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने यह निर्णय दिया है कि अगर किसी ऐक्ट का प्रीएम्बुल और आब्जेक्ट साफ हों और उस ऐक्ट की पालिसी लेजिस्लेचर डिक्लेयर कर दे प्रीएम्बुल और आब्जेक्ट में, तो गवर्नमेंट उस आब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिये किसी प्रकार की भी पावर डेलीगेट कर सकती है और ऐसा करना अनडेमोक्रेटिक नहीं होगा। मुझे उसका एक सेन्टेन्स याद है जो इस प्रकार है :—

"In the exigencies of modern State it is essential that some delegated powers Government will have to take under the present circumstances.',

तो २७२ के अन्तर्गत गवर्नमेंट ने जो २७ जून को यह नोटिफिकेशन किया कि हम पावर एज्यूम कर रहे हैं अन्तरिम काल के लिये जिला परिषदों के अध्यक्षों का नामिनेशन करने के लिये

यह न तो अनडेमोक्रेटिक बात थी और न गवर्नमेंट का डिक्टेटोरियल स्टेप था। इस पर भी २१ रिट हाई कोर्ट में दाखिल हो गये। पता नहीं कितना पैसा लोगों ने खर्च किया और वह कहां से आया। वे सब रिट खारिज हो गये। श्रीमन्, चूंकि बहुत सी रिट्स हाई कोर्ट में दाखिल हो गई थीं, लिहाजा हाई कोर्ट ने सोचा कि प्रदेश की जनता ने इतना पैसा कानूनी मनोवृत्ति को संतुष्ट करने के लिये खर्च किया है तो उसने यह कर दिया कि २१७ दफा में न करके गवर्नर के द्वारा आर्डीनेन्स से कर देना चाहिये था। खैर गवर्नर महोदय ने कर दिया। लेकिन राधेश्याम जी ने जो यह कहा है कि अध्यक्षों के जो नामिनेशन्स हुए हैं उनमें अपने गुट को मजबूत बनाने के लिये अपने गुट के आदमियों को रख दिया, सही नहीं है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

यह तो आपकी सरकार ने खुद कहा है। हम थोड़े ही कहते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, हमारे जिला परिषदों में ३,३३३ सदस्य हैं जिनमें से २,६१२ कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, यानी इतने सदस्यों ने कांग्रेस प्लेज पर हस्ताक्षर किये हैं। इस प्रकार से कांग्रेस की संख्या तीन चौथाई से अधिक हो जाती है। अगर गवर्नमेंट ईमानदारी से भी नामिनेशन्स करती है तब भी कांग्रेस पार्टी के लोगों को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलता न कि राधेश्याम जी की पार्टी के लोगों को जिनकी २० से संख्या अधिक नहीं होगी। माननीय राधेश्याम जी बतला दें कि कितने जिला परिषद् उनकी पार्टी के हाथ में थे मैं समझता हूं कि केवल २–३ को छोड़कर बाकी सब कांग्रेस के हाथ में थे। अगर उनकी मियाद बढ़ा दी होती तब भी कांग्रेस के लोग होते और अब जब कि गवर्नमेंट ने नामिनेशन कर दिये हैं तब भी इसमें कोई मैलाफाइड इंटेंशन का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

इतनी सारी सुविधायें होते हुए भी यह तमाम छीछालेदर क्यों की गई? यह हमारे देश का दुर्भाग्य है।

श्री कृष्णानन्द राय—

उपाध्यक्ष महोदय, जितने मुख्य प्वाइन्ट्स थे उनको मैं डील कर चुका हूं। इसमें तीन प्वाइन्ट्स हैं। एक तो यह कि १७ दफा में नोटीफिकेशन के बाद दफा १८(१) और (२) के अनुसार चुनाव करा देने चाहिए थे। दूसरा यह कि दफा २७२ के अन्तर्गत जो पावर एज्यूम की गई है उसको रेग्यूलेराइज किया है, वह डेमोक्रेटिक है या नहीं? तीसरा प्वाइन्ट यह है कि अध्यक्षों के जो नामिनेशन किये गये हैं वह ठीक हैं या उसमें कोई मैलाफाइडी इंटेंशन तो गवर्नमेंट का नहीं है। अगर ऐक्ट को पढ़ें तो मालूम होगा कि जो इंटरप्रिटेशन ला डिपार्टमेंट ने किया है वह ठीक है। इसीलिये मैंने स्टेटिसटिक्स पेश की जिससे इसको मैलाफाइडी इंटेंशन नहीं कहा जा सकता है। जो स्टेप लिये गये हैं उनको रेगुलराइज किया गया है। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल जो बातें बड़ी गम्भीरता से कही गई थीं, माननीय कृष्णानन्द राय जी ने उन्हें दुहराया है। माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो बात मनोनयन के बारे में धारा १७ के नोटिफिकेशन को बाबत कही उसको तो मैं मान सकता हूं। उससे कोई बहुत बड़ा अहित नहीं हुआ, मैंने मान लिया। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का कोई दृष्टिकोण इसलिये गलत नहीं था, पार्टी विशेष, या गुट विशेष को प्रोत्साहन देने का, क्योंकि

[श्री राधेश्याम शर्मा]

२ हजार ६ सौ १२ कांग्रेस के सदस्य थे, तीन चौथाई कांग्रेस के सदस्य थे, जो उन्होंने यह बात कही, हमें वह बतला दें कि अन्तरिम जिला परिषद् में कोई भी हमारी परिषद् है, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि १६ साल से जिस परिषद् का आपने चुनाव नहीं करवाया, अंग्रेजी काल के बाद सिर्फ १९४८ में चुनाव हुआ उसके बाद चुनाव नहीं हुआ, तो उस पर सरकारी पार्टी का असर नहीं होगा तो किसका होगा ? माननीय कृष्णानन्द जो विरोध में आ कर देखते, तो जितना हमको अखर रहा है उनको भी अखरता । यह स्वाभाविक बात है कि जब सरकारी पार्टी ने १६ साल तक चुनाव नहीं करवाया तो सरकारी पार्टी को तो येनकेन प्रकारेण रहना ही था ।

उसके बाद माननीय कृष्णानन्द राय ने कहा कि कांग्रेस के तीन-चौथाई मेम्बर हैं । असल में तीन-चार सौ से ज्यादा कांग्रेस के मेम्बर नहीं होंगे । बाकी सब फर्जी मेम्बर हैं जिन्होंने रात को फार्म भर दिया और सुबह मेम्बर हो गये । मैं अपने जिले की कहता हूं । हमारे जिले में कांग्रेस के ३३ आदमी थे, लेकिन जब हमने अपने उम्मीदवार का नाम भरवा दिया तो जिन लोगों ने आपकी पार्टी का फार्म भरा था उन्हीं लोगों में से हमारे उम्मीदवार का प्रस्ताव किया गया और समर्थन किया गया । तो वह कांग्रेस के फर्जी सदस्य हैं । जब आपकी पार्टी गिरती है तो दूसरी पार्टी से मिल कर सरकार बना लेती है, न कोई नियम है न कोई उसूल है । १६ साल से अगर आप यह कहें कि सरकारी पार्टी कोई बहुत बड़ा काम कर रही है ऐसी बात नहीं है । यह तो पूज्य बापू की देन है और पंडित जवाहर लाल नेहरू की महत्ता है जो आप लोगों को तारे हुये हैं वरना आपके काम गलत हैं मैं फिर कहता हूं कि यदि आपके दिल में पाप नहीं था, यदि आप अपनी पार्टी का पक्ष नहीं करना चाहते थे तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दें । अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते थे तो सारे प्रदेश में आपने विरोधी पार्टी के एक भी आदमी को मनोनीत क्यों नहीं किया ? मैं आप से कहूं कि और जिलों में फर्जी मेम्बरशिप का असर हो सकता था, लेकिन आधे जिलों में फर्जी मेम्बरान का भी असर नहीं था । तो क्यों नहीं आपने किसी एक विरोधी आदमी को मनोनीत किया ? दूसरी बात यह है कि अगर आपका कदम पक्षतापूर्ण नहीं था, जो हाई कोर्ट ने अल्ट्रावायरस डिक्लेयर कर दिया, हाई कोर्ट ने आपको एक रास्ता बता दिया कि सरकार अपने आर्डिनेन्स से अध्यक्ष मनोनीत कर देती तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती । कलेक्टर को हम भी नहीं चाहते थे, लेकिन अगर जनप्रिय सरकार होती तो ऐलान करती कि तुरन्त चुनाव हो । आपको क्या दिक्कत थी ? पन्द्रह दिन में चुनाव हो जाता । ५५-७० वोट थे । एक घंटे का भी काम नहीं है । इसमें आपके पास कोई तर्क नहीं है कि आप यह कह दें कि हमारे पास कोई आधार नहीं था ।

मान्यवर, सिर्फ एक दिन पहले ही तो आपने अध्यक्ष मनोनीत किये थे । कौन-सी दिक्कत थी आपको ? पर्चे भरे हुये थे, सब कुछ हो चुका था, केवल वोट पड़ना ही तो बाकी था हो सकता था कि दुबारा नामजदगी कराते तो भी पन्द्रह-बीस दिन में सारा काम हो सकता था । पन्द्रह दिन बाद वोटिंग की तारीख दे देते तो ऐसा न करने का क्या कारण था ? अगर आप इन बातों का जवाब दे दें तो हमको संतोष हो जायेगा । लेकिन आप जो ऊपरी मुंह से बातें करते हैं जब कि हम अपनी अन्तरात्मा से बोलते हैं कि कोई भी जनतंत्रीय सरकार इस तरह की गलत कार्यवाहियों को करके, इस तरह से गलत ढंग से अध्यक्षों को मनोनीत करके ऊपर से इस तरह से उसके लिये दलील नहीं दे सकते । बिलकुल साफ बात है कि सरकारी पार्टी ने अपने हित साधन के लिये और अपने लोगों को वहां रखने के लिये यह कार्यवाही की ताकि उनके आदमी जोयों का इस्तेमाल अपने लिये कर लें, पक्षपात पूर्ण ढंग से तबादले वगैरह करके और पुराने अध्यापकों को बदल कर नये अध्यापकों को वहां रख कर अपना काम बना लें । केवल यही एक बात थी जिसके लिये यह किया गया वरना कौन-सी आपके सामने दिक्कत थी ? पर्चे भरे हुये थे, पन्द्रह दिन में चुनाव हो जाता । ५५-७० वोट कोई ज्यादा नहीं होते । तो आप ऐसी कार्यवाही करें और इस विधान सभा में और जनता के सामने उस प्रश्न को न ले जायं तो फिर श्रीमन्, उसे सुनेगा कौन ? आपके पास केवल एक शक्ति है, कोई विद्वता की

शक्ति नहीं है, कोई जनतंत्रीय परम्पराओं का पालन करने की या लोकहित साधन करने की कोई शक्ति नहीं है, केवल एक कोरम पूरा करने की शक्ति है, आपका बहुमत है, यही एक शक्ति आपके पास है और उसका आप फायदा उठा रहे हैं। आपके हाथ में सत्ता है आप उत्तर को दक्षिण कह दें, पूरब को पश्चिम कह दें, और बबूल को नीम भी कह दें तो भी आपके इस बहुमत के कारण कोई आपको रोक नहीं सकता। तो मैं माननीय कृष्णानन्द राय जी से कहना चाहूंगा कि यह स्टेप बिलकुल मैलाफाइडी था। एक ही गुट के लोगों को आपको पदासीन करना था और इसलिये आपने यह किया।

फिर अभी बाढ़ की बात आपने कही। १० नवम्बर को आप चुनाव करा रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि पश्चिमी जिलों में बाढ़ की वजह से चुनाव नहीं हो सकेंगे। मान्यवर, आप भी पश्चिम के हैं, आप भी जानते होंगे कि क्या बाढ़ इन ५५–७० वोटरों के ऊपर चढ़ बैठेगी? बाढ़ में जहां हजारों आदमी उसके शिकार हुये वहां तो आप कुछ नहीं करने गये और इन ५५–७० वोटरों से चुनाव कराने में बाढ़ आपके रास्ते में अड़चन हो गई? इसका मतलब क्या है? यह आप डबल मुहर लगा रहे हैं अपनी पक्षपात की कार्यवाही पर और अपनी तानाशाही परम्परा पर। इसकी जितनी भी आलोचना की जाय वह थोड़ी है। हमारे पास आज बहुमत यहां नहीं है। वरना जनता में आप चलिये, माननीय कृष्णानन्द राय जी, उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला ले लीजिये, अपना ही जिला ले लीजिये, चलिये, जनता के सामने आप भी अपनी बात सफाई के साथ रखिये और हम भी रखेंगे। आप वहीं चुनाव करा लीजिये, यदि जनमत आपकी बात के पक्ष में हुआ तो मैं अधिक तो नहीं कह सकता, इतना ही कह सकता हूं कि मैं फिर उत्तर प्रदेश की विधान सभा में कभी भी सरकार के खिलाफ कोई भी बात नहीं करूंगा। लेकिन यहां मुश्किल सारी यह है कि सत्ता आपके हाथ में है, सारी शक्ति आपके हाथ में निहित है। हमारे पास शक्ति कम है। उसका आप फायदा उठा रहे हैं। मैं आप से कहना चाहता हूं, यदि कोई ऐसी कार्यवाही किन्हीं उन मुल्कों में हो गई होती जहां वास्तव में बालिग मताधिकार का महत्व है, जहां कानून ऊपर से नहीं थोपा जाता, जहां सरकारी पार्टी दलहित में नहीं बल्कि लोकहित में काम करना अच्छा समझती है, वहां तो बगावत हो गई होती और इस प्रश्न पर या तो पूरी सरकार इस्तीफा दे देती या कम से कम उस मंत्री को जिसका यह विभाग होता, उसको तो इस्तीफा देना ही पड़ता। यह मेरा निश्चित मत है।

सुचेता जी तो बेचारी मुख्य मंत्री हो गईं और उसमें वह फंस गईं। माननीय राममूर्ति, जो सिंचाई मंत्री थे और नैपाल बांध की बात करते थे और यहां नाले, नहर बनाने की बात करते थे, वह जिला परिषद् में फंस गये। बंशीधर जी पांडेय का कुछ बिगड़ा नहीं है। वह तो उस वक्त भी वही बात कहते थे और अब भी वही बात कहते हैं। लेकिन सरकार का जो गलत कदम उठा है उससे यहां पर जनतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। सरकार को इस बात को मान लेना चाहिये कि जो यह कदम उठाया गया है यह गलत कदम है। सरकार ने वहां पर गलत आदमियों को बिठाया है और उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाय की जानी चाहिये। बहुमत के शासन के ऊपर अल्पमत का शासन नहीं हो सकता है। लेकिन यह प्रश्न इस प्रकार का है कि इसको ले कर बहुत-सी क्रान्तियां हुई हैं। यह इस प्रकार का प्रश्न है कि बहुत उलझन सरकार के लिये पैदा हो सकती है। मैं सरकार से आज भी कहता हूं कि सरकार अब इस तरह की गलत कार्यवाही को छोड़ दे और आगे कोई गलत कार्यवाही न करे। यह ३ डिवीजन जो छोड़े गये हैं उनके लिये कहा गया है कि बाढ़ और गर्की की वजह से वहां पर चुनाव नहीं करा रहे हैं। गोविन्द सहाय जी ने भी सरकार के लिये यह बात कही है और हमारी बात का समर्थन किया है। वहां पर चुनाव न कराने का बहाना बाढ़ को कहा गया है। सरकार इस तरह की बराबर गलती करती जाती है। मेरी तो सरकार से यह प्रार्थना है कि इस प्रदेश के अन्दर १५, २० दिन के अन्दर सारे चुनाव करा देने चाहिये। जितने लोगों को टिकट दे दिया गया है उनको तो दिया लेकिन अब आगे इस तरह की बात न होनी चाहिये। मगर सरकार गलती पर गलती करती चली जा रही है। इसके पीछे स्वार्थ की भावना है।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

उनको इस वजह से बिठाया गया है कि जितने वोटर हैं उनको अपने पक्ष में कर लिया जाय। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस सरकार की जितनी भी भर्त्सना की जाय उतनी थोड़ी है।

मैं सरकार से सिर्फ एक अपील करना चाहता हूं। अगर सरकार यह चाहती है कि ऐसी कार्यवाही आगे न हो तो उसको बाढ़ और गर्की की बात को छोड़ देना चाहिये। यह घिनौनी बात है। बिना वोट कराये आपने सारे सूबे को एक पार्टी के हाथ में दे दिया है। अब चुनाव करा डालें। फिर ऐसी गलती नहीं होनी चाहिये। जो गलती हो चुकी है उसकी छीछालेदर विधान सभा में न करायें, उसको मान लें। मेरी सरकार से अपील है कि चुनाव कराने से यह साबित हो जायेगा कि आप जनतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। बहुत से उधर के हमारे भाई भी हमारी इन बातों का समर्थन करते हैं। अभी कल तक जो मंत्री पद पर बैठे थे वह भी हमारी बातों का समर्थन करते हैं। हमारी सरकार के मंत्री को यह बात बुरी लगती है कि हम उनकी बातों का विरोध करते हैं, लेकिन अगर वह इधर विपक्ष के साथ बैठें तो उनको मालूम हो जायगा कि किसी बात का विरोध बिना कारण से नहीं करते हैं सरकारी पक्ष के लोग तो हम से भी ज्यादा चोट करते हैं। इस से पहले जो आदमी सरकार में थे और मंत्रि-पद पर थे, वे अब तक दबे हुये थे और गलत बहस करते थे। आज वह बहुत-सी बातों में अपोजिशन का साथ देते हैं। आज जो वह गलती देखते हैं उसका निराकरण करते हैं और समझ कर बात करते हैं। आज वह गलत बात नहीं कहते हैं। वह समझते हैं कि अगर गलत बात करेंगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। हम तो अल्पमत में हैं और हमारा अल्पमत ही कहा जायगा पर जिम्मेदारी सरकारी पार्टी के लोगों पर होगी। अन्त में मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि सरकार हमारी बात को माने और आशा है कि आगे सरकारी पार्टी के लोग यह नहीं कहेंगे कि सरकार का स्टेप मेला-फाइडी नहीं था। मुझे आशा है कि कैबिनेट की समझ में अब यह बात आ गयी होगी और सरकार जो गलती कर चुकी है उसे फिर नहीं दोहरायेगी। यही बात मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता था।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह प्रस्ताव माननीय बसंतसिंह जी ने इस बिल को प्रवर समिति में भेजने को रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके उद्देश्य और कारण को देखने से पता चलता है कि अध्यादेश को ठीक करने के लिये ही यह विधेयक उपस्थित किया गया है। जब यह क्षेत्र समिति विधेयक, १९६१ में हमारे सामने था उस समय हम लोगों के मस्तिष्क में यही कल्पना थी कि इसके द्वारा सचमुच सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा और जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, ग्राम स्तर पर काम करने में पार्टी बन्दी नहीं होगी, भले ही प्रदेश के स्तर पर असेम्बली में पार्टीबन्दी होती रहे। उस समय इसके अन्दर गांधी जी के ग्राम राज और रामराज की कल्पना लोगों को थी। उस समय मैं सदन का सदस्य नहीं था, लेकिन अखबारों में पढ़ने से ऐसा लगता था। लेकिन उसके बाद जो घटनायें हुई और जो कृत्य इस सरकार के रहे उनसे अब यह सन्देह नहीं रह गया है कि कांग्रेस सरकार अपनी पार्टी को सत्तारूढ़ करने के लिये इन पंचायतों में, क्षेत्र समितियों में पार्टीबन्दी करने जा रही है। मैं जानना चाहूंगा कि अपने जिला परिषदों के लिये यह निर्णय क्यों नहीं लिया कि हम राजनीति से पृथक रह कर इन चुनावों को लड़ेंगे। आपका निर्णय अगर यह होता कि हम दलगत उम्मीदवार वहां नहीं खड़ा करेंगे और दलगत भावना से वहां काम नहीं करेंगे तो मैं समझता कि आपका उद्देश्य पवित्र है।

कल एक सज्जन बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जब अन्तरिम जिला परिषदें समाप्त हो गयीं और जिला परिषदों की स्थापना हुई, तो उस समय जो वैकुअम उपस्थित हो गया उसके लिये अगर सरकार नामिनेशन न करती तो उसके सामने अन्य चारा ही क्या था। मेरा निवेदन है कि ठीक है, आप अध्यादेश निकाल कर मनोनयन करते, लेकिन ऐसे लोगों का मनोनयन करते कि जो आगे चल कर चुनाव न लड़ते। मुझे लज्जा आती है और दुख होता है सरकार की

कार्यवाही पर कि उसने उन्हीं व्यक्तियों का मनोनयन किया जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे। कम से कम इतनी तो शर्म होती कि वे किसी दूसरे कांग्रेसी भाई का नामिनेशन करते कि जो आगे चल कर चुनाव न लड़ता। बात वही होती, लेकिन आप तो उन लोगों में से हैं कि जो मुर्गी भी खाते हैं और पर भी खोंसते हैं। यह जो कहा गया कि हमारा हर तरह से बहुमत है और तीन चौथाई संख्या सदस्यों की कांग्रेसी है, २,००० के करीब हमारे सदस्य प्रदेश जिला परिषदों में हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनके आधे सदस्य ऐसे नहीं हैं कि जिन्होंने केवल कांग्रेस प्लेज पर हस्ताक्षर मात्र किया है? मेरे जिले में तो ऐसे कांग्रेसी लोग ही कांग्रेस विरोधी उम्मीदवार की तरफ से दौड़ रहे थे।

इसके पूर्वी सूबे के और देश के अखबारों ने भी सम्पादकीय लेख लिखे कि कांग्रेस पार्टी के अन्दर अन्धाधुन्ध तरीके से जो कांग्रेस के कभी सदस्य भी नहीं रहे उनको भी भर्ती कर दिया गया। इसलिये कमला सिंह जी का संशोधन अवश्य मानने योग्य है। अगर सरकार किसी व्यक्ति को मनोनीत करे तो प्रतिबन्ध लगा दे कि वह मनोनीत व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इसको मानने में ऐतराज नहीं होना चाहिये वरना नीयत पर शक हो सकता है।

अब मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा कि जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष की अवधि समाप्त होती थी तो सेक्रेटरी दो महीने के लिये जब तक नया अध्यक्ष न आ जाय काम चलाऊ काम करता था। इसलिये इसमें भी यह संशोधन कर दिया जाय कि जब इस प्रकार का वैकुअम हो तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्य चलावे, इस से मनोनयन का प्रश्न ही नहीं उठेगा और सभी को यह विश्वास भी हो जायेगा कि सरकार पक्षपात नहीं करेगी। इन शब्दों के साथ जो विधेयक लाया गया, मैं अनुरोध करूंगा कि उसे वापस ले लें। उसे पहले एक प्रवर समिति के सुपुर्द करें जो कि फिर से नये संशोधित रूप में इसे लावें जिससे जिला परिषद् और ग्राम क्षेत्र समितियों में दलबन्दी न होने पावे।

श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के तर्क ध्यानपूर्वक सुने और उनको समझने का प्रयत्न किया। विरोधी पक्ष का कथन है कि मूलतः संशोधन लाने की नीति खराब थी और अभिप्राय दूषित था। संशोधन जो लाया गया वह उचित नहीं है और अध्यादेश या संशोधित अधिनियम के द्वारा कांग्रेस सत्तारूढ़ दल ने अपने पक्ष में कार्य किया।

इन प्रश्नों के सम्बन्ध में विचार करने के पूर्व में ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह जिला परिषद् और क्षेत्र परिषद् अधिनियम किस पृष्ठ भूमि पर बना। हमारे प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट बहुत पुराना था और उसकी अधिकार सीमा स्थानीय निकायों की सीमा थी। कर-निर्धारण, शिक्षा का थोड़ा सा कार्य, यातायात का थोड़ा कार्य उसके विषय थे।

श्रीमन्, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो अधिनियम था वह अंग्रेजों का बनाया हुआ था। वह बहुत दिनों तक चलता रहा और उसी के आधार पर उसका संगठन होता रहा और कार्य चलता रहा।

श्रीमन्, जो इस बात की चर्चा की गयी कि १६ वर्षों तक चुनाव नहीं कराये गये, मैं यह निवेदन करूंगा कि जरा १६ वर्षों की प्रगति के इतिहास को देखा जाय। इन १६ वर्षों में कितने परिवर्तन हुये हैं समय-समय पर, प्रशासन में कितना हेर-फेर हुआ है, आर्थिक नीतियों में क्या परिवर्तन हुआ है, हमने कितनी प्रगति की है, इन सब बातों को हमें देखना होगा। आजादी के बाद के १६ वर्षों में जो हमारी आर्थिक नीतियां रही हैं वे विदेशी सरकार की नीतियों से भिन्न रही हैं। हमारी नीतियां आर्थिक उत्थान, समाज कल्याण, पंचायतों की स्थापना, तथा अन्य बातों पर आधारित हैं। गांधी जी कहा करते थे कि हमारे देश में पंचायत राज हो और जिस प्रकार के पंचायत

[श्री बेचनराम]

राज की वे कल्पना किया करते थे उसी कल्पना के आधार पर हमारे देश के निर्माताओं ने हमारे देश में पंचायत राज की स्थापाना की। गांधी जी के निर्देशों के अनुसार ही हम अपने देश के निर्माण कार्य में लगे। हमने गांवों से लेकर दिल्ली तक पंचायत राज की स्थापना की। स्वायत्त शासन की स्थापना के लिये हमारे लिये जरूरी था कि पंचवर्षीय योजना चलायी जाय। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा समाज कल्याण की योजना हमने बनायी। जिला स्तर पर नियोजन समितियां बनायी गयीं। जिला नियोजन अधिकारी उनका कार्यवाहक था और उनमें कुछ मनोनीत सदस्य रखे गये। शासन के द्वारा बहुत काफी धन उनको मिलता था ताकि वे उससे गांव के निर्माण के लिये आवश्यक कार्यों को कर सकें।

एक तरफ वह कार्य कर रही थीं, दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का यह काम था कि वह शिक्षा, सफाई तथा यातायात आदि बातों की तरफ ध्यान दें। गांवों की उन्नति के लिये भिन्न-भिन्न काम थे जिनको नियोजन समितियां और यह जिला बोर्ड करते थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो पहले अधिनियम बना उसके बनाने में देरी हुई। प्रवर समिति में वह गया, वहां विचार हुआ, उसके बाद यहां भी विवाद हुआ, इस सब में काफी समय लगा था। हमें इस प्रश्न पर भी अच्छी तरह विचार करना था कि किस प्रकार हम नियोजन तथा विकास का कार्य भली भांति कर सकते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सफाई आदि के लिये जो कार्य हम करना चाहते हैं उनका समावेश हम कैसे करें आदि बातों पर हमें विचार करना था। इन सब बातों की पृष्ठ भूमि में ही यह जिला परिषद् अधिनियम बना।

श्रीमन्, यह कहा गया कि इसमें बहुत से दोष हैं। मैं एक सदस्य के नाते यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अधिनियम किसी ऐसी व्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिये बनाया जाता है जो सतत् परिवर्तनशील है, जब हमारी पंचवर्षीय योजना का रूप और विस्तृत होगा तो हो सकता है कि हम और परिवर्तन करें। अगर संशोधन की आवश्यकता हो तो वह करना पड़ेगा। यह किसी की त्रुटि या शार्टफाल नहीं कहा जा सकता है। बल्कि यह कहना चाहिये कि अद्यावधि तक जो विधेयक का रूप होना चाहिये उसे मीट करने के लिये हम संशोधन करते हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि यह संशोधन मान लिया जाय कि जो व्यक्ति मनोनीत होगा वह चुनाव में खड़ा होने के लिये समर्थ न हो सकेगा। लेकिन मनोनयन की तो बुनियाद यही है कि जो व्यक्ति चुनाव के लिये खड़ा हो सकता है वही मनोनयन के लिये भी अर्ह्य होगा। मनोनयन किसी अयोग्य या अनर्ह व्यक्ति के लिये नहीं होगा। कोई पागल या माइनर या दीवालिया या ऐसा व्यक्ति जो चुनाव के लिये खड़ा नहीं हो सकता उसे मनोनीत नहीं किया जा सकता। ऐसे मनोनीत लोगों के सम्बन्ध में हमारे उच्च न्यायालय की धारणा है कि ऐसे व्यक्ति पूर्ण समर्थ होंगे या समर्थ हैं, क्योंकि जिन व्यक्तियों को सरकार ने मनोनीत किया है उनमें कुछ निर्विरोध चुने हुए हैं। संशोधन समय की आवश्यकता को पूरा करने के लिये ही लाये जाते हैं।

कुछ माननीय सदस्य कहते हैं, श्रीमन्, कि तुरन्त चुनाव नहीं करा दिया गया, चुनाव तुरन्त करा देना चाहिये। चुनाव के सम्बन्ध में यह व्यग्रता ठीक है, सदस्यों को होनी चाहिये और सरकार को भी होनी चाहिये। यह उचित ही है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट के बाद अन्तरिम जिला परिषद् आया। उसमें जिलाधीश जब अध्यक्ष हुआ करते थे तो उनके सम्बन्ध में, उनकी नीतियों के सम्बन्ध में, बड़ी समालोचना होती थी कि यह सरकारी आदमी हम जनता के प्रतिनिधियों के ऊपर हावी है, रूल करता है। इसे दृष्टिकोण में रखते हुए सरकार ने एक गैर-सरकारी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया। जिस समय वैकुअम हो गया था उस समय अगर जिलाधीश को लाद देते तो उससे तो अच्छा था कि सरकारी व्यक्ति के स्थान पर गैर सरकारी व्यक्ति जो कि चुनाव की योग्यता रखता था जो मूलतः बहुमत के सदस्यों द्वारा अनुमोदित था, ऐसे व्यक्ति को मनोनीत किया जाय। यह जनतांत्रिक पद्धति का पोषक ही तो कहा जा सकता है।

यह भी कहा गया कि १६ साल का विलम्ब इस सरकार ने किया है, वह अब तक चुनाव नहीं करा सकी है। तरह तरह के आरोप सरकार पर लगाये जाते हैं। अभी एक सदस्य ने यह संशोधन पेश किया या अपनी वक्तृता में कहा कि इस विधेयक को हटाकर एक नया विधेयक लावें जो नये संशोधनों से पूरित हो, वह सिलेक्ट कमेटी में जाय। सिलेक्ट कमेटी ६ महीने लेगी, उसकी रिपोर्ट आवेगी, उस पर विचार होगा और फाइनल रूप होकर जिला परिषद् अधिनियम को पूर्णता प्राप्त होगी और तब चुनाव हो सकेंगे और जिला परिषद् बन सकेंगी। तो माननीय सदस्य जरा अनुमान करें कि इसमें कितना समय लगेगा। सरकार ने तत्परता के साथ कहा कि हम नोटीफिकेशन कर दें, चुनाव करा दें, जल्दी से जल्दी जून में चुनाव करा के परिषदों की स्थापना कर दें और हमारे पंचायती राज्य की यह कमी पूरी हो जाय। सरकार की मंशा साफ थी और उसके नामांकन-पत्र दाखिल करने का समय रख दिया। अगर फिर भी आप हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर दें और हाई कोर्ट रोक दे और विलम्ब हो जाय, तो सरकार का क्या कसूर है? आप कहते हैं कि अ से लेकर क्ष, त्र, ज्ञ तक सारी बात फिर दोहराई जाय, तो जरा सोचें तो कि उसमें कुल कितना समय लग जायगा। पहले तो कहा कि शीघ्रता चाहते हैं और फिर कहते हैं कि विलम्ब किया। ये दोनों बातें बाधा डालने के लिये कही जाती हैं।

यह कोई बहुत विस्तृत संशोधन नहीं है। इसमें कुछ ही बातों की चर्चा की गई है। २७२ सेक्शन के बारे में स्पष्ट था कि वह डिफीकल्टी के निवारण के लिये था और मनोनयन हम कर सकते थे लेकिन जब उच्च न्यायालय ने तय किया कि मूल तत्वों के परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, केवल प्रक्रिया सम्बन्धी अन्तर हम कर सकते हैं तो सरकार ने उस दृष्टिकोण से अध्यादेश के द्वारा मनोनयन किया। जिन कारणों से यह उचित था उन्हीं कारणों का संशोधन में समावेश किया गया है जो जनतंत्रवादी परम्पराओं के बिल्कुल अनुकूल है और गांव के स्तर पर सारे लोगों का जिला परिषद् में प्रतिनिधित्व करने के लिये किया गया है। जिला परिषद् में केवल जिले के स्तर पर ही नहीं, जितनी भी संस्थायें हैं, चाहे वे गांव की पंचायतें हैं या क्षेत्र समितियां हैं, सब को लिन्क कर दिया गया है। इतने बड़े लिंकिन्ग को करने में, समन्वय को करने में बहुत ही ज्यादा समय लग सकता है और उसमें बहुत ज्यादा उपचार की आवश्यकता होती है। अगर ऐसे उपचार कार्य में कुछ छूट जाय तो उसके लिये संशोधन लाने में क्या अनुचित है? इन शब्दों के साथ में इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री बसन्त सिंह के प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिये और सरकार की ओर से जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसका विरोध करने के लिये कुछ कहना चाहता हूं। मैं बोलना तो गन्ने के विषय पर चाहता था, परन्तु जब बेचन राम जी का भाषण हुआ तो मेरे मन में भी कुछ जिला परिषद् के बारे में कहने की इच्छा हुई। हमारे देश में सन् १९२१ के आन्दोलन के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव करने का हक मिला था। उसमें जो किसान २५० रु० मालगुजारी देता था वह वोट दे सकता था। आजादी के बाद सन् १९४७ में हर एक बालिग को वोट करने का अधिकार दिया गया। सारे प्रान्त में कांग्रेस का बोलबाला था, प्रत्येक जिले में कांग्रेस के लोग ही डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के अध्यक्ष चुने गये। उसके बाद १४–१५ सालों तक चुनाव नहीं हुये और कांग्रेस की नीति के खिलाफ काम हुआ। चुनावों को अब तक टाला गया। इसके बाद म्युनिसिपैलिटियों और टाउन एरियाओं के जो चुनाव हुये उसमें कांग्रेस के लोगों को बड़ी निराशा हुई और उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अन्य म्युनिसिपैलिटियों और टाउन एरियाओं में अपना उम्मीदवार खड़ा करें। म्युनिसिपैलिटी और टाउन एरिया में तो एक भी कांग्रेस को उम्मीदवार खड़ा करने को नहीं मिला। लोग कांग्रेस के टिकट लेने को तैयार नहीं हुए और इसलिये यह कोशिश की गई कि कोई दूसरा तरीका अख्तियार किया जाय तभी कांग्रेसी पूरी तरह से जिला बोर्ड्स में आ सकते हैं। इसीलिये ये चुनावों को टालते रहे और आज चुनाव के ऐसे तरह-तरह के तरीके अख्तियार किये जा रहे हैं जिससे कांग्रेस वाले ही उसमें आ सकें और दूसरे न आ सकें। महात्मा गांधी ने सबसे पहले प्रजातंत्र

[श्री श्रीराम]

के ढंग पर बालिग मताधिकार पर ऐसी संस्था को बनाने का तरीका बताया था लेकिन आज कांग्रेस उसके बिलकुल विपरीत जा रही है। मुझे इस तरह की बातों को सुन कर दुःख होता है कि प्रधान क्षेत्र समिति और ब्लाक प्रमुख, मेम्बर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेम्बर होगा। इसके साथ-साथ में यह कह देना चाहता हूं कि पहले हर जगह से हरिजन चुन कर जिला परिषद् में जाते थे, लेकिन इस मनोनयन में उसमें जानबूझ कर कांग्रेस सरकार ने ऐसे आदमियों को मेम्बर बनाने की कोशिश की, ऐसे आदमियों को चुना है जिनसे अगर दिन को रात कहलवाया जाय तो वह दिन को रात कहेंगे और उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो हरिजनों के हित की बात कह सके।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मनोनयन, नामजद, करने का तरीका प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के विपरीत है। आपकी सरकार जो भी कार्य करती है वह उसके खिलाफ ही पड़ता है। जैसे हमारे सूबे में ४५ आदमियों का मंत्रिमंडल था। बराबर इस सदन में कहा जाता रहा कि यह मंत्रियों की फौज कम कीजिये। आप नहीं चाहते थे लेकिन आज आपकी वह फौज घट कर २० रह गयी है। हमारे जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री थे उन्होंने इसी तरीके से अपने एक गुट को सारे सूबे में जिला परिषदों पर बैठाने की कोशिश की और उसी का परिणाम है कि आज वह इस सदन के मुख्य मंत्री नहीं रह गये। मेरठ और बिजनौर ही ऐसी जगह थी जिसने उनके मुख्य मंत्रित्व को खत्म कर दिया। जो उनका यह गुटबाजी का तरीका है उससे सूबे का हित नहीं होगा, यह मैं साफ-साफ बता देना चाहता हूं।

बेचनराम जी अभी कह रहे थे कि यह तरीका बहुत बढ़िया और गांधी जी का और प्रजातंत्र का तरीका है लेकिन यह ऐसा तरीका बिल्कुल नहीं है। प्रजातंत्र का तरीका वह था जो १९४७ में था कि एक-एक आदमी की राय से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेम्बर आता था और वे जनता के असली प्रतिनिधि आते थे। अब तो आपने कुछ चन्द आदमियों को उसके अन्दर लाकर अपनी पार्टी का संगठन किया है। लेकिन आप को मालूम होना चाहिये कि जिला परिषदों के चुनाव का जो तरीका आप ने बनाया है वह आपको ही खतम कर देने वाला है। इसलिये मैं आप से अधिक न कहते हुए यह कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है, और समय के अन्दर यदि कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था चेत जाय तो वह अपने को बचा सकती है। यह चीज कांग्रेस के लिये भी घातक हो जायगी और आपका इससे नुकसान हो सकता है। इसमें कोई शिक्षा देने की बात नहीं है, आप ही लोग आपोजीशन के आदमियों को खड़े होकर शिक्षा देते हैं, उनको नसीहत करते हैं लेकिन आप जानते हैं कि लोहे को लोहा ही काटता है। जितनी बात आप जानते हैं, उतनी बात इधर के लोग भी जानते हैं। आपके इस कहने में मैं विश्वास नहीं करता कि यह प्रजातांत्रिक तरीका है। आप जनता के अन्दर जाकर देखें कि वह इस विधेयक की कितनी बुराई करती है। एक-एक आदमी इसकी बुराई करता है और कहता है कि यह तरीका गलत है। आपने जो जिले के अन्दर जिला परिषदों को अपनाया है, उनमें अपने दल के थोड़े से आदमियों को नामजद कर दिया है, कुछ स्त्रियों को नामजद कर दिया है और इस तरह से एक जिला परिषद् बना कर उसका चेयरमैन अपने गुट के आदमी को बना दिया है और उसको एक गाड़ी दे दी है ताकि आने वाले आम चुनाव में, या अपर हाउस के चुनाव में आप के दल के आदमी जीत सकें। लेकिन आप को यह मालूम होना चाहिये कि ये सब चीजें जो आप कर रहे हैं वे आपके लिये ही उल्टी सिद्ध होंगी। इन शब्दों के साथ मैं श्री बसन्त लाल जी द्वारा प्रवर समिति में इस संशोधन विधेयक के भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करना है कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर देंगे।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)----

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से यह जिला परिषद् अध्यादेश और जिला परिषद् अधिनियम इस प्रदेश के इतिहास में आया, वह एक अनोखी घटना है। यह कोई मामूली भूल नहीं है जो सरकार के न्याय विभाग, पंचायत राज विभाग द्वारा और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में हुई है।

इससे बड़ी भूल और कोई नहीं हो सकती कि धारा १७ के अन्तर्गत नोटिफिकेशन नहीं किया गया और अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निश्चित हो गयी। इसको जब हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी तो सरकार के न्याय विभाग ने फौरन ही सरकार को राय दे दी कि धारा २७२ के अधिकार का प्रयोग करके इस कठिनाई के निवारण का आदेश जारी कर दिया जाय। वह एक ऐसी सलाह दी गयी जो सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात थी। धारा २७२ के अन्तर्गत सरकार को इस किस्म का कोई अधिकार नहीं है कि वह ऐसा आदेश जारी करे और विधेयक के मूल सिद्धान्त में परिवर्तन करे। नतीजा यह हुआ कि उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी और वह चीज वहां रद्द कर दी गयी। फिर सरकार ने यह अध्यादेश जारी किया।

जिला परिषद् के अध्यक्षों का जो नामांकन किया गया है उसके बारे में सदन में कल से बड़े जोरों से चर्चा है और उन तमाम बातों को दोहराने का मेरा विचार नहीं है। मुझे तो अफसोस होता है सरकारी पक्ष के कुछ सदस्यों की बात सुनकर। अभी माननीय कृष्णानन्द राय जो सरकार के एक मुख्य वक्ता हैं, उनकी बात सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ जब उन्होंने कहा कि इस तरीके से अध्यक्षों का जो नामांकन हुआ है वह कोई अनडेमोक्रेटिक काम थोड़े ही है? मेरी समझ में ही नहीं आया कि उनके हिसाब से डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या है? डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या वे यही समझते हैं कि अन्तरिम जिला परिषद् के चुने हुए अध्यक्षों को हटा कर सत्ताधारी पार्टी के एक आदमी को नामजद करके परिषद् के ऊपर लाद दिया जाय? क्या यही आप का जनतंत्र है और क्या यही डेमोक्रेसी की परिभाषा है?

विकेन्द्रीकरण के नाम पर हम इस प्रदेश में पंचायती राज के सपने देखा करते थे और जो उद्देश्य प्रदेश के सामने रखे गये उनके एक-एक सिद्धान्त को सरकार कुचलती जा रही है। जिस समय यह विधेयक सन् ५८ में पास किया गया तो इसमें एक धारा रखी गई थी कि परिषदों में विकास क्षेत्र के स्तर पर कुछ सदस्य जनता के द्वारा मनोनीत होने चाहिये। डायरेक्ट चुनाव से वह आने चाहिये। लेकिन सरकार को वह भी गवारा न हुआ उसको भी उसने इनडायरेक्ट चुनाव में बदल दिया। एक तो जनतंत्र का उनका नमूना यह हुआ और दूसरे एक नमूना यह है कि अपने गुट के व्यक्तियों को नामजद कर के सरकार ने बिठा दिया। अन्तरिम जिला परिषदें ३० जून को खत्म हुईं, परिषदों की स्थापना हुई नहीं। आज जिलों में स्थिति क्या है, न तो अन्तरिम जिला परिषदें हैं और न परिषदें हैं एक तीसरी ही चीज वहां है उसका पता नहीं क्या नाम है, एक अजब चुं चूं का मुरब्बा है। अगर आप के सामने कठिनाइयां थीं और आप को हाई कोर्ट के फैसले ने रोक दिया था तो थोड़ा बहुत अगर आप को जनतन्त्र को जिन्दा रखना था तो इस तरह से नामजदगी न करते और जो अध्यक्ष चुने हुये थे उन्हीं को काम करने देते तो हम समझते कि डेमोक्रेसी कुछ पनप रही है, वह भी कुछ गनीमत होता, लेकिन आप ने नामजदगी कर दी और एक उन्नाव जिले के लिये अध्यादेश जारी कर दिया, पूरे सूबे के लिये करते या यह अन्तरिम जिला परिषदें ही जिन्दा रहतीं और वह सदस्यों से चुने गये लोग ही कायम रहते लेकिन उनको भी आपने नहीं रहने दिया। आपने एक तीसरी ही चीज बना कर खड़ी कर दी, अपने गुट के लोगों को नामजद कर के बिठा दिया। इस तरह से डेमोक्रेसी के नाम पर तानाशाही का काम किया गया।

मैं श्री कृष्णानन्द राय से कहूंगा कि इस तरह के घृणित कार्य करके डेमोक्रेसी को वह बदनाम न होने दें जिस तरह से समाजवाद के विरोधी काम करके आज उसको बदनाम किया जाता है उसी तरह से जनतंत्र का नाम लेकर तानाशाही चला कर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिये नामांकन की व्यवस्था करके, पार्टी के और इसके अन्दर के एक गुट के लोगों को बिठा कर इस तरह से जनतंत्र की हत्या न करें। इस तरह से ५ मास से जो व्यवस्था चल रही है इसके कारण जिलों में तमाम रचनात्मक कार्य ठप्प पड़े हैं, वे ठीक से नहीं चल रहे हैं। जैसे कि एक अंग्रेजी की कहावत है कि 'रैट्स प्ले व्हेन दि केट इज़ अवे' आज हालत यह है कि हमारे जो कर्णधार हैं उन्हें देखने का मौका ही नहीं कि प्रदेश में क्या हो रहा है, सारा का सारा काम नौकरशाही और अधिकारियों के सुपुर्द है जो मौज उड़ा रहे हैं और रंगरेलियां कर रहे हैं, उन्हें फिक्र नहीं कि क्या हो रहा है क्या

श्री भीखालाल]

नहीं हो रहा है। हम यहां इसी सेक्रेटेरियट की बात कहते हैं कि लंच आवर दो-दो, तीन-तीन बजे तक होता है, आप किसी भी दफ्तर में जायं तो सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अन्डर सेक्रेटरी ३ बजे से पहले दफ्तर में नहीं आते। आप चपरासी से पूछिये कि साहब कहां हैं तो वह कह देते हैं कि अभी २ ढाई बजे तो मीटिंग से उठ कर गये हैं। जब सरकार को देखने का मौका नहीं और वह पार्टीबाजी में पड़ी है तो कौन किस को देखें? वहां तो होड़ यह लगी है कि कौन मुख्य मंत्री बने, कौन मंत्री बने। इस तरह से सूबे में रचनात्मक कार्यों के विकास को देखने का किसी को मौका नहीं, सब काम नौकरशाही के हाथ में है। इस तरह से सरकार ने अपने दिवालियापन का परिचय दिया है।

सूबे की सरकार बमुश्किल तमाम बनी, मंत्री चुने गये, लेकिन १७ तारीख को मालूम हुआ कि वह मंत्री हैं भी और नहीं भी हैं। मंत्री हैं, लेकिन वह फाइल्स पर दस्तखत नहीं कर सकते, स्टेनो उनके सामने फाइलें नहीं रखते। वह बैठे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं कर सकते। उन देश के कर्णधारों को देखने का मौका ही नहीं कि काम कैसे चल रहा है, इस पर सरकार गम्भीरता पूर्वक विचार करे। लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। वहां तो आपस में छीना-झपटी रहती है। हम जानते हैं कि सरकार इस विधेयक को भी बहुमत के बल पर पास करा लेगी, विरोधी दल की ओर से जो प्रस्ताव संयुक्त प्रवर समिति का रखा गया है यह भी बहुमत के बल पर गिर जायगा। लेकिन जो विवाद हो रहा है और जो परिस्थितियां यहां व्यक्त की गईं, जो हालात हैं प्रदेश में, जनता सुनेगी, गैलरीज में बैठने वाले लोग सुनेंगे और देखेंगे कि किस तरह से सरकार चल रही है और जब मौका आयेगा तो वह जनता सरकार को अच्छा सबक देगी। इसलिये सरकार को चाहिये कि ऐसा कदम उठाये जिससे जनतंत्र की हत्या न हो। अपनी गुटबाजी की नीति को छोड़ कर इन संस्थाओं को विकेन्द्रीकरण की नीति पर चलने दिया जाय तथा इनको दलगत पार्टी का अड्डा न बनाया जाय यही मुझे कहना है।

*श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन विधेयक का विरोध कर रहा हूं। यह विधेयक बड़े विधेयक का एक चित्र है। इस तरह के विधेयक जो अधिनियम का संशोधन करने के लिये बनाये जायंगे तो मैं समझता हूं हजारों विधेयक लाने पड़ेंगे, क्योंकि यह विधेयक जो बना है इसने प्रदेश के मुंह पर कालिख पोत दी है। सारे भारत और विदेशों में, जो प्रदेश हिन्दुस्तान का सबसे प्रतिभाशाली समझा जाता था और जहां महापुरुष राजनीतिक पैदा हुए है, आज इस प्रदेश की हंसी उड़ायी जा रही है। आज माननीय बंशीधर पांडेय ने इस विधेयक को पेश किया है। मेरा मतलब मुख्य मंत्री से है, क्योंकि उन्होंने पेश किया इसलिये उनका नाम मैंने लिया है। इस विधेयक ने प्रदेश के मुंह पर कालिख पोत दी है। आज तक ऐसा कोई विधेयक नहीं आया। अगर संशोधनों द्वारा इस विधेयक को शुद्ध करना चाहेंगे तो इसके एक-एक अल्फ़ाज को टुकड़े-टुकड़े करना पड़ेगा जिसमें करोड़ों रुपया खर्च होगा। आप लोग समझते होंगे जिस सरकार ने इस विधेयक को अधिनियम बनाया है वही सरकार आज भी मौजूद है। मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि आज नई सरकार है मुझे इससे उम्मीद करनी चाहिये, गोकि आदमी सब वही हैं, लेकिन एक समय था महाभारत के समय जब लोगों ने पूछा दादा भीष्म आप भी वहीं मौजूद थे जब द्रोपदी को नंगा किया गया था तो उन्होंने कहा क्या करूं, तब दुर्योधन का अनाज खा रहा था। यह वही सरकार आज है मगर गाइडेंस बदल गई इससे यह सारे आदमी अच्छे हो सकते हैं। पुराने मुख्य मंत्री जिनका यह विधेयक बनाया हुआ है उनको मैं जानता हूं, वह लौह पुरुष थे, हिटलर भी लौह पुरुष था, मगर उसका अन्त क्या हुआ, सब को मालूम है। तो लौह पुरुष होना ही कोई बड़ी बात नहीं है। उसके मुताबिक काम भी करना चाहिये। सत्ता प्राप्त करना बड़ी बात

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है, उसको बनाये रखने की अपने में क्षमता पैदा करना जरूरी है। पुराने मुख्य मंत्री में यह बात नहीं थी। मैं समझता हूं इस कारण भूतपूर्व मुख्य मंत्री को यहां से हटना भी पड़ा।

आज मैं आप को चेतावनी देता हूं कि आज सोच समझ लें और वह रास्ता न अख्तियार किया जाय जिस रास्ते से इस अधिनियम के बनाने वाले गये हैं। नहीं तो हमारा बड़ा भारी नुकसान हो जायगा। संशोधन को करके इस अधिनियम को अगर आप सही करना चाहते हैं तो मैं जानता हूं कि आप की जिन्दगी में, इस सरकार की जिन्दगी में तो यह अधिनियम ठीक नहीं हो सकता है और इसमें उत्तर प्रदेश के बजट का एक बड़ा भारी हिस्सा खर्च हो जायगा, इसलिए मैं आप को एक सुझाव देता हूं कि आप इस अधिनियम और इस संशोधन को फाड़ कर, जितने इसके शब्द हैं रद्दी की टोकरी में फेंक दें और दूसरा अधिनियम बनाएं। यह अधिनियम हमको उस ओर ले जा रहा है अपने मालिक की ओर, वह मालिक कि जिसने इसको बनाया है और जो डिक्टेटर की तरह से काम करने वाला है। जो चेयरमैन हैं उनको आपने इतने अधिकार दे दिए हैं कि वे भी डिक्टेटर की तरह काम करते हैं। हम लोग कायदे से, जो कायदे आपने बना रखे हैं, के अनुसार ही जिला परिषद् के मेम्बर हैं। यहां पर कृष्णानन्द जी कहते हैं कि हम लोगों की तादाद बड़ी है। अगर माननीय उग्रसेन जी से पूछा जाता है तो वे कहते हैं हां की संख्या कम है और नहीं की संख्या ज्यादा है। जिला बोर्ड की मीटिंग में जब वहां कार्यवाही होती है और हम लोग सुझाव देते हैं तो उस समय कोई कार्यवाही नोट नहीं होती बल्कि २ महीने बाद जब दूसरी मीटिंग के चलने का वक्त आता है तो उस वक्त चेयरमैन लिखा देता है कि यह कार्यवाही हुई थी और उस कार्यवाही की पुष्टि करने को कहते तो मेरा मतलब यह है कि यह अधिनियम, आपका जो है, वह हमें सीधे डिक्टेटरशिप की ओर ले जाता है।

इसलिये मैं आप से चाहता हूं कि इस अधिनियम को और अपने संशोधन को रद्दी की टोकरी में फेंक दीजिए क्योंकि आप की धज्जी हाई कोर्ट ने, और अखबारों ने खूब उड़ाई है कि आप में कूवत नहीं है। इस हाउस से मैं अपील करता हूं कि एक कमेटी बनाई जाय जिसमें दोनों ओर से व्यक्ति नामजद हों और वे अधिनियम का प्रारूप बना कर हाउस के सामने पेश करें ताकि आपकी नइया ठीक तरह से चले। अन्त में मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि इस संशोधन विधेयक को वापिस लिया जाय और जल्दी से जल्दी दूसरा विधेयक बनाया जाय।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

मान्यवर, पहले तो मैं बिसमिल्ला करता हूं और यह कहूंगा कि इसका तो मैं विरोध करता हूं। मैं अपनी बात एक एक शेर के साथ शुरू करने की इजाजत चाहूंगा। शेर इस प्रकार है :

आहिस्ता बर्गे गुल,
बफिशां बर मजारे मा,
पस नाजुक अस्त,
शीशये दिल दर कनारे मा।

मतलब यह है कि चूंकि मेरा दिल शीशे की तरह नाजुक है इसलिये मेरी मजार पर जो फूल चढ़ा रहे हो वह आहिस्ता चढ़ाओ ताकि मेरा दिल टूट न जाय।

इकबाल ने साफ कहा है :

"न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिन्दुस्तां वालो,
तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।"

ईश्वर न करे ऐसा हो। हम दोनों यह प्रार्थना करें कि ऐसी नौबत न आये। लेकिन फिर भी मैं यह चाहूंगा कि हम सोचें और समझने की कोशिश करें, लेकिन हम उससे बहुत दूर हैं। यहां तो सवाल है गुटबन्दी का। मैं यही कहूंगा कि अब जो हमारी सरकार बनी है उससे मैं यही उम्मीद करता हूं कि यह गुटबन्दी खत्म हो जाय।

[श्री प्रेमसिंह]

आप इस बिल को बगैर शरमाये हुये पास कर लीजिये, अपने बहुमत से पास करा लीजिये, लेकिन मैं यह देखता हूं कि —

"यह दौरे शराबे जिन्दगी रातों को चलता है,
यह वह दुनिया है जहां रातों को सूरज निकलता है।"

इस मन्त्रिमन्डल में ऐसे दौर चलते हैं। उसमें हम लोग भी सम्मिलित थे। हमारी तरफ जिन्होंने ऐसा किया था वह तो गहरे दफन हो गये यानी जमींदारी। जमींदारी खत्म होने के बाद हमारा देश तरक्की करे और हम सर उठा कर कह सकें कि हम आज आजाद हैं, सच्चे मानी में हम आजाद हैं। इन क्षेत्रीय समितियों के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनेंगे, मुझे उम्मीद है वे ऐसी एग्जाम्पिल सेट करेंगे जिससे दुनिया की नजरों में हम लोग उठ सकेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री बसन्त सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। इस संशोधन में इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने, उसकी परिधि को बढ़ाने की मांग की गयी है जिसका संकल्प केवल एक सप्ताह में सदन में देने की बात कही गयी है। श्री बेचन राम जी ने कहा कि जब १० तारीख को चुनाव होने वाले हैं तब ऐसा संशोधन स्वीकार करने के मानी यह होंगे कि जो चुनाव होने वाला है उसे खटाई में डालना होगा। मैं समझता हूं कि एक या दो दिन तक इस संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति विचार करे, हाउस के सामने अपनी रिपोर्ट दे और उसके बाद चुनाव हों तो इसमें दिक्कत क्या होगी? अगर ऐसा ख्याल है कि चुनाव जल्दी से जल्दी करा देने से शायद कुछ फायदा हो सकेगा तो जो एक सप्ताह का समय है उसे एक दिन या दो दिन रख दिया जाय, उस प्रवर समिति में इधर और उधर के सदस्यों का समावेष होगा और फिर उनके विचारों के अनुरूप चुनाव कराये जा सकेंगे और चुनाव कराने के साथ-साथ जो इस संशोधन विधेयक में संशोधन किये गये हैं उनके अतिरिक्त भी संशोधन लाये जा सकेंगे। श्रीमन्, इस संशोधन विधेयक में मुख्यत: ४, ५ संशोधन हैं। इस संशोधन विधेयक को खासतौर से लाने की आवश्यकता न पड़ी होती अगर उच्च न्यायालय में कोई रिट दाखिल न हुआ होता। लेकिन माननीय न्यायाधीशों ने मजबूर किया कि सरकार इस प्रकार के संशोधन लाये और अपने पुराने विचारों को बदल कर कुछ नये ढंग से सोचे। इस संशोधन विधेयक में जो धारा २ है जिसमें कहा गया है कि २ और ३ तो १८ जुलाई, १९६२ से लागू माने जायेंगे और शेष को जब आप पास कर लेंगे तब से लागू माना जायगा। इस प्रकार के संशोधन कभी लाने नहीं चाहिये हाउस में। जब हाउस में आप कोई संशोधन विधेयक पास करते हैं उसी वक्त से उसको लागू करने का भाव आपके अन्दर होना चाहिये। यह कोई लोकतन्त्र की परम्परा नहीं होगी कि विधेयक तो आज पास करें और उसको तीन, चार साल पहले से लागू करने की बात सोंचे।

साथ-साथ यह भी माननीय मन्त्री जी को सोचना चाहिये था कि जब आप संशोधन विधेयक ले ही आये कि लाने में समय लगा है उस पर विचार करने में समय लग रहा है, अध्यादेश जारी करने में समय लगा है, उसमें आपने माननीय उमाशंकर जी की दिक्कत सुनी होगी, वह दिक्कत है और यह जो विधेयक हमारे सामने है उसको पूरा तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन शायद उसमें कोई ऐसी धारा नहीं है कि जैसे यहां हाउस में बैठकर हम डिवीजन काल कर देते हैं उस तरह की कोई धारा इसमें हो। यहां एक शब्द भी आपकी आज्ञा से कहें तो हमारे शार्टहैंड रिपोर्टर दोस्त उसको नोट करते हैं, वह हमारे सामने आता है और जब हम उस पर दस्तखत कर देते तब वह कार्यवाही में लिखा जाता है। इस संशोधन विधेयक में कहीं इसकी चर्चा नहीं है। वहां तो अध्यक्ष हम जो भी कहें अध्यक्ष उसको सुने या न सुने, कार्यवाही में लिखा जाय या न लिखा जाय इसके लिये इस संशोधन विधेयक में कोई प्राविजन नहीं है। सब जिलों की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन आजमगढ़ की बात मैं जानता हूं कि जो अध्यक्ष चाहते हैं वही कार्यवाही

लिखी जाती है, उससे एक शब्द आगे नहीं लिखा जा सकता। ऐसा मैं समझता हूं सरकार का भी इरादा नहीं होगा। कि सदस्य जो संशोधन करना चाहें किसी बात में, किसी संकल्प में अपनी राय अलग देना चाहें तो वह कार्यवाही में न लिखा जाय, दूसरे दिन जानना चाहें कि क्या हमने कहा है तो वह कार्यवाही बता न सके। तो जहां आप, अपने दृष्टिकोण से ही सही संशोधन करने जा रहे हैं वहां आप हम लोगों की भी दिक्कतें सुन कर उन पर विचार करते। इसीलिये प्रवर समिति में जाने की बात है। हाउस में तो एक परम्परा सी है और सरकारी पक्ष के लोगों ने ऐसी बात हमारे मन में बिठा दी है कि इधर के लोग अच्छी से अच्छी बात भले ही कहें, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होने वाली है और इधर के आदमी, कृष्णानन्दराय जी जैसे सदस्य कुछ भी कह दें वह बात शिरोधार्य होगी। ऐसी हालत में हमें मजबूर हो कर कहना पड़ता है कि आप प्रवर समिति में भेजिये और वहां पार्टीबन्दी को छोड़ कर संशोधनों को सुनिये। जिला परिषद् और क्षेत्र समिति जो रचनात्मक काम करने वालों का अड्डा होना चाहिये, जहां मत-भेदों को भुला कर गांव में संगठन का काम कैसे किया जाय, कैसे नाली, सड़क या स्कूल बनाये जायं। ये तो ऐसे काम हैं जिनसे किसी को विरोध नहीं हो सकता। स्थान से विरोध भले ही हो लेकिन स्कूल, सड़क या अस्पताल न बने ऐसा तो कोई विरोध करेगा नहीं। तो आपको चाहिये था कि आप इस संशोधन को मानते सात दिन नहीं, हम एक दिन में रिपोर्ट देते। श्रीमन्, आपको याद होगा कि जमींदारी उन्मूलन विधेयक के सिलसिले में २ बजे रात तक हम लोग बैठे थे और संशोधन विधेयक को पास किया था। हम सरकार को इत्मीनान दिलाते हैं कि एक दिन का समय दे दीजिये और हम रात भर बैठकर पास कर देंगे और सर्वसम्मत्ति से पास हो जायगा। सरकार ऐसा काम क्यों नहीं करती है? सरकार को ऐसा सुझाव ठुकराना नहीं चाहिये।

धारा १७ में संशोधन किया गया है कि "जिला परिषद्" और शब्द "स्थापित करेगी" के बीच में कामा तथा अंक "धारा १८ की उपधारा (१) तथा (२) के अधीन उसकी रचना के पश्चात् यथाशाक्य शीघ्र" निकाल दिया जाय। इसके माने हैं कि सरकार जल्दी न करने की छूट लेना चाहती है कि जब चाहे लागू करे। इस शब्द को निकालने की कोई जरूरत नहीं है और जैसा पुराना विधेयक है वैसे ही रहने दिया जाय। इसमें सरकार को ही फायदा है। जब जल्दी न्याय नहीं मिलता है तो शंका होने लगती है। इसलिये इस शब्द को निकाल कर संदेह क्यों पैदा करना चाहते हैं।

इसी तरह से धारा १९ में एक प्रतिबन्ध ला रहे हैं। प्रतिबन्ध यह है कि "राज्य सरकार जिला परिषद् के अध्यक्ष के निर्वाचन किये जाने के लिये वह किसी व्यक्ति को तब तक के लिये अध्यक्ष नामांकित कर सकती है जबतक कि धारा १७ के अधीन प्रथम जिला परिषद् की स्थापना के पश्चात् अध्यक्ष का निर्वाचन न हो जाय।" हमने सारे सूबे का तखमीना लगाया है और ज्यादा से ज्यादा जिसको वोट मिले हैं उसको प्रेसीडेंट माना है। फिर इस धारा को क्यों रखा है? इसलिये कि जब तक पांच साल के बाद चुनाव आयें और कोई अध्यक्ष अपनी राय के अनुकूल न हो तो दूसरे को नामांकित कर दिया जाय यह बात अच्छी नहीं है।

मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें सरकार का कतई फायदा नहीं है। जनता के द्वारा जो व्यक्ति चुनकर आते हैं उनके दिलों को ठेस पहुंचा कर उनके ऊपर आप ऊपर से आदमी लादना चाहते हैं। इससे लोगों के दिलों में सरकार के प्रति अच्छा स्थान नहीं मिलेगा। कानून की खूबी तो यह है कि वह लोगों के दिलों में अच्छाई पैदा करे और उसका खुशी से पालन करने के लिये लोग तैयार हों। जिस कानून को सरकार पुलिस द्वारा या डन्डे के बल पर जनता के ऊपर लादना चाहती है उससे जनता के दिल में स्थान पैदा नहीं होता है और वह कानून कभी भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इसलिये इस चीज को हटाइये। जब नया अध्यक्ष चुन जाय तो वह पुराने अध्यक्ष से चार्ज ले ले। नये अध्यक्ष के नामांकन की कोई जरूरत नहीं है। इससे सरकार अपनी और कानून की बदनामी कराती है।

श्रीमन्, धारा २० में संशोधन किया गया। पहले यह था कि जो सदस्य अनुमेलित होंगे उनका कार्यकाल उनके अनुमेलन के दिनांक से प्रारम्भ होगा और इस धारा में अथवा इस

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

अधिनियम में अन्यत्र की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जिला परिषद् के कार्यकाल तक होगा। अब यह कहते हैं कि जिला परिषद् बने तब से। आखिरकार जब चुनाव होता है, संविधान है, हम उसके जरिये चुनकर असेम्बली में, पार्लियामेंट के मेम्बर बने हैं। १९६२ में चुनाव हुआ जनता को मालूम है कि ठीक पांच साल के बाद १९६७ में चुनाव होगा असेम्बली या पार्लियामेंट का। लेकिन इस सरकार का दूसरा इरादा है, आजमगढ़ में दूसरी तारीख, मेरठ में दूसरी तारीख, बुलन्दशहर में दूसरी तारीख और अल्मोड़ा में दूसरी तारीख को चुनाव होगा। सब का कार्यकाल अलग-अलग होगा। यह एक अनिश्चितता-सी है।

श्री उपाध्यक्ष—

जरा समय का ख्याल कीजिये। इसको आज साढ़े पांच बजे तक समाप्त होना है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अभी काफी समय है। अगर बोलने के लिये समय निश्चित होता कि हर सदस्य १५ मिनट बोले तो मान लेता।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो कार्यकाल नियत होता है तो जो वोटर हैं और काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको संतोष होता है कि अगर अपनी मर्जी के खिलाफ कोई सभा, समिति या परिषद् चुन गया है तो पांच साल के बाद फिर अधिकार मिलेगा उसको हटा कर अच्छे आदमी को बिठायेंगे। लेकिन हमारी सरकार का रोज विचार बदलता है। पहले यह था अनुमेलित किसी सदस्य का कार्यकाल उसके अनुमेलन के दिनों से प्रारम्भ होगा। अब उसको हटा रहे हैं। इस तरह से जल्दी-जल्दी विचारों को बदलना और कानूनों में जो स्थिरता होनी चाहिये वह नहीं रहती तो न जनता में विश्वास होता, है न दलों में।

एक जो सबसे बड़ी खराबी देख रहा हूं वह है नामांकन का वैधीकरण। धारा ६ है। इसमें कहा गया है कि किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिग्री अथवा आदेश में किसी विपरीत बात के होते हुये भी इस प्रकार किये गये नामांकन वैध होंगे और सदन से वैध समझे जायेंगे। अगर अदालत से हुक्म ले आयें तो उसका नामांकन पर कोई असर होने वाला नहीं है। मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं पांडेय जी से। वह जवान व्यक्ति हैं, उनसे हमारे जैसे आदमियों को जो बुड्ढे हैं बड़ा भरोसा है। अगर वह इस तरह का संशोधन ले आते हैं जिसमें हमसे यह अधिकार ले लेते हैं कि कहीं भी किसी अदालत में जायं लेकिन उसका फैसला नहीं माना जायगा इस तरह की बात सरकार को शोभा नहीं देती।

एक निवेदन और करूंगा। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि माननीय कृष्णानन्द राय जी ने हाउस में ला दिया इसलिये साफ करना चाहता हूं। उन्होंने एक दलील दिया कि हमने उन्हीं को नामांकित किया जिनको वोट ज्यादा मिले थे। वह तो हमारे पड़ोसी हैं। मैं नहीं जानता कि श्री अमजद अली साहब हाउस में हैं। श्री इन्द्रासन सिंह, श्री कुंजबिहारी मिश्र भी शायद हाजिर नहीं हैं। लेकिन वह जानकारी हासिल कर लें कि मैं गलत कह रहा हूं, या सही कह रहा हूं। श्रीमन्, हमारे यहां आजमगढ़ में होड़ लगी, स्वतन्त्र उम्मीदवारों को कांग्रेस में लाने की। आप जानते ही हैं कांग्रेस में दो गोल हैं। दोनों गोल के लोगों ने आपस में होड़ लगायी कि हम ज्यादा से ज्यादा स्वतन्त्र जीतकर आये हुये प्रमुखों और सदस्यों को अपनी तरफ खींच लें और उन स्वतन्त्र उम्मीदवारों के खींचने का नतीजा यह हुआ कि जो स्वतन्त्र उम्मीदवार रामकुंवर जी जो साथी थे, वह श्री शिवराम राय को वोट दे दिये। श्री रामवचन यादव, श्री उमराव सिंह और श्री अलगूराय शास्त्री के कहने पर जो श्री रामकुंवर के साथी थे उन सब लोगों ने जाकर श्री शिवराम राय को वोट दे दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि कामता सिंह, पांडेय जी के ग्रुप के जो उम्मीदवार थे, वह हार गये और श्री अलगूराय शास्त्री के गुट का उम्मीदवार हो गया।

लेकिन जब वोट आये तो सारे के सारे वोट जो श्री शिवराम राय को मिले वह चले गये, श्री रामकुंवर जी की ओर। तो यह तो आपकी काउंटिंग है।

श्रीमन्, माननीय मंगलदेव जी एक किस्सा सुनाते हैं कि एक पंडित जी थे। उनको नदी पार करना हुआ मय बाल-बच्चों के तो नदी के किनारे गये और नदी को थहाया तो कहीं ज्यादा गहरी, कहीं कम गहरी, फिर उन्होंने सब लड़कों-बच्चों की लम्बाई जोड़ी और हिसाब लगाया तो कहा कि चलो ठीक है, सब पार हो जायेंगे। लेकिन जब जोड़-जाड़कर नदी पार करने लगे तो बीच में ही डूब गये। हम लोग यह किस्सा कहते हैं कि "लेखा जोखा थाही त लड़िका बूड़लें काही।" तो माननीय कृष्णानन्द राय जी, आपका हिसाब ऐसा ही है। मैं उनके जिले की बात तो नहीं कहता लेकिन आजमगढ़ जिले की बात कहता हूं। बहुत समय से हिसाब देख रहा हूं। उमराव सिंह का हिसाब देखा, उसके बाद एक दूसरा और देखा और इस मर्तबा भी आपका हिसाब देखूंगा। जिसको आपने मनोनीत किया है १५ दिन में, एक महीने में उन्होंने क्या-क्या काम किये हैं यह जरा आप अपने प्लानिंग अफसर से और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछिये। एक आदमी को श्रीमन्, १५ दिन के अन्दर १५ जगह तबादला किया। एक दिन बोर्ड की मीटिंग हुई, उसकी क्या हालत रही यह आप जरा प्लानिंग आफिसर और कंडक्टर से पूछिये। ऐसे-ऐसे लोगों को आप नामजद करते हैं। इसलिये मैं आप से कहता हूं कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। २५ लाख, २६ लाख, दस लाख, जिले की आबादी का सबसे बड़ा आदमी आप चुनने जा रहे हैं, तो इस तरह जल्दबाजी से कानून जनता के ऊपर कानून को लादिये मत। अच्छा काम करके, उनके दिलों को जीतिये। उनके दिल जीतेंगे तो आपका कानून लागू रहेगा, पुलिस की जरूरत उसे लागू कराने के लिये आपको नहीं पड़ेगी। गान्धी जी की बात कल माननीय पांडेय जी कह रहे थे कि हम तो उन्हीं के अनुसार चल रहे हैं। गांधी जी तो कहते थे कि ऐसा राज बनेगा जिसमें राज शक्ति मुरझा जायगी। लेकिन यहां कामराज योजना न आयी होती तो शायद ४५ से बढ़कर ५० संख्या हो जाती मन्त्रियों की। इसलिये गांधी जी की बात आप न कहिये, अपनी बात कहिये तो समझ में आ सकती है। गांधी जी की बात तो किताबों में लिखी हुई है लेकिन आपकी बात का कोई प्रमाण नहीं है।

इसलिये, श्रीमन्, मैं आपके जरिये से मैं निवेदन करूंगा कि सामुदायिक मन्त्री, माननीय राममूर्ति जी से, उन्होंने नया-नया इस विभाग को सम्भाला है अगर पांडेय जी से भी, वह उनका तो पुराना ही विभाग है, कि जल्दी मत कीजिये। इस संकल्प को मान लीजिये। आप समय एक दिन या दो दिन का रख लीजिये। वहां बैठकर उस पर विचार हो जाय और फिर संशोधन विधेयक लाकर एक दिन में सर्वसम्मति से पास कर दीजिये। हमने, श्रीमन्, प्रवर समिति में बैठकर एक दिन में, दो दिन में रिपोर्ट दी है और सर्वसम्मति से उसे यहां पास किया है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस संशोधन को मान लीजिये। प्रवर समिति में बैठकर एक या दो दिन में उसकी रिपोर्ट लेकर, वहा जो संशोधन वहां करे, उस संशोधन को यहां लाकर पास कर लीजिये, जिससे कि प्रदेश में जो विकास परिषद् कायम होने वाली हैं वह अच्छी से अच्छी कायम हों और उसके द्वारा प्रदेश के विकास का सारा काम उचित ढंग से हो।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के पीछे इसकी पृष्ठ-भूमि में १९४८ से लेकर आज तक के १५ वर्षों में एक बड़ी उद्वेगजनक कहानी है। सन् १९४८ में चुनाव हुए। सन् १९५८ में एक अधिनियम पास करके अन्तरिम जिला परिषदों द्वारा काम चलाया गया। फिर जब देखा गया कि इस अधिनियम से काम नहीं चल रहा है तो फिर एक दूसरा अधिनियम १९६१ में लाया गया। बहुत ही दुख की बात है कि उस अधिनियम के बनाने में समय और खर्च हुआ होगा परन्तु जून, १९६३ तक उस अधिनियम का उपयोग नहीं किया जा सका। प्रस्तुत विधेयक के उद्देश्य और कारण में यह बतलाया गया है कि तब अन्य आवश्यक कदम उठाये गये। वह आवश्यक कदम जब उठाये गये तो याचिका के द्वारा उसकी चुनौती हो गई और धांधली की न्यायालय में छीछालेदर हो गई। उसी न्यायालय ने सरकारी कमजोरियों का ध्यान करके

[श्री रघुनाथसिंह]

सहायता के रूप में यह संकेत किया कि अध्यादेश को जारी करके काम किया जा सकता था। तब अध्यादेश जारी किया गया। उस अध्यादेश की कल दाह-क्रिया समाप्त करके अब शुद्धक की स्थिति में हमारे मन्त्री जी और हमारे सभा सचिव जी आज इस विधेयक पर विचार करने के लिये बैठे हैं। गलती सब से होती है। मन्त्रियों से हुई और अधिकारियों से हुई, वैसे वह गलती खेदजनक जरूर थी। मेरा निवेदन है कि आज अध्यादेश की दाह-क्रिया करके शुद्धक की स्थिति में आप केवल शुद्ध मन से काम करने लगें तो अच्छा है। मेरा अनुरोध है कि जनतन्त्र के नाम पर, देश के कल्याण के नाम पर और बड़े भाई के चलते हुए कदम का भविष्य में छोटे भाइयों द्वारा अनुसरण होने के नाम पर आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस विधेयक को प्रवर समिति में जाने दें। मेरा यह अनुरोध बहुत उपयोगी है और दुराग्रहपूर्ण नहीं है और आपको विश्वास करना चाहिये कि मेरा दुराग्रह नहीं है, मेरी व्यक्तिगत धारणा में माननीय मन्त्री जी कर्तव्यपरायण हैं। उन्होंने तत्परता से वे सब काम किये जिन्हें लेकर मैं उनके पास गया हूं। माननीय पांडेय जी भी मेरे मित्र हैं और मैं उनको एक प्रगतिशील विचारधारा का मानता हूं तो उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप इस विधेयक को प्रवर समिति में जाने दें और शुद्ध मन से पिछली सारी बुराई के कीचड़ से अपना कदम हटाकर शुद्ध हृदय परिवर्तन से इस काम को करें। आप स्वयं जिला परिषदों को बहुत बड़ा अधिकार देने जा रहे हैं और आप उसको एक ठोस इकाई बनाना चाहते हैं। इस विषय में व्यक्तिगत रूप से भविष्यगत बहुत ही बातों की चर्चा स्वयं आपने मुझसे की थीं।

मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आज इस विधेयक को लाते समय आप भूतकाल की गलतियों को धांधली के कीचड़ में पैर न रखिए जैसा कि इस विधेयक की धारा २ के द्वारा आप अपनी भूतकाल की गलतियों को अपनाये रखना चाहते हैं। यह अधिनियम कहलायेगा और इसकी २ से ५ तक की धारायें १८ जुलाई, ६२ से प्रचलित समझी जावेंगी, पूरे १५ महीने पीछे से। इस प्रकार इस विधेयक द्वारा आप पीछे की गलतियों का अनुमोदन करा लेना चाहते हैं। यह चेष्टा किसी कार्य के लिये कोई अच्छी बात नहीं है। इस वजह से मेरा कहना यह है कि इस विधेयक के पीछे जब छीछालेदर की एक बड़ी कहानी है, १५ महीने के बाद तो आप से सही काम की आशा होती। लेकिन जिस प्रकार से यह लीपापोती हो रही है उसमें हमको ऐसा नहीं लगता है कि इस स्थिति में आगे कोई सुधरा हुआ काम किया जायगा। अपने अनेक बुरे कामों के साथ, आप, कुछ अच्छे प्रगतिशील काम भी किया करें, जिससे थोड़ा संतुलन बना रहे। मेरा तो मन ललचा करता है, कि आप कुछ अच्छे काम करें, और हम आपका समर्थन और प्रशंसा भी कभी-कभी कर सकें। तो प्रवर समिति में इसको भेज कर हमारे सुझावों के अनुसार आप काम करें ताकि स्वायत्त शासन की एक अच्छी रूपरेखा बने।

एक बात और कहना चाहूंगा। इस सम्बन्ध में अभी नामांकन और अनुमेलन को ले कर जो बातें हुई हैं वे निन्दनीय हैं। आपने धारा ४ में जो प्रतिबन्ध दिया है उसके द्वारा सरकार ने अपने लिये एक छूट ली है कि धारा १७ के अधीन जिला परिषद् की स्थापना के बाद अगर अध्यक्ष का निर्वाचन न हो, तो उस समय तक के लिये आपने फिर नामांकन करने की छूट ली है। इससे फिर वही छीछालेदर होने की संभावना है। जब आप जिला परिषद् को शक्तिशाली बनाने जा रहे हैं, कार्य समक्ष बनाने जा रहे हैं तो आप नामांकन करने की छूट न लें। जैसे विधान सभा का चुनाव और गठन होता है, उसी प्रकार एक छोटी इकाई के रूप में जिला परिषद् का भी निर्माण होने दें। आपको उसे शक्तिशाली बनाने के लिये प्रतिक्रियात्मक नहीं होना चाहिये।

एक बात अन्त में मुझे बहुत खेदजनक मालूम हुई। यह हमारा जनतन्त्र है और इसमें आधी संख्या स्त्रियों की है। पुराने ऐक्ट की धारा १८ (२) में एक बड़ा अवांछित बन्धन रखा गया है जिसे इस संशोधन विधेयक द्वारा हटना चाहिये था। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि स्त्रियां हमारे साथ माता, बहिन, स्त्री आदि के साथ-साथ आज बहुत से कामों में सहयोगी के रूप में

भी आ गयी हैं और उन के लिये आपने सुविधा रखी है कि जिले की संख्या के अनुसार ३ या ५ तक की संख्या में उनका अनुमेलन होगा। जब आपको यह ध्यान आया कि वे भी तो चुनाव लड़ कर आ सकती हैं और उनकी संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक भी हो सकती है तो आपने कह दिया उपधारा एक में कि उनकी चुनाव द्वारा प्राप्त उल्लिखित संख्या यदि कोई हो तो उनको भी आप अनुमेलन की संख्या में शामिल कर लेंगे। चुनाव में कितना अनाचार, भ्रष्टाचार होता है इसे हम आप सब जानते हैं, और उसके बाद भी यदि वे चुनाव लड़ कर आ जायं तो आप उनकी संख्या को अनुमेलन की संख्या में शामिल कर लेंगे, यह नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह अवांछित और अप्रगतिशील है और इसे इस संशोधन विधेयक द्वारा सुधारना चाहिये था। आपको अच्छे काम करने चाहिये और इसलिये मेरा अनुरोध है कि मेरा यह सुझाव मान कर आप इसमें सुधार कीजिये।

अन्त में एक बात और है। पुराने अधिनियम की धारा १८ (२) में आपने एक अधिकार ले रखा है और वह यह कि अनुसूचित जातियों की संख्या उतनी हो जाय जो निर्दिष्ट की जाय। यह तिकड़मबाजी बहुत दिन तक नहीं चलेगी। आप इसी विधेयक में उसको निर्दिष्ट कर दीजिये। आप विधेयक बनाएं, संशोधन लायें और उसमें तिकड़म भी इस प्रकार से रख दें तो यह उचित नहीं है। आप उस सब को इसी विधान सभा में रखिये और पास कराइये जो कुछ भी आप करना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप से साग्रह अनुरोध करूंगा कि जनतन्त्र और प्रगतिशीलता के नाम पर इस विधेयक को प्रवर समिति में जाने दें और इसका वहां से अच्छा रूप आने दें जिस में स्वायत्त शासन के रूप में जनता के कल्याण का कार्य यह सरकार कर सके।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं थोड़ा ही समय लूंगा। मान्यवर, आज बदकिस्मती से इस प्रदेश में प्रजातन्त्र और पंचायती राज की संस्थाओं की यह स्थिति हो गयी है कि जम्हूरियत की विरोधी संस्थाओं के सदस्य भी आज सरकारी पक्ष को उपदेश देने की हिमाकत करते हैं। अभी हमारे सामने कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य ने जम्हूरियत की शिक्षा और नसीहत सरकारी पक्ष को देने की कोशिश की। यह दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि जिस व्यक्ति की और दल की आस्था जम्हूरियत में नहीं है, प्रजातांत्रिक मान्यताओं में जिसका विश्वास नहीं है वे भी हिम्मत करते हैं इस प्रदेश की हुकूमत को प्रजातन्त्र का सदुपदेश करने की। प्रजातन्त्र के साथ जो प्रदेश में मखौल हो रहा है उसी का यह प्रतिफल है कि प्रजातन्त्र के सिद्धांत के विरोधी सदस्य भी आपको उपदेश देने की हिमाकत करते हैं। मैं सरकारी पक्ष के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कम से कम प्रजातन्त्र को कलंकित न होने दें और उसकी बुनियाद को जाने-अनजाने में ठेस न पहुंचने दें।

मान्यवर, क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम की जिन ४ धाराओं में संशोधन के लिये यह संशोधन विधेयक आया है उसके सम्बन्ध में चर्चा महीनों से है। मूल ऐक्ट की धारा १७ में जिला परिषद् की स्थापना की घोषणा करने की बात थी और उसके पश्चात् धारा १८ में अनुमेलन आदि की कार्यवाही होती थी। यह बात स्पष्ट है किन्तु खेद है कि इस स्पष्ट नियम की तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया और इतनी भयंकर भूल इस प्रदेश की सरकार ने की कि जिला परिषद् की स्थापना के पूर्व ही सदस्यों का अनुमेलन कराया जिसके फलस्वरूप हाई कोर्ट में रिटें दाखिल हुईं। आप चाहते हैं कि उनकी स्थापना के पहले जो आपने नामिनेशन किया है वह वैध हो जाय। यह तो उसी प्रकार है कि जैसे पिता की पैदाइश से पहले पुत्र का जन्म हो जाय। इस प्रकार की कल्पना सरकारी पक्ष के ही लोग कर सकते हैं। अगर कांग्रेस दल का निदेश हो तो हमारे मित्र कृष्णानन्द राय जी यह कहने के लिये भी तैयार हो जायेंगे कि सम्भव है। उनके यहां यह सम्भव हो भी सकता है। लेकिन, श्रीमन्, यह बिल्कुल अनहोनी बात है। सरकार को चाहिये यह था कि विधेयक की धाराओं के अन्तर्गत ही वह कार्य करती और मूल अधिनियम की धारा १७–१८ को अमल में लाती। सरकार ने जो गलती की है, उस

[श्री मैनेजरसिंह]

पर लीपापोती करने के लिये सरकार यह संशोधन बिल लायी है और चाहती है कि अनुमेलन को वैध करार दे दिया जाय। अपनी गलतियों को सही बनाने के लिये यह संशोधन विधेयक पेश हुआ है। इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं और चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

श्रीमन्, धारा १९ में एक प्रतिबन्धात्मक खंड जोड़ा गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिला परिषदों की घोषणा के बाद, जिला परिषदों के पूर्णरूपेण गठन होने के बीच की अवधि हेतु कोई व्यवस्था हमारे अधिनियम में नहीं है। यह सरकार की भूल है। इस में और अगर यह जोड़ दिया जाता कि जो भूतपूर्व अध्यक्ष होंगे वही तब तक कार्य सम्भालेंगे जब तक कि नये नियमों के अनुसार परिषद् का पूर्णरूपेण गठन नहीं हो जाता, तो किसी भी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति नहीं होती।

श्रीमन्, पार्टीबाजी जो होती है उसका जिक्र मैं नहीं करूंगा। इस सरकार ने पंचायत राज की तस्वीर को बिगाड़ा है। एक देहात का किस्सा है "लड़िका मालिक बूढ़ दीवान, मामला बिगड़े सांझ बिहान"। माननीय बंशीधर पांडेय जी के राज्य में यही होगा। जब श्रीमन्, किसी घर का बच्चा तो मालिक होगा और उसका बूढ़ा दीवान होगा, तो वहां का काम हमेशा बिगड़ेगा। इसलिये मैं नम्रतापूर्वक आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि इस तरफ ध्यान दिया जाय। जल्दबाजी में कोई काम न किया जाय। एक बात और कहना चाहता हूं। सरकार ने अध्यक्षों और सदस्यों का जो मनोनयन किया है वह एक अनोखा कार्य है और उसकी सफाई देने की हैसियत में सरकार नहीं है। यदि सरकारी पक्ष सफाई न दें तो शायद उनका पक्ष कुछ प्रबल रहे। आपने आजमगढ़ में उन्हीं व्यक्तियों को नामजद किया है जो विधान सभा के चुनाव में पराजित हुए थे। बलिया में तीन सदस्यों को नामजद किया जिनमें एक विधान सभा के चुनाव में हार चुके थे और दो क्षेत्र समितियों के चुनाव में हार चुके थे। जनता ने जिन्हें उचित नहीं समझा उनको मनोनीत कर दें क्या इसीलिये सरकार ने विधान सभा से अधिकार लिया था कि जनता की मनोभावनाओं के विपरीत आचरण करें। चाहिये तो यह था कि आप वह कार्य करते जिससे लोग आप पर उंगली न उठा सकते, लेकिन आप उसके करने के बाद फिर यह चाहते हैं कि आप जिसको चाहें मनोनीत कर दें यह अधिकार आपको दे दिया जाय। इसके द्वारा आपकी बदनामी होगी, प्रदेश की बदनामी होगी और गाली सुनने के लिये आप अपने को मजबूर बना लेंगे। मैं तो कहना चाहता हूं कि आपकी आपसी दलबन्दी से शायद हाई कमान्ड भी नाराज है। वहां भी दो पक्ष हैं और यहां भी दो पक्ष। एक जगह होती तो आप हटते नहीं, आपकी गवर्नमेंट हटती नहीं। हम बार-बार कहते रहे कि आप अपने कृत्यों को देखें, लेकिन आप नहीं मानें और आपकी गवर्नमेंट को एक झटके में हटना पड़ा। आपके कृत्यों से आप स्वयं, आपकी सरकार और आपकी संस्था सब बदनाम हुईं और हाई कमान्ड को मौका मिला कि कामराज योजना के बहाने उन्होंने आपसे कह दिया कि आप गद्दी छोड़िये और आप गद्दी छोड़ने पर मजबूर हुए। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई ऐसा कृत्य न करें जिससे पंचायती राज्य के चिन्ह पर कोई धब्बा लगे, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे और हमारे माननीय भीखालाल जी जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और जिनका जम्हूरियत में विश्वास नहीं है वह आपको उपदेश देने के लिये खड़े हों, इसका आप ख्याल रखें।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने सारे सदस्यों के समय में कटौती करके जो मुझे समय दिया है उसके लिये धन्यवाद, लेकिन जैसे औरों को छूट दी वैसे जरा सी छूट मेरे लिये भी समय की रखियेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, देखिये अब समय बहुत कम है।

श्री लखीसिंह—

माननीय सदस्यों के विचारों को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कुछ माननीय सदस्य इस विधेयक क लिये जो यह कह रह थे कि इस को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाय तो वह सही है और मैं भी उसका समर्थक हूं। प्रवर समिति का जो सुझाव है कि वहां अच्छी तरह से इस पर विचार होना चाहिये वह सही है और ऐसा होना ही चाहिये। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो अनुभव की न हो। सारी अनुभव की बात कहूंगा। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं इस सदन को बतलाना चाहता हूं कि जब मैं रात को शान्ति के वक्त लेटे लेटे सोचता हूं तो कहा करता हूं कि इस सरकार का दिमाग बिल्कुल खराब है। क्योंकि सन् ५४ में हमें नीचा देखना पड़ा जबकि हाई कोर्ट के फसले द्वारा इस सरकार को ५०० रु० हरजाना देना पड़ा कानून तोड़ने के कारण। यह सरकार रोजाना ही कानून तोड़ती है। जो सरकार अपने ही बनाये हुए कानन को तोड़े या जो भी कानून को तोड़े उसे सजा तो जरूर होनी चाहिये। लेकिन यह सजा तो जनता जनार्दन ही देगी, हम तो दे नहीं सकते। जो सरकार हमारे बनाये हुए कानून को और हमारे पवित्र संविधान की एक-एक धारा को तोड़ती जा रही है उस सरकार को सन् ६७ में अंडमान की सजा दे दी जाय, तो वह भी अधिक नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारा बहुमत था। उसका भी मैं एक उदाहरण दे देना चाहता हूं। हमारे जिले मथुरा में जिस वक्त १४ सदस्यों का कोआप्शन हुआ उसमें ५ तो महिलायें थीं और ९ अछूत थे। उस जिला परिषद् में सिर्फ मैं और मेरे साथी श्री राधेश्याम जी थे और हमारे पास यही दो मत थे। लेकिन जो दल बहुमत का अभिमान करता था उसे हमने चारों खाने चित मारा और १० सदस्य मेरे चुने गये। फिर आपका बहुमत रहा या हमारा बहुमत रहा? यह तो मैं केवल एक मथुरा जिले का उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि सारे उत्तर प्रदश में यही हालत है। मैं तो चैलेंज देता हूं कि सन् ४८ में बापू के आदेशानुसार जो अध्यक्षों का चुनाव हुआ था, जो बापू का सपना था उस तरह से चुनाव कराया जाय तो सारे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानतें जब्त न हो जायं तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा। यह एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस तरह से कानून को तोड़ा जाता है और जनतन्त्र का खून किया जाता है। इस विधेयक को समय न मिलने की वजह से मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है उसको मैं सुना देता हूं। क्योंकि इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम सन् १९५८ की अवधि ३० जून, १९६३ को समाप्त हो रही थी और यह इरादा था कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ के अधीन जिला परिषदें उसके तुरन्त बाद कार्य करने लगेंगी। लेकिन आपका असली उद्देश्य तो कुछ दूसरा ही है। आप इसमें यह क्यों नहीं लाते कि आपका उद्देश्य यह है कि सब जगह कांग्रेसी अध्यक्ष जमे रहें और कुर्सी बदस्तूर रहे ताकि हमारे अलावा और किसी पार्टी का कोई अध्यक्ष न बन सके। आपका असली उद्देश्य तो यही है कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहें और उसमें भी केवल कांग्रेस के नहीं बल्कि सरकारी गुट के अध्यक्ष गद्दी पर आसीन रहें। लेकिन इसका भंडाफोड़ हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम सन् ३०–३१ और ४०–४२ की क्रान्ति के जमाने में जनता से कहते थे तो क्या हम इसी तरह के रामराज्य की बात करते थे, क्या यही पंचायतराज है और क्या यही जनतन्त्रीय राज है? इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार का बस नहीं चलता वर्ना यह सरकार अपने को यहां तक गिराने को तैयार हो जाती कि वह शायद एम० एल० एज० का चुनाव और ब्लाक्स के सदस्यों से करा लेती। यह उसकी मंशा है, हो सकता है कि आगे ऐसा ही कोई बिल वह ले आये। हमने जनता के अधिकारों और जनतन्त्र की रक्षा की जो प्रतिज्ञा की है और हमने व्रत लिया है कि हम भारत में जनतन्त्रीय राज चलायेंगे तो उसके लिये इस सरकार का भरोसा तो है नहीं . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप जल्दी समाप्त करें।

श्री लखीसिंह—

अभी बन्द करता हूं, लेकिन तथ्य की बात तो अभी रह गई।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जो कुछ इसके मुताल्लिक हो केवल वही कहिये।

श्री लखीसिंह—

आप को हमारा सुझाव मानना होगा। बापू जी कहा करते थे कि मैं तो सच्चा रामराज और पंचायतराज तब समझूंगा जबकि हरिजन का लड़का प्रधानमन्त्री होगा और कोई किसान देश का राष्ट्रपति होगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि जितनी जिला परिषदें हैं और उन के जो अध्यक्ष आपने मनोनीत किये हैं उन में से कितने ऐसे हैं कि जो पिछड़ी हुई जाति के हैं और हरिजन जाति के हैं? मैं जहां तक समझा हूं यह कांग्रेस की कामराज योजना नहीं है, यह तो इन की कालराज योजना है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपनी बात जल्दी समाप्त करें। आप काफी कह चुके।

श्री लखीसिंह—

मैंने आपको बताया कि भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश की सरकार हर बात में हम को नीचा दिखाती है, गलती सरकार करती है और बदनाम प्रदेश होता है। तो इस सरकार का मानसिक इलाज कराने के लिये अस्पताल या तो आगरे में है या बरेली में है। ऐसे लोगों को जो खराब कानून बनावें जो जनतन्त्र का गला घोटें उनको जरूर मानसिक औषधालय में भेज कर दिमाग ठीक करावें। मैंने सुना है कि कुछ पश्चिमी जिलों में अब भी चुनाव स्थगित करा रहे हैं और कहते हैं कि उसका कारण बाढ़ है। क्या खास बात है आज वहां के सैकड़ों आदमी कचेहरी आते हैं, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव में वह बाढ़ में डूब जायेंगे यह सब उनकी तिकड़म है और तिकड़मी यह सरकार है और अपनी तिकड़म से यह पश्चिमी जिलों की हकतलफी करना चाहती है। मैं, मन्त्री जी, जो सिंचाई विभाग से आये हैं श्री राममूर्ति नाम है, और उधर हैं श्री बंशीधर पांडेय, उनसे निवेदन करूंगा कि कम से कम पश्चिमी जिलों को भी चुनाव में रखिये और उनकी हकतलफी न हो जाय, नहीं तो जनतन्त्र का गला घुट जायगा।

श्री बसन्तसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किये। अधिकांश लोगों ने मेरे प्रस्ताव की पुष्टि की इसलिये मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है। स्पष्ट है सारी जनता क्या कह रही है। यही कह रही है कि सरकार ने गलती की और उस गलती पर मोहर लगाने के लिये यह विधेयक लाया गया है। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि जनमत का आदर रखते हुए जो सदन में भी देखा होगा और बाहर भी सुना होगा, मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

श्रीमन्, जितनी सारी बातें उधर के माननीय सदस्यों ने कहीं उनमें केवल माननीय राम सुन्दर पांडेय और श्री रघुनाथ सिंह ने इस विधेयक से सम्बन्धित जिन धाराओं में वह संशोधन कराना चाहते हैं उन पर कुछ प्रकाश डाला। बाकी सारी बातें वही हैं जो हर मौके पर कही

जाती हैं। कल आर्डिनेन्स पर भी यही बातें कही गयीं जिनको सदन ने अस्वीकार कर दिया। अतः उन सब बातों का जवाब उचित नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह--

उपाध्यक्ष जी, छोटे मुंह बड़ी बात होगी। आप एक टेप रेकार्डिंग करायें कि माननीय बंशीधर पांडेय जी के भाषण जहां-जहां पब्लिक मीटिंग में होते हैं एक ही बात दोहराते हैं या नहीं। अगर कोई नया विषय दे दिया जाय तो बोल नहीं पाते....

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, विधेयक का तो अध्ययन करते नहीं....

श्री मैनेजरसिंह--

आपने जो अध्ययन किया उसका प्रतिफल आज सामने हैं।

श्री बंशीधर पांडेय--

इस विधेयक में कहीं पर इस बात की चर्चा नहीं जितनी सारी बातें की गयीं। माननीय मैनेजर सिंह ही कह सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता।

श्री मैनेजरसिंह--

बिल्कुल गैर-जिम्मेदारी की बात करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जायं।

श्री बंशीधर पांडेय--

मैं माननीय मैनेजर सिंह की भी तारीफ करना चाहता हूं। जो कहा गया कि २ से ५ धाराओं को रेस्ट्रापेक्टिव इफेक्ट दिया गया कि यह १८ जुलाई, १९६२ से ही लागू होंगी, इस संशोधन की इसलिये आवश्यकता पड़ी जब कोर्ट हाई में यह मामला पेश हुआ, सारी बातों में मैं नहीं जाना चाहता, क्या वहां बहस हुई और माननीय न्यायाधीशों ने अपना फैसला दिया, तो वह फैसला सभी माननीय सदस्यों को भलीभांति मालूम है। इस फैसले में माननीय न्यायाधीशों में भी बिलकुल एक मत नहीं था कि धारा १७ किस स्तर पर लागू होनी चाहिये। बहरहाल सरकार की मन्शा बिलकुल साफ थी कि वह जल्दी ही जिला परिषदों की स्थापना कराना चाहती है और इसलिये उसने यह नोटीफिकेशन भी निकाला जिससे ३० तारीख से जिला परिषदों की स्थापना हो जाती। उन्नाव अन्तरिम जिला परिषद् के सब कृत्यों को जिलाधीश, उन्नाव को सब अधिकार के साथ दे दिया गया।

जहां तक जिला परिषदों का सवाल है हमने तो चुनाव का एक कार्यक्रम बना रखा था कि २८ जून को चुनाव होंगे और ३० जून को वह कार्य करेंगे। १७वीं धारा के संशोधन की इसलिये आवश्यकता पड़ी कि उसमें है कि जहां पर इस जिले का सम्बन्ध है राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा और ज्ञापन से प्रत्येक जिले की एक जिला परिषद् स्थापित करेगी तो हमने "परिषद्" और "स्थापित" शब्दों के बीच सेक्शन १७ एस्टैब्लिशमेंट के सम्बन्ध में रखा कि वह किस स्टेज पर लागू हो। एस्टेब्लिशमेंट के बाद वह कार्य करने को तैयार हों। सेक्शन १८ की उपधारा (१) और उपधारा (२) को मिलाकर कम्पोजिशन आफ जिला परिषद् बन गया, अब वह तैयार हो गया। आपने अध्यक्ष का निर्वाचन धारा १९ के अन्तर्गत किया और उसके पहले चूंकि "जिला परिषद् के सदस्य" आये हैं इसलिये यह आवश्यक हो गया कि हम

[श्री बंशीधर पांडेय]

नोटीफिकेशन करें। इस पर माननीय हाईकोर्ट में रिट हो गयी। वहां भी एक माननीय न्यायाधीश ने कह दिया कि यह १८ धारा बन गयी, (व्यवधान) उसका कांस्टीट्यूशन और रिकांस्टीट्यूशन धारा २२ में है। इसलिये धारा १७ को ही एस्टेब्लिश कर देना चाहिये। अब धारा १८ के सेक्शन (१) और (२) को मिलाकर कम्पोजिट बनता है। इसलिये सरकार ने सोचा कि यह आवश्यक हो गया है कि चूंकि हाई कोर्ट का फैसला हो गया है, अतः धारा १७ में परिवर्तन किया जाय। इसको एस्टेब्लिश्ड माना जाय।

धारा १८ जो है उसमें एक बात आई है। उसमें आफ्टर दी कान्सटीटुयुशन और रिकान्सटीट्यूशन जो जिला परिषद् का हमने रखा है इस पर काफी बहस हुई और इस प्रकार "कम्पोजीशन" शब्द लाने के लिये उस "रिकान्सटीट्यूशन" के हटाने की बात की गयी। कास्टीट्यूशन तब होता है उसके अनुसार परिवर्तन करेंगे और जब १८ (१) १८ (२) बन जायं तब वह कम्पोजीशन होता है, तो १८ धारा में परिवर्तन करने की बात की गयी।

धारा १९ में परिवर्तन करने की बात है। उसमें सबसे मुख्य बात है और यही धारा सबसे बड़ा विवाद का विषय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के सामने बन गया था। जब ऐक्ट के मुताबिक जिला परिषद् की स्थापना हो जाय और अध्यक्ष न रहे तो बीच में हम अन्तरिम व्यवस्था कायम कर सकते हैं। और २१ धारा में आप देखेंगे कि यह दिया हुआ है कि सरकार जो उचित समझे कर दे। २१ वीं धारा को दृष्टि में रखते हुए धारा २७२ के अन्दर रिमूवल आफ दी डिफिकल्टीज आर्डर कायम किया और एक प्राविजो बढ़ाया कि धारा १९ के अन्तर्गत यह प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय कि "प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार जिला परिषद् के अध्यक्ष निर्वाचित किये जाने के लिये जो उसके योग्य हों किसी व्यक्ति को तब तक के लिये नामिनेट कर सकती है जब तक कि धारा १७ के अधीन प्रथम जिला परिषद् की स्थापना के पश्चात् अध्यक्ष का निर्वाचन न हो जाय।" यह जिला परिषद् स्थापित हो गयी ३० तारीख को और रिट पिटीशन हो गयी जिससे अध्यक्षों का चुनाव रुक गया। तो बीच में अध्यक्ष, अन्तरिम जिला परिषद् नहीं रहेगा उन जिलों में जहां जिला परिषद् की स्थापना हो गयी और वहां अन्तरिम जिला परिषद् समाप्त हो गयी? इसलिये वहां एक वेकुअम क्रियेट होता और सारे जिला परिषदों के अध्यक्ष ही समाप्त हो जाते।

हाईकोर्ट ने जहां जिलाधीशों को केयरटेकर नामिनेट किया था। केयरटेकर की कोई परिभाषा नहीं की। केयरटेकर की परिभाषा हमारे पास क्या है? यही है कि जब तक अध्यक्ष की व्यवस्था न हो जाय तब तक तुम उसे देखो। जिला परिषद् की मीटिंग को बुलाना अध्यक्ष पद से जो ऐक्ट की धाराओं को एंफोर्स कराना होता है जो बगैर अध्यक्ष के नहीं किया जा सकता है। ये सारे कृत्य श्रीमन्, अध्यक्ष, की अनुपस्थिति में सम्पादित नहीं किये जा सकते थे। ऐसी परिस्थिति में इस सरकार न यह उचित समझा कि एक ऐसा वाक्य जोड़ दिया जाय कि अगर ऐसी स्थिति आ जाय तो हम कुछ समय के लिये जो व्यक्ति उस जिले की जिला परिषद् के अध्यक्ष होने की योग्यता रखता हो उसको उस अन्तरिम समय के लिये नामिनेट कर दें।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मैं एक बात जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अन्त में पूछ लीजियेगा।

श्री बंशीधर पांडेय—

बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा कि एक बार जब यह नामिनेशन का अधिकार धारा १९ के मातहत सरकार ने ले लिया, तो जब भी जिला परिषद् की रचना होगी तो हर बार

अध्यक्ष को सरकार नामिनेट किया करेगी। ऐसी बात नहीं है। यह केवल नामिनेशन एक बार हो चुका और उसको वेलिडेट करने का यह आर्डिनेन्स था। अब दोबारा जब तक जिला परिषद् भंग नहीं होती और जब तक उसका आकार नहीं बन जाता तक तब पुरानी जिला परिषद् का अध्यक्ष ही कार्य चलाता रहेगा जब तक कि नया अध्यक्ष चुन कर नहीं आ जाता है। तो भविष्य में फिर इस बात की आशंका नहीं रह जाती है।

जो क्लाज (६) है उसमें जो आर्डिनेन्स के द्वारा हमने कार्य किया है उसको चूंकि माननीय न्यायाधीशों ने कहा है कि अच्छा होता कि २७२ के अन्तर्गत न करके आर्डिनेन्स के द्वारा किया होता इसलिये उसको वैलिडेट किया गया है और कोई बात नहीं है। इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि सदन जो माननीय बसन्तसिंह ने संशोधन पेश किया है उसको अस्वीकार करेगा और इस पर विचार करेगा।

श्री मैनेजरसिंह--

माननीय सभा सचिव ने जो यह कहा कि जिलाधीशों ने कोई कार्य नहीं किया तो बलिया के जिलाधीश ने उसकी विधिवत मीटिंग बुलाई, उसकी अध्यक्षता की और जो आदेश अध्यक्ष पद से दिये जाते हैं वह उन्होंने दिये। तो क्या वे सब आदेश और वह बैठक अनियमित हुई या इसकी जानकारी उनको नहीं है या जानबूझ कर उसको कहना नहीं चाहते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय--

वह तो मैंने कल कह दिया था।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जिसे विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो तथा जो एक सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:--

पक्ष में--४५

विपक्ष में--८१)

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ तथा ३

२--उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१, जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा १७ की उपधारा (१) में शब्द "जिला परिषद्" और शब्द "स्थापित करेगी" के बीच में कामा, शब्द तथा अंक, धारा १८ की उपधारा (१) तथा (२) के अधीन उसकी रचना के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र" रख दिये जायं। उ० प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९६१ की धारा १७ का संशोधन

३--मूल अधिनियम की धारा १८ की उपधारा (२) में शब्द "उक्त उपधारा के अधीन जिला परिषद् का संघटन या पुनस्संघटन होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र निकाल दिये जायं। धारा १८ का संशोधन

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४ तथा ५

धारा १९ का संशोधन

४--मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (१) के अन्त में आये हुए पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय :--

"प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, जिला परिषद् का अध्यक्ष निर्वाचित किये जाने के लिये अर्ह किसी व्यक्ति को तब तक के लिये अध्यक्ष नामांकित कर सकती है जब तक कि धारा १७ के अधीन प्रथम जिला परिषद् की स्थापना के पश्चात् अध्यक्ष का निर्वाचन न हो जाय।"

धारा २० का संशोधन

५--मूल अधिनियम की धारा २० की उपधारा (३) में शब्द, कोष्ठक तथा अंक "की उपधारा (१) "और शब्द, कोष्ठक तथा अंक "तथा उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन अनुमेलित किसी सदस्य का कार्यकाल उसके अनुमेलन के दिनांक से प्रारम्भ होगा" निकाल दिये जायं।

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ४ के प्रतिबंध के पश्चात् निम्नलिखित रूप में नया प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबंध यह भी है कि नामांकित व्यक्ति अपने नामांकन के पहले इस बात की स्वीकृति देगा कि ५ साल तक अथवा जिला परिषद् के शेष कार्यकाल तक दोनों में जो भी कम हो चुनाव नहीं लड़ सकेगा।"

मान्यवर, यह बहुत ही जरूरी संशोधन है क्योंकि जो लोग भी जिला परिषद् के अध्यक्ष नामांकित किये जायेंगे, उनका जिला परिषद् के अध्यक्ष होने के नाते जिले में बहुत बड़ा असर होगा और उनके हाथ में बहुत-सी ऐसी बातें होंगी जिससे वह किसी को फायदा और किसी को नुकसान पहुंचा सकेंगे। उन में इतनी शक्ति भी होगी कि अगर कोई उनकी मर्जी के मुताबिक काम न करे तो वे उसको डरा भी सकते हैं। ऐसी सूरत में जब कि आप जल्दी चुनाव कराने जा रहे हैं अगर यह प्रतिबंध नहीं लगाया जायगा तो उस वक्त तक सही और जायज कोई भी इलेक्शन नहीं हो सकता है जो जम्हूरियत में बहुत जरूरी है।

इसी तरह से बहुत से लोगों ने इस सदन में अपने शक जाहिर किये हैं और वाकई सरकार की ऐसी बातें हैं जो सही नहीं हैं। मिसाल के तौर पर जब सरकार रिमूवल आफ डिफीकल्टीज आर्डर के तहत जिलों के अन्दर जिला परिषद् के अध्यक्ष नामीनेट किये तो कहीं भी विरोधी दल के लोगों में से या जो किसी दल में न होता उसे अध्यक्ष बनाया। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। इससे साफ जाहिर है कि गुटबंदी के तहत काम किया गया। मैं समझता हूं कि हर जिले में ऐसे आदमी मिल सकते थे जो किसी दल में न होते और जनता में उनकी इज्जत होती। अगर सरकार ऐसा करती तो सरकार की नीयत पर कोई शक न करता लेकिन सरकार उनको ही नामांकित किया जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया था इससे दुनियां क्या समझ सकती थी? किस तरीके से जायज एलेक्शन हो सकते हैं? उनके हाथ में पहले से ही ताकत आ जाने के बाद जो वोटर्स हैं हो सकता है कि वह अपने स्वार्थ के लिये उनके साथ हो जायं और वह यह महसूस करें कि यदि हम इनका साथ देंगे तो हमें कुछ न कुछ फायदा पहुंच सकता ह

यह जम्हूरियत की स्पिरिट के खिलाफ है। ऐसी सूरत के अन्दर यह प्रतिबन्ध जरूर लगना चाहिये उन लोगों के ऊपर जो कि मनोनीत किये जायं सरकार की तरफ से। इसको मानने में मंत्री जी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि वह उनकी स्वीकृति हासिल कर लें और आज बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि असल बात को समझेंगे और स्वीकृति भी दें देंगे। तो उससे सरकार भी बची रहेंगी उस सुबह से जो सरकार की नीयत पर किया जा रहा है। ऐसा यह इम्पार्टेंट विषय है लेकिन इसके अन्दर जो बातें हुईं जो कठिनाइयां हुईं वह सरकार की कमजोरियों से सरकार के अफसरों की नाअहमियत से या आप मुझे माफ कीजिएगा मंत्रिमंडल की नाअहमियत से हुई। तो ऐसे मौके पर जब कि सरकार के ऊपर से लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है, सरकार पर शको-शुबहे की निगाह पड़ रही है और लोग यह समझते हैं कि उनके साथ बाइन्साफी की है, सरकार के लिये जरूरी है कि सरकार इस प्रतिबन्ध को जरूर लगाये। मान्यवर, मैं समझता हूं यह बहुत जरूरी है और इसलिये मैं इसको प्रस्तुत करता हूं।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो है इसकी एक शब्द में मैं परिभाषा करना चाहता हूं और भाई मुमताज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह संशोधन लाकर, इन्होंने सपेरे का काम किया है। सरकार का जो संशोधन इसमें है यह प्रजातंत्र के माथे पर अधिनायक यंत्र का एक काला टीका था सांप के विषैले दांत थे। उसको तोड़ने के लिये मुमताज भाई साहब ने जो संशोधन रखा है वह बिलकुल सपेरे का काम करता है। आप स्वयं देखें जिस धारा के बाद इसको लाया जा रहा है उस धारा में कौन-सी गलती थी, कौन-सी आफत उस धारा की वजह से टूट पड़ी थी जिसकी वजह से यह प्रतिबन्ध लगाना पड़ा। उस धारा में कहीं कोई ऐसी गलती नहीं मालूम पड़ती है जिसकी वजह से यह प्रतिबन्ध लगाना पड़ा और यह आवश्यक हो जाय कि सरकार अपने हाथ में यह अधिकार अनन्त काल के लिये ले ले कि जब वह चाहे तो किसी को नामांकित भी कर सकती है। यह ठीक वैसी ही हालत हुई कि गलती तो इनकी, इनके न्याय विभाग की जो यहां अब की मर्तबा पता नहीं क्या है कुछ ऐसा है कि एक दो नहीं, चार-चार, पांच-पांच ऐसी बड़ी-बड़ी गलतियां कर चुका है कि जिसकी वजह से पूरे प्रदेश का मस्तक केवल भारतवर्ष के सामने ही नहीं अपितु सारे संसार के सामने नीचा हुआ। अभी-अभी श्रीमन्, जो मंत्रियों की शपथ के बारे में चीज थी वह एक अभूतपूर्व घटना थी। उसका प्रमाण कहीं इतिहास में नहीं है। ग्रेजों के यहां के प्रजातंत्र में, जो प्रजातंत्र की जननी कही जाती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसमें कहीं भी इस बात का प्रमाण उसके कई सौ साल के इतिहास में नहीं है कि इस प्रकार की गलती हुई हो कि मंत्रिमंडल आज शोथ ले और कल वह निकाल दिया जाय। तो जिस न्याय विभाग ने इस किस्म की गलती करके प्रदेश के मस्तक को नीचा किया उस न्याय विभाग की यह गलती थी कि उसने सही-सही निर्वाचन के लिये जिस विज्ञप्ति की आवश्यकता थी उस विज्ञप्ति को नहीं कराया उसके एवज में जब रिट दाखिल हुई हाईकोर्ट में तो हाईकोर्ट ने उस चीज को देखकर अध्यक्षों के निर्वाचन को कैंसिल किया। तो हमारी सरकार क्या कर रही है? उस अकर्मण्य और प्रमादी अपने न्याय विभाग की पीठ पर हाथ रखने के लिये यह संशोधन लाई है। यह संशोधन लाकर उस मूल अधिनियम को उस धारा को जिसके द्वारा सरकार की गलती पकड़ी गई हम हमेशा के लिये उसको समाप्त कर देना चाहते हैं। बात समझ में नहीं आती है। आपने उस गलती को सुधार लिया जो गलती न्याय विभाग ने की थी। आपने न्याय विभाग की पीठ पर हाथ रखकर वह गलती सुधार ली कि आपने आर्डिनेन्स जारी कर दिया....

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

रिप्रिजन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट क्या कहता है इसके बारे में? उसके रहते हुये आप इसको डि फ्रेन्चाइज नहीं कर सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुंवर श्रीपालसिंह--

आप हरगिज किसी को उसके अधिकार से रोक नहीं सकते हैं। उसको यह अधिकार रहेगा इसमें इसलिये ये शब्द जोड़े गये हैं कि "स्वीकृति देगा"। अगर किसी मंत्री को यह बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप मंत्री पद छोड़िये तो यह भी बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप मंत्री पद लीजिये। दोनों प्रकार का ही प्रतिबन्ध होता है। हम किसी व्यक्ति को नहीं कह सकते हैं कि तुम खड़े हो और यह भी नहीं है कि तुम न खड़े हो। इसी वजह से इसके पीछे ये शब्द जोड़ दिये गये हैं कि स्वीकृति उसकी ले ली जायगी। इसलिये यह इसमें है। यह समझकर ही यह संशोधन रखा गया है और रिप्रिजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट की धारा को सामने रखते हुये यह संशोधन रखा गया है। मंत्री जी क्षमा करेंगे मैं उनसे कहूंगा कि इधर के लोग उनके न्याय विभाग की तरह औंधा सोने वाले नहीं है। इधर के लोग आंख खोलकर देखते हैं। एक शब्द कहने के पहले यह देख लेते हैं कि इसका क्या प्रभाव होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को न मानकर प्रजातंत्र की हत्या कृपया न करें। जिस रिप्रिजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट का हवाला देने का प्रयास किया उसका गला कृपया न घोंटिये। यह अधिनायकवाद की पावर अपने हाथ में न लीजिये। इसके स्वीकार होने से ही सरकार कब्जे में रह सकती है नहीं तो जिसको ये चाहेंगे उसको नामिनेट कर देंगे।

इसको अगर थोड़ा-सा और देखा जाय तो इसमें एक बात और है। कोई व्यक्ति यदि अर्ह हो या लखनऊ जिले का कोई आदमी यहां के लिये योग्य है और वह उस व्यक्ति की परिभाषा में आ जाता है तो उसको कहीं के लिये भी नामिनेट कर सकते हैं। मेरे पास हिन्दी का विधेयक है। उसमें दिया है और मैं उसको ही मानता हूं। अंग्रेजी के बच्चे तो उधर बैठते हैं। मेरा मतलब कांग्रेस बैन्चों से नहीं है बल्कि उस गैलरी में बैठने वाले लोगों से है।

मैं निवेदन कर रहा था कि अंग्रेजी में चाहे कुछ हो, मगर सही यही माना जायगा। तो किसी भी व्यक्ति को जो अर्ह हो, भले ही वह उस जिले का हो या न हो, आप नामांकित कर सकते हैं। लखनऊ के रहने वाले को आप लखीमपुर या कानपुर के लिये नामांकित कर सकते हैं। तो इस प्रकार की इसमें गलतियां हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

देवरिया में चिश्ती साहब को बना दिया जो छपरा के रहने वाले हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह--

तो दफा १७ की विज्ञप्ति न होने के कारण जो झगड़ा हुआ है उसी प्रकार का झगड़ा फिर खड़ा हो सकता है। तो सरकार को चाहिये कि वह अपने न्याय विभाग को जगावे। हम लोग तो जागे हुए हैं ही इसलिये मेरा निवेदन है कि भाई मुमताज ने जो संशोधन रखा है उसे सरकार अवश्य-अवश्य माने।

श्री राधेश्याम शर्मा--

अभी राजस्व मंत्री जी ने फरमाया कि पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट के मातहत यह संशोधन ठीक नहीं है। मैं कहता हूं और उन से जानना चाहता हूं कि आपका यह ऐक्ट उस दिन कहां चला गया था कि जब २८ तारीख को वोट पड़ने वाले थे और २७ तारीख को दोनों उम्मीदवार मैदान में थे और उसी बीच में आपने अपने ही आदमी को मनोनीत कर दिया। (व्यवधान) मुमताज भाई का संशोधन अपनी जगह पर बिलकुल ठीक है। जो व्यक्ति नामजद कर दिये गये हैं यदि वे इस चुनाव की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे तो उससे ही सरकार की निष्पक्षता मालूम पड़ जायगी। यही बात मैं कहना चाहता था और इसलिये सरकार को इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करना चाहिये।

श्री बंशीधर पांडेय --

श्रीमन्, यह संशोधन सचमुच खारिज करने के लायक है क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन के अनुसार किसी व्यक्ति को चुनाव में भाग लेने से रोक देना गलत है और भविष्य में इस प्रकार अध्यक्ष का नामांकन होने की कोई संभावना नहीं है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा हो सकता है कि जब कहीं सुपरसेशन आदि हो जाय। पिछला चुनाव जो हो चुका है उसमें इस धारा को जोड़ कर ठीक किया गया है। और भविष्य में नामिनेटेड अध्यक्ष आने की बात की कम सम्भावना होगी।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ४ के प्रतिबन्ध के पश्चात निम्नलिखित रूप में एक नया प्रतिबन्ध जोड़ दिया जायं --

"किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि नामांकित व्यक्ति अपने नामांकन के पहले इस बात की स्वीकृति देगा कि वह ५ साल तक अथवा जिला परिषद् के शेष कार्यकाल तक दोनों में जो भी कम हो चुनाव नहीं लड़ सकेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ४ और खंड ५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

६--मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कठिनाइयों को दूर करने का) (पंचम) आदेश, १९६३ द्वारा बढ़ाया गया है, के अधीन किये गये नामांकन, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन किये गये समझे जायेंगे और किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिग्री अथवा आदेश में किसी विपरीत बात के होते हुये भी इस प्रकार किये गये नामांकन वैध होंगे और सदा से वैध समझे जायेंगे। नामांकन का वैधीकरण।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के अन्तिम शब्द "और किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिग्री अथवा आदेश में किसी विपरीत बात के होते हुये भी इस प्रकार किये गये नामांकन वैध होंगे और वैध समझे जायेंगे", निकाल दिये जायं।

मान्यवर, जो संशोधन है वह बहुत ही आवश्यक है। मैं समझता हूं कि सरकार की नीति के ऊपर और भी ज्यादा शुब्हा होने लगता है अगर आप इसको निकाल देते हैं तो अच्छा है। अभी रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट का जिक्र किया गया। क्या उसमें इस किस्म का मौका नहीं दिया गया कि अगर कोई शख्स गलत तरीके से इलेक्ट हो जाता है तो उसके खिलाफ पेटीशन हो सकती है? यहां सवाल इलेक्शन का नहीं है, नामिनेशन का जरूर है। अगर सरकार गलत तरीके से किसी को नामिनेट करती है, जैसी कि पहले भी सरकार ने सख्त कानूनी गल्तियां की हैं जिस से यू० पी० का सर नीचे झुक जाता है कि मंत्रियों ने गलत तरीके से हलफ उठाया और फिर दोबारा पड़ा ऐसी गलतियों का क्या इलाज है? शायद किसी दूसरे डेमाक्रेटिक कंट्री में इस किस्म की घटना नहीं हुई होगी। इसी तरह से मनोनीत करते वक्त भी गलतियां हो सकती हैं। मुझे वह वक्त याद है जिस वक्त पंचों की नामजदगी के लिये एक ऐडवाइजरी कमेटी हर जिले में

[श्री मुमताज मुहम्मद खां]

सरकार ने बना दी थी और उसके अन्दर इस तरीके से बैलेंस रखा था जिसमें कि आपकी पार्टी के लोग जिन्होंने जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को सपोर्ट किया था वही पंच हो सकते थे, चाहे वह अच्छे हों या बुरे हों। इस तरीके के लोग न्याय पंचायतों में पंच बनकर पहुंचे जो अधिकतर ना अहल या नालायक थे। तो यहां भी हो सकता है कि ऐसे लोगों को मनोनीत करें जो इस लायक न हों और जो नालायक हों। उनके खिलाफ अगर अदालतों के दरवाजे भी बन्द कर दिये जायं तो यह कौन-सा इन्साफ है? यह सरकार ऐसा कानून बना रही है जो नाइंसाफी पर मबनी है।

श्री बंशीधर पांडेय--

मुमताज साहब ने जो संशोधन रखा है उसमें यह भी खयाल करना चाहिये था कि यह जो खंड रखा गया है वह इस बीच के पीरियड को ही वैलिडेट करने के लिये है, उसमें यह कोई मंशा नहीं है कि आगे भी नामांकन किया जाय। यह छोटा-सा संशोधन है, कोई बड़ी बात नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या मंत्री जी यह सुझाव स्वीकार करेंगे कि इसमें इतना और बढ़ा दिया जाय कि जो नामांकन ३० जून को हुये थे उन्हीं के ऊपर यह लागू होगा, तो इसका स्पष्टीकरण हो जायगा।

श्री बंशीधर पांडेय--

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ६ के अन्तिम शब्द "और किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिग्री अथवा आदेश में किसी विपरीत बात के होते हुये भी इस प्रकार किये गये नामांकन वैध होंगे और सदा से वैध समझे जायेंगे" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ५, १९६३ का निरसन।

७--उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ निरस्त किया जाता है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय:--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६३, के पूर्णतया प्रचलित होने पर यह अधिनियम स्वतः निरस्त समझा जायगा।"

मान्यवर, जिला परिषदों के बनने के बाद अगर यह अधिनियम ज्यादा अरसे तक जिन्दा रहता है तो वह गलत है और उसकी आवश्यकता नहीं है। लिहाजा मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस तरमीम को जरूर स्वीकार कर लें। यह एक बहुत मामूली-सा लेकिन बहुत जरूरी संशोधन है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

यह संशोधन ठीक उसी तरह से है जैसे पिछली मर्तबा ४ आने वाला लगान बढ़ाने वाली बात थी और माल मंत्री जी से यह आश्वासन ले लिया गया था कि साल भर बाद इसे खत्म कर देंगे। अभी सरकार की ओर से कहा गया कि १० तारीख तक चुनाव होने वाले हैं, अध्यक्ष चुन लिये जावेंगे। तो यह संशोधन केवल इसलिये है कि यह अधिनियम उस समय तक के लिये है जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता। उसमें सरकार की नीयत बिलकुल पकड़ में आ जावेगी।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह अधिनियम रहेगा ही। वह १९ धारा की बात कही थी कि उसकी ज्यादा उपयोग की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब यह ऐक्ट बन जायगा तो इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ७ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६३, के पूर्णतया प्रचलित होने पर यह अधिनियम स्वतः निरस्त समझा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ को संशोधित करने के लिए,

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

(२) इस अधिनियम की धारा २, ३, ४ तथा ५ दिनांक १८ जुलाई, १९६२ से प्रचलित हुई समझी जायेगी, तथा शेष उपबन्ध तुरन्त प्रचलित होंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बंशीधर पांडेय--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उग्रसेन--

मैं अन्तिम वाक्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इस प्रदेश की जनता की कब्र ही नहीं खोद रहे हैं, बल्कि इस विधेयक के पास करने से अपनी भी कब्र खोद रहे हैं । बापू के रामराज्य की, जनतंत्र की और चौखम्भा राज्य की हत्या कर रहे हैं । अगर अल्ला मियां कहीं हों तो इस सरकार को सुबुद्धि दें कि इस विधेयक को अब भी वापस ले ले ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई और घंटी बन्द होते ही सदन के द्वार बन्द कर दिये गये । तुरन्त ही सभापति के दाहिने हाथ की ओर का द्वार खुला और मुख्य मंत्री, सहकारिता मंत्री, तथा ४, ५ सदस्य अन्दर आये । विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने आपत्ति की । इसके उपरान्त द्वार बन्द होने के बाद अन्दर आये सभी माननीय मंत्री तथा सदस्य बाहर चले गये ।)

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि बिना आपकी इजाजत के यह फाटक खुला कैसे और कैसे ये लोग अन्दर आये ?

श्री उपाध्यक्ष--

अब वे लोग बाहर चले गये हैं ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ

पक्ष में--७१,
विपक्ष में--४१ ।)

लोक लेखा समिति के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे यह सूचना देनी है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति, १९६३-६४, में सर्वश्री जगनप्रसाद रावत और रामकुमार शास्त्री के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये निर्वाचन का निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है । उक्त सदस्य अब मंत्रिमंडल के सदस्य हो गये हैं ।

नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की तिथि तथा समय ..	२९ अक्तूबर, १९६३ के सायंकाल ४ बजे तक ।
नाम-निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा ..	२९ अक्तूबर, १९६३, के सायंकाल ५ बजे, सचिव, विधान सभा के कमरे में ।
नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय ..	३० अक्तूबर, १९६३, को सायंकाल ३ बजे तक ।
निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो ..	३१ अक्तूबर, १९६३ को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे के बीच होगा ।

आगामी सीजन में गुड़ तथा खांडसारी के उत्पादन को कम करने के लिये सरकार द्वारा गन्ना उत्पादकों पर पाबन्दी लगाने के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने १७ अक्तूबर के गजट को पढ़ा और उसमें डी० आई० आर० रूल्स के अन्तर्गत किसानों पर लगी पाबन्दी को देखा कि जो फैक्टरी रिजर्व क्षेत्र हैं वहां के प्रत्येक किसान को चाहे वह कोआपरेटिव सोसाइटी का सदस्य हो या न हो, अपने गन्ने की पैदावार का २/३ भाग मिल को देना होगा तो मुझे बड़ा जबरदस्त धक्का लगा और मैंने सोचा कि यह पूंजीपतियों द्वारा खरीदी हुई सरकार किसानों के अहित में कहां तक जा सकती है और इस प्रदेश की एकोनामी को कहां तक धक्का लग सकता है ।

(इस समय ५ बज कर ३ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

जो लोग भी गन्ने के उत्पादन से सम्बन्धित हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि इस कानून से अधिक अन्याय और कुछ हो नहीं सकता । किसानों को पाबन्द किया जाता है कि वे २/३ हिस्सा गन्ना जून तक खड़ा रखें । इसका मतलब यह होगा कि डेढ़ साल तक उनका गन्ना खेत में खड़ा रहेगा । उसके बाद फिर वह उस जमीन पर खरीफ की फसल नहीं कर सकेगा । उस सूरत में दो साल तक गन्ने की फसल उस खेत में लगानी होगी । इस प्रकार से जितनी लागत किसान की उस में लग जायेगी, उतना भी उसमें नहीं मिल सकेगा । एक तरफ मिल मालिकों का इतना ध्यान रखा जाता है, दूसरी तरफ किसानों की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया जाता है । किसानों के प्रति यह सरकार उदासीन रहती है । मैं वर्तमान मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे जानकारी हासिल करें किसानों के गन्ने के बारे में कि उनको उस फसल से कितना लाभ होता है । मैं पूछता हूं कि जिस तरह से मिल वालों का दर्द आपको है, उसी तरह से किसानों का क्यों नही है ?

श्रीमन्, केन्द्रीय सरकार के अर्थ सलाहकार, श्री महानवीस की जो रिपोर्ट निकली है, उसको देखने की यह सरकार कृपा करे । श्रीमन्, उसमें कहा गया है कि प्रत्येक क्षेत्र में दौलत का केन्द्रीयकरण हुआ है । यह सरकार क्रसर पर पाबन्दी लगाकर मिल मालिकों का हित करना चाहती है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि फारेन एक्सचेन्ज की कमी को दूर करने के लिये चीनी की जो जरूरत है, उस से कितना फारेन एक्सचेन्ज प्राप्त होगा ? एक समय था जब कुछ दिन पूर्व शुगर की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी । लेकिन अब वह भाव बहुत गिर गया है । अब आप उससे प्राफिट नहीं कमा सकते । मुझे डर है कि कहीं फिर सन् ५९ वाली स्थिति पैदा न हो जाय । उस समय लोग शुगर नहीं उठाते थे और मिल मालिकों ने पेमेंट भी बन्द कर दिया था । और किसानों का जो कुछ भी पैसा था वह प्राप्त नहीं हो सका था । मिल वाले उस पर एक मात्र अपना अधिकार करना चाहते हैं और गुड़ और खांडसारी को समाप्त कर देना चाहते हैं और उसकी पैदावार पर अपना एकांकी-अधिकार करके किसान को समाप्त कर देना चाहते हैं । यह सरकार उनके हाथों में खेलती है । मंत्रीगण अपने विभागों से काम न लेकर ब्यूरेक्रेसी से काम लेते हैं और वह मिल मालिकों की एजेन्ट है । मैं इसे कहने में संकोच नहीं करता कि जो भी उनके आदमी हैं वह मिल मालिकों के हाथों में खेलते हैं और इसलिये किसानों का कोई हित नहीं रखते ।

उत्तर प्रदेश की यह सबसे बड़ी इंडस्ट्री है । अगर यह समाप्त हो गई तो क्या होगा ? आप इस से अधिक उत्पादन कर चुके तो अब किसान का क्या हाल होगा ? किसान अगले साल से गन्ना बोना बन्द कर देंगे । इसी साल में आपको कम मिलेगा । ३० जून तक आपने रखा है ।

[श्री बसन्त सिंह]

आपने यह भी रखा है कि डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स लागू करेंगे। यह भी हद हो गयी। डी० आई० आर० का कितना बेहूदा प्रयोग किया जा रहा है, कितना उसका मजाक बनाया जा रहा है? इस से प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। आपको दूसरे प्लान में २५ लाख टन चीनी पैदा करने का टारगेट था। गत वर्ष ही २९ लाख टन पैदा की जा चुकी है, लेकिन गुड़ और खांडसारी का टारगेट ७ लाख टन था वह घट कर ३ लाख टन रह गया। उधर बदल गया। आप यह कहेंगे कि लोग चीनी खायेंगे। गुड़ नहीं खायेंगे। मैं आपका ध्यान शकर और गुड़ की न्यूट्रीशन वैल्यूज पर ले जाना चाहता हूं। 'हरिजन' में गांधी ने लिखा था कि गांव वालों के लिये जरूरी है कि गुड़ खायें क्योंकि गुड़ में न्यूट्रीशन वैल्यू ज्यादा होती है। अगर आप डाक्टरों से पूछेंगे तो वह भी यही बतायेंगे। गांधी जी कहा करते थे चीनी सफेद जहर है। इसमें विटामिन की डेफीशियेन्सी होती है। मैं ज्यादा समय गांधी जी के लेखों से उद्धरण देने में नहीं लूंगा। सिर्फ एक कोटेशन मैं 'हरिजन' से पढ़ देता हूं—

"Gur is any way superior to refined sugar in food value, and if the villagers cease to make Gur as they are already beginning to do, they will be deprived of an important food adjuncts for their children. They may do without Gur themselves, but their children cannot without undermining their stamina. Gur is superior to bazar sweets and to refined sugar. Retention of Gur and its use by the people in general means several crores of rupees retained by the villagers."

यह इग्लन्ड के मेडिकल जर्नल में निकाला है—

"Pure sugar (C12 H22 O11) is a very irritating substance, as may be seen from the eczema which is so apt to trouble hands and arms of grocers who handle it. It its natural State as in the cane or in fruit, sugar is associated with various substances which dilute and mitigate the irritant properites of the pure chemical. The reason why brown woft sugar is more digestible than the white, is that the brown is much less refined than the white, the browner it is the cruder and the more digestible."

तो अगर इसकी फूड वैल्यू पर जाइये तो भी यह देखेंगे कि अगर आप ८५ प्रतिशत यहां के आदमी गुड़ खाते हैं और १५ प्रतिशत आदमियों को ही आप शुगर देते हैं। अगर आपने गुड़ न बनाया तो क्या स्थिति होगी। आपने कोल्हुओं पर और क्रशर्स पर प्रतिबन्ध लगाया। पाबन्दी कैसे लगाई जा रही है कि दो-तिहाई मिल वालों को गन्ना सप्लाई करना होगा और इसका परिणाम यह है कि जो गन्ना खुद बोते हैं, खुद उत्पादन करते हैं वह भी क्रशर और कोल्हू नहीं लगा सकते क्योंकि उसको दो-तिहाई गन्ना दे देना है। अप्रैल के बाद गन्ना सूखना शुरू हो जाता है। उसका कुछ भाग चूहे और दूसरे जंगली जानवर और पशु खा जायेंगे और वह पैदावार भी आपको नहीं मिल सकेगी। इस तरह से अगले साल गुड़ का कहत हो जायगा। थोड़ा सा फारेन एक्सचेन्ज कमाने के लिये आप कितनी परेशानी भुगत रहे हैं और आइन्दा भुगतेंगे। सरकारें समस्याओं को हल करती हैं, समस्याओं को पैदा नहीं करतीं, लेकिन यह सरकार समस्याओं को पैदा करती है, अपने आप झंझट में पड़ती है और उसका कारण यह है कि उसको जानकारी नहीं होती। इस से आप किसानों को एक मुसीबत में फंसा देंगे और अपने को भी। किसानों पर उसका बुरा असर पड़ेगा। जाड़े का महीना आ रहा है वह बेकार हो जायेगा आप उस किसान की पोजीशन को देखें जिसके खेत में ८ गाड़ी गन्ना है और एक महीने में उसका एक गाड़ी गन्ना ही मिल में जाय तो उसका ७ गाड़ी गन्ना ३० जून तक कैसे जा सकेगा? आपकी आमदनी अच्छी है और आपको पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन उस किसान की हालत को देखिये जो थोड़ा सा कमाता है, उसकी एक खास तरह की समस्या होती है। जाड़े की शुरूआत होने पर भी उसे रजाई नहीं मिल सकेगी, उसे कपड़े नहीं मिल सकेंगे, लेकिन आपका ध्यान उधर नहीं होता

क्योंकि आपको इस समस्या की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो मंत्रिमंडल से कहता हूं कि एक कमेटी बनायी जाय जो इस बात की जांच करे। जैसा कि मंत्री जी ने बिजली की जांच के लिये कमेटी बनाने की बात की थी वैसी नहीं, क्योंकि जब हम वहां पर जा कर इंजीनियर से उसके बारे में कुछ पूछताछ करने लगे तो वे हम लोगों को वहां से हटा कर दूसरी जगह ले गये, लेकिन जब हम उनसे किसी चीज के बारे में पूछने लगे तो उसकी उनको जानकारी ही नहीं थी। तो इस तरह से बात करना ठीक नहीं है। किसी बात के बारे में जानकारी न होते हुये भी ब्यूरोक्रेसी को सपोर्ट करना उचित नहीं है।

इस सम्बन्ध में मैं बाजपुर शुगर फैक्टरी का उदाहरण देना चाहता हूं जिसको खड़ा करने में ६० लाख रुपया लगा, लेकिन वह ४ महीने ही चल सकी। उसमें भी केवल ५०० मजदूर लगे। अगर एक क्रशर की यूनिट खड़ी की जाय तो उसके लिये केवल १० हजार रुपये चाहिये और इस तरह से ५०० यूनिट्स इतने रुपयों में खड़ी करके करीब ढाई लाख मजदूरों को खपाया जा सकता है। मिलें खोल-खोल करके आप तमाम मजदूरों में बेकारी पैदा कर रहे हैं जब कि इस गुड़ और खांडसारी इंडिस्ट्री में मिल से तीस गुने और चालीस गुने मजदूरों को खपाया जा सकता है। अब आपको अधिक मिलें खोलने की कोई जरूरत नहीं है। आज आवश्यकता तो इस बात की है कि स्माल स्केल इंडिस्ट्री और काटेज इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन दिया जाय। यह एक अजीब तमाशा है कि एक तरफ तो सरकार समाजवाद का नारा लगाती है और दूसरी तरफ समाजवाद का चोगा पहन कर वह जनता के ऊपर पूंजीवाद को लादती जा रही है। मुझे अफसोस तो इस बात से होता है कि आज सरकार मुहम्मद तुगलक की नीति पर चल रही है। बहुत दिनों के बाद मुहम्मद तुगलक की आत्मा इस सरकार के अन्दर आ गयी है। इस सरकार की आज कुछ नीति है, कल कुछ है और परसों कुछ है। आज से दो साल पहले लोगों को क्रशर्स लगाने के लिये लोन दिये गये और जब लोगों ने क्रशर लगा लिये तो अब किसानों से कहा जाता है कि तुम को अपना दो तिहाई गन्ना मिल वालों को देना पड़ेगा। जरा यह सोचने की बात है कि जिन लोगों ने लोन ले कर अपना क्रशर लगा लिया, आखिर वे क्या करें? अगर यही करना था तो उनको आप पहले से आगाह कर देते कि इस साल तुम को छोड़ दिया जाता है, लेकिन अब तुम अपना इन्तजाम कर लो। फिर आयन्दा के लिये आप पाबन्दी लगा देते। लेकिन ऐसा न करके डी० आई० आर० के अन्तर्गत किसानों को अपना दो-तिहाई गन्ना मिल वालों को देना ही होगा। अगर आप उनकी समस्याओं का अध्ययन करते और स्थान-स्थान पर जा कर इसकी जानकारी करते तो आपकी यह हाचपोच नीति नहीं होती।

जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है वह फारेन एक्सचेन्ज से ज्यादा हक में अब नहीं है। इस से आप कोई ज्यादा फारेन एक्सचेन्ज आज के बदले हुये सिचुएशन में नहीं कमा सकते हैं। केवल तीन लाख टन शुगर आप बाहर भेज सकते हैं। सरकार मिल पर मिल खोलती जा रही है। अब इस स्टेज पर सरकार को चाहिये कि और मिल खोलने की इजाजत न दे। सरकार को चाहिये तो यह था कि किसानों को गन्ने की कीमत ढाई रुपये मन के हिसाब से दिलवाती अगर किसानों को मिल के अन्दर गन्ना न देना पड़े तो इस से उसको मुनाफा भी अधिक होता और मजदूरों की समस्या भी काफी हद तक हल हो जाती।

माननीय स्वर्णसिंह जी ने भी संसद में कहा था और आश्वासन भी दिया था, लेकिन फिर भी डी० आई० आर० लगाया गया। असल चीज तो यह होनी चाहिये थी कि गन्ने का उत्पादन बढ़ाया जाता, इंटेन्सिव कल्टीवेशन कराई जाती, किसान को राहत दी जाती। इस तरह से उसका खून चूसने से नहीं बल्कि उसे सिंचाई की, खाद की और दूसरी फैसिलीटीज दी जाती। जो सहायता उसको दी भी जाती है उसमें होता यह है कि अगर उसको १०० रूपये दिये जाते हैं तो वह ऊपर से नीचे तक उसके पास पहुंचते पहुंचते दस रुपये ही रह जाते हैं। अगर उत्पादन अधिक होता तो आपकी फैक्टरी भी चलती, क्रशर भी चलते और कोल्हू भी चलते और जहां

[श्री बसन्तसिंह]

उसको बाजार मिलता वह अपने माल को बेचता। आपने यह डी० आई० आर० केवल किसान के ऊपर ही लगाया है या और जो दूसरी चीजें पैदा करने वाले व्यवसाय हैं उन पर भी लगाया है कि जो ज्यादा पैदा करता है उसको इतना देना होगा? इस से किसान को राहत नहीं मिलती बल्कि यह उसका गला घोटने और इसकी हत्या करने की नीति है और आपने वह तैयारी कर ली है। यह बेकवर्ड एकनामी है आपकी, लेकिन रात दिन किसान को राहत देने का नारा लगाया जाता है। आप किसान को वह राहत नहीं देंगे जिस से वह अपना कृषि उत्पादन बढ़ा सके और वह अपनी दशा सुधार सके। अगर आप गन्ने का उत्पादन बढ़ाने की चेष्टा करते तो आज मिल, कोल्हू और क्रशर सब चल सकते थे और चीनी और गुड़ खांडसारी सब का उत्पादन बढ़ सकता था।

दूसरे यह जो कोल्हू और क्रशर वाले यूनिट्स हैं इन की सारी मशिनरी अपने देश में तैयार होती है और जो बड़ी बड़ी फैक्टरीज की मेशीनें हैं वह बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं। और उन पर हमारा फारेन एक्सचेंज बाहर चला जाता है। अगर इन छोटे यूनिटों को प्रोत्साहन दिया जाय तो किसानों को भी सुविधा हो जाय और पैसा भी बाहर जाने से बच जाय। किसानों को जो २४-२४ घंटे मिल गेट पर खड़ा रहना पड़ता है उस का समय बच जाय और वह उस समय में अपने उत्पादन को और बढ़ा सके, जो और ट्रांसपोर्ट चार्जेज मिल वाले उन से लेते हैं उन की भी बचत हो सकती है।

आप ने एक चीज देख ली कि हमें चीनी का उत्पादन बढ़ाना है, लेकिन आपने यह नहीं देखा कि उससे कितनी समस्यायें पैदा होती हैं। जैसे आप को मिल मालिक समझा देते हैं वही आप करने लगते हैं। अगर आप को रिकवरी बढ़ाना है तो आप अपने यहां अक्तूबर सोइंग आरम्भ करावें ताकि मार्च तक या ज्यादा से ज्यादा अप्रैल तक सारा गन्ना खत्म हो जाय और मई जून तक सीजन न चले, मार्च के बाद किसान को अगर २ रुपया प्रति मन मिल सकता था तो उस को एक रुपया भी नहीं मिल पाता।

जिस तरह से दक्षिण में फैक्टरियां चलती हैं उसी तरह से यहां भी इन्टेंसिव कल्टीवेशन, अक्तूबर सोइंग सिस्टम के द्वारा मार्च या अप्रैल तक काम समाप्त हो सकता है। जैसे मिल वाले कहते हैं आप उसी के अनुसार योजना चलाने लगते हैं उन्होंने कहा कि क्रशर कोल्हूओं पर पाबन्दी लगा दो तो आप ने वही कर दिया। अगर आप अपने यहां के किसानों और मजदूरों के साथ ज्यादती नहीं करना चाहते हैं तो आप इस नीति को बदलें और पूंजीपतियों के कहने पर न चलें। यह किसान पर इस तरह से डी० आई० आर० लगाना बहुत शर्मनाक चीज है, यह तो एक मखौल है। आप इस को हटावें।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करने से पहले आप से यह जानना चाहूंगा कि क्या कदाचित मुझे १५ मिनट मिल सकेंगे।

अनेक सदस्य—

जी हां, दे दीजिये उन को।

श्री अध्यक्ष—

इतनी सिफारिश है तो १५ मिनट में आपको दे दूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

धन्यवाद। मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं आखिर वह व्यापक आपत्ति है क्या ? अभी तक इसको जैसे लाया गया है उस को जैसे आप चाहें कह सकते हैं लेकिन मुझसे इस संबंध में स्वयं कहा गया कि हम कोल्हू पर कोई रेस्ट्रेक्शन नहीं लगाने जा रहे हैं। तो मैं यह बताना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि आपत्ति हमारे ऊपर क्या आ रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में सरकार ने डी० आई० आर० में यह अधिकार अपने हाथ में लिया है कि हर किसान चाहे केन सोसाइटी का मेंबर है या नहीं, उसके लिये अपनी कुल उपज का दो बटे तीन गन्ना फैक्ट्री को लाजमी देना पड़ेगा। मान्यवर, अब तक ऐसा तो हुआ है कि जो केन सोसाइटी के सदस्य हैं वे किन्हीं परिस्थितियों में गन्ना देते रहे हैं, उसके लिये भी उनको बाध्य करने के लिये अधिकार प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन पहली बार इस अधिकार का प्रयोग हो रहा है कि सारे प्रदेश का हर किसान चाहे उसने थोड़ा सा गन्ना खाने के लिये बोया हो, उसके लिये भी कोई एक्सेप्शन कागज पर नहीं है। एक गजट ऐक्स्ट्रा आर्डिनरी निकला है १६ अक्तूबर को, जो अभी लोगों को मिल नहीं पाया है, उसमें धारा ४ में यह बात साफ की गई है।

इसी के साथ यह भी निवेदन कर दूं कि जो पाबन्दी लगायी गई है कहा जायगा कि रिजर्व्ड एरिया में केवल लगायी गई है। लेकिन रिजर्व्ड एरिया और सारे प्रदेश में कोई अन्तर नहीं है। रिजर्व्ड एरिया बढ़ता चला जा रहा है। न मिनिस्टर साहब बतला सकते हैं कि रिजर्व्ड एरिया क्या है, न उनकी फाइल में कहीं इसका जिक्र है कि रिजर्व्ड एरिया की परिधि क्या है। मैं एक साल पहले कोशिश करते करते थक गया कि केन डिपार्टमेंट से रिजर्व्ड एरिया की पूरी परिधि मालूम हो सके। मिनिस्टर साहब को भी पत्र लिखे, उनका जवाब भी मिला, लेकिन उन सारे जवाबों के बाद पहले ही की तरह अंधकार में रहा। और जो आर्डिनेंस १६ अक्तूबर को निकला है उसमें रिजर्व्ड एरिया के बारे में लिखा है :—

"Area of all the villages which are attached at the purchasing centres mentioned below and names whereof are given in the list available in the offices of the Cane Union and District Cane Development Officer's concerned."

तो १६ अक्तूबर से जब सीजन शुरू हो गया है इसकी लिस्ट सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। कहते हैं यह गांव और जो गांव केन यूनियन और डिस्ट्रिक्ट केन डेवलपमेंट अफसरों के दफ्तरों में मिल सकते हैं वही रिजर्व्ड एरिया कांस्टीट्यूट करते हैं। यहां बताया गया हमारी मजबूरी है इस वर्ष सारी लिस्ट नहीं दे सकते। लेकिन अगर कोई इकाई यह जानना चाहेगा कि रिजर्व एरिया में है कि नहीं तो बताया जायगा। पत्र भेजे गये १५, २० दिन से ज्यादा हो गये, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पिछले साल ९० करोड़ मन गन्ना सारे प्रदेश में पैदा हुआ, जब कि रिजर्व्ड एरिया में सरकारी आंकड़ों के अनुसार ८० करोड़ मन गन्ना पैदा हुआ। तो रिजर्व एरिया और सारे प्रदेश में कोई अन्तर नहीं है। इसके अतिरिक्त जो आपत्तियां लगायी जा रही हैं वह यह हैं कि खांडसारी और गुड़ इकाइयों की टोटल क्रशिंग सीजन पर पाबन्दी लगायी जा रही है। मिलें चलेंगी पहली नवम्बर से और खंडसारी यूनिट्स चलेंगे पहली दिसम्बर से। नवम्बर में मिलों का चलाना क्राइम है इसलिये कि जब सुकरोज कंटेन्ट गन्ने में कम होता है तब मिलों का चलाना ऐन्टी नेशनल पालिसी है, उसमें नेशनल वेस्ट होता है अगर मिलों को जल्दी चलाते हैं। मैंने केन्द्रीय मंत्री और प्रदेश के मुख्य मंत्री से कहा कि अगर आप वास्तव मे शूगर पोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो सारी गुड़ और खंडसारी इकाईयों को और साथ साथ शुगर मिलों को १५ नवम्बर से पहले न चलने दीजिये क्योंकि इससे पहले जिस गन्ने में ६ मन शुगर पैदा होती है उसमें १० मन पैदा होती है। जब शुगर बढ़ाना चाहते हैं तो जल्दी स्टार्ट

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

करके आप राष्ट्र का अहित कर रहे हैं। लेकिन परिणाम यह हुआ कि हमारी बात इस हद तक सुन ली गई कि गुड़ और खांडसारी की इकाइयां पहली दिसम्बर से चलेंगी, लेकिन मिलें पहली नवम्बर से चलेंगी। यही नहीं उनको ५० फीसदी रिबेट दिया जायगा जो पिछली नवम्बर १९६१-६२ में बनाया है उससे जितना ज्यादा बनायेंगे उस पर ५० फीसदी ऐक्साइज ड्यूटी में छूट दी जायगी। अतः पहले मिलों का चलाना ऐन्टी नेशनल है और जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रतिपादित की जा रही है उसको पूरा न करके उसको नुकसान पहुंचाने वाला समझता हूं। इसके अतिरिक्त मान्यवर मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी तक गन्ने पर १६ नय पैसे टैक्स था। माननीया सुचेता कृपालानी जी ने, जब वे काटेज इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थीं, बड़ी इन्क्वायरीज के बाद और बड़े सोच विचार के बाद उस टैक्स को हटाया। हमने विश्वास किया गवर्नमेंट की नीति पर। सरकार ने उसे नोटीफिकेशन से हटाया, कैबिनेट डेसीजन से हटाया, ऐक्ट से नहीं। इस साल उसको ३२ नये पैसे किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त मान्यवर और तरह तरह की आपत्तियां प्रोसीड्योरल डिफिकल्टीज लगाई जा रही हैं। खंडसारी और गुड़ की इकाइयों पर सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि इसके लिये डी० आई० आर० का उपयोग किया जा रहा है। किसानों को रुपया मिलों द्वारा देर में दिया जाता है। डी० आई० आर० में जो पावर दी गई है उससे किसानों का गला घोंटा जायगा। यह वह कानून है जो गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाने वाला है। यह किसान की रोटी छीनने वाला कानून है। यही नहीं बल्कि गरीब के पेट में छुरा मारने वाला है।

मान्यवर, इस कानून के पीछे एक भयंकर आशंका मेरे हृदय में छिपी हुई है और वह यह है कि यह कानून भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ाने वाला है। मेरा विश्वास है कि जब साधारण नियमों में केन विभाग में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है और जिसका निराकरण संभव नहीं हो सकता है, तो डी० आई० आर० के अन्तर्गत अधिकार पाने पर उस विभाग का क्या परिणाम होगा? भ्रष्टाचार नीचे के स्तर पर और अधिक हो जायगा और सारी इकाइयों का दम घुट जायगा। हमें यह आश्वासन दिया जायगा कि यद्यपि हमने डी० आई० आर० में पावर तो ले ली है, परन्तु उसका उपयोग नहीं किया जायगा। अगर आपने पावर ले ली है तो आपने उस गन्ने के उत्पादक के गले के ऊपर छुरी तो रख दी है। क्योंकि आपके इन्सपेक्टर आदि अपना महीना बांध लेंगे।

इन डी० आई० आर० की पावर्स के दुरुपयोग के संबंध में मैं आपके सामने एक मिसाल शुगर फैक्ट्री, न्योली, जिला एटा, की रखना चाहता हूं। इस मिल की ओर से एक नोटिस बांटा गया है जिसकी कुछ लाइंस मैं आपके सामने पढ़े देता हूं। वह इस प्रकार हैं :—

> "चीनी का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने "भारत रक्षा नियम" अर्थात कानून की धारा १२५ वीं के अन्तर्गत यह घोषणा की है कि सुरक्षित क्षेत्र अर्थात रिजर्व एरिया के जो किसान अपने गन्ने की कुल उपज का दो तिहाई भाग चीनी मी मिल को नहीं देंगे वह उपरोक्त नियम के अन्तर्गत सजा व जुर्माना के भागी होंगे।"

इस यम के अन्दर घोषित किया गया है कि "उपज का दो-तिहाई गन्ना जो कि गन्ना मिलों को दिया ायगा इसके अतिरिक्त जो एक तिहाई भाग शेष रह जायगा उसको किसान केवल अपने खर्चे, मसलन बीज आदि में इस्तेमाल कर सकता है अन्य किसी व्यय में नहीं। इसके साथ-साथ यह भी घोषित किया गया है कि प्रत्येक किसान को अपने गन्ने की उपज व उसके खर्च के आंकड़ों का लेखा एक रजिस्टर में रखना होगा अर्थात् गन्ने की कितनी उपज हुई और वह कितनी मात्रा म किस किस व्यय में खर्च किया गया है।" सरकारी आंकड़ों के अनुसार यदि ८० करोड़ मन गन्ना पदा हुआ है और २० करोड़ मन गन्ना सीड्स आदि के लिये काम में आया तो और ६० करोड़ मन गन्ने के लिये आप रिजर्व एरिया करन जा रहे हैं तो इसके मायने यह हुए कि गुड़ और खांडसारी को बिल्कुल समाप्त करने जा रहे हैं।

अभी पार्लियामेंट में ६ सितम्बर, १९६३ को इस विषय पर बहस हुई थी तब माननीय फूड मिनिस्टर ने जो आश्वासन दिया उसको मैं पढ़े देता हूं:—

"I know there are many in this House who would generally be averse from imposing regulations on gur and khandsari. To them I would like to point out that there would be no regulation on production of gur and khandsari and that the users of kolhus would be left completely out of the measures."

आगे है । —

"There is every indication that it would be possible for the gur and khandsari manufacturers to obtain supplies of cane up to their normal capacity out of the next crop and at prices which would not be unreasonable as compared to those that would be paid by the sugar industry. There is, therefore, no risk to their normal operations."

यह मान्यवर, एश्योरेंस है जो पार्लियामेंट में भारतवर्ष की जनता को दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

इसको हिन्दी में कर दीजिये ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल ऐडवोकेट—

आपकी आज्ञा का पालन करता हूं । ६ सितम्बर को खाद्य मंत्री ने पार्लियामेंट में गुड़ और खांडसारी के वितरण की बहस का जवाब देते हुए इस बात का एश्योरेंस दिया कि कोई भी कदम ऐसे नहीं उठाये जायेंगे जिनसे गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में रोक हो और बैलों से चलने वाले जो कोल्हू हैं उन पर किसी प्रकार का असर पड़े । यह भी विश्वास दिलाया कि जितना माल ऐसे इकाइयों से पिछले सालों से निकलता रहा है वह निकलता रहेगा इस प्रकार से आश्वासन उत्तर प्रदेश की सरकार ३ नोटीफिकेशस के द्वारा दिला चुकी है । लेकिन अब पार्लियामेंट में दिये गये आश्वासन को बिल्कुल फ्लाउट किया जा रहा है, उसे तोड़ा जा रहा है और ऐसी तरकीब से तोड़ा जा रहा है कि माननीय मंत्री जी कहेंगे कि कोल्हू पर कोई पाबन्दी नहीं लगाई है । कोल्हू पर पाबन्दी लगाने में आप इसलिये असमर्थ हैं कि सन् ५० में पाबन्दी लगायी थी तो सारे प्रदेश में हाहाकार मच गया था और केंद्रीय सरकार को मजबूर होना पड़ा उस पाबन्दी को वापस लेने के लिये । इसलिये सीधी नाक न पकड़ कर टेढ़ी नाक पकड़ी है और वह भी १० गुना जटिल तरीके से । अब जब गन्ना ही कोल्हू को नहीं मिलेगा तो कोल्हू पेरेगा क्या ?

सारा गन्ना तो चला जायगा मिलों को । इसके भयंकर परिणाम एम्प्लायमेंट की दृष्टि से भी होने जा रहे हैं । हमारे प्रदेश में ४ लाख के करीब कोल्हू चल रहे हैं । सन् ५६ के सेंसस के मुताबिक ३ लाख १५ हजार संख्या कोल्हुओं की थी, लेकिन इस समय चार लाख के करीब हो गयी हैं। पछले साल साढ़े ८ लाख टन चीनी बनायी थी और इस साल १५ लाख टन चीनी बनाने जा रहे हैं । साढ़े ६ लाख टन कोल्हू के जरिये न बनाकर मिल के जरिये बनायेंगे । इससे साढ़े ६ लाख आदमी बेकार हो जायेंगे । इस संबंध में घेबर साहब का एक पत्र मेरे पास आया है उसका एक अंश पढ़ता हूं :

"It is normal question even for the Government to decide if they would be well advised in applying artificial curbs which would hamper the natural growth of that industry which does not seek much assistance from the Government."

तो मैं यह कहता हूं कि गवर्नमेंट के सामने एक नैतिक प्रश्न है । गवर्नमेंट ने कहा कि जो इकाई जिस तरह से काम करती आई है वह काम करती रहेगी । लेकिन बरेली, कासगंज और एटा

[श्री जगदीशरण अग्रवाल एडवोकेट]

में बेले होते हैं। उन बेलों को फीड आप कैसे करेंगे ? वे कोल्हू का प्रबंध कर चुके हैं। आपके द्वारा दिये गये क्रशर्स कैसे चलेंगे ? आपका यह लीगल तथा मारेल एश्योरेंस दो तीन दफा प्रेस नोट के द्वारा दिया जा चुका है कैसे पूरा होगा ? गवर्नमेंट को साहस नहीं हुआ कि इस ऐक्ट के द्वारा इस कानून को पास कराती इसलिये डी० आई० आर० के चोर दरवाजे से इसको लाया जा रहा है। क्या एमर्जेंसी ला का इससे बड़ा मिसयूज नहीं हो सकता ? आज नेफा और लद्दाख में शकर की जरूरत नहीं है, गुड़ की जरूरत है। यह पौष्टिक पदार्थ है। वहां सिपाही बर्फ की चट्टान पर गुड़ की मांग करते हैं। अगर आज हमें प्रोडक्शन की जरूरत है तो गुड़ की जरूरत है। कुछ मुट्ठी भर मिल मालिकों का पेट भरने के लिये उत्तर प्रदेश के सात लाख आदमियों को बेकार करके, उन नैतिक और वैधानिक एश्योरेंसेज को तोड़ कर के यह सब हो रहा है माननीया सुचेता जी के मुख्य मंत्रित्व में, जो इसमें आस्था रखती हैं, जिन्होंने जीवन भर इस कार्य को संरक्षण दिया है। मुझे दुख है कि आज वे यहां इस समय नहीं हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि माननीय शान्ति प्रपन्न जी हमारी इन भावनाओं को उन तक पहुंचायेंगे और देखेंगे कि समय रहते हुये इस काले कानून को वापस लिया जाय और जो लेवी लगाकर प्रान्त की जनता में गुडविल पैदा की है उसको कायम किया जाय। समय रहते अगर इसको देख लिया जाय तो वे किसान, गरीब मजदूर और सात लाख आदमी इससे बच सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इसमें आमूल परिवर्तन करें।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि मुर्दा आदमी भी इस डी० आई० आर० के हुक्म पर जग सकता हैं और अगर उसमें जान रहे तो उसको इस कानून का विरोध करना चाहिये। सरकार के पास कोई न्यायसंगत तर्क नहीं है कि वह इस प्रकार काम करे। बड़ा अच्छा होता कि भाई जगदीशशरण जी ने जो अभी कहा कि इस सदन में जो विधेयक था उस पर सरकार जरा मत ले लेती फिर उसकी समझ में बात आती कि कितनी गहराई में सरकार है। लेकिन उस विधेयक पर सरकार काम न कर के डी० आई० आर० को, जो एक बहुत पवित्र उद्देश्य के लिये इस देश में लागू किया गया है, इस्तेमाल करती है।

उद्देश्य क्या है ? उद्देश्य सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश का गन्ना पैदा करने वाला काश्तकार अपने गन्ने को दुनिया में कहीं ठिकाने न लगा सके बल्कि सस्ते दाम पर, जिस भाव में मिल वाला चाहे उस भाव में उसको दे दे। अब उसके लिये बातें भी जोड़ के कही जा सकती हैं, लेकिन असली मतलब तो यही है कि ३३ लाख टन चीनी सारे हिन्दुस्तान में बनेगी जिसमें महाराष्ट्र अगर बनायेगा तो वहां के गन्ना काश्तकार को तो सवा दो रुपये मन कीमत मिल जायगी। मद्रास, आंध्र, सारे दक्षिण के लोग २ हजार मन पैदा करके अगर १ रुपया १० आने पायेंगे तो आप समझ लीजिये कि एक एकड़ में उनकी कितनी आमदनी होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के किसान को जिससे तीन आने मन परचेज टैक्स गवर्नमेंट वसूल करती है इसलिये कि केन को डेवलेप करेगी मगर उसका डेवलेपमेंट न करके वह इसको जनरल रेवेन्यू में ले जायगी और अगर उसका गन्ने का प्रोडक्शन घटेगा तो उसकी जिम्मेदारी काश्तकार पर डालेंगे और यह कहेंगे कि तुम्हारी शरारत है कि तुमने गन्ने की उपज नहीं बढ़ायी लिहाजा तुम्हारे गन्ने की कीमत कम देंगे।

श्रीमन्, यह तर्क बहुत दिनों से चला आ रहा है। जिस कुर्सी पर आज दाऊदयाल जी बैठे हैं एक दफा श्री कैलाशनाथ काटजू बैठे थे। उन्होंने गन्ने पर सेस लगा दिया ताकि गन्ने का अच्छा बीज दिया जा सके। लेकिन सरकार ७/८ करोड़ रुपया रेवेन्यू में डाल देती है और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसानों से कहती है कि तुम नालायक हो, इतना ही गन्ना पैदा कर रहे हो ? श्रीमन्, यह एक बात हुई।

श्रीमन्, रिजर्व जोन में केन कमिश्नर हुक्म देता है कि फलां आदमी को तुम गन्ना दोगे। दूसरी जगह वह नहीं जा सकता है, इसके लिये सजा का प्रावीजन है। हर काश्तकार को अपनी उपज का दो-तिहाई गन्ना देना होगा इसमें बड़ा गुर है, श्रीमन्, इसका फैसला मिलमालिक और केन विभाग करेगा। एक एकड़ में कितनी पैदावार हुआ उसका हिसाब क्रोप कटिंग एक्सपैरीमेंट से लगाया जायगा। जहां इसका एक्सपैरिमेंट हुआ है वहां १००/१५० मन पीछे रहा है। एक एकड़ में ३१० मन का हिसाब जोड़ा जा रहा है। इससे २०० मन मिल को गन्ना देना चाहिये। अगर काश्तकार के यहां २०० मन या १५० मन ही पैदा होता है उसको दूसरी जगह से लाकर देना होगा वरना उसके हाथ में हथकड़ी होगी। अगर यह पेचीदगी मिनिस्टर साहब नहीं समझते तो आप पढ़ाइये या फिर देहली में फूड ऐन्ड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पढ़ आयेंगे। अगर वे समझते हैं तो इस काम को पीछे हटाना चाहिये। यह नाक कटाकर देश की सायत बिगाड़ना चाहते हैं।

इस साल १५ लाख टन पैदा करने का टारगट है। पिछली दफा प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये मिल वालों को ८ करोड़ रुपये का इसेंटिव दिया गया। जब प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया तो मिल वालों ने शोर मचाया कि ओवर प्रोडक्शन हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि किसान का जो गन्ना खड़ा था उसको जलाना पड़ा क्योंकि यह आदेश हो गया कि गन्ना नहीं पेरा जायगा और यह दिल्ली का फरमान मिला कि जो फैक्ट्री पूरा गन्ना पेर देगी उस पर दुगुनी ड्यूटी लगाई जायगी। हमने बहुत कुछ कहा कि सरकार अब तो बो दिया है। हमारा क्या होगा ? लेकिन उन्होंने कह दिया कि जहां जी चाहे ले जाओ। भाई चन्द्रजीत जी के यहां ५० लाख मन गन्ना जलाया गया। इसेंटिव मिले तो मिल वालों को, गन्ना जलाया जाय किसानों का। मैं जानना चाहता हूं कि जिन किसानों का गन्ना जलाया गया उनको क्या मुआवजा दिया गया ? १९६०-६१ में ११ लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ और पिछले साल केवल ८ लाख ३४ हजार टन ही रह गया। अगर १० प्रतिशत कटौती कर फरमान न निकालते तो कम नहीं होता और कानपुर में जो चीनी का संकट है कि २ रुपये सेर बिक रही है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही वह दो रुपये सेर से चीनी कम नहीं बिकवा सकती है।

श्रीमन्, ९ लाख टन की उपज कम करा के ३१ करोड़ रुपये का अपना नेट लास किया इस गवर्नमेंट ने। एक मन चीनी पर १३ रुपया टैक्स है इस सरकार का।

श्रीमन्, जरा गौर करें, ९ लाख टन की कमी होने का नतीजा यह हुआ कि ३१ करोड़ रुपया एक्सचेन्ज कर का कम आया, दिल्ली का टेक्स छोड़ कर। तो ३१ करोड़ रुपये का नुकसान कराकर भी ९ लाख टन प्रोडक्शन में कमी करायी और यह कमी किसके हित में करायी ? बताइये, किसके हित में यह प्रोडक्शन कम कराया ब्लैकमार्केटियर्स के हित में, आपकी साजिश है उनके साथ। और ब्लैकमार्केटियर्स के हित में प्रोडक्शन को कम कराकर आप सारे देश को गड्ढे में डाल रहे हैं। करोड़ों रुपये का फारेन एक्सचेंज आज अपने देश में आया होता। और आज यह चले हैं १५ लाख टन पूरा कराने। उसके लिये अपनी नाक कटा देंगे, अपने को बरबाद करा देंगे, अपनों को डुबो देंगे, और सारे सिद्धान्तों को उठाकर ताक पर रख देंगे।

मैं कहना चाहता हूं, लेकिन वक्त नहीं है। मैं बैठकर सुनने को तैयार हूं और जिसमें हिम्मत हो उधर वह आकर अपनी इंडस्ट्रियल पालिसी को लेकर खड़ा हो इस हाउस में और बताये कि क्या है इंडस्ट्रियल पालिसी, रेजोल्यूशन क्या है, प्राइस पालिसी, प्लानिंग कमीशन क्या कहता है, और अगर वह आपके सामने यहां आकर मुझे कायल कर दे तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। मैं डुग्गी पीटूंगा काश्तकारों में और कहूंगा कि तुम इसी कीमत पर गन्ना दे दो, लेकिन वह बतायें तो आकर। किसी न किसी तरह काश्तकार को ही हर जगह आप मजबूर करना चाहते हैं।

[श्री गेंदासिंह]

खांडसारी को कहते हैं कि नेशनल वेस्ट है। अभी पिछले सालों में खांडसारी वालों के हाथ जोड़ते फिरे कि रुपया ले जाओ, पुर्जे भी ले जाओ, कोल्हू ले जाओ, किसी तरह से गन्ने को खत्म करो। क्यों? इसलिये कि मिल वालों ने समझा दिया था कि सफेद चीनी ज्यादा न बढ़े नहीं तो बाजार में सस्ती हो जायगी। लेकिन आज कहते हैं कि उसकी जरूरत नहीं है। मैं सुनना चाहता हूं दाऊदयाल जी को और शान्तिप्रपन्न जी को। मुझे दो तीन मिनट का समय और मेहरबानी करके आप दे दें। यह बिरादरी वालों का अखबार है,...(व्यवधान) हम कोई आपसे से दूर नहीं हैं। मरेंगे तो आपके साथ ही हम भी मरेंगे, डूबेगी तो हमारी और आपकी नाव एक साथ ही डूबेगी। इसलिये, घबड़ाकर बोल रहा हूं। यह २० अक्तूबर का हिन्दुस्तान टाइम्स है। अंग्रेजी में है इसलिये मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूं। लेकिन इसमें यह है कि २५ पौंड टन पर जो चीनी पिछले वर्ष थी वह इस वक्त ९० पौंड पर टन इंगलैन्ड के बाजार में बिक रही है। इसका यह भी कहना है कि दो तीन वर्ष तक यह बाजार रहेगा। क्यूबा का प्रोडक्शन ६८ लाख टन से ३८ लाख टन पिछले साल पहुंच गया और अब की मर्तबे जो तूफान आया तो उसका नतीजा यह होगा कि अगले वर्ष २८ लाख टन होगा। ४० लाख टन की कमी अकेले क्यूबा में होने वाली है। उससे संसार का बाजार महंगा होगा। अगर संसार का बाजार महंगा होगा तो हिन्दुस्तान कोई बांध बनाकर उसे नहीं रोक सकता। आज ५ लाख टन चीनी अमेरिका की मांग है, ढ़ाई लाख टन जापान की मांग है, लेकिन हम नहीं पूरी कर सकते। पाटिल साहब ने कहा कि हनी मून है शुगर के बाजार में। लेकिन यह हनीमून अकेले बिड़ला साहब या दाऊदयाल जी नहीं मनायेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि हनीमून अगर मनाना है तो किसान और उपभोक्ता और सारे के सारे लोग मनायेंगे....

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

कैसा हनीमून, हम नहीं समझे?

श्री गेंदासिंह—

यह हनीमून सोहाग रात को कहते हैं, और शायद आपने तो मनाया होगा कई बार, लेकिन हमसे पूछना चाहते हैं। यह पाटिल साहब का कहना है। यह इस टाइम्स आफ इंडिया अखबार में है। मैं दे दूंगा इसको आप पढ़ लीजियेगा। दिक्कत यह है कि आप लोग जिद पर हैं और अगर जिद पर हैं तो चारों तरफ डी०आई०आर०का प्रयोग कर रहे हैं। इतने पवित्र उद्देश्य के लिये। उनसे कहा जाता है कि तुम्हें गुड़ बनाने नहीं देंगे। कोल्हू के लिये कहते हैं कि कमर्शियल कोल्हू और पता नहीं कि गृहस्थी कोल्हू और कमर्शियल कोल्हू में आप कैसे बटवारा करेंगे। कोई कोल्हू अकेले नहीं चलता। जितने कोल्हू चलते हैं उनमें हर कोल्हू २, ४ आदमी चलाते हैं और दूसरे का भी वे गन्ना पेरते हैं। वे अपना पेरते हैं और दूसरों का भी पेरते हैं, लेकिन यह सरकार किसी कोल्हू को नहीं रखने देना चाहती है। नीयत क्या है? बहुत स्पष्ट है और बात बहुत साफ है। इस मामले में कोई पेचिदगी नहीं है। हमारे जैसे बेवकूफ लोगों के समझ लेने की भी यह बात है कि किस काम के लिये यह कानून है। मैं आपका समय बचाने के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जरा भी आवेश में नहीं हूं। लेकिन यह मामला ऐसा है जिसमें आवेश आ ही जाता है। सुचेता जी यहां पर नहीं हैं। वह न रहें लेकिन आचार्य कृपालानी के नाम पर, राजेन्द्र बाबू के नाम पर, गोविन्द वल्लभ पन्त के नाम पर और महात्मा गान्धी के नाम पर मैं समझता हूं कि आज यह वक्त आ गया है कि इस सरकार को रास्ता दिखाने के लिये, रास्ता धराने के लिये आज कमजोर से कमजोर आदमी के शरीर में भी कुछ जान आये। मैं वार्न करना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं और निधड़क होकर कहना चाहता हूं। कि सरकार में जगदीशशरण जी, और जितने लोग उधर बैठे हुये हैं और जितने भी राइट थिंकिंग लोग उधर बैठे हुये हैं उन सब की हमदर्दी हमारे साथ है। यह अकेले हमारी ही बात नहीं है। कांग्रेस में रहकर वह इस बात को समझ सकते हैं कि यह काम न किया जाय, लेकिन मैं कांग्रेस में नहीं हूं। मैं कांग्रेस को इस काम से रोकने के लिये सत्याग्रह करके भूख हड़ताल करूंगा।

जो भी मुझसे बन सकेगा कोई भी कदम उठा नहीं रखूंगा। यह समझे रहें। मैं डी० आई० आर० का आदर करता हूं। मैंने इस इमरजेन्सी पीरियड को जितने आदर के साथ और जितनी खुशी के साथ काटा है शायद उन बैन्चों पर बैठनेवालों ने नहीं काटा है, लेकिन मैं आज यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र की गवर्नमेंट को समझा लीजिये कि अगर पंजाब का काम चल सकता है तो सारे देश का भी काम चल सकता है। अगर वह ८ परसेंट रिकवरी पर २ रुपया मन गन्ने की कीमत देते हैं तो यहां के लिये क्या दिक्कत है? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप काश्तकार को मारकर खुद जिन्दा नहीं रह सकते। आप भी मर जायेंगे। मेरे लिये अगर मरने की जरूरत पड़े तो हम मरने से कोई संकोच नहीं करेंगे। जिन्दगी की कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं है।

मैं अन्त में आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं और आपके द्वारा इस सरकार से और भारत सरकार से कि आप समझ लीजिये कि यदि आप आज गन्ने की कीमत २ रुपया मन करते हैं तो २ रुपया की कीमत पर काश्तकार सोचेगा। वह आलसी है। वह गुड़ बनाना नहीं चाहता है बजाय इसके गुड़ वालों पर बन्धन अलग हैं कि वे १५० मन से अधिक गन्ना न पेरे, १० घंटे से अधिक कोल्हू चलाना मना है और रात में चलाना मना है। क्या ऐसे बन्धन किसी मिल पर आज तक इस सरकार ने लगाये हैं? लाखों करोड़ों रुपया मिलवालों ने बाकी रखा, लेकिन कभी उनको डी० आई०आर० की धमकी नहीं दी गई परन्तु आज काश्तकारों को आप डी० आई०आर० की धमकी देते हैं। अगर यह कानून रहा तो वे मर जायेंगे। यदि हमारे जैसा ठंडे विभाग का आदमी खड़ा होकर यह कहे कि तोड़ो इस कानून को और इसके तोड़ने से संसार का कल्याण है, देश का कल्याण है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके तोड़ने में जरूरत पड़ेगी तो हम मरेंगे, लेकिन आपके कानून को चलने नहीं देंगे।

श्री नवलकिशोर —

अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदासिंह जी के हनीमून के बाद मुझे केवल २, ३ बातें कहनी हैं। एक तो यह समस्या है कि डिफेन्स के अन्तर्गत फौज के लिये शुगर बनाना आवश्यक है। साथ-साथ यह भी ख्याल है कि फारेन एक्सचेंज पैदा किया जाय। इसलिये सरकार ने १५ लाख टन शुगर उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। दूसरा प्रश्न यह भी है कि हमारे प्रदेश का जो सब से बड़ा उद्योग धंधा गुड़ और खांडसारी का है उसकी हिफाजत कैसे की जाय उसको मरने नहीं देना चाहिये और तीसरा प्रश्न यह है और सब से मुख्य है कि जो गन्ना उत्पादक हैं उसको सही कीमत किस तरह से दिलाई जाय।

मान्यवर, बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें कहीं। मैं यह बात समझ सकता हूं कि सरकार १५ लाख टन चीनी बनाये। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। उसके लिये जितने गन्ने की आवश्यकता हो वह ले लिया जाय, लेकिन साथ ही एक दिक्कत मेरी समझ से नहीं जाती और जिसकी ओर भाई गेंदासिंह जी ने इशारा किया कि जब आप रिजर्व एरिया का २/३ गन्ना लेना चाहते हैं तो यह कौन तय करेगा कि कितना गन्ना उस एरिया में २/३ भाग है और यह कि वह किस समय काश्तकार से लिया जायगा। तो इसके माने यह है कि जब मिलें अपना २/३ गन्ना उठा लेंगी उसके बाद ही काश्तकार अपना बाकी १/३ भाग गन्ना उठा सकेगा और उस समय तक वह इन्तजार करता रहेगा। मिलों को गन्ना जाने के बाद ही वह गुड़ या खांडसारी के लिये उस गन्ने का उपयोग कर सकता है। मैं समझता हूं कि इस से अच्छा होगा कि रिजर्व एरिया का जितना गन्ना किसान का मिलों को जाना है वह एरिया कोटे के हिसाब से मिलों को दे दिया गया होता ताकि बाकी बचे गन्ने का इस्तेमाल किसान अपने फायदे के लिये समय से कर सकते।

मान्यवर, दूसरी यह सोचने की बात है कि जो कीमत गन्ने की आपने फिक्स की है १ रुपये ९ आने और वह कीमत जो गुड़ और खांडसारी बनाने से किसान को मिलती है उसके मुकाबिले में

[श्री नवलकिशोर]

कितना फर्क रखती है। अगर काश्तकार को अपने गन्ने की कीमत गुड़ और खांडसारी बना कर अच्छी मिलती है तो कोई वजह नहीं है कि उसके गन्ने पर पाबन्दी लगा कर उसका गन्ना रोक दिया जाय और सस्ती कीमत पर मिलों को दिया जाय। मान्यवर, मुझे शक है कि यह आदेश विधान में दिये गये फंडामेंटल राइट को भी वायलेट कर सकता है। (तालियां) काश्तकारों ने अपना गन्ना पैदा किया। उसे हक होना चाहिये कि वह अपने गन्ने को अच्छी कीमत पर कहीं भी दे। गेंदासिंह जी ने कहा था और मुझे भी वह समय याद है कि जब काश्तकारों का हजारों मन गन्ना फेंका गया था, उन्हें फूंकना पड़ा था। मिलों ने उसको नहीं लिया। पिछले सालों में भी मार्च के बाद जब गन्ना मिलों ने लिया तब जो मिलमालिक को रिकवरी हुई उसके आधार पर उसकी कीमत भी सही तौर पर उसे नहीं दी गयी। मान्यवर, हम समाजवादी व्यवस्था को कायम करने के कायल हैं। हम समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांशसली या अनकान्शसली हमारी पालिसियां मिल मालिकों के हक में होती हैं, काश्तकारों के हक में नहीं। वे गरीब आदमी के हक में नहीं होतीं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। जिस समय मिल मालिकों पर किसानों के और सरकार के ड्यूज थे तो सरकार एक दलील दिया करती थी, चूंकि चीनी का स्टाक बहुत हो गया है, स्टाक बिकता नहीं है इसलिये पैसा वसूल नहीं होता। लेकिन जब शक्कर का कन्ट्रोल हुआ, तो पता नहीं वह सारा चीनी का स्टाक कहां चला गया और सारी शक्कर ब्लैक में बिक गयी। करोड़ों रुपये का मिल मालिक को फायदा हुआ जब कि काश्तकार को उसका कोई फायदा नहीं मिला। इसलिये मैं यह चाहता हूं, और खास मंशा जो मैं समझता हूं वह भी यही है, कि गन्ने का दाम किसान को सही मिलना चाहिये भले ही वह उसे मिलें दें या खांडसारी या गुड़ से उसे मिले।

दूसरी बात यह है कि जैसा हमारे साथियों ने बतलाया, सरकार ने एक स्टेज पर गुड़ और खांडसारी क कोल्हू लगाने के लिये लाइसेंस दिये थे। कर्जा भी दिया था। सही बात है, लेकिन अब उस पर पाबन्दी लगा दी है। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारी प्लानिंग में कहीं कमी है। It is somewhat bad planning. प्लानिंग के माने यह है कि हमको जितना गन्ना पेरना है मिलों में, जितने का गुड़ और खांडसारी बनाना है उसके लिये एरियाज को मार्क कर देना चाहिये ताकि ओवरलैपिंग न हो और काश्तकार को सही कीमत मिल जाय।

एक बात यह कही गयी, और हमारे भाई जगदीशशरण जी ने कहा कि खांडसारी पर बजाय १६ के ३२ नया पैसा टैक्स हो गया है। मैं उनसे माफी चाहूंगा यह कहने के लिये कि मैं इस टैक्स को ठीक समझता हूं। वह इस मानें में कि वह जानते हैं कि मिल मालिक बड़े पैमाने पर और गुड़ और खांडसारी वाले छोटे पैमाने पर दोनों ही गन्ना उत्पादक का शोषण करते हैं। सही कीमत दोनों में से किसी से भी उसे नहीं मिलती। तो जहां तक टैक्स का सवाल है, जहां मिल मालिकों ने लाखों रुपया पैदा किया है, उसके साथ ही हमारे खांडसारी भाइयों ने भी काफी पैसा पैदा किया है। लिहाजा जहां तक टैक्स का सवाल है ३२ पैसे का, मैं उसके पक्ष में हूं, उसमें कोई गड़बड़ी की बात नहीं है। हां, यह जो लोगों को प्रोसीजरल दिक्कतें पैदा की गयी है, मैं दरख्वास्त करूंगा कि उनको हटाया जाय।

एक बात उन्होंने कही कि डी० आई० आर० का इस्तेमाल किया गया। यह नौबत क्यों आयी? जब दो रुपये मन गन्ने की कीमत थी तो शुगर ३५ रुपये मन बिकती थी। ३०, ३१ रुपये मन शुगर के दाम थे तो गन्ने के दाम १ रुपया १२आने मन थे, लेकिन जब कि शुगर के दाम आज ४१ १/२ रुपये मन हैं, क्यों नहीं उसी प्रोपोर्शन में गन्ने के दाम निर्धारित किये जायं? और यह हो जाय तो गेंदासिंह जी को कोई शिकायत नहीं होगी चाहे गन्ना चीनी के लिये जाय या खांडसारी के लिये जाय। डी० आई० आर० का इस्तेमाल बुरी चीज नहीं है। और काश्तकार को सही कीमत दी जायगी तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसके इस्तेमाल की। एक बुरी चीज इससे और होगी कि केन डिपार्टमेंट को और-और लोगों को इस बात का मौका मिलेगा

कि आपकी पैदावार इतनी हुई, आप कटिंग कम्पेटीशन के आधार पर और भी ऐसे ही मामले उठेंगे, तो जैसा कि इस सम्बन्ध में जगदीशशरण जी ने कहा ऐसा न हो कि इसका गलत इस्तेमाल हो। नैशनल इमरजेन्सी में कई फैक्टरीज ने "गो स्लो प्रोसेस" एडाप्ट किया, लेकिन किसी मिल मालिक पर कभी डी० आई० आर० नहीं इस्तेमाल किया गया। तो गरीब काश्तकार के ऊपर ही कोअर्शन किया जाय, वह बहुत मुनासिब बात नहीं है। सरकार को परसुएशन के मेजर्स एडाप्ट करने चाहिये, कोअर्शन के नहीं। यह तो एक सोर्ड आफ डेमाक्लीज की तरह अगर लटकी रहे तो आदमी आशंकित रहेगा ही। मुझे आश्चर्य है कि डी० आई० आर० की क्यों आवश्यकता पड़ी।

गेंदासिंह जी ने कहा कि हड़ताल और भूख-हड़ताल करेंगे तो वह मेरी समझ में नहीं आया। बहस में हमें धौंस से काम नहीं लेना चाहिये। कोई भी सरकार उससे डरेगी नहीं। एक ठंडे दिमाग से सोचने की बात है। मैं हामी हूं कि १५ लाख टन चीनी बननी चाहिये। स्वयं माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि १९६०–६१ में साढ़े चौदह लाख से साढ़े ग्यारह लाख टन हुई, सन् १९६१–६२ में और फिर १९६२–६३ में साढ़े आठ लाख टन हुई जिससे ड्यूटी वगैरह में ३१–३२ करोड़ का नुकसान हुआ तो यह बात सही है। लेकिन उसके जवाब में यह भी दलील है कि १५ लाख टन का अगर हम टार्गेट पूरा कर लें तो वह जो अन्देशा है ३१ करोड़ के घाटे का वह भी २६ करोड़ आपका पूरा हो जायेगा। इसलिये १५ लाख टन बनाने में उनको भी एतराज नहीं है, हमको भी नहीं है।

जहां तक गुड़ खांडसारी की बात है, वह उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें लाखों आदमी लगे हुये हैं। मैं भी इत्तफाक से उस जिले से आता हूं जहां खांडसारी और गुड़ का बहुत बड़ा काम होता है। यह सही बात है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल पालिसी है उसके मुताबिक हमें जो हमारी बड़ी-बड़ी बेसिक इंडस्ट्रीज हैं उनके अलावा स्माल स्केल इंडस्ट्री, मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज और काटेज इंडस्ट्रीज हैं इनको बचाना है जिससे लोगों को ज्यादा एम्पलायमेंट मिले और लाभ पहुंचे। इसलिये आवश्यकता है कि यह जो प्रदेश की सबसे बड़ी काटेज इंडस्ट्री है—खांडसारी और गुड़—इसको हम जीवित रखें और मैं जगदीशशरण अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा जो इसके प्रेसीडेंट हैं कि वह ३२ नये पैसे की ज्यादा मुखालफत न करें, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।

खैर, मैं एक बात और जानना चाहूंगा। सरकार ने फैक्टरी एरिया जो रखा है उसका परसेंटेज क्या रखा है, यह मैं जानना चाहता हूं। यह चीज भी स्पष्ट हो जानी चाहिये।

इसके अलावा श्रीमन्, एक दिक्कत और है। उस सेन्टर में कौन-कौन से गांव होंगे इसको डिसाइड करने के लिये आपकी जो भी अथारिटी होगी उसके डिस्क्रीशन पर यह होगा कि वह जिन गांवों को चाहे ले ले, जिनको चाहे छोड़ दे। इसमें भी बड़ी गल्तियां हो सकती हैं, इसलिये इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिये।

अन्त में एक बात और कह कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा और वह यह है कि हो सकता है कि आपने बहुत अच्छी नीयत से यह नियम बनाया हो, लेकिन आप उस पर दोबारा मेहरबानी करके विचार जरूर कर लें। इसके अन्दर डी० आई० आर० का लाना मुनासिब नहीं है। आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कीजिये, मगर साथ-साथ ऐसा डिमारकेशन कीजिये ताकि मिल्स का टार्गेट भी पूरा हो जाय, गुड़ तथा खांडसारी को भी नुकसान न पहुंचे और गन्ना उत्पादकों को भी उचित कीमत मिल जाय।

विद्युत् उपमन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, फाइनल जवाब तो माननीय मन्त्री जी ही देंगे किन्तु बीच में ही, आपकी इजाजत से, मैं कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। कन्ट्रोल कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है और कोई उसे पसन्द भी नहीं करेगा। जो लोग इस बात को जानते हैं कि प्रारम्भ में गन्ने की कीमत क्या थी और किस तरह से काश्तकार लोग परेशान थे, वे यह समझ सकते हैं कि कन्ट्रोल कितनी अच्छी चीज है। श्रीमन्, एक मिनिमम प्राइस फिक्स की गयी और काश्तकारों ने गन्ना पैदा करना प्रारम्भ किया। सन् १९६०–६१ में हमारे पास करीब १५ लाख टन ज्यादा चीनी थी। उस वक्त हालत यह पैदा हो गयी थी कि हमारे यहां चीनी बिक नहीं पा रही थी। अगर वही हालत जारी रहती तो जो दाम गन्ने के मिल रहे थे काश्तकारों को, वह भी मिलना सम्भव नहीं था। यह सब देखकर भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि चीनी और गन्ने के दाम नियत किये जायं। आपने देखा कि इस बीच में कुछ परिस्थितियां बदल गयीं। हमारे देश पर किसी ने आक्रमण किया और इमरजेन्सी की स्थिति आ गयी। चीनी हमारे यहां से बाहर जाने लगी। जब चीनी बाहर जाने लगी तो चीनी की आवश्यकता बढ़ी और उस सम्बन्ध में भारत सरकार ने एक पालिसी बनायी। माननीय गेंदासिंह जी को मालूम है कि एक समय था जब कि हमारे यहां १५ लाख टन चीनी ज्यादा थी और उसका कोई मार्केट नहीं था। जो चीनी बाहर भेजी उसमें कुछ सब्सीडी भी देनी पड़ी। जब परिस्थिति बदल गयी तो इसके सिवा और कोई चारा ही नहीं था कि यह कहे कि चीनी ज्यादा बनाओ क्योंकि आज ज्यादा चीनी की खपत देश में ही नहीं है बल्कि चीनी हमें बाहर भी भेजना है और बाहर इसलिये भेजना है क्योंकि हम उससे फारेन एक्सचेंज चाहते हैं और वह इसलिये चाहते हैं कि हमें आर्म्स चाहिये और हमें आर्म्स किसलिये चाहिये क्योंकि हमारी फौजें बार्डर्स पर खड़ी हैं। जब हम आदमी वहां पर भेज देते हैं तो हम कर नहीं सकते हैं कि हम बिना हथियार उनसे कहें कि वह लड़ें।

यहां बड़ी भारी कन्ट्रोवर्सी है कि हमारे प्रदेश में कितनी चीनी है और कितना रिजर्व्ड एरिया है। ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हमें यह बतलाया गया है कि हमारे यहां ३२ लाख एकड़ में शुगरकेन पैदा होता है और उसमें से २१ लाख एकड़ रिजर्व्ड एरिया है। उसका दो तिहाई यानी १४ लाख एकड़ से हम गन्ना ले लें तो फिर ७ लाख एकड़ वह और ११ लाख अनरिजर्व्ड एरिया का यानी १८ लाख एकड़ गन्ना फिर भी बचता है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल, एडवोकेट—

मन्त्री जी यह भी बतलावें कि पारसाल शुगर और गुड़ के प्रोडक्शन का क्या रेशियो था? कितना रिजर्व्ड एरिया कम्पेरेटिवली था?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह फिगर मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की आपको दी है। टोटल कितना शुगरकेन पैदा होता है और रिजर्व्ड एरिया का कितना शुगरकेन मिलों में कन्ज्यूम हुआ इसकी फिगर्स पारसाल की हमारे पास नहीं हैं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

आप यह बतलावें कृपा करके कि ८० करोड़ में से सिर्फ २३ करोड़ का मिलों में कन्ज्यूम हुआ। क्या ऐसी फिगर्स आपके पास हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह फिगर्स मेरे पास नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपके पास नहीं हैं तो आप आगे चलिये। खन्ना जी इसे बतला देंगे।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

यह भी निश्चय है कि जो क्रशर्स जितना गुड़ और खांडसारी बनाया करते थे उतना ही इस साल भी बनायेंगे हम उस पर कोई पाबन्दी नहीं लगायेंगे और हमारा विश्वास है कि जो ज्यादा गन्ना पैदा होगा उसी की हमको जरूरत है, हम उसको लेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि शुगर की जो मात्रा है वह बढ़ सके। तो अगर जितने क्रशर्स चलते थे उतने ही चलते रहे और उतना गन्ना उनको मिलता रहा तो आदमियों को कम करने या उनको अनएम्प्लाय करने का सवाल नहीं पैदा होता है।

मैं यह जानता हूं कि कन्ट्रोल लगाने से कुछ दिक्कतें होती हैं, लेकिन सरकार का यह इरादा है कि दिक्कतें ज्यादा से ज्यादा दूर की जायं और ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दी जाय और ऐसी तरकीब की जाय कि खांडसारी भी बने, गुड़ भी बने शुगर भी ज्यादा बने और जो उद्देश्य मैंने बताया है उस उद्देश्य की पूर्ति भी हो। सरकार का सिर्फ यह मंशा है कि जो लोग चीनी पैदा करते हैं वे इस बात को जानते हैं कि अगर चीनी का यह दाम न हो या कोई ऐसी परिस्थिति हो जाय कि चीनी बाहर न जाय, यहीं रह जाय तो उसका दाम गिर जायगा और ऐसी हालत में गुड़ का दाम भी गिर जायगा। ऐसे यह स्थिति आने वाली नहीं है। इस सदन ने एक प्रस्ताव पास किया था कि गन्ने का दाम एक रुपया १२ आने मन दिया जाय। हम भारत सरकार से बराबर कहते हैं कि और आज भी हमारी इच्छा है कि काश्तकारों को गन्ने का दाम १ रुपया १२ आने मन जरूर दिया जाय। एक चीज और इस नियम में यह की गयी है कि पहले ८–१० मील दूर से जो किसान मिलों में गन्ना लाते थे उनका ४–६ आने मन पैसा भाड़े के रूप में कट जाया करता था लेकिन अब उनका केवल दो आने मन ही भाड़े के रूप में कट सकेगा और बाकी मिल मालिक को देना पड़ेगा। इस तरह से किसान को कम से कम एक रुपया १० आने मन गन्ने का दाम मिलेगा।

एक बात और आप याद करें पारसाल की स्थिति को। जब यह मालूम हुआ कि गन्ना ज्यादा है और चीनी बाहर नहीं जायगी तो उस साल क्रशर लगाने वालों ने १२–१४ आने से अधिक दाम नहीं दिया। उस वक्त काश्तकारों की स्थिति अच्छी नहीं थी। आज तो गुड़ का दाम भी बढ़ रहा है और गन्ने का दाम भी बढ़ रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

गन्ने का दाम क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

एक रुपया १२ आने मन।

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं यदि आप आज्ञा दें। मेरा आपसे यह विनम्र निवेदन है कि यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है. . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी समाप्त कर लें तब आप कह लेंगे।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गन्ने और चीनी के दाम भारत सरकार निश्चय करती है। आपकी जो राय है गन्ने के दाम के सम्बन्ध में, उससे हमारी कोई दूसरी राय नहीं है। हम तो आपकी राय को बार-बार भारत सरकार के पास भेजते हैं और हम भी यह चाहते हैं कि हमारे जो काश्तकार हैं उनको

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

ज्यादा से ज्यादा दाम मिलें । उसके लिये हम पहले भी प्रेस करते थे और अब भी प्रेस करते हैं तथा आगे भी प्रेस करते रहेंगे कि किसानों को गन्ने का ज्यादा से ज्यादा दाम मिले ।

श्री राममूर्ति 'अंचल'—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस प्रश्न के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति जो झोंकहा है, मुठहा हैं और खेतिहर हैं उनसे सम्बन्धित हैं और सभी इस पर बोलना चाहते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करता हूं कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर बहस के लिये कम से कम एक दिन और दिया जाय । अगर आप एक दिन नहीं दे सकते हैं तो कम से कम २ घंटे और दिय जायं । आज नहीं बल्कि २९ या ३० तारीख को जब भी आप उचित समझें इस पर बहस के लिये अतिरिक्त समय दिया जाय । इसके लिये मैं आपका हृदय से अभिनन्दन करता हूं और आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, माननीय शर्मा जी ने जो १ रु० १२ आने मन गन्ने का दाम किसानों को देने का प्रस्ताव किया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ३१ व ३० तारीख को असरकारी दिन हैं और यदि विरोधी दलों तथा सरकार को कोई आपत्ति न हो तो उन में से किसी दिन आप आधा दिन इसके लिये दे दें तो उतने समय में. . . .

श्री अध्यक्ष—

तो क्या मैं यह समझूं कि अब इस वक्त इसको समाप्त कर दिया जाय ?

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

कोई हर्ज नहीं है, अगर उस दिन समय मिल जाय । अब समाप्त करके इसे आप २९ या ३० को रख दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसे नियम ५३ में लिया है लेकिन अगर आप अब बहस नहीं करना चाहते तो मैं वचन नहीं दे सकता कि २९–३० या ३१ को क्या हो सकेगा । २९ को सरकारी दिवस है और ३० व ३१ को असरकारी कार्य के लिये हम नियमों से बद्ध हैं, नियमों में यह है कि शलाका से जो संकल्प आयेंगे वह लिये जायेंगे । शलाका से प्रस्तावों के सम्बन्ध में निश्चय हो चुका है । अब मेरे अधिकार की बात नहीं है। वह तभी हो सकता है कि जब यह सदन प्रस्तुत शलाका के क्रम के विरुद्ध राजी हो जायं । आप सब बैठकर कुछ विचार कर के तय कर लें, वह बात दूसरी है । इस समय आप बहस करना चाहते हैं तो करें, वर्ना समाप्त किया जाय ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है. . . . .

श्री अध्यक्ष—

यह देखते हुये कि इसमें दिलचस्पी ली जा रही है मैं इस बात पर राजी हूं कि मैं आधा घंटा बढ़ाये देता हूं और २ घंटे के बजाय बहस ढाई घंटे चले । लेकिन अब दस-दस मिनट ही सब बोलेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

तो मैं कह रहा था कि यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह केवल यहां के दस पांच प्रतिशत लोगों से ही सम्बन्धित नहीं है वरन् इसका सम्बन्ध समस्त उत्तर प्रदेश के रहने वालों और खेतिहरों से है । यह तो कहने की बात है कि केवल गांवों से ही इसका सम्बन्ध है मेरा अनुमान है कि इससे करीब ६ करोड़ लोग प्रभावित होंगे । अतः ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर सरकार को ध्यान देना चाहिये और जो कुछ इधर से कहा जा रहा है उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये । मेरा निवेदन है कि सरकार को जो १५ लाख टन चीनी की आवश्यकता है वह इसलिये है कि विदेशों में चीनी का संकट है और चीनी कहीं से मिल नहीं रही है, अमरीका और इंगलैण्ड व दूसरे देशों को चीनी चाहिये । विदेशी मुद्रा कमाने की बात कही जाती है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिये इस तरह से डी० आई० आर० की बात कही जा रही है । मेरा कहना है कि इस के लिये यह आवश्यक नहीं है कि आप डी० आई० आर० लगावें, जिस को हम काला कानून कहते हैं, जिससे कि आपने बहुत से माननीय सदस्यों को जेल में बन्द कर दिया और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, और हमारे साथियों के हितों पर कुठाराघात किया गया और अब उसी कानून के द्वारा वह किसान जो देश की रीढ़ हैं उन पर भी हमला किया जा रहा है । यह उपाय १५ लाख टन चीनी का टार्जेट पूरा करने का नहीं है । यह चीनी की कमी हो जाना सरकार की नीति की ही देन है । किसान गन्ने को नशक्राप मानता है और उस के द्वारा वह पैसा वसूल करता है । आपको सोचना होगा कि किस कारण चीनी नहीं बनती, गन्ने की पैदावार क्यों नहीं बढ़ती ? आप क्यूबा के संकट के नाम पर डी० आई० आर० लगाते हैं और किसानों से जबरदस्ती गन्ना छीनना चाहते हैं और कहते हैं कि हम विदेशी मुद्रा कमाना चाहते हैं । आज हमारे किसान को आपकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं है कि जब क्यूबा में खेती होगी और काफी गन्ना पैदा होने लगेगा उसके बाद यहां के गन्ने का क्या होगा, इसका कोई आश्वासन सदन में नहीं दिया गया ।

इस तरीके से किसान की दशा अनिश्चित है और सरकार का प्रस्ताव भी अनिश्चित है । इसलिये किसान मजबूर है कि वह गन्ना पैदा करे या न करे । पिछले साल उससे कहा गया कि तुम अपने गन्ने को जला दो हमें गन्ने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन आज मांग कर रहे हैं कि दो छटे तीन जबरदस्ती डी० आई० आर० में लेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

जो बातें कही जा चुकी हैं उनको न दोहरायें ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मेरा कहना है कि डी० आई० आर० का इस्तेमाल करने के बजाय मिलों की क्रशिंग कैपेसिटी पर सरकार अपनी नजर रखें । मेरे जिले में ऐसी मिलें हैं जिनकी क्रशिंग कैपेसिटी बराबर घट रही है । वह नई मशीनें नहीं लगा रहीं जिसकी वजह से क्रशिंग कैपेसिटी दिन पर दिन घटती जा रही है । इस तरीके से किसान का गन्ना जो एक दिन में ले सकते थे वह तीन दिन में लेते हैं जिससे किसान का नुकसान होता है । अगर किसान से सरकार कहे कि ३० अप्रैल तक तुम्हारा गन्ना ले लेंगे तो यह निश्चित रूप से आपकी मिलों को देगा । लेकिन यह आश्वासन आप देना नहीं चाहते आप जून, जुलाई, तक उसका गन्ना पेरना चाहते हैं इसलिये किसान मजबूर हो जाता है कि अपने खेत को खाली करने के लिये जल्द से जल्द गन्ने को इधर उधर कर दे । मैं नहीं मानता जो माननीय जगदीशशरण अग्रवाल या माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि गुड़, खांडसारी यूनिट्स के लिये अलग रिजर्व एरिया कर दिया जाय और मिलों के लिये अलग कर दिया जाय । इससे किसान का नुकसान होता है । इस मामले में फ्री कम्पेटीशन हो उस सम्बन्ध

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

पता चलेगा कि किसान अपना गन्ना किसको देता है । जाहिर है कि किसान उसी को गन्ना देगा जो जितना अच्छा पैसा देगा । जिनका रिजर्व्ड एरिया बना दिया है वह बिलकुल आराम से बैठे हुये हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि सरकार हमारे लिये करेगी ही हमको कुछ नहीं करना है । इसलिये मर्ज कुछ ।सरा है और दवा दूसरी की जा रही है । ऐसा हीं चाहिये । सरकार को अब भी सोचना चाहिये कि और किसानों के हितों की रक्ष करना चाहिये । आज हमने डी० आई० आर० किसके हाथ में दे दिया ? डी० आई० आर० का इस्तेमाल गजेटेड अफसर करते हैं, लेकिन सरकार ने उसको कामदार और सुपरवाइजर के हाथ में दे दिया है उससे बड़ा अनर्थ होगा। उनके हाथ में किसान की गर्दन दे दी है जो हमको मिष्ठान्न देता है । आज कामदार जैसे चाहे किसान को परेशान कर सकता है ....

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, मुझे २, ३ मिनट और दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

एक मिनट और है । जो बातें कह दी गई उनको न दोहरायें ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

सरकार ने यह बात तसलीम कर ली है कि केन अफसर और गन्ना सोसाइटी के कर्मचारी हैं वह लोग देख लेंगे कि कितना गन्ना इसने पैदा किया । तो यह बात काश्तकार के हित में नहीं जाती । अभी तक जिस तरह से किसान के साथ ज्यादती होती रही है उसमें कामदार और सुपरवाइजर का बहुत बड़ा हाथ है । इसलिये यह उनके हाथ से निकाल लेना चाहिये । जो रिजर्व्ड एरिया की बात कही गई यह केन कमिश्नर के हाथ की बात है । रोजाना नये गांव रिजर्व्ड एरिया में शामिल कर लिये जाते हैं । हर रोज नये रिज-र्ड एरिया बढ़ते हैं जिससे किसान को बड़ी परेशानी होती है ।

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, यह प्रश्न काफी अहम है और इतना ही इस पर बोलना दिक्कत तलब है । इसमें कई फरीक भी शामिल हैं। इसमें केन्द्र का भी हाथ है । शायद इसलिये सरकारी पक्ष से जो कुछ कहा गया है उसमें बहुत कुछ ऐसी गोल माल बात कही गयी है कि जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई । इसका नतीजा क्या है । इस प्रश्न पर विचार करते समय तेजी की कोई आवश्यकता नहीं है । इसमें तेजी या गर्म—गर्मी की बहस भाई गेदासिंह जी की तरफ से हुई । मुझे ऐसा डर हुआ कि कहीं झोंटो झोंटो की लड़ाई में झुन्डों का नुकसान न हो जाय । कहीं, इसमें किसानों का नुकसान न हो जाय । तो इस प्रश्न को कोई प्रैस्टिज का क्वैश्चन नहीं बनाना चाहिये। आज सरकार से यह भी तवक्क न की जाय कि वह बताये कि क्या करना है । इन सब बातों पर हम विचार करें और आज जो सदन में प्रस्ताव पेश किया गया है उसको किसी और दिन ले लिया जाय तो स्पीकर महोदय भी कृपा कर देंगे ताकि तब तक सरकार भी इस पर विचार करके एक रास्ता निकाल ले । आजकल मुझे काफी समय मिलने लगा है । इसी दौरान में मैंने गांधी जी की किताबें पढ़ी हैं, तो मैं एक बात अपनी तरफ से नहीं बल्कि गांधी जी की तरफ से कहता हूं कि चाहे कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट हों, चाहे कम्युनिस्ट हों, ऐसे मामलों में सब एक हैं । जो आप उपज चाहते हैं वह उपज भी हो जाये और जो दाम आप चाहते हैं वह भी तय हो जाय । सब बातें हो जायेंगी । परन्तु यह देखना है कि उतना रकबा भी बढ़ा है या रकबे में कोई इजाफा नहीं है । जून में बारिश नहीं हुई, जुलाई में बारिश कम हुई और जिन इलाकों में गन्ना अधिक बोया जाता है उनमें बाढ़ आ गई । अतः किसान ने उतना गन्ना बोया जितना गन्ने की जरूरत होती है । मुझे शुबह है कि प्रान्त की पैदावार बढ़ी होगी ।

२ प्रश्न बड़े अहम है । किसान गन्ना सोसाइटी को देता था और रिजर्व्ड एरिया में बहुत से गांव ऐसे हैं जहां कोल्हू नहीं लगते थे । यह बात सही है, लेकिन गन्ना बाउन्डिंग होता है । हर किसान लिख कर देता है कि मैं इतना गन्ना दूंगा । मैं कानपुर गया था । सौभाग्य से भाई जगदीशप्रसाद जी भी थे तो वहां यह प्रश्न बड़ी तेजी से आया कि अगर कोल्हू पर लाइसेन्स लगेगा तो काश्तकार सत्याग्रह करेंगे । इससे यह पता चलता है कि वह कानून किसान के पक्ष में नहीं है । हमने जब कहा कि सन् ५० में भी लाइसेंस आया था और वर्किंग कमेटी के सामने भी यह प्रश्न आया था और उसके प्रयास से वह कानून केन्द्र ने वापस ले लिया था । किसानों का हित इस बात का तकाजा करता है कि जैसे इस मुल्क में बाकी लोग बसते हैं और हर आदमी अपनी चीज का मालिक है उसी तरह किसान को अपना गन्ना बेचने का रास्ता दो । मिलों में गन्ना जाना चाहिये यह ठीक है लेकिन मिलों में गन्ना किस भाव से जाना चाहिये यह दूसरी बात है । रिजर्व एरिया से गन्ना दो यह आर्डिनेन्स तो अपने पास कर दिया । पारसाल मेरे पास जमना पार वाले लोग आये और कहने लगे कि हम गन्ना कैसे दें । पुल तो है नहीं । आर्डिनेन्स तो लग गया कि तुम रिजर्व एरिया में हो, तुम्हारा गन्ना नहीं आयेगा तो चालान होगा । लेकिन मेरी जानकारी में है ये कि जो लोग रिजर्व एरिया में थे उन्होंने मिलों को गन्ना नहीं दिया । कुछ कारण होगा जो नहीं दिया । इस इंडस्ट्री की यही दुर्गति रही है कि एक साल घटी तो दूसरे साल बढ़ी और फिर घट गयी । कई गांव ऐसे हैं जिन्होंने किसी रिजर्व एरिया की फैक्ट्री को आज तक गन्ना नहीं दिया । उनको इस आर्डिनेन्स से बड़ी दिक्कत होगी । आप उनको मजबूर करने जा रहे हैं, यह भी सोचा आपने ? आपने तो यह लिख दिया कि जो कोआपरेटिव सोसाइटीज के मेम्बर्स हैं वे कोआपरेटिव सोसाइटीज को गन्ना दें और बाकी मिल को सीधे दें । रिजर्व एरियाज का सारा गन्ना गेट पर नहीं आता । वे ब्रिजेज भी हैं उनको तीन मील का एरिया मिला है और गेट का रिजर्व एरिया १० मील का है । सबको एक ही लाठी से हांकना ठीक नहीं है । मेरा निवेदन है कि इस चीज को देखना चाहिये ।

आपने यह आर्डिनेन्स कर दिया कि दो तिहाई गन्ना मिल को देना होगा नहीं तो चालान हो जायगा लकिन मिल के लिये कोई आर्डिनेन्स नहीं है कि अगर मिल ने गन्ना किसान से नहीं लिया तो क्या होगा ? किसान की हिफाजत करने वाला भी तो कोई हो ? इसके अलावा अगर किसान ने गन्ना बोना ही खत्म कर दिया तो मिलों को गन्ना कहां से मिलेगा ? इसलिये जो मुर्गी सोने का अंडा देने वाली है वही अगर मर गयी तो क्या नतीजा निकलेगा ? इसलिये इस मामले पर सरकार को सोचना चाहिये । यह प्रेस्टिज का मामला नहीं होना चाहिये । अगर अध्यक्ष महोदय, इस बहस को आज मुल्तवी कर दिया जाय तो मुमकिन है कि हम मंत्री महोदय से बातचीत कर लें और सब लोग मिलकर इस सारे पहलू पर सोचें और यह मामला सुलझ जाय । हार जीत जरूरी नहीं है । मामला सुलझाना जरूरी है ।

गन्ने के भाव पर भी बड़ी चर्चा है कि दो रुपये मन कर दो, पौने दो रुपये मन कर दो । उसके भाव के कई पहलू हैं । शक्कर के भाव से उसका भाव तै होगा, गुड़ के भाव से उसका भाव तै होगा । गुड़ का भाव महंगा है तो गन्ना गुड़ में चला जायगा और अगर गुड़ और शक्कर दोनों सस्ते हों तो किसान गन्ना न बो कर गेहूं बोयेगा । डंडे के बल से किसान को नहीं चलाया जा सकता । आज के दिन गन्ना बोना बहुत मुफीद नहीं है । मैं कोयम्बटूर गया था । वहां पर एक, एक ट्यूबवेल पर एक, एक लाख रुपये खर्च होते हैं । उस ट्यूबवेल से गन्ने की आबपाशी नहीं होती, रागी और कोंदो की आबपाशी होती है ।

इसलिये मेरा यह निवेदन है कि अगर मिल चलानी है तो काश्तकार के लिये आकर्षण पैदा करो, डंडा मार मार कर किसान को चलाना ठीक नहीं होगा जो देश के लिये ठीक नहीं, किसान के लिये ठीक नहीं और किसान तो हमारी जड़ है, अगर हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो मामला मुश्किल हो जायगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस मामले पर विचार करने का मौका दें

[श्री फूलसिंह]

और अभी बहस न करें तो अच्छा हो । समय नहीं है वरना मैं कुछ और कहता ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, आज गन्ना और चीनी की सरकारी दुर्नीति के कारण निश्चित तौर पर किसान के सामने जीवन और मरण का सवाल आ खड़ा हुआ है। आज जो यह भारत रक्षा कानून गन्ना लेने के लिये लगाया जा रहा है उसके पीछे यही भावना है कि किसान बेचारा है, वह जायगा कहां, उसको तो गन्ना हमें देना ही पड़ेगा। इसी सिलसिले में आप देखें कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों को दो हिस्सों में बांट दिया है। जहां पर गुड़ और खांडसारी बनाने के साधन हैं वहां गन्ने का दाम दो आने मन अधिक दिया जायगा और जहां ये साधन नहीं हैं वहां गन्ने का दाम कम दिया जायगा। साथ ही कांटे पर जो कटौती होती थी वह कम की जायगी और यह दो आने मन बढ़ोत्तरी और वह जो कांटों पर कटौती में कमी की जायगी, ये दाम चीनी के उत्पादन में जोड़ दिये जायेंगे। तो, जो लोग गुड़ और खांडसारी बनाने के साधन इकट्ठा नहीं किये हैं वे ही शुरू से ही चीनी के उत्पादन में सहायक भी रहे हैं। आज भी वे महंगाई के वातावरण में गन्ना पैदा करके देना चाहते हैं लेकिन फिर भी दो आने की बढ़ोत्तरी का लाभ उन्हें सरकार देना नहीं चाहती है और दूसरी तरफ चाहती है कि १५ लाख टन चीनी उत्तर प्रदेश में जरूर पैदा हो। आज जहां पर गुड़ और खांडसारी लगाने के साधन नहीं हैं उन किसानों को सरकार ने मुर्दा समझ रखा है उनको उसने ललकारा है कि तुम जागो और हमारे इस काले कानून से टकराओ। तो निश्चित तौर पर आज पूर्वी जिलों का किसान जिसके पास गुड़ और खांडसारी बनाने के साधन नहीं हैं वह सरकार से टकराने के लिये तैयार है। मैं सरकार से बता देना चाहता हूं कि सोशलिस्ट की १५ दिसम्बर की एक मेकमोहन लाइन है जिस दिन से वह निश्चित तौर पर इस काले कानून के खिलाफ कदम उठाने के लिये किसानों को तैयार करेगी क्योंकि सरकार ने समझ रखा है कि किसान तो मुर्दा है, वह असहाय है। आज किसान के सामने जीवन और मरण का सवाल है, वह मरने के करीब है। उसको असहाय समझ कर सरकार हर तरीके से दबाना चाहती है, तो वह 'मरता क्या न करता' के अनुसार दबने के लिये तयार नहीं है।

श्रीमन्, चीनी और गन्ने की नीति में यह सरकार चार साला चक्र चला रही है। प्रथम साल में अतिरिक्त उत्पादन, दूसरे साल में ठीक उत्पादन, तीसरे साल में घटता उत्पादन और चौथे साल में अकाल। यह चक्र पिछले १५ सालों से लगातार चल रहा है और उत्तर प्रदेश के सामने आजादी के बाद यह तीसरा चक्र आया हुआ है। जब बढ़ती उत्पादन का साल होता है तो उसमें भी किसान को अपने गन्ने को, अपने खून पसीने की कमाई को आग के हवाले करना पड़ता है।

दूसरी तरफ जब अकाल आता है तो भी उसको गन्ने का दाम वाजिब न देकर के सौदेबाजी करने के समय में भी डी० आई० आर० द्वारा उसको पैसे का बढ़ावा न देकर, गन्ने को मिल की तरफ मोड़ने के बजाय, कमजोरी की हालत का एहसास कर दबाने की बात होती है। दोनों तरफ से किसान बेचारा को घाटा है। अगर चीनी की बढ़ती होती है तो किसान को अपना गन्ना फूंकना पड़ता है और अगर घटती होती है तो उसको कम दाम मिलते हैं। आज किसान को सरकार हर तरह से दबा रही है। जहां तक चीनी की बढ़ती का सवाल है जब १९६ –६१ में चीनी हमारे यहां साढ़े तीस लाख टन पैदा हुई थी तभी से विदेशों में चीनी की बहुत कमी थी। लेकिन हमारी सरकार तो आंख मूंद कर चलती है। उसकी अपनी दृष्टि नहीं है। उसको तो पूंजी तियों से दृष्टि मिलती है। उस समय हमें विदेशी मुद्रा कमाने का बड़ा अच्छा मौका था। जिस समय ले दही ले दही की बात थी तब हमारे यहां चीनी मौजूद थी और आज जब दे दही दे दही की बात है तो हमारे यहां चीनी नहीं है। आज हम चीनी देने में असमर्थ हैं। अमरीका हमें चीनी का मुंह मांगा दाम देने को तैयार है। वह विश्व बाजार से भी सवाया देना चाहता है, लेकिन हमारे पास चीनी नहीं है। अगर सरकार यह समझती है कि किसान को दबा कर १५ लाख टन चीनी पैदा करा लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। सरकार किसानों की हड्डी पीस डाले

फिर भी १५ लाख टन चीनी नहीं पैदा हो सकती है क्योंकि गन्ना खराब हुआ है, बाढ़ आई है, सखा पड़ा है। चारे का अकाल है और भी परिस्थितियां हैं और किसानों को गन्ने का दाम जितना मिलना चाहिये उतना नहीं मिल सकता है। अगर सरकार गन्ने का दाम २ रुपये मन कर दे तो भी ठीक नहीं होगा क्योंकि २ रुपये मन १९४६--४७ में दे चुके हैं। इसलिये गन्ने का दाम ढाई रुपये मन होना चाहिये, क्योंकि गन्ना उत्पादन के साधनों के दाम भी अन्य वस्तुओं के साथ बढ़े हैं। जैसा चीनी का भाव है उस हिसाब से गन्ने का दाम ढाई रुपये मन होना चाहिये। जब तक गन्ने का दाम सरकार बढ़ाती नहीं है तब तक जितना गन्ना सरकार चाहती है उतना नहीं मिल सकता है चाहे सरकार किसान को कितना ही सतावे। मैं सरकार से बताना चाहता हूं कि किसान अपने को जिन्दा रखने के लिये सरकार के इस काले कानून का मुकाबला करेगा।

*श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जिसके ऊपर हम लोग बहस कर रहे हैं। चीनी, खांडसारी वगैरह मीठी चीजें हैं। असल में बात यह है कि जो इंट्रिन्सिक नेचर मिठाईपने का है, वह यदि इस तरह से बहस में पड़ जायगी तो एक तरह से सदन में विषमता पैदा हो जायगी और उसकी वैल्यू घ जायगी और उसकी हमें परिभाषा बदलनी होगी। इसका कारण क्या है? आज कल गांवों के हर घर में जब इस तरह से गुड़ और खांडसारी का काम चल रहा है और वहां पर लोग चीनी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और अगर उनको पुराना रवैया बदलना होगा तो उनकी कराह निकलेगी जिससे शक्कर कैसे मीठी रह सकती है। इसलिये श्रीमन्, मैं कहूंगी कि इससे हमारा गरीब किसान पीड़ित होगा। इसका असर उसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ेगा। इससे उसकी कमर ही टूट जायगी। यह हमारी सरकार किसान और मजदूर की सरकार है। कांग्रेस का सिम्बल भी किसानों का सिम्बल है, यानी हल और बैल की जोड़ी है। मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि हम उसके बल के ऊपर यहां खड़े हुये हैं। इस चीज को सरकार को सामने रखना चाहिये।

दूसरी तरफ मिल मालिकों का यह कहना है कि हमारे यहां जो सब से बड़ा उद्योग है वह शक्कर का है। अगर हम इसको कोई इनसेंटिव नहीं दे सकते हैं तो जो उनका कहना है कि कंट्रोल जो लगा हुआ है उसको हटा दिया जाय। अगर कंट्रोल हटाना मुमकिन न हो तो कम से कम पार्शियल कंट्रोल कर दें। उनका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की राहत उनको नहीं मिल रही है। इसका कारण यह है कि अगर इन्सेंटिव नहीं मिला तो उसका नतीजा यह होगा कि दक्षिण से कोई कम्पेटीशन हमारा नहीं रह जायगा? और यह जो हमारा सब से बड़ा उद्योग है और उस प्रदेश का उद्योग जो कि उद्योगों में सबसे पिछड़ा हुआ है और जिसमें हर उद्योग को बचाने और नये-नये उद्योगों को लाने की जरूरत है, वहां से यह उद्योग भी खत्म हो जायगा और लाखों आदमियों पर इसका असर पड़ेगा। कारण इसका क्या है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो केन-डेवलपमेंट मुहकमा है उन्होंने रिसर्च किया और प्रयत्न किये जिसके फलस्वरूप दस परसेंट जो उनकी ईल्ड थी उसको बढ़ा कर दस साल के अन्दर उन्होंने १२ परसेंट कर दिया। उत्तर प्रदेश में ६--७ करोड़ रुपया परचेज टैक्स से मिलता है पर कहा जाता है कि इसमें से एक करोड़ रुपया ही उस पर खर्च होता है। न इरीगेशन की फैसिलिटी है न कोई और सुविधा है। जब कि औसत तरीके से २५--२५% पानी दक्षिण में मिलता है उत्तर प्रदेश में दस पन्द्रह प्रतिशत ही ऐसे खेत हैं कि जहां दो या तीन पानी पहुंच सकते हैं। तो न उत्तर प्रदेश पानी दे सकता है, न खाद दे सकता है, न कोई और सुविधा दे सकता है और ऊपर से समय पर दाम भी काश्तकार को नहीं मिलता है।

(श्री रामसूर्ति 'अंचल' के खड़े होने पर)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राममूर्ति जी, आप बैठ जायं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

अध्यक्ष महोदय, तो यह दोनों ही पहलू सरकार को अपने सामने रखने होंगे। उनको इस उद्योग को भी बनाये रखना है क्योंकि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का आधार यह है कि कृषि हटा कर के हम उद्योग की तरफ ध्यान ले जायं, परसेंटेज कृषि पर जो ज्यादा है उसको उद्योग की तरफ ले जायं। दूसरी तरफ हमको यह भी ख्याल रखना है कि जो हमारे केन ग्रोवर्स हैं उनके लिए यह पूलिंग प्रोसेस एक अन्याय की बात है। बड़ी जितनी फैक्ट्रीज हैं—या छोटी फैक्ट्रीज जो हैं वह सब सभी इसमें आ जाती हैं और टैरिफ कमीशन ने जो फिक्सेशन आफ प्राइस किया है वह भी एक तरह का अन्याय है। नये-नये तरीके की शीनें लगाने का जहां तक सवाल है, बड़ी-बड़ी मिलें तो उस कम्पेटीशन में आ सकती हैं लेकिन छोटी छोटी-फैक्टरीज उसे नहीं लगा सकतीं। उसी तरह इन्टेंसिव कल्टीवेशन की स्कीम में भी जो २५ यूनिट की बात रखी गई है, वह भी बड़े-बड़े जो मिल वाले हैं वही कर सकते हैं क्योंकि वही उसके लिए मैंचिंग ग्रान्ट दे सकते हैं, साधारण मिल वाले उसके लिए मैंचिंग ग्रान्ट नहीं दे सकते, वह उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। तो इन सब चीजों को सरकार को अपने ध्यान में रखना है।

मैं यह भी निवेदन करूंगी कि इसका एक ह्यूमन-ऐंगिल भी है और साथ ही एक इंडस्ट्रियल ऐंगिल भी है और कांग्रेस का अपना जो पुराना सिद्धान्त है, बापू का जो कहना था, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को बड़ी गम्भीरता पूर्वक इसके ऊपर विचार करना चाहिए। डी० आई० आर० एक बड़ी गम्भीर चीज है और कोई नागरिक यह नहीं चाहेगा कि डी० आई० आर० को हल्के तरीके से सोचे। खास कर काश्तकार जो अपने प्रदेश की रीढ़ है वह कभी नहीं चाहेगा कि उसका उल्लंघन करे। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी आ गई है कि जिसमें एक हाई पावर कमीशन सरकार को इसके ऊपर नियुक्त करना चाहिए जिसमें हर तरफ के मेम्बर उस पर विचार करें और केन्द्रीय सरकार को अपने सुझाव दें और टैरिफ कमीशन को भी अपने रेट्स को रिवाइज करने के लिये कहा जाय। इस तरह से इसका एक उचित तरीके से सुलझाव किया जाय।

इसके अतिरिक्त यह जो १५ लाख टन का उत्पादन रखा गया है जैसा कि अभी उधर के भाई चन्द्रबली साहब ने कहा, जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं उनको भी ध्यान में रखना है। किसान बहुत दबा हुआ है। किसान चाहे भी तो उस उत्पादन की पूर्ति नहीं कर सकेगा। उसके अलावा और भी आप देखें तो बाहर वर्ल्ड में चीनी का रेट १९ पौंड से ८२ पौंड तक पहुंच गया है, लेकिन वहां पर कोई कंट्रोल का सवाल नहीं उठा। पर हमारे यहां तीन परसेंट पर ही कंट्रोल लागू हो गया। तो इन सब चीजों को अपने सामने रखा जाय और यह जो प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है, इस पर पुनः विचार किया जाय।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, आज का विषय बहुत गम्भीर है। पिछले दिनों का हमारा अनुभव यह बताता है कि जब कभी इस गन्ने के सवाल पर गन्ने के उत्पादकों और मिल मालिकों का प्रश्न आया—इस सरकार ने हमेशा मिल मालिकों का पक्ष लिया है और इसीलिए आज शक्कर की कीमत इतनी बढ़ी है। मिल मालिकों ने जब कभी शोर मचाया कि हमारा शक्कर का परसेंटेज गिर रहा है, कीमत बढ़ानी चाहिये घाटा हो रहा है सरकार ने फौरन बिला लिहाज इसके कि किसानों को भी कीमत बढ़ाते शक्कर की कीमत बढ़ा दी। उसका परिणाम यह है कि साढ़े ४२ रुपये मन शुगर आज बिक रही है। श्रीमन्, आप को स्मरण होगा कि कुछ वर्ष पहले इसी सदन में जब एक प्रस्ताव पास किया गया था कि गन्ने की कीमत किसानों को १ रुपया १२ आना मन दिया जाय। इस सरकार को उस प्रस्ताव को अपनी सिफारिश के साथ केन्द्रीय सरकार के पास भेजना था और उन पर दबाव डालना था कि गन्ने की कीमत १ रुपया १२ मन की जाय। हमें दुख है कि इस सरकार ने उस प्रस्ताव को जब कि इस सदन ने उसको पास किया था इस सदन की भावना को

ठुकराते हुए यह लिखा कि अगर गन्ने की कीमत बढ़ाई जायगी तो हमारे प्रदेश की इकनामिक स्थिति बिगड़ जायगी। यह इसलिये लिखा गया था कि सरकार मिल मालिकों को अपने पक्ष में लेना चाहती थी। मिल मालिकों को शक्कर का उत्पादन बढ़ाने के लिए इन्सेन्टिव दिया जाता है। उनको छूट दी जाती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि किसानों को क्या इन्सेन्टिव दिया गया? क्या उनकी गन्ने की कीमत में कोई बढ़ोत्तरी की गई। सरकार ने शुगर के दाम बढ़ाये और गन्ने के दाम घटाये। यह किसानों को इन्सेन्टिव दिया गया कि आज डी० आई० आर० के अन्तर्गत उनको मजबूर किया जा रहा है कि वे अपना गन्ना मिलों को दें और दूसरी तरफ सरकार गन्ने की मुनासिब कीमत दिलाने के लिये कोई इन्तजाम नहीं कर रही है। यह पालिसी सरकार ने अपनाई है। यह विश्वास के साथ यह कहते हैं कि यह कदम हमारे प्रदेश की बेसिक इंडस्ट्रियल पालिसी के विरुद्ध है। इस कानून में जो नियम रखे गये हैं उससे गुड़ और खांडसारी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और हमारी पालिसी जो छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ाने की है, जिसके लिये पिछले साल तक काफी कर्जा देते आये हैं, उसको धक्का पहुंचता है।

हमारे प्रदेश में गुड़ की कमी है। उनको पिछले वर्ष गन्ना हमारे प्रदेश में कम मिला है। उसका परिणाम यह है कि गुड़ की पैदावार कम हुई। किसानों को गन्ना अनिवार्य रूप से मिलों को देना पड़ता है। शुगर की उपज देश में घटी है और गुड़ की पैदावार और भी घटी है जिससे गरीब जनता को और भी परेशानी होगी। यह जो डी० आई० आर० का भूत किसानों के ऊपर लगा रहे हैं इससे किसानों को मजबूर किया जा रहा है और दूसरी तरफ उनको मुनासिब कीमत दिलाने का कोई उचित इन्तजाम नहीं किया जा रहा है। मैं यह कहूंगा कि यह किसानों के साथ अन्याय है। मैं यह निश्चय रूप से जानता हूं कि किसान इस चीज को आसानी से बरदाश्त नहीं करेंगे और आसानी के साथ सहन नहीं करेंगे और आसानी से गन्ने के नीचे इसको नहीं उतारेंगे। आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि वह अपना गन्ना मिलों को दें और मुनासिब कीमत गन्ने की उनको न मिले। आज सरकार उनको मजबूर कर रही है। सरकार अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिये अड़चन पैदा कर रही है और गन्ने को प्राप्त करने के लिये प्रतिबन्ध लगा रही है। सरकार इस कानून के द्वारा उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिये एक रुकावट पैदा कर रही है कि वह किसानों को मजबूर करें कि वह हड़ताल करें। यह कानून मिलों को गन्ना देने में भी रुकावट पैदा करेगा। जो लक्ष्य निर्धारित है वह पूरा नहीं होगा और उसमें रुकावट पैदा होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात पर विचार करे।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा फूलसिंह जी ने कहा और दूसरे सदस्यों ने कहा कि यह सवाल बहुत गम्भीर सवाल है और इस पर विचार करने का सरकार को मौका देना चाहिये। अगर यह समय २९ तारीख की शाम को कर दिया जाता तो इतना मौका मिल जाता सरकार को सोचने का और तब इस पर विवाद हो सकता है। मैं समझता हूं किसानों के हित में कुछ फैसला सरकार ले सकेगी।

श्री अध्यक्ष—

जो अटेन्डेन्स हैं वह आप देख लीजिये।

*श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, विषय जो जेरे बहस है बहुत ही गम्भीर है। मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन आफ शुगर केन आर्डर अव्यावहारिक होने के साथ-साथ बहुत भयानक भी है। माननीय उप-मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट कहा कि इस आर्डर को अमल में लाने की वजह यह है कि वे इस वर्ष चीनी का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। मान्यवर, मैं यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराज सिंह]

स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस आर्डर के फलस्वरूप हो सकता है कि इस वर्ष १५ लाख टन चीनी के उत्पादन का जो टार्गेट है वह हम हासिल कर लें, लेकिन जो गन्ना आज खेतों में खड़ा है उससे जितनी चीनी, गुड़ और खांडसारी पैदा हो सकती है उससे कम मात्रा में चीनी पैदा होगी। साथ ही साथ श्रीमन्, मेरा विचार यह भी है कि इस आर्डर से किसानों को भारी वित्तीय क्षति पहुंचेगी और आने वाले वर्षों में गन्ने की खेती को भी भारी क्षति पहुंचेगी। श्रीमन्, १९२० में रायल कमीशन जब एग्रीकल्चर पर बैठा था तो उसने स्पष्ट शब्दों में यह बात कही थी कि कृषक हित से कृषि हित को पृथक नहीं किया जा सकता। जब भी कृषक हित को आघात पहुंचेगा तभी कृषि हित को भी आघात पहुंचेगा।

मान्यवर, आप स्वयं जानते हैं कि किसानों को गन्ने का दाम देने का एक फार्मूला है जो रिकवरी से लिंक्ड है। मान्यवर, मैं आपके सामने इस प्रदेश की पिछले वर्षों की रिकवरी के कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं, जो इस प्रकार हैं —माह नवम्बर और दिसम्बर में रिकवरी गन्ने की इस प्रदेश के अन्दर ऐवरेज ८.१५ और ९.४ रही। रिकवरी पर एक रुपया १० आना और १२ आना कीमत दी जाती है। जिसका तात्पर्य यह है कि इन महीनों में जो गन्ना पेरा जायगा उस गन्ने से यदि वह अगले महीनों में पेरा जाता तो उससे कम चीनी मिलती। लेकिन साथ ही साथ किसान को भी कम दाम मिलेगा। इस प्रकार से चीनी श्रीमन्, मई और जून के महीनों में रिकवरी ९.०१ और ७.६१ है। इन दो महीनों में किसानों को दाम भी कम मिलेगा और साथ-साथ अगर यह गन्ना फरवरी या मार्च के महीनों में पेरा जाता, उससे कम चीनी भी हासिल होगी। इस प्रकार से श्रीमन्, आप देखें कि इस कंट्रोल आर्डर को लागू करने से हमारा नेशनल नुकसान है और काश्तकारों का वित्तीय नुकसान है। मान्यवर, गन्ना एक कैश क्राप है जिसमें किसानों को काफी पैसा लगाना पड़ता है। अगर हमने अपनी किसी नीति और पालिसी से किसान की आमदनी को घटा दिया और उसके नेट प्राफिट को घटा दिया तो अगली फसल में उसके पास लगाने के लिये रुपया नहीं बचेगा और अगली फसल को भारी क्षति पहुंचेगी।

मान्यवर, इस प्रदेश में गन्ने की उपज बढ़ाने के लिये १९१२ से भारी प्रयास किये जा रहे हैं और मैं सरकार की एक किताब 'Serving Uttar Pradesh Through Research in Sugarcane' से कोट करना चाहता हूं जिसमें विशेषज्ञों ने कहा है कि गन्ने की किस्म बहुत दिनों तक अच्छी रहना मुमकिन नहीं है। मान्यवर, सरकार को यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिये कि चीनी मिलों में नहीं खेतों में पैदा होती है। आज हमारे प्रदेश और देश में चीनी का उत्पादन कम है। इसका एक कारण है और वह मौलिक कारण है कि हमारे यहां के गन्ने में परसेंटेज आफ शुगर बहुत कम है। मान्यवर, मैं आप के सामने यह आंकड़े रखना चाहता हूं कि आस्ट्रेलिया के अन्दर जहां पर हिन्दुस्तान से गन्ने का बीज गया और हमारे यहां की कई वेरइटीज गयीं, गन्ने का परसेंटेज १४.३३ है। जापान और फारमूसा में १२.९८ है जब कि हिन्दुस्तान के अन्दर गन्ने में शुगर का परसेंटेज ९.५० है। मान्यवर, यह आल इंडिया का एवरेज है। साउथ में जितना गन्ना पैदा होता है उसमें परसेंटेज आफ शुगर ज्यादा है और इस एवरेज से उत्तर प्रदेश के गन्ने का परसेंटेज आफ शुगर उससे भी कम है। इसके फलस्वरूप जितना गन्ना प्रति एकड़ पैदा होता है, आप देखें जावा के अन्दर जहां एक एकड़ के अन्दर ६.४४ टन पैदा होता है वहां हिन्दुस्तान के अन्दर केवल १.३९४ टन पैदा होता है। तो हमारे सामने मौलिक प्रश्न चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये यह है कि हम गन्ने की वेराइटीज को अपने अनुसंधान केन्द्रों पर पैदा करें और उनका प्रचार करें जिनके अन्दर परसेंटेज आफ शुगर ज्यादा हो।

उन्होंने कहा है —"It is difficult to recommend varieties type-wise for any long period owing to the usually observed deterioration after a few years of cultivation."

तात्पर्य यह है कि अगर कोई वेराइटीज निकाल भी दी जायं तो ज्यादा दिनों तक उनके द्वारा काम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जल्दी ही खराब हो जाती हैं। तो रिजर्व एरियाज में काफी नर्सरीज बना रखी हैं जिनका गन्ना बदलते रहते हैं और उन्नतिशील गन्ने का बीज उत्पादकों में बांटते रहते हैं। इस आर्डर के लग जाने से किस प्रकार से ये नर्सरीज कायम रहेंगी ? मुझे डर है कि इन नर्सरीज का भी गन्ना डी० आई० आर० के तहत में हमें मिल को देना पड़ेगा।

इसी किताब से कोट करता हूं कि ६६.६६ प्रतिशत किसान का गन्ना देने पर भी, मैं सिद्ध करूंगा कि, मिलों की जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे भी वह काम करें तो भी उन्हें अगस्त तक चलाना पड़ेगा। इससे किसानों की गन्ने की पैदावार भी बहुत घट जायगी—

"Late harvesting of cane crop in April and May, in the absence of irrigation, results in loss in weight by about 20 per cent because of the hot winds prevailing during these months."

श्रीमन्, अप्रैल और मई के महीने में लेट हारवेस्टिंग होने के कारण २० परसेंट गन्ना कम हो जाता है और बहुत भारी नुकसान किसान को पहुंचेगा। इसी किताब में उन्होंने यह भी कहा है कि—

"For keeping ratoons in western U. P. the plant crop should best be harvested between middle of February and mid-April."

अगर हमें प्लांट का रेटून रखना है तो गन्ने को फरवरी और अप्रैल के बीच में काटना चाहिये। आज जब आपकी मिलें चालू हो जायंगी और डी० आई० आर० का डर किसान पर हावी होगा तो वह नवम्बर के महीने से ही अपना गन्ना उठा लेना शुरू कर देगा, जिससे उसके अगले वर्ष का रेटून पूर्णतया खराब हो जायगा।

आप यह भी जानते होंगे कि आज किसानों के बीच में अरली, मिड और लेट इस तरह की गन्ने की वेराइटीज हैं जिसका कोई ब्योरा आज गन्ना विभाग के पास नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस प्रकार से वह इस प्रकार का प्रबन्ध करेंगे कि नवम्बर के अन्दर केवल अरली वेराइटीज उठा ली जायं, जनवरी के महीने में मिड वेराइटीज और बाद के महीनों में लेट वेराइटीज उठा ली जायं ? अगर इसका उल्टा हो जाय और अरली वेराइटीज देर में और देर वाली जल्दी उठा ली जायं तो इस प्रकार से जितनी चीनी पैदा हो सकती है वह पैदा न हो सकेगी और किसानों को भी नुकसान पहुंचेगा।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि उपमन्त्री जी ने फरमाया कि किसानों को अब आउट-सेंटर्स के ऊपर भी हम ऐसा हुक्म देने जा रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है ऐसी बात नहीं है और माननीय मन्त्री जी इस बात को साफ कर दें। आउट-सेंटर्स पर गन्ना लेने पर पिछले वर्षों में मिल-मालिक कुछ कटौतियां किया करते थे। और जो आउट-सेंटर्स से दूर थे, उन पर कटौती दो आना से ज्यादा कर लिया करते थे। इस वक्त इस बात की व्यवस्था की गयी है कि यदि मिल मालिक आउट सेंटर्स से दूर हों तो वे २ आना मन से ज्यादा नहीं काट सकेंगे, बाकी धन की क्षति को केन्द्रीय सरकार पूरा करेगी। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो किसान दूर से गन्ना लाकर जमा करें, क्या उनको भी यह सुविधा सरकार दे रही है ? मेरा ख्याल है कि यह सुविधा मिल मालिकों को ही प्राप्त है। इन शब्दों के साथ में यह निवेदन करूंगा कि सरकार अपने इस आदेश पर पुनः विचार करने की कृपा करें, अन्यथा इस पर अमलदरामद नहीं हो पायेगी।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि रूल्स को सस्पेंड करके, बहस के लिये और टाइम बढ़ा दिया जाय ?

श्री राममूर्ति 'अंचल'—

श्रीमन्, जो असरकारी दिवस हो, उस दिन कुछ समय इसके लिये रख दिया जाय....

श्री अध्यक्ष—

नियम ५३ में ढाई घंटे का ही समय अधिक से अधिक निर्धारित हो सकता है। उससे ज्यादा समय मैं नहीं दे सकता। आज जब इस रूल को सस्पेंड कर देंगे, फिर किस प्रकार बहस जारी रखी जावेगी ?

श्री कल्पनार्थसिंह—

इसको जारी रखा जाय....

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

श्रीमन्, यह तो ठीक है कि जो स्थिति है उसमें टाइम ढाई घंटे से ज्यादा नहीं बढ़ सकता, लेकिन अगर विरोधी दल के नेता इसमें सहमत हों, वह चाहे इस समय या फिर आपके कक्ष में जाकर तय कर लें, कि नान आफिशियल डेज का एक दिन या कुछ समय इस विषय पर चर्चा के लिये रख दिया जाय....

श्री अध्यक्ष—

जैसा मैंने पहले निवेदन किया, असरकारी दिवस के लिये शलाका द्वारा ४ प्रस्ताव निश्चित किये जा चुके हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि चारों प्रस्तावक इसके लिये राजी हो जायं कि वे अपना प्रस्ताव नहीं रखना चाहते, तो इस पर विचार हो सकता है। लेकिन इस समय जो स्थिति है, उसमें कुछ नहीं हो सकता।

चिकित्सा मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने यह राय जाहिर की है कि यह हमारे उत्तर प्रदेश का एक खास उद्योग धंधा है और इस शुगर इंडस्ट्रीज से हमारे प्रदेश के किसानों की हालत काफी बेहतर हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। इसलिये ऐसे उद्योग धंधे के लिये जब हम यहां पर विचार करें तो हमें उस पर ठंडे दिल से विचार करना चाहिये, किसी आवेश में आकर उस पर विचार नहीं करना है और हर बात को इस नजर से देखना है कि आज हम जो फैसला करते हैं उससे कहीं किसानों के फायदे के बजाय उनका नुकसान तो नहीं होने वाला है।

माननीय सदस्यों को आज यह भी जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में जो चीनी बनती है वह हमारे देश में जो चीनी पैदा होती है उसकी आधी के लगभग बनती रही है। आज यह चीज भी हम देख रहे हैं कि यह उद्योग दक्षिण भारत में बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है। उससे आपके इस उद्योग को खतरा पैदा हो सकता है। साउथ इंडिया में जो चीनी बनती है वह सस्ती पड़ती है और हमारे यहां यह मंहगी पड़ती है।

इसके अलावा भारत सरकार ही चीनी की कीमत को कन्ट्रोल करती है। हमारे यहां चीनी मंहगी बनती है, लेकिन चूंकि दाम भारत सरकार नियत करती है तो हमारी चीनी भी देश में बिकती है। दक्षिण भारत में यह उद्योग बढ़ रहा है और वहां चीनी भी ज्यादा बनने लगेगी, क्योंकि वहां गन्ने की पैदावार और रिकवरी दोनों ज्यादा हैं। और हम उत्तर प्रदेश में इसी बहस में पड़ जावें कि हम गन्ने की कीमत इतनी रखेंगे और अगर सरकार कोई नियन्त्रण लगावेगी तो भूख-हड़ताल करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, तो किसान के दिमाग पर भी यह असर पड़ सकता है कि

[श्री दाऊदयाल खन्ना]

वे भूख-हड़ताल और सत्याग्रह में शरीक हो। लेकिन उससे हमारी तरक्की की बुनियाद ही खतरे में पड़ जायगी। तो हमें यह सोचना चाहिये कि जब कीमत भारत सरकार तय करती है, तो हमारी मजबूरी है। क्योंकि वह सारे देश के बारे में सोचती है। डी० आई० आर० जिसका बहुत हवाला दिया गया यह सही है कि जब यह महसूस किया जाय कि उसका दुरुपयोग हो रहा है या हो सकता है तो माननीय सदस्यों को जरूर चिन्ता होगी। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के आदेश जैसे ही प्राप्त हुए उनकी रोशनी में उत्तर प्रदेश सरकार भी कार्य करने के लिये मजबूर हुई है। इसमें हम आजाद नहीं हैं। पिछली दफा, दो सीजन से तो मेरे इल्म में है, हमने १।।।) के लिये भारत सरकार से जिद की। माननीय गेंदासिंह जी को मालूम है। बिहार सरकार ने भी कहा। लेकिन भारत सरकार नहीं मानी। वह कहते हैं कि सारे भारत के लिये दाम बढ़ाने पड़ेंगे।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या १९४६–४७ में २ रुपये मन गन्ना और चीनी के दाम थे?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

ठीक है, मगर चीनी पर एक्साइज पहले कितनी लगती थी, और अब कितनी लगती है, उसे भी तो देखिये। यह भारत सरकार का सवाल है और हम केवल सिफारिश ही कर सकते हैं। लेकिन १।।।) के लिये भी भारत सरकार तैयार नहीं हुई और बमुश्किल तमाम हमें यह उम्मीद है कि जहां खांडसारी व गुड़ का काफी प्रचार है वहां शायद १।।।) के दाम हो जावें। बाकी हिस्सों में भारत सरकार ने सिर्फ १ आना बढ़ाया है। दूसरी यह रियायत दी है कि जो गन्ना सेंटर्स पर जाता था वहां २ आने से ज्यादा किसान को किराया देना पड़ता था, वहां अब ज्यादा न देकर हर जगह २ आना देना ही होगा। तो इससे कुछ थोड़ी सी रियायत हो जाती है। ज्यादा कीमत का जहां तक सवाल है, उसमें हमारी मजबूरी है, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, हालांकि हमने कोशिश काफी की। अब इस चीज को लेकर अपने दिमाग में इतनी तेजी लाना और किसानों के हित में अनशन की बात करना उचित नहीं है।

हमारे माननीय सदस्यों ने खांडसारी और गुड़ का काफी हवाला दिया। हमारे कई माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में बोले। सही बात है कि वह हमारे प्रदेश की एक पुरानी इंडस्ट्री है, लेकिन यह इंडस्ट्रीज खत्म कहां हो रही है? उन्होंने अपनी स्पीचेज में है। हवाला दिया है कि मिल मालिकों को खुश करने के लिये इस इंडस्ट्री का गला घोंटा जा रहा है। यह सरासर गलत है और सच्चाई से परे है।

श्री गेंदासिंह—

क्या इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने पिछले कई वर्षों से प्रस्ताव रखा है कि खांडसारी और गुड़ उद्योग पर हमला किया जाय?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

हमला किया जाय यह तो आपके इल्म में होगा।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार पर इस बात का प्रेशर पड़ा है या नहीं कि गुड़ और खांडसारी पर प्रतिबन्ध लगाया जाय?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये। मन्त्री जी वह बतला रहे हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई डेपूटेशन इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश ब्रांच का माननीय मुख्य मन्त्री जी से मिला था और मुख्य मन्त्री ने उनसे वादा किया था और उसी वायदे को यह सरकार अब पूरा कर रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह बिलकुल गलत है कि कोई डेपूटेशन मिला था और सरकार ने वायदा किया था और अब वह उस वादे को पूरा करने जा रही है। डेपूटेशन्स मुख्य मन्त्री जी से मिलते ही रहते हैं। मिल मालिकों के भी मिलते हैं, खांडसारियों के भी मिलते हैं और मैं यहां तक अर्ज कर सकता हूं कि खांडसारी असोसिएशन के नुमाइन्दे मुझसे ज्यादा मिले हैं, मुख्य मन्त्री जी से ज्यादा मिले हैं और हमने हमदर्दी के साथ और दिलचस्पी से उनकी बातों को सुना है और उनकी मुसीबतों को हमेशा हल करने की कोशिश की है। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस मामले को ठंडे दिल से सोचना चाहिए कि हमारे प्रदेश के अन्दर क्या हो सकता है। इस तरह से जजबात से काम नहीं चलेगा। खांडसारी और गुड़ की इंडस्ट्री हमारे प्रदेश की पुरानी इंडस्ट्री है। उसको खतरा नहीं होने दिया जायगा। कैसे दिमाग में पैदा हुआ कि इसका गला घोंटा जा रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी सरकार का यह इरादा है कि पिछले वर्ष जितना गुड़ या खांडसारी बना था इस वर्ष उतने से कम न बने।

अनेक सदस्य—

कैसे बन जायगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मैं तो गवर्नमेंट की पालिसी की बात कर रहा हूं।

(व्यवधान)

इस तरह से जोर से बोलने से तो काम चलेगा नहीं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं मन्त्री जी से बताना चाहता हूं....

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मैं आपकी बात इस समय सुनने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

१९६१-६२ में....

श्री अध्यक्ष—

बैठ जाइये। सुन लीजिये। कायदा यह है कि अगर वह ईल्ड नहीं करते तो आपका कर्तव्य है कि आप बैठ जाइये।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

अध्यक्ष महोदय, मैं ईल्ड इसलिये नहीं कर रहा हूं कि केवल ५ मिनट रह गये हैं और मैं दो चार बातें जो कहना चाहता हूं वह भी नहीं कह पाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। अगर उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है तो वे अपना परिणाम आपके उत्तर से निकाल सकते हैं। आप आगे बोलिए।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि गुड़ और खंडसारी पारसाल की तरह से कैसे बन जायगी। वह इस तरह से बन जायगी कि इस वर्ष लगभग एक सौ करोड़ दस लाखमन गन्ना पैदा होने की आशा है, ऐसा हमारा अन्दाजा है। हमारे लिये भारत सरकार ने केवल १५ लाख टन शुगर का टारगेट नियत किया गया है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसको पूरा करें। शुबहा इस बारे में थोड़ा हमें भी है क्योंकि हमारे अन्दर जितनी क्षमता है और जितना समय रहेगा उसमें शायद १५ लाख टन न हो सके लेकिन जितना भी हो सकेगा कोशिश करेंगे कि उस टारगेट तक पहुंच सकें। उसके लिये ४३ करोड़ मन गन्ना चाहिये। उसके बाद आप हिसाब लगाइये जो बचे उससे गुड़ बनेगा, खांडसारी बनेगी। तो आप हिसाब जोड़ लीजिये कि हमारा जो पुराना प्रोडक्शन है हम उसके करीब-करीब पहुंच जायेंगे। इसलिये यह कोई खतरा नहीं होना चाहिये।

दूसरी बात यह कि डी० आई० आर० की जो पाबन्दी लगी है, उस सम्बन्ध में खांडसारी एसोसिएशन के नुमाइन्दे मुख्य मन्त्री से मिले थे और जहां तक मेरी जानकारी है, खांडसारी इंडस्ट्री की वर्किंग को कैसे रेगुलेट किया जाय, इसका जो उसूल है उसको उन्होंने मंजूर भी किया है। अब यह बात दूसरी है कि सरकार चाहती है कि इस तरह से हो और एसोसिएशन चाहता है कि इस तरह से हो। एसोसिएशन जिस तरह से चाहता है, हम कोशिश कर रहे हैं उनको एकोमोडेट कर लें। यहां हाउस में खांडसारी के सम्बन्ध में जो इतनी दिलचस्पी दिखलायी जाती है और जो खतरा जाहिर किया गया है ऐसी कोई परेशानी की बात असेम्बली के बाहर किसी की तरफ से नहीं दिखलायी पड़ती कि खांडसारी उद्योग का गला घोंटा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, २९ तारीख को साढ़े १० बजे दिन में फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ८ बजे मंगलवार, २९ अक्तूबर, १९६३ के १० १/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२२ अक्तूबर, १९६३

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर आगे पृष्ठ ११६६ पर)

विवरण

दिनांक ९-१०-६३ को शाम को रेलवे के एक गार्ड द्वारा देवरिया रेलवे स्टेशन की रेलवे पुलिस को एक लाश यह कह कर दी गई कि वह व्यक्ति रेल द्वारा कट गया था, बाद में ज्ञात हुआ कि लाश मारवाड़ी इंटर कालेज देवरिया के एक छात्र धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव की थी। पुलिस द्वारा पंचायतनामा तैयार करते समय विद्यार्थियों की भीड़ ने जो वहां एकत्रित हो गई थी यह जाहिर किया कि धीरेन्द्र नाथ को चन्द्र शेखर वैद्य ने जिसके घर में वह रहता था ९ तारीख को इतना पीटा कि वह मर गया और फिर उसकी लाश को रेल की पटरी पर रख दिया जहां वह रेल से कट गयी पुलिस द्वारा जांच हो रही है।

चन्द्र शेखर वैद्य तथा एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ११८० पर)

नकल चिक द० दा० अ० सं० ८८ धारा १४७/१४८/१४९/३२३/३२२/३७९/१४३/४३२/p.c थाना निचलौल जिला गोरखपुर चिक नं० ६९।

व कुंआ ता० ३१-७-६३ समय करीब २ बजे दिन

गरजुआ ता० ३१-७-६३ समय १६-४५ बजे

वादी का० नं० ६०० जगदीश सिंह थाना निचलौल जिला गोरखपुर प्रतिवादी १, छेदी सिंह सा० हडहवा २—विपत चमार, ३—धनई, ४—सर्वजीत ५—लौटई, ६—दरहंगी, ७—देवनारायन ८—चंद्रिका, ९—वल्ली, १०—जगदीश, ११—गंगा इन्स्पेक्टर, १२—व एक चुड़िहार जिसका नाम शायद बिसमिल्ला है मौजा बढ़या १३—व एक नट मौजा गैडहवा १४—सहादत्त सा० हडहवा १५—वंशी अहीर १६—साधू अहीर गैडहवा करीब ३०० में से उपरोक्त के नाम गांव को वकिया में से कुछ को हम लोगों ने सकल से पहचाना है वकिया नाम पता अज्ञात

जवानी वादी

नारायणी नहर विभाग के ओवरसियर की रिपोर्ट पर कि नारायणी नदी का पानी बढ़ रहा है, नहर के आस-पास के मवाजियात बढ़या गोसाईपुर, बैठलिया, हडहवा गांव के लोग नहर के बन्धा काटने पर तुले हुए हैं, हम कानिस्टबुलान जगदीशसिंह व का० पुरुषोत्तम लाल, का० विश्वनाथ-सिंह व ० का० रामनगीना राय थाना निचलौल जिला गोरखपुर नारायणी नहर के बांधों की रक्षा हेतु ड्यूटी में मायूर थे। आज करीब दो बजे दिन में हम कानिस्टबुलान व श्री रम, श्री राम अभिलाख तिवारी व ब्रजपाल सिंह ओवरसियर, रमाकान्त व परदेशी मेट तिलकधारी बेलदार, लहरमन, टिन्डेइल अहमद व रमई ठेकेदार व परमंहस मौजा बढ़या के सामने डोमा सुपरपेसेज के पास ड्यूटी पर नहर के बाधों की रक्षा के लिये मौजूद थे कि करीब ३०० आदमियों का मजमा नाजायज लाठी बल्लम, फरसा व कुदार वगैरह से लैस होकर उत्तर से डोमा सुपरपेसेज के करीब यह कहते हुये कि नहर का बांध काट दो और जो बोले उसको मारो, आ गये और नहर का पूर्वी बांध काटने लगे। हम लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने इसके बाद हम लोग उन्हें नहर का बांध काटने से रोकने का प्रयास करने लगे कि इस मजमें में से कुछ आदमी हम लोगों पर टूट पड़े और मारने लगे। और बकिया लोग ललकार रहे थे और नहर का बन्धा पूर्वी चौथे व पांचवे मील के दरमियान दो जगह काट दिये। हम चारों कानिस्टेबुलान को व रमाकान्त मेट व रमई तथा ब्रजपाल सिंह ओवरसियर को लाठी डंडे की चोटें आईं। नहर काटने व मारपीट करने वाले मुलजिमान में से हम लोगों ने छेदी सिंह सा०हडहवा वीयत चमार व धनई सर्वजीत लोटई हरहंमी देवनारायण, चन्द्रिका प्रधान, वल्ली जगदीश, गंगा, इन्स्पेक्टर एक चुड़िहार जिसका नाम शायद बिसमिल्ला है मौजा बढ़या व एक नट मौजा गडहवा सहादत्त सा० हडहवा बंशी अहीर गोसाईंपुर, साधू अहीर गडरवा को नाम व गांव से व बकिया में से कुछ को सकल से हम लोगों ने पहचाना है। मुलजिमान मौजा बढ़या गोसाईपुर हडहवा गैढवा बैठोरिया आदि के हैं मजमा के नेतृत्व छेदीसिंह मौजा हड़वा कर रहे थे। मुलजिमान का विश्वनाथ सिंह की एक अदत साईकिल फिलिप्स सा० नं० एन० ३५७२३९ रंग काली व रामअभिलाष ओवरसियर की साईकिल का राम नगीना राय के एक अदद टार्च और तीन सेनल की एक लुंगी जो एक झोले में थी मय झोला के व का० पुरषोत्तम लाल का० एक अदद टार्च को २ सेल का व एक लुंगी व एक अद टोपी व एक अदद नेकर सरकारी जो एक झोले में था मय झोले के सोमा सुपरपेसेज के नहर विभाग के कैम्प का भी कुछ सामान मुलजिमान लेते गये। हमारा दावा मुलजिमान उपरोक्त पर मजमा नाजायज बनाकर लाठी, भाला, फरसा व कुदार आदि से लैस हो कर सरकारी नहर के बंधा को काट कर क्षति पहुंचाने व सरकारी ड्यूटी के अंजान देही में बाधा डाल कर लाठी, डंडा से चोट

पहुंचाना व हम लोगों के सामान उठा ले जाने का है। जो तिलया सुना ठीक है दस्तखत बनाता हूं नोट में है का० प्रमाणित करता हूं कि बयान वादी शब्द व शब्द लिखा गया है। कार्बन कापी साथ पढ़ने योग्य हवाला की गई।

नोट—नकल मुतालिक असल है।

लेखक
लक्ष्मी शंकर दूबे
धर्मरान वि० का० मु०

३१.७.६३

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११८१ पर)

रजबहा जखेड़ा (लोअर परिछतगढ़ रजबहा) बहादुरगढ़ ब्रांच और रजबहा किठौर १-१-६२ से १-५-६२ और १-१-६३ से १-५-६३ तक निम्नलिखित रूप से चले :—

रजबहा का नाम	१-१-६२ से १-५-६२ तक	१-१-६३ से १-५-६३ तक
जखेड़ा (लोअर परिछतगढ़)	९ हफ्ते	९ हफ्ते २ दिन
किठौर हेड	९ हफ्ते ३ दिन	१२ हफ्ते २ दिन
किठौर मील १७ फर्लांग ४ से टेल तक	७ हफ्ते ३ दिन	७ हफ्ते २ दिन
शाख बहादुरगढ़ ..	६ हफ्ते	५ हफ्ते

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११८२ पर)

सूची इस प्रकार

न्यायालय का नाम	मृत्यु दण्ड पाने वालों की संख्या	हाई कोर्ट द्वारा निर्णीत पुष्टिकरण बरी	आजन्म कारावास पाने वालों की संख्या	हाई कोर्ट द्वारा निर्णीत पुष्टिकरण बरी	हाई कोर्ट से अनिर्णीत अपीलों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७	८
सेशन्स जजेज कोर्ट मैनपुरी	२	१	१	२४	५	१	१८
सिविल ऐन्ड सेशन्स जजेज कोर्ट मैनपुरी	१	–	१	६	–	४	२
अस्थायी सिविल ऐन्ड सेशन्स जजेज कोर्ट मैनपुरी	१	–	१	१२	–	–	१२

सैयद अली जहीर,
न्याय मंत्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११८२ पर)

तुरन्त

संख्या ४१९२/१२-ई०—३७/३२/६२।

प्रेषक,

श्री श्याम सुन्दर मेहरोत्रा,
अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, पशु पालन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लखनऊ, २२ मई, १९६३

विषय : प्रदेश के वित्तीय साधन बढ़ाने के प्रस्ताव।

महोदय,

श्री अरोरा के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या १९८(प)१२०(ई) दिनांक ८-३-६३ के उपरोक्त विषय पर हुई वार्ता के संदर्भ में मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने निम्नांकित शुल्क इलाज कराने वाले पशुओं पर लगाने की स्वीकृति दी है। पशुपालन विभाग

१—छोटे पशु .. १० नये पैसा प्रति पशु प्रत्येक बार।
२—बड़े पशु .. २० नये पैसा प्रति पशु प्रत्येक बार।

मुझे यह भी कहना है कि इस सम्बन्ध में पिछले सब आदेश रद्द करते हुये राज्यपाल महोदय ने पशुओं के प्रजनन के लिये अंशदान के आधार पर (Contribution) और दूसरी सेवाएं जो कि पशुपालन तथा मत्स्य विभाग जनता को देता है की दरों में निम्नांकित परिवर्तन किया है :—

	वर्तमान अंशदान की दर	संशोधित अंशदान की दर
१—सांड़	५० रु० प्रति पशु	७५ रु० प्रति पशु
२—बकरा	५ " "	१५ " " "
३—देशी मेढा	५ " "	१५ " " "
४—सुअर	१० " "	२० " " "
५—विदेशी मेढे—		
(अ) शुद्ध नसली		७५ रु०
(ब) ३/४		३० "
(स) १/६		२० "
६—मछली के बच्चे	४ रु० प्रति हजार	१० " प्रति हजार
७—जमानत के आधार पर		
शुद्ध जाति के जानवरों की पूर्ति—		
(अ) हरियाना और केनकथा	३० रु० प्रति पशु	५० रु० प्रति पशु
(ब) मुर्रा और थरपार्कर	४० " " "	६० " " "
(स) साहीवाल और सिन्धी	५० " " "	७५ " " "

(२) एक वर्ष से कम की अतिरिक्त बछियों का निस्तारण--

(अ) साहीवाल और मुर्रा	२५ रु० से ३० रु०	
(ब) हरियाना व थरपार्कर	२० ,,	५० रु० समान दर
(स) कैनकथा, पवार, खेरी गढ़	२० ,,	
(द) भदवारी व तारई पड़िया	२५ ,,	

८--घोड़ा, सांडों की सेवायें--

(१) टी० बी०		१० रु० प्रति पशु
(२) काठियावाड़ी	२.५० न० पै० से ५ रु० तक	५ ,, ,,
(३) गधा	२.५० न० पै० से ५ रु० तक	३ ,, ,,

३--मुझे यह भी कहना है कि परिच्छेद १ के आदेश १ जून, १९६३ से लागू होंगे व परिच्छेद २ के आदेश तुरन्त लागू समझे जायं।

४--उपरोक्त मदों की आय प्रधान शीर्षक "२७--पशुपालन" के अन्तर्गत उपशीर्षक। उपशीर्षकों में जमा की जायेगी।

भवदीय,
श्याम सुन्दर मेहरोत्रा,
अनुसचिव।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११८७ पर)

डिप्टी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर (टेक्निकल) के जिम्मे सरेदस्त निम्नलिखित काम है:

(१) राज्य भर में तैनात रीजनल (टेक्निकल) इन्स्पक्टरों तथा सहायक (टेक्निकल) इन्स्पेक्टरों की निरीक्षण आख्याओं की छानबीन ।

(२) राज्य भर में चलने वाली मोटर गाड़ियों की आकस्मिक (surprise) तथा परीक्षण (test) की उपयुक्तता की जांच ।

(३) इन्फोर्समेंट शाखा द्वारा बिना उपयुक्तता के प्रमाण प्राप्त किये, चलने वाली मोटर-गाड़ियां संबंधी आख्याओं की जांच ।

(४) मोटर वेहिकिल ऐक्ट और रूल्स की खंड (chapter V) के अन्तर्गत आने वाले मामलों का निस्तारण तथा उक्त खंड व उसके अन्तर्गत बने नियमों का स्पष्टीकरण ।

(५) मोटर बसों में बैठने के स्थान के अभिन्यास (lay out) संबंधी प्रतिनिधित्व (representation) का निस्तारण ।

(६) राज्य में किसी भी स्थान पर होने वाली भीषण मोटर दुर्घटना की जांच ।

(७) सरकारी विभागों की मोटर गाड़ियों के रख-रखाव संबंधी अनुदेश भेजना ।

(८) सरकारी विभागों की मोटर गाड़ियों की अर्द्धवार्षिक जांच तथा उक्त जांच के परिणाम संबंधी आख्या राज्य सरकार तथा संबंधित विभागों को भेजना और संबंधित मोटर गाड़ियों को भावी अनुपयोग घोषित करना ।

(९) राज्य सरकार के समस्त विभागों की मोटर गाड़ियों की मरम्मत की व्यवस्था करना ।

(१०) राज्य सरकार के विभागों की मोटर गाड़ियों की मरम्मत संबंधी तखमीनों (estimates) तथा बिलों की जांच ।

(११) विभागीय मोटर गाड़ियों के लिये फुटकर कल पुर्जे, टायर-ट्यूब, बैटरी इत्यादि की व्यवस्था करना ।

(१२) विभागों की अनुपयोग मोटर गाड़ियों तथा उसके सामान के नीलाम व उससे संबंधी समस्त पत्र व्यवहार ।

(१३) रीजनल, असिस्टेंट इन्स्पेक्टर (टेक्निकल) तथा टेक्निकल इन्स्पेक्टरों के तथा उनके साथ कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों की नियुक्ति, छुट्टी, स्थानान्तरण, तैनाती तथा उनके दौरे का कार्य क्रम संबंधी कार्य ।

(१४) टेक्निकल इन्स्पेक्टरों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच तथा उनके विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही ।

(१५) मोटर गाड़ियों के पे लोड (pay load) योग्यता प्रमाण-पत्र तथा टायरों की समाई (capacity) संबंधी मामलों का निस्तारण ।

(१६) सरकारी गाड़ियों की मरम्मत के लिये मोटर गैरोजों का अनुमोदन ।

(१७) रीजनल इन्स्पेक्टरों द्वारा प्रेषित अन्वेषण आख्याओं (analysis reports) की जांच ।

(१८) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी की स्टाफ गाड़ियों के रख-रखाव संबंधी मामलों का निस्तारण ।

(१९) नव नियुक्त इन्स्पेक्टरों का क्रियात्मक प्रशिक्षण (practical training) ।

(२०) प्राविधिक पदों के लिये अभ्यर्थियों की प्राविधिक परीक्षा (trade testing) ।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११८८ पर)

सूची

राजकीय पशुधन एवं कृषि फार्मों पर घाटे के मुख्य-मुख्य कारणो सम्बन्धी सूची--

१--ज्यादातर फार्म ऐसी भूमि पर खोले गये थे जो निम्न कोटि की थी ।

२--यह फार्म व्यापारिक पद्धति पर नहीं चलाये जाते है, क्योंकि यहां अन्न तथा पशु की उन्नति सम्बन्धी विकास कार्य किये जाते हैं जिनका मूल्यांकन व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता, परन्तु फिर भी इन फार्मों का लेखा-जोखा व्यापारिक संस्थाओं की पद्धति पर रक्खा जाता है ।

३--इन फार्मों की पशु शाखा हानि के अधिकांश भाग के लिये उत्तरदायी है । पशु प्रजनन तथा उन्नति का काम खर्चीला है और इससे उतनी आय सम्भव नहीं है जितना कि इस पर खर्च होता है ।

४--फार्मों पर दूध का उत्पादन मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक है, क्योंकि ये फार्म शहरों से दूर स्थित हैं जहां दध के अच्छे दाम नहीं मिलते ।

५--इन फार्मों की भूमि में काफी पैसा लगा कर जो सुधार किया गया है उसका मूल्य फार्म की आय में दिखाया नहीं जा सकता जब कि सुधार पर खर्च किया गया धन खर्च में दिखाया जाता है ।

६--उक्त कारणों के अलावा १९६१-६२ में घाटे के निम्नलिखित और कारण थे ।

१--प्राकृतिक प्रकोप ।

२--उत्पत्ति के साधनों जैसे तेल, डीजल, मोबिल आयल, मजदूरी आदि की दरों में वृद्धि, परन्तु उत्पादित वस्तुओं के दामों में स्थिरता ।

अदेश प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पष्ठ ११९१ पर)

मंजूरशुदा स्थायी परमिटों का व्यौरा

निम्नलिखित पहले ५ चालकों ने परमिट हासिल कर लिये हैं :

(१)	श्री सुखबीर सिंह अग्रवाल ..	१	परमिट
(२)	श्री बृज ट्रांसपोर्ट कम्पनी ..	१	,,
(३)	श्री काशी राम	१	,,
(४)	श्री मदन मोहन सहगल ..	१	,,
(५)	श्रीमती नियामत देवी ..	१	,,
(६)	श्री दलीप सिंह बत्तरा ..	१	,,
(७)	श्री करतार ट्रांसपोर्ट कम्पनी ..	१	,,
(८)	श्री प्रेम चन्द्र जैन ..	१	,,
(९)	श्री ओम प्रकाश सुशील कुमार ..	१	,,
(१०)	श्री करतार सिंह चौला ..	१	,,
(११)	श्री जोगेन्द्र सिंह	१	,,
(१२)	श्री देवेन्द्र सिंह	१	,,
(१३)	श्री हंस राज ..	१	,,
(१४)	श्री रघुबीर सिंह	१	,,
(१५)	श्रीमती मायावती	१	,,
(१६)	एशियाटिक बस सर्विस, सहारनपुर ..	७	,,
(१७)	नेशनल ट्रांसपोर्ट सर्विस, सहारनपुर ...	२	,,
(१८)	इन्डिया मोटर ट्रांसपोर्ट कम्पनी ..	१	,,
(१९)	बृज ट्रांसपोर्ट कम्पनी ..	१	,,
(२०)	डाक्टर हरिश्चन्द्र ..	३	,,
(२१)	श्री प्रेम सिंह ..	३	,,
(२२)	श्रीमती भगवती देवी ..	१	,,
(२३)	श्रीमती श्यामा देवी ..	१	,,
(२४)	श्रीमती नियामत देवी ..	१	,,

विधान सभा

सहारनपुर जिले में टैक्सी चलाने के लिये इस साल में दिये गए अस्थायी परमिटों की सूची

क्रम-संख्या	गाड़ी के मालिक का नाम व पता
१	श्रीमती नियामत देवी पत्नी श्री अदतिया मल, भीम गोंडा, सहारनपुर।
२	मि० इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कं०, सहारनपुर।
३	श्री हंस राज और काका राम, कृष्ण नगर कालोनी, सहारनपुर।
४	श्री सी० राम शर्मा, पुत्र श्री रुलिया राम, मायापुर हरद्वार, जिला सहारनपुर।
५	श्रीमती नियामत देवी पत्नी श्री अदतिया मल, भीम गौडां, सहारनपुर।
६	श्री मदन मोहन सहगल मार्फत वर्मा-शैल डीलर्स, हरद्वार, जिला सहारनपुर।
७	श्री हंस राज काका राम, हरद्वार।
८	डा० हरीश चन्द्र, सहारनपुर।
९	श्री मदन मोहन सहगल, हरद्वार।
१०	श्री लक्ष्मण सिंह, छिद्रवाला देव्दूनद।
११	श्री जंगी राम, मायापुर।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पष्ठ ११९३ पर)

शासकीय आदेश संख्या २२५८-ए/२३-आई० ई०—१९-६२, दिनांक २५-८-६३

(१) सर्वश्री महेश चन्द्र माथुर
(२) „ नरेश चन्द्र जैन
(३) „ वीरेन्द्र पाल सिंह
(४) „ लाजपत राय अग्रवाल
(५) „ राजेन्द्र प्रसाद
(६) „ फईक हुसैन
(७) „ मदन मोहन सिन्हा
(८) „ सादिक अली खां
(९) „ नाजिन अली सैदा
(१०) „ वी० पी० हजेले
(११) „ सत्यपाल चन्द्र
(१२) „ ओम प्रकाश अग्रवाल (परीक्षण पर)
(१३) „ रेवती प्रसाद शर्मा
(१४) „ धर्मेन्द्र चरन
(१५) „ भगवान स्वरूप शर्मा
(१६) „ ओम प्रकाश जैन
(१७) „ गिरिराज सिंह (परीक्षण पर)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७० का उत्तर पीछे पष्ठ ११९५ पर)

मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों के सरकारी आवास का मासिक जलकर का विवरण

मन्त्रियों के नाम	सरकारी आवास	मासिक जलकर रु० न०पै०
(१) श्रीमती सुचेता कृपालानी, मुख्य मन्त्री।	बंगला नं० ११, गौतमपल्ली, लखनऊ	१२.६५
२—श्री हुकुमसिंह विसेन राजस्व मंत्री	बंगला नं० ६ दारुलसफा, लखनऊ।	१६.८०
३—श्री गिरधारीलाल, सिंचाई मन्त्री	बंगला नं० ३ सरोजनी नाइडू मार्ग, लखनऊ।	४९.७४
४—श्री कमलापति त्रिपाठी, वित्तमन्त्री	बंगला नं० ७, (नॉर्थ) ओल्ड आई० डी० टी० बिल्डिंग, लखनऊ।	१०.४३
५—श्री हरगोविन्दसिंह, गृह मन्त्री	मिनिस्टर्स रेजीडेन्स नं० १, बिक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।	१६.८८
६—श्री मुजफ्फर हसन, परिवहन मन्त्री	बंगला नं० ५, कालीदास मार्ग, लखनऊ।	१०,८३
७—श्री राममूर्ति, सामुदायिक विकास मन्त्री।	बंगला नं० ४, दारुलसफा, लखनऊ।	९.३४
८—श्री जगमोहनसिंह नेगी, खाद्य मन्त्री	बंगला नं० ८ कालीदास मार्ग, लखनऊ।	१०.८३
९—डा० सीताराम, कारागार मन्त्री	बंगला नं० १, माल ऐवेन्यू, लखनऊ	१४.३२
१०—श्री दाऊदयाल खन्ना, स्वास्थ्य मन्त्री	बंगला नं० ३, कालीदास मार्ग, लखनऊ।	१०.००
उप-मन्त्री		
१—श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा, उप मन्त्री	बंगला नं० ३, दारुलसफा, लखनऊ।	७.९०
१२—श्री एस० पी० गुप्ता, उप मन्त्री	बंगला नं० ११, कालीदास मार्ग, लखनऊ।	११.६३
१३—श्री जयराम वर्मा, उप-मन्त्री ..	डिप्टी मिनिस्टर्स रेजीडेन्स, नं० १ कालीदास मार्ग, लखनऊ।	७.५०

मंत्रियों के आवास में सुरक्षा हेतु बिजली का मासिक व्यय का विवरण

मन्त्रियों के नाम	सरकारी आवास	सुरक्षा हेतु बिजली व्यय रु० न० पै०
१—श्रीमती सुचेता कृपालानी, मुख्य मन्त्री	बंगला नं० ११, गौतमपल्ली, लखनऊ	६.६३
२—श्री हुकुमसिंह विसेम, राजस्व मन्त्री	बंगला नं० ६, दारुलसफा, लखनऊ	४.५०
३—श्री गिरधारीलाल, सिंचाई मन्त्री	बंगला नं० ३, सरोजनी नाइडू मार्ग, लखनऊ।	२३.१४
४—श्री चरणसिंह, कृषि मन्त्री ..	बंगला नं० ६, माल ऐवेन्यू, लखनऊ।	१२.६२
५—श्री कमलापति त्रिपाठी, वित्त मन्त्री	बंगला नं० ७, (नार्थ) गोल्ड आई० डी० टी० बिल्डिंग।	२८.३०
६—श्री हरगोविन्दसिंह, गृह मन्त्री ..	मिनिस्टर्स रेजीडेन्स नं० १, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।	२४.४८
७—श्री मुजफ्फर हसन, परिवहन मन्त्री	बंगला नं० ५, कालीदास मार्ग, लखनऊ।	११.११
८—श्री राममूर्ति, सामुदायिक विकास मन्त्री।	बंगला नं० ४, दारुलसफा, लखनऊ	९.२४
९—श्री जगमोहनसिंह नेगी, खाद्य मन्त्री	बंगला नं० ८, कालीदास मार्ग, लखनऊ।	१८.७८
१०—डा० सीताराम, कारागार मन्त्री	बंगला नं० १, माल ऐवेन्यू, लखनऊ	१५.६२
११—श्री दाऊदयाल खन्ना, स्वास्थ्य मन्त्री	बंगला नं० ३, कालीदास मार्ग, लखनऊ।	२८.२१

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११९७ पर)

प्रश्न संख्या में कथित बांध की सुरक्षा के लिये की गई कार्यवाही का विवरण

महुला गढ़वल बांध के मील २०–२१ पर--

मील २०–३ से २०–५ तक सात बल्ली स्पर (Spur) बनाये गये हैं। इन स्परों के अगले सिरे में बालू तथा ईंटे भर कर रक्षा की गई है और मुख्य भाग में झाऊ भर दिया गया है। नदी की ओर बढ़ने वाले बांध के भाग को बालू से भरी बोरियां रख कर सुरक्षित किया गया है। नदी की धारा प्रतिरोध करने के लिये वृक्षों एवं बांसों के स्पर बनाकर लगाये गये हैं। इस स्थान पर कटाव पूरी तौर से रोक दिया गया है।

महुला गढ़वल बांध के मील २९–३० पर--

इस स्थान पर नदी का किनारा ऊंचा है तथा नदी का मोड़ स्थिर हुआ जान पड़ता है। यहां पर बांध को कोई तात्कालिक खतरा नहीं है फिर भी सुरक्षा के लिये बल्लियों के ६ स्पर बनाये गये हैं और ये झाऊ भर कर परमिएबेल (Permeable) बना दिये गये हैं। इन में से चार स्पर मिट्टी के बांधों द्वारा मुख्य बांध से जोड़ दिये गये हैं। इस स्थान पर कटाव कम करने के लिये ये स्पर प्रभाव शाली रहें और अब यहां पर कटाव नहीं है।

ग्राम मोसाडीह, मोलनापुर तथा बरोहा ग्रामों के समीप हाहा नाला पर बांध --

इस स्थान पर नदी की धारा की कम से कम दूरी ३ फर्लांग है और कोई तात्कालिक खतरा नहीं है, अतः उस की सुरक्षात्मक व्यवस्था नहीं अपनाई गई है।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०--१४१ एल० ए०--१९६३-८६०।